सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

वस्त्र मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

विषय – सूची

1	सिंहावलोकन	1
2	कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	9
3	निर्यात संवर्धन	27
4	कच्ची सामग्री सहायता	30
5	प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता	54
6	शिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु सहायता	59
7	अवसंरचना के लिए सहायता	76
8	वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास	78
9	तकनीकी वस्त्र	81
10	क्षेत्र की योजनाएं	86
11	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन	124
12	वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें	131
13	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	133
14	एससी/एसटी/महिला और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय	135
15	सतर्कता कार्यकलाप	138

सिंहावलोकन

1.1 भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है जिसका कच्ची सामग्री आधार तथा विनिर्माण क्षमता अन्य की अपेक्षा काफी अधिक है। चीन के बाद विश्व में यह दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है। भारत में वस्त्र एवं क्लोदिंग का हिस्सा 12% (2018–19) है जो कि पर्याप्त है। वस्त्र एवं अपैरल को वैश्विक व्यापार में भारत का 5% हिस्सा है। इस उद्योग की विशिष्टता हाथ से बुनाई क्षेत्र तथा पूंजी सापेक्ष मिल क्षेत्र दोनो ही क्षमता में निहित है। मिल क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। हथकरघा, हस्तशिल्प तथा लघु स्तरीय विद्युतकरघा इकाइयों जैसे पारंपरिक क्षेत्र ग्रामीण एवं उप–शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है तथा देश में कुल वस्त्र उत्पादन में इसका अंशदान 75% से अधिक है।

भारतीय वस्त्र उद्योग का संबंध कृषि एवं देश की सांस्कृतिक एवं परंपराओं से है जिससे यह देश घरेलु एवं निर्यात बाजारों के लिए उपयुक्त उत्पादों का विविध प्रसार कर पाता है। वस्त्र उद्योग औद्योगिक उत्पादों में मूल्य की दृष्टि से 7%, भारत के जीडीपी का 2% तथा देश की निर्यात आय में 12% का अंशदान करता है। वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें महिलाओं और ग्रामीण लोगों सहित प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोग तथा संबंधित क्षेत्र में अन्य 6 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यह क्षेत्र पूरी तरह भारत में मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण युवा रोजगार की मुख्य सरकारी पहलों के अनुरूप है।

भारत के विकास को समावेशी तथा सहयोगी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, कौशल तथा परपंरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करना रहा है। वर्ष 2018–19 की कुछ प्रमुख पहलें तथा मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.2 निर्यात:

भारतीय वस्त्र उद्योग चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता तथा निर्यातक है। यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित में वस्त्र एवं क्लॉदिंग (टीएंडए) की हिस्सेदारी वर्ष 2018–19 में काफी अधिक 12% है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत का 5% हिस्सा है। भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और अपैरल का निर्यात करने वाले गंतव्य कुल वस्त्र और अपैरल के निर्यात में 43% की हिस्सेदारी के साथ ईयू–28 और यूएसए हैं। यह क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ व्यक्तियों और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य 6 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिसमें बड़ी मात्रा में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल है।

1.3 कच्ची सामग्री सहायता

क. कपास

कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की खपत में कपास का अनुपात लगभग 60% है। कपास की खपत प्रति वर्ष 300 लाख गांठ (170 किग्रा प्रत्येक) से अधिक की होती है। भारत ने लगभग 125.84 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो वैश्विक क्षेत्र का लगभग 36% है। लगभग 62% भारतीय कपास का उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में और 38% सिचिंत भूमि पर किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान भारत की उत्पादकता 486.33 किग्रा/हैक्टेयर थी। भारत विश्व में कपास के एक सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में उभरा है।

कपास, लगभग 5.8 मिलियन कपास किसानों तथा कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलापों में लगे 40–50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों यथा मध्यम स्टेपल और लंबी स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है। वस्त्र मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज कपास (कपास) के मूल्यों के एमएसपी स्तर को छू जाने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है। कपास वर्ष 2018–19 के दौरान सीसीआई द्वारा एमएसपी के तहत कपास की 10.70 लाख गांठों की खरीद की गई।

ख. पटसन:

पटसन उद्योग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग, तृतीय श्रेणी के उद्योग (गौण क्षेत्र) और संबंधित क्रियाकलापों सहित संगठित मिलों और विविधीकृत इकाइयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कई लाख किसानों की आजीविका में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के कारोबार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं।

भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न केवल भारतीय पटसन निगम द्वारा संचालित एमएसपी अभियानों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करके खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए प्रति वर्ष लगभग 7584 करोड़ रुपए के मूल्यों वाले पटसन बोरों की सीधी खरीद के माध्यम से भी पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराती है। यह न केवल पटसन किसानों बल्कि पटसन मिल कामगारों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता है।

दिनांक 1 नवंबर, 2016 से पटसन बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म 'जूट–स्मार्ट' (जूट सेकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्वीजिशन टूल) को क्रियान्वित किया गया है। इस समय 'जूट–स्मार्ट' सॉफ्टवेयर लागू हो गया है तथा पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के एसपीए ने नवंबर से अक्तूबर, 2019 माह के दौरान जूट–'स्मार्ट' के माध्यम से 21.97 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 85.3 लाख गांठों के मांग पत्र पहले से ही प्रस्तुत कर दिए हैं तथा इन गांठों के लिए 7 विभिन्न मध्यस्थों को शामिल करके कई पटसन मिलों से राज्य सरकारों की 6 राज्यों में स्थित पटसन मिलों को इन गांठों के लिए पीसीओ प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

जूट–आई–केयर की शुरूआत प्रमाणित बीजों, पटसन की खेती में आधुनिक कृषकीय पद्धतियों का प्रयोग और पटसन की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए माइक्रोबाइल कंसोर्टियम अर्थात क्राइजैफ सोना का प्रयोग करके भी किसानों की आय में कम–से–कम 50% की वृद्धि करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाएं मुख्यतया राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं जो पटसन क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए सृजित किया गया एक सांविधिक निकाय है।

ग. रेशम:

रेशम एक कीट रेशा है जिसमें चमक, ड्रेप और मजबूती होती है। इन अनन्य विशेषताओं के कारण रेशम को विश्व भर में 'वस्त्र की रानी' के रूप में जाना जाता है। भारत प्राचीन सभ्यता की भूमि रही है तथा इसने विश्व को कई चीजों का योगदान दिया है जिसमें रेशम भी एक है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इसके बावजूद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो 5 मुख्य वाणिज्यिक किस्मों के रेशम अर्थात् मलबरी ट्रापिकल तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग की मुख्य विशेषता इसकी उच्च रोजगार क्षमता, कम पूंजी अपेक्षा है तथा यह रेशम उत्पादकों को लाभप्रद आय प्रदान करता है।

चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है जिसका रेशम उत्पादन 35,468 मी.टन है। कच्ची रेशम के 35,468 मी.टन कुल उत्पादन के उत्पादित रेशम की चार किस्मों में मलबरी की हिस्सेदारी 71.50% (25,344 मी.टन) तसर 8.4% (2891 मी.टन), एरी 19.48% (6,910 मी.टन) और मूगा 0.66% (233 मी.टन) है। आयात स्थापनापन्न बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन वर्ष 2017–18 में 5,874 मी.टन से 18.9% बढ़कर वर्ष 2018–19 में 6,987 मी. टन हो गया है। वान्या रेशम (तसर, एरी, मूगा) का उत्पादन 9,840 मी.टन से 2.9% बढ़कर 10,124 मी.टन हो गया है। मूगा रेशम के उत्पादन में अब तक का सबसे अधिक 233 मीट्रिक टन का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया है और इसने विकास का नया गतिमान स्थापित किया है।

घ. ऊन:

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) नामक एक नया एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसका अनुमोदन स्थायी वित्त समिति द्वारा 23.03.2017 को हुई अपनी बैठक में किया गया था। इस कार्यक्रम का निर्माण सभी स्टेकहोल्डरों की अनिवार्य आवश्यकता अर्थात ऊन उत्पादक सहकारी संगठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊन उत्पाद विनिर्माण के सशक्तिकरण की आवश्यक जरूरतों को शामिल हुए ऊन क्षेत्र के विकास के लिए किया गया था। पश्मीना ऊन के प्रमाणीकरण, लेबलिंग, ब्रांडिंग तथा औद्योगिक उत्पादों में दखनी ऊन के उपयोग में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 50 करोड़ रुपए के आबंटन से पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को आईडब्ल्यूडीपी के तहत 'जम्मू एवं कश्मीर राज्य की पुनर्निर्माण योजना' के नाम से शामिल किया गया है।

1.4 प्रौद्योगिकी सहायता

क. प्रौद्योगिकी उन्नयन: संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस): एटीयूएफएस को जनवरी, 2016 में 17,822 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को जुटाने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। दिनांक 20.01.2020 की स्थिति के अनुसार 39826.28 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से एटीयूएफएस के तहत कुल 9605 यूआईडी जारी किए गए हैं।

(ख) पावरटेक्स इंडिया

विद्युतकरघा क्षेत्र की लंबे समय से महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करने और प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए नए घटकों अर्थात विद्युतकरघा बुनकरों के लिए सौर ऊर्जा योजना और प्रधानमंत्री ऋण योजना, प्रचार और आईटी एवं मौजूदा योजनाओं अर्थात समूह वर्कशेड योजना, सामान्य सुविधा केंद्र योजना, यार्न बैंक योजना, साधारण विद्युतकरघा योजना, स्वरू स्थाने विद्युतकरघा उन्नयन योजना को तर्कसंगत/उन्नयन करके विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (पीएसडीएस) को संशोधित किया गया है। इस योजना को अब पावरटैक्स इंडिया के नाम से पुनरू शुरू किया गया है और यह दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2020 तक लागू है।

1.5 कौशल हेतु सहायता

ख. नई कौशल विकास योजना अर्थात 'समर्थ'–वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)

आईएसडीएस के अनुभवों के आधार पर मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 'वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना (एससीबीटीएस)'–समर्थ नामक एक नई कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुसार वित्त पोषण के मानको के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल अर्हता अवसंरचना (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस योजना के द्वारा वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट में 10 लाख लोगों को कौशल प्रदान किए जाने और प्रमाणित किए जाने का अनुमान है जिनमें से 1 लाख व्यक्ति परंपरागत क्षेत्रों में होंगे।

1.6 अवसंरचना सहायता

क. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही कार्यान्वयनाधीन रही है ताकि वस्त्र उद्योग को विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान की जा सकें। परियोजना लागत में सामान्य अवसंरचना तथा उत्पादन/सहायता के लिए इमारतें शामिल हैं जो 40% परियोजना लागत तथा अधिकतम 40 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता वाले

आईटीपी आवश्यकताओं पर निर्भर है। स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप आईटीपी स्थापित करने की छूट है।

2. इस योजना के तहत घटकों अर्थात केप्टिव पावर प्लांट, अपशिष्ट शोध, दूरसंचार लाइनों सहित कंपाउंड वॉल, सड़क, ड्रेनेज, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति जैसी सामान्य अवसंरचनाओं, जांच प्रयोगशाला (उपस्करों सहित), डिजाइन केंद्र (उपस्करों सहित), प्रशिक्षण केंद्र (उपस्करों सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, भंडारण सुविधा/कच्चे माल के डिपो, एक पैकेजिंग इकाई, क्रेश, कैंटीन, कामगारों के हास्टल, सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, श्रमिकों के आराम एवं मनोरंजन की सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली (बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) इत्यादि, उत्पादन प्रयोजन के लिए फैक्ट्री बिल्डिंग, संयंत्र एवं मशीनरी तथा वस्त्र इकाइयों के कार्य स्थल एवं कामगारों के हॉस्टल जैसी समान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया जाता है जो कि किराए/हायर प्रचेज आधार पर भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

3. भारत सरकार द्वारा कुल वित्त सहायता अधिकतम 40 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% तक सीमित है। तथापि, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू कश्मीर में पहली दो परियोजनाओं के लिए (प्रत्येक के लिए) कुल 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 90% की दर से भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाएगी।

4. अभी तक स्वीकृत 56 वस्त्र पार्क क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

घ. क्रियान्वयन की स्थिति:

1. एक बार पूर्णतया प्रचालनशील हो जाने पर उपर्युक्त सभी पार्कों में लगभग 5333 वस्त्र इकाइयों को शामिल किए जाने, लगभग 3,44,443 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन और 26,529 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित होने की संभावना है।

2. इन 56 वस्त्र पार्कों में एसआईटीपी के अंतर्गत 1347.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

3. अभी तक योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 22 पार्क पूरे हो गए हैं। ये ब्रांडिक्स–आंध्र प्रदेश, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, मुंद्रा सेज, आरजेडी टेक्सटाइल पार्क, सूरत सुपर यार्न प्रा.लि., ब्रज एकीकृत वस्त्र पार्क, फेयरडील टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि. तथा सयन टेक्सटाइल पार्क–गुजरात, मैट्रो हाइटैक को–ऑपरेटिव पार्क लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्रय पल्लाडम हाईटैक वीविंग पार्क, करूर टेक्सटाइल्स पार्क, तमिलनाडुय मदुरई एकीकृत वस्त्र पार्क, तमिलनाडु, इस्लामपुर एकीकृत वस्त्र पार्क, बारामती हाईटेक वस्त्र पार्क, दिशान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं लातूर इन्टीग्रटेड टेक्सटाइल पार्क–महाराष्ट्रय लोटस इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, पंजाब, डोडबल्लापुर टेक्सटाइल पार्क, कर्नाटकय जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क प्रा.लि.–राजस्थान, पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लि.–तेलंगाना, अस्मिता इन्फ्राटेक प्रा.लि., महाराष्ट्र और प्राइड इंडिया कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पार्क लि. महाराष्ट्र हैं।

ख. एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल निर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान योजना (एसएजीएएम):

अपैरल विनिर्माण उद्योग में तेजी लाने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर यह योजना क्रियान्वित कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पार्क में नई/अतिरिक्त अपैरल इकाइयों की स्थापना करने क लिए एसआईटीपी के अंतर्गत एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत पल्लाडम हाईटेक विविंग पाक, तमिलनाडु के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है।

ग. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से अक्तूबर, 2013 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी और शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) सहित उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाना है। राज्य सरकारों से मौजूदा वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन अथवा परियोजना लागत का 25% को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता से मंत्रालय के विचारार्थ अपने राज्यों में नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए उपयुक्त प्रस्ताव अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा नीचे दिए गए 7 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

i. बलोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और बलोतरा, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., बलोतरा द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

ii. जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और जसोल, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., राजस्थान द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपीका शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उनन्नयन।

iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना करना।

iv. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईडीपी से जेएलडी का उन्नयन।

v. विरूधनगर, तमिलनाडु में सदर्न जिला टेक्सटाइल प्रसंस्करण कलस्टर (प्रा) लि. द्वारा 6 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vi. भवानी तालुका, इरोड जिला, तमिलनाडु में श्री भवानी सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र द्वारा 4 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vii. गुजरात इको टेक्सटाइल पाक, सूरत, गुजरात में 25 एनएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 56.31 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है।

घ. अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) की शुरूआत 12.93 करोड़ रुपए/उद्भवन केंद्र की दर से 3 उदभवन केंद्रों की स्थापना के लिए 38.80 करोड़ रुपए के प्रांरभिक परिव्यय के साथ जनवरी,

2014 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अपैरल विनिर्माण में नए उद्यमियों को पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और प्लग तथा प्ले की सुविधा के साथ एकीकृत कार्य स्थल प्रदान कर उन्हें बढ़ावा देना है जो उन उदभवन केंद्र स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत तथा प्रयासों को कम करने में उनकी मदद करता है। इस योजना के अंतर्गत उद्भवन केंद्र स्थापित करने के लिए तीन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

ङ. वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना (एसटीआईडब्ल्यूए):

वस्त्र उद्योग कामगार आवास योजना 12वीं योजना में क्रियांवयन के लिए 45 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र और अपैरल उद्योगों के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्र के निकट वस्त्र और उद्योग कामगारों को सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक ढ़ंग से बसाए गए आवास मुहैया कराना है। प्रतिबद्ध देयताओं के लिए इस योजना का विस्तार 31 मार्च, 2019 तक किया गया है। एसटीआईडब्ल्यूए के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता 3.00 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 50% तक सीमित है। अक्तूबर, 2014 में दो परियोजनाएं अर्थात गुजरात ईको–टेक्सटाइल पार्क प्रा. लि., गुजरात और पल्लाडम हाईटेक विविंग पार्क प्रा. लि., तमिलनाडु अनुमोदित की गई हैं। दोनों परियोजनाएं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी हो गई हैं।

1.8 तकनीकी वस्त्र

तकनीकी वस्त्र एक उच्च प्रौद्योगिकी उभरता क्षेत्र है जो कि भारत में धीरे–धीरे अपना आधार स्थापित कर रहा है। तकनीकी वस्त्र, कार्यात्मक फैब्रिक है जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग एंव विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखरेख, औद्योगिकी सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। उपयोग के आधार पर तकनीकी वस्त्रों के 12 सेगमेंट हैं यथा एग्रोटेक, मेडीटेक, बिल्डटेक, मोबिलटेक, क्लॉथटेक, ओएकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक तथा स्पोर्टेक। भारत में वर्ष 2020–21 तक तकनीकी वस्त्रों के बाजार का आकार 2,00,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

क्षमतावान उद्यमियों की तकनीकी वस्त्रों में प्रवेश करने में सहायता करने के उद्देश्य से 59.35 करोड़ रुपए (टीआरए/सीओई में 5 तथा आईआईटी (दिल्ली, मुंबई, कानपुर तथा खड़गपुर) में 6 की लागत से प्लग एंड प्ले मॉडल पर 11 फोकस उद्भवन केंद्रों (एफआईसी) की स्थापना की गई है।

तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माताओं की सहायता करने के उद्देश्य से जियोटेक (बीटीआरए), एग्रोटेक, (एसएएसएमआईआरए), प्रोटेक (एनआईटीआरए), मेडीटेक (एसआईटीआरए), नॉन–वूवेन (डीकेटीई), इंडूटेक (पीएसजी प्रौद्योगिकी कॉलेज), कम्पोजिट (एटीआईआरए) तथा स्पोर्टेक (डब्ल्यूआरए) के क्षेत्रों में 139.00 करोड़ रुपए की लागत पर 8 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा एग्रोटेक्सटाइल का उपयोग संवर्धन करने के लिए शेष भारत में 10 एग्रोटेक्सटाइल प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाइल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई है, कुल 1218 एग्रोटेक्सटाइल किट वितरित किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत कुल 5012 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टेक्निकल टेक्सटाइल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से सड़क, जलाशय और ढलान स्थिरीकरण की 40 जियो–टेक्निकल टेक्सटाइल परियोजनाएं (सड़कें–12, जलाशय–11, ढलान स्थिरीकरण–17) स्वीकृत की गई हैं। बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र, मुंबई में 29–31 अगस्त, 2019 के दौरान तकनीकी वस्त्र पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन 'टेक्नोटेक्स 2019' का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र मेजबान राज्य था और गुजरात, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों ने भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया। इस प्रदर्शनी में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया।

1.9 क्षेत्र-वार योजनाएं

क. विद्युतकरघा क्षेत्र

विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र, फैब्रिक उत्पादन तथा रोजगार सृजन के मामले में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गए मैसर्स नीलसन बेसलाइन पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार यह 44.18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा देश में कुल वस्त्र उत्पादन के 60% का योगदान देता है। निर्यात के लिए 60% से अधिक फैब्रिक विद्युतकरघा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सिलेसिलाए परिधान तथा होम टेक्सटाइल क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युतकरघा क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

देश में लगभग 25 लाख विद्युतकरघे हैं। इस क्षेत्र का प्रौद्योगिकी स्तर साधारण करघा से उच्च तकनीकी वाले शटल रहित करघे तक भिन्न भिन्न है। यह अनुमान लगाया गया है कि 75% से अधिक करघे 15 वर्ष से अधिक की अवधि के अप्रचलित और पुराने हैं और इनमें कोई प्रोसेस अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/अटैचमेंट नहीं है। तथापि, पिछले 8–9 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के प्रौद्योगिकी स्तर में पर्याप्त उन्नयन हुआ है।

ख. हथकरघा क्षेत्र

हथकरघा वीविंग लगभग 35.23 लाख से अधिक बुनकरों तथा संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने वाला कृषि के बाद सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। यह क्षेत्र देश के क्लॉथ उत्पादन में लगभग 15: का योगदान देता है और देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है। विश्व का 95% हाथ से बुना हुआ फैब्रिक भारत से आता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 को 5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया।

i. हथकरघा क्लॉथ उत्पादन और निर्यात

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए निरंतर विकासात्मक और कल्याणकारी उपायों के परिणामस्वरूप हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में आ रही गिरावट की प्रवृत्ति को काफी हद तक रोक लिया गया। यद्यपि हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों की संख्या में गिरावट आ रही है। वस्तुतः वर्ष 2004–05 से (वर्ष 2008–09 की मंदी को छोड़कर) हथकरघा उत्पादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2017–18 में 7990 मिलियन वर्ग मीटर का रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2018–19 के दौरान 2392.39 करोड़ रुपए की हथकरघा वस्तुओं का निर्यात किया गया था और वर्ष 2019–20 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान 1405.41 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया है।

ii. रियायती ऋण

तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000/– रुपए की मार्जिन मनी सहायता

और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है। इससे पहले बुनकर ऋण कार्ड के रूप में ऋण प्रदान किए जाते थे। अब, हथकरघा बुनकरों और बुनकर उद्यमियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा मंच अपनाया गया है और इस योजना को 'बुनकर मुद्रा' योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 31.12.2019 तक 96.57 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 18057 ऋण मंजूर किए गए हैं।

समय पर वित्तीय सहायता अंतरित करने के लिए मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी फीस का ऑन लाइन दावा और संवितरण करने हेतु पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर 'हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' नामक पोर्टल विकसित किया गया है।

iii. **ब्लॉक स्तरीय कलस्टर**

ब्लॉक स्तरीय कलस्टरः यह योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक घटक के रूप में 2015–16 में शुरू की गई थी। कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास, वर्कशेड का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना जैसे विभिन्न पहलों के लिए प्रति बीएलसी 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना करने के लिए 50.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। प्रस्ताव की स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान (31.12.2019 की स्थिति के अनुसार) निम्नलिखित कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं:

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत कलस्टरों की संख्या	जारी की गई राशि (रुपए करोड़ में)
1	2017-18	61	42.34
2	2018-19	16	8.56
3	2019-20	21	16.84

iv. **व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस):**

- व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रति कलस्टर 40 करोड़ रुपए तक भारत सरकार के अंशदान के साथ कम से कम 15000 हथकरघों को शामिल करते हुए भौगोलिक स्थानों में मेगा हथकरघा कलस्टरों के विकास के लिए क्रियान्वित किया जाता है।
- विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) 16.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

v. **हथकरघों का ब्रांड निर्माण:**

(क) 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी), ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय सिद्धांतों का अनुपालन करने के अलावा कच्ची सामग्री, प्रसंस्करण, बुनकरों और अन्य पैरामीटरों के संदर्भ में उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर शुरू किया था। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड केवल उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिहीन प्रमाणित हथकरघा उत्पादों को दिया जाता है ताकि उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके जो अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों को पसंद करते हैं। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य विशेष बाजार क्षेत्र बनाना और बुनकरों की आय बढ़ाना है।

'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड के लाभः

- प्रीमियम इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले हथकरघा उत्पादों को गुणवत्ता के संदर्भ में दूसरे उत्पादों से अलग किया जाता है।
- ब्रांड के माध्यम से ग्राहक को यह आश्वस्त किया जाता है कि उचित टेक्सचर, अच्छी किस्म के यार्न और डाइंग का उपयोग किए जाने के साथ–साथ यह उन नॉन–कारसीनोजेनिक डाई से सुरक्षित है जो प्रतिबंधित रसायनों से मुक्त होने के कारण उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं।
- बड़ी संख्या में क्रेता और निर्यातक अपने डिजाइनों के अनुसार अच्छी किस्म के ब्रांडेड फैब्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं।
- बुनकर उद्यमी और अन्य विनिर्माता, देश में और देश के बाहर बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म के हथकरघा फैब्रिक्स का उत्पादन और विपणन करना शुरू करेंगे।
- इससे मूल्य वर्धित अच्छी किस्म का उत्पादन करके बेहतर आय प्राप्त करके हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं और अन्य वंचित वर्ग के लोग सशक्त बनेंगे।
- वस्त्र मंत्रालय, ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाकर संगठित संवर्धन और मीडिया अभियानों के माध्यम से ब्रांड को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है और इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले उत्पादों की मांग का सृजन कर रहा है।
- ग्राहक, www.indiahandloombrand.gov.in में रखी गई ब्रांड के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की सूची से आसानी से उत्पादकों का सत्यापन कर सकते हैं।

कार्यान्वयन

इंडिया हैंडलूम ब्रांड पहल को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वस्त्र समिति की सहायता से विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आईएचबी के उत्पादों की बिक्री ने उत्साहवर्धक प्रवृत्ति दर्शाई है।

इसे शुरू किए जाने से लेकर दिनांक 31.03.2020 तक 184 उत्पादों के तहत कुल 1590 पंजीकरण जारी किए गए हैं और 918.75 करोड़ रुपए तक की बिक्री हुई है।

(क) हैंडलूम मार्कः हैंडलूम मार्क यह गारंटी देने के लिए शुरू किया गया था कि ग्राहक जिस हथकरघा उत्पाद को खरीद रहा है वह हाथ से बुना वास्तविक उत्पाद है और यह विद्युतकरघा या मिल से बना उत्पाद नहीं है। हथकरघा मार्क को समाचारपत्रों और पत्रिकाओं, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडीकेट किए गए लेखों, फैशन शो, फिल्मों इत्यादि में विज्ञापन देकर बढ़ावा दिया जाता है और लोकप्रिय बनाया जाता है। हैंडलूम मार्क को बढ़ावा देने की क्रियान्वयन एजेंसी वस्त्र समिति है। दिनांक 31.03.2020 तक कुल 22,275 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

VI. **ई–मार्केटिंगः**

सामान्य रूप से हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से इसे युवा पीढ़ी के ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हथकरघा उत्पादों की

ई–मार्केटिंग को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

अब तक 23 ई–कामर्स इकाइयां अनुमोदित की गई हैं और दिनांक 31.03.2020 तक 109.88 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है।

VII. **दीनदयाल हस्तकला संकुल (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी**

भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय, वाराणसी के परिसर को 'दीनदयाल हस्तकला संकुल' (व्यापार केंद्र और संग्रहालय), वाराणसी को जनता को समर्पित किया।

यह परियोजना 24 माह की निर्धारित अवधि के अंदर 305.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 275.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित 43,450 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में 7.93 एकड़ भूमि पर स्थापित की गई है। यह परियोजना वाराणसी और निकटवर्ती क्षेत्रों के बुनकरों और कारीगरों की सहायता करेगी।

यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से वाराणसी में भारत की हथकरघा और हस्तशिल्प की विशिष्ट परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए है और जो अपने आप में एक ही स्थान पर हथकरघा, हस्तशिल्प और हाथ से बुने कालीनों की समृद्ध परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण है।

दीन दयाल हस्तकला संकुल में एक सम्मेलन हॉल, दुकानों, फूट कोर्ट, रेस्टोरेंट, मार्ट और कार्यालय, बैंक और एटीएम, अतिथि कक्ष, डोरमिटरीज, स्टॉल/कियोस्क, हथकरघा/हस्तशिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक/सामाजिक समारोहों, शिल्प संग्रहालय के साथ ही साथ एम्फीथियेटर और सौबिनेयर शॉप के लिए स्थान उपलब्ध है। यहां पर 500 से अधिक गाडियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

ग. हस्तशिल्प क्षेत्र

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृति विरासत का संरक्षण करते हुए ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है और देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता है क्योंकि यह न केवल देश के विशाल भूभाग में फैले मौजूदा लाखों शिल्पियों का जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है बल्कि शिल्प क्रियाकलाप में बड़ी संख्या में निरंतर रूप से आ रहे नए लोगों को भी संरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में हस्तशिल्प रोजगार सृजन और निर्यात में पर्याप्त योगदान करता है। यद्यपि हस्तशिल्प क्षेत्र शिक्षा की कमी, कम पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों से अनभिज्ञ होने, बाजार की जानकारी का अभाव और कमजोर संस्थागत ढांचे की कमियों के साथ ही असंगठित होने के कारण इसे नुकसान हुआ है।

वर्तमान में इस क्षेत्र में 68.86 लाख कारीगरों के जुड़े होने का अनुमान है। सितंबर, 2019 तक हस्तनिर्मित कालीन सहित 18679.60 करोड़ रुपए का हस्तशिल्प का निर्यात किया गया है और वर्ष 2019–20 के दौरान योजनागत आबंटन 286.17 करोड़ रुपए है जिसकी तुलना में दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 तक 132.73 करोड़ रुपए (47.92%) का व्यय किया गया है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय समग्र रूप तरीके से हस्तशिल्प कलस्टर का विकास करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)' और 'व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)' के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करता है।

I. **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के संघटक निम्नलिखित हैं:**

i. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के अंतर्गत कारीगरों का बेसलाइन सर्वेक्षण एवं प्रोत्साहन

ii. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

iii. मानव संसाधन विकास

iv. कारीगरों को सीधे लाभ

v. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता

vi. अनुसंधान और विकास

vii. विपणन सहायता एवं सेवाएं

II. **व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना):**

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेंद्रीकृत अवधारणा आवश्यकता पर विचार करते हुए व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) में हस्तशिल्प मेगा कलस्टर और एकीकृत विकास तथा हस्तशिल्प संवर्धन परियोजनाओं (आईडीपीएच परियोजनाएं) के माध्यम से प्राथमिक उत्पादकों को सहायता, कारीगरों को डिजाइन और प्रशिक्षण तथा विपणन सहायता के प्रावधान के साथ ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करके हस्तशिल्प मेगा कलस्टर और उन हस्तशिल्प कलस्टरों में अवसंरचनात्मक और उत्पादन श्रृंखला को बढ़ावा देने पर आधारित संशोधित कार्यनीति का प्रावधान किया गया है जो असंगठित रह गए हैं और आधुनिकीकरण और विकास में पिछड़ गए हैं।

नई पहलें

1) मई, 2019 में कम्बोडिया और वियतनाम का एक अध्ययन दौरा किया गया था जिसमें श्री शांतमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने उत्पाद विकास, उत्पाद अवसंरचना, डिजाइन संस्थान और कारीगरों तथा उपहारों, सजावटी सामानों, शिल्प, फर्नीचर आदि के निर्यातकों के लिए उपलब्ध अन्य संस्थागत सहायता की विभिन्न तकनीकों को समझने के लिए उपर्युक्त दक्षिण एशियाई देशों में हस्तशिल्प प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था।

2) दिनांक 25 मई, 2019 को स्टॉक होम, स्वीडन में आयोजित तीन दिवसीय 'नमस्ते स्टॉक होम' महोत्सव में 5 पुरस्कार विजेता कारीगरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्टॉक होम में भारत के राजदूत द्वारा किया गया था जिसमें 20000 लोग गए थे और इस कार्यक्रम के दौरान 4 लाख रुपए की बिक्री की गई थी।

3) दिनांक 23 से 26 मई, 2019 को यिवू, चीन में हस्तशिल्प की एक सीधे प्रदर्शन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ओडिशा के राष्ट्रीय गुणता प्रमाणपत्र धारक कारीगर श्री उमेश चंद्र बेहरा ने भाग लिया।

4) भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए माह के दौरान दिनांक 8–16, जून, 2019 तक क्वालालाम्पुर, मलेशिया में ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल की एक सीधी प्रदर्शनी, 19–25 जून, 2019 तक डल्लास विपणन केंद्र, यूएसए ने डल्लास टेंप शो नामक एक जागरूकता अभियान, 15–19 जून, 2019 तक अम्स्टरडम, नीदरलैंड में हैंड मेड इन इंडिया नामक एक प्रदर्शनी और 12 से 24 जून, 2019 तक बिस्केक, किर्गिस्तान में भारत एवं

किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त प्रदर्शनी (विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) एवं विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित) का आयोजन किया गया जिसमें इन कार्यक्रमों में 12 शिल्पियों ने भी भाग लिया।

5) संग्रहलाय के अभिन्न क्रियाकलाप के रूप में राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प संग्रहालय, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के परिसर में हस्तकला अकादमी की स्थापना की गई है।

6) श्री कोनरद के. संगमा, माननीय मुख्य मंत्री, मेघालाय और श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीया केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से नोंगपोह (रि–भोइ जिला) में दिनांक 26.08.2019 को एकीकृत वस्त्र पर्यटन परिसर की आधारशिला समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मेघालय सरकार के वस्त्र मंत्री श्री बी.लिंगदोह भी उपस्थित थे।

7) प्रगति मैदान स्थित वस्त्र गैलरी का उद्घाटन दिनांक 13 अगस्त, 2019 को श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा किया गया।

8) डीआरडीए मधुबनी को 77.90 लाख रुपए जारी करके 300.00 लाख रुपए (सरकार अनुदान 80% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20%) की लागत से मधुबनी स्थित शहरी हाट को अनुमोदित किया गया है।

9) हस्तशिल्प हेल्पलाइन नम्बर 18002084800 (टो फ्री) के तहत अक्तूबर, 2019 तक 25225 फोन कॉल प्राप्त हुए हैं और उनका निवारण किया गया है।

10) अक्तूबर, 2019 के दौरान डिजाइन और प्रौद्यागिकी उन्नयन के अंतर्गत हस्तशिल्प कारीगर पुरस्कार, 2017 के चयन संबंधी कार्य को अंतिम रूप दिया गया है।

11) अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत शिल्प कोष की स्थापना करने के लिए निफ्ट दिल्ली को 04.04 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

12) डीआरडीए मधुबनी को 77.90 लाख रुपए जारी करके 300.00 लाख रुपए (सरकार अनुदान 80% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20%) की लागत से मधुबनी स्थित शहरी हाट को अनुमोदित किया गया है।

13) बेंगलुरू, दिल्ली, वाराणसी, भुवनेश्वर एवं गुवाहटी में एससी/सीईआर कारीगरों के जीआई शिल्प का संवर्धन करने के लिए 6 विषय आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है जिसमें 130 कारीगर लाभांवित हुए।

14) 100 दिवसीय कार्यक्रम (5 जुलाई से 15 अक्तूबर, 2019) के दौरान महत्वपूर्ण सुधारात्मक विचारों/पहलों के क्रियान्वयन की प्रगति।

i. जीआई शिल्प का प्रचार करने के लिए जीआई शिल्प पर केटलाग छपवाया गया है।

ii. जीआई शिल्प के बारे में जागरूकता लाने और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दिल्ली, वाराणसी, मुरादाबाद, बेंगलुरू, कोलकाता, मुंबई, जोधपुर, नरसापुर, त्रिपुरा और गुवाहटी में 10 क्षेत्र स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

iii. जेम पोर्टल पर विक्रेता के रूप में जीआई शिल्प के कलस्टरों से 500 कारीगरों को पंजीकृत किया गया है।

iv. विभिन्न शिल्प कलस्टरों में जीआई शिल्प पर काम करने वाले कारीगरों को 500 टूल किट वितरित किए गए हैं।

v. डीपीआईआईटी ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जीआई अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया है।

vi. गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर और बेंगलुरू में जीआई शिल्प पर 4 विषय आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान 1,16,07,600 रुपए की बिक्री की गई है।

vii. उत्पादक कंपनियों के सभी प्रस्तावित निदेशकों के लिए संगत दस्तावेजों के साथ डीएससी (डिजीटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र) के आवेदन कंपनी के पंजीयक के पास प्रस्तुत किए गए हैं।

viii. सभी कलस्टरों के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। चयनित कलस्टरों में आवश्यकता आधारित पहलों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य नीतियां बनाई जा रही हैं। चयनित कलस्टरों में नवंबर, 2019 के बाद आवश्यकता आधारित पहलों को क्रियान्वित किया जाएगा।

1.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक वृहत योजना है जो पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन में आवश्यक लचीलापन और क्रियान्वयन के साथ दृष्टिकोण आधारित परियोजना में क्रियान्वित की गई है। इस योजना में शामिल अपैरल और परिधान निर्माण, पटसन, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा और रेशम उत्पादन सहित वस्त्र के सभी उप–क्षेत्रों को इस योजना के तहत मंजूर किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और बाजार तक पहुंच के लिए आवश्यक सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का संपोषणीय विकास करना है।

1.11 फैशन प्रौद्योगिकी का संवर्धन:

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट), फैशन शिक्षा, एकीकृत ज्ञान, अकादमिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक सोच वाला एक अग्रणी संस्थान है। पिछले तीन दशकों में संस्थान की मजबूत उपस्थिति इसके सिद्धांतों की गवाह है जहां अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र में मौजूद है। यह संस्थान गंभीर और महत्वपूर्ण कार्यों के मार्गदर्शक तथा सक्षम पेशेवर लोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मौजूद है।

1986 में स्थापित निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक रहा है। इसे भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा 2006 में सांविधिक संस्थान बनाया गया था जिसमें भारत के राष्ट्रपति 'विजिटर' हैं और समूचे देश में इसके हर तरह से पूर्ण परिसर हैं। इसमें व्यापक रूप से सौंदर्यपरक और बौद्धिक अभिविन्यास लाने के लिए इसके शुरूआती प्रशिक्षकों में इसमें फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान न्यूयार्क, यूएसए के अग्रणी प्रगतिशील विद्वानों को शामिल किया गया था। प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के समूह से उन इन–हाउस संकाय को लिया गया था जो प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें। नई दिल्ली स्थित निफ्ट मुख्यालय में

पुपुल जयकर हॉल उन कई शैक्षिक विचारकों और विजनरी की याद दिलाता है जो संस्थान की सफलता के रोड मैप के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शैक्षणिक समाविष्टि, संस्थान की प्रसार योजनाओं में उत्प्रेरक रही है। इस दौरान निफ्ट का प्रसार पूरे देश में हो गया है। पेशेवर रूप से प्रबंधित इसके 16 परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान एक ऐसा फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के विभिन्न भागों के भावी विद्यार्थी उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसकी स्थापना के शुरूआती वर्षों से संस्थान का डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैशन शिक्षा में मजबूत आधार है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक प्राप्त किए हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषणकर्ताओं के एक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

अपनी इस यात्रा में निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया गया है। रचनात्मक विचारकों को एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

निफ्ट, फैशन की शिक्षा में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। संस्थान का विजन चुनौतियों का सामना करना है और सर्वोच्च शिक्षा मानकों को स्थापित करने पर ध्यान देना है। निफ्ट लगातार श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता रहता है।

विगत वर्षों में डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भूमिका और संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। निफ्ट में हम निरंतर रूप से उद्योग से आगे बने रहने की कोशिश करते हैं और भारत के फैशन परिदृश्य का मार्गदर्शन करने के लिए अग्रणी के रूप में कार्य करते हैं। मौजूदा और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और निफ्ट ने अब बढ़ी हुई सृजनात्मक क्षमता और लचीलेपन तथा समय से कहीं आगे नए पुनर्गठित पाठ्यक्रमों के अनुसार 2018 के प्रवेश की घोषणा की है। इसकी मुख्य विशेषताओं में कार्यक्रम के अंतर्गत 'मेजर' और 'माइनर' की अवधारणा, कार्यक्रम के भीतर विशिष्टता की अवधारणा और जनरल इलेक्टिव्स का समूह शामिल है जिनसे विषय चुने जा सकते हैं जो प्रशिक्षणार्थियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

1.12 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के क्रियान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण से चोरी को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की योजनाओं का लाभ आधार पंजीकरण के साथ बैंक/डाक खाते के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने का लक्ष्य है अर्थात लाभार्थी के राज्य राजकोष खाते के माध्यम से अथवा एनजीओ अथवा एलआईसी आदि जैसी किन्हीं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मामले अथवा इस प्रकार के अन्य मामले का सीधा अंतरण करना है। भारत पोर्टल और पीएफएमएस के साथ आपस में जोड़कर लाभार्थी और निधि के लेनदेन के बारे में रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक योजना के लिए एक सीधा एमआईएस पोर्टल भी है। इलैक्ट्रानिक अंतरण चोरी और दोहराव को समाप्त करने के अलावा वांछित लाभार्थी को समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करता है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय में डीबीटी मिशन ऑनलाइन अर्थात डीबीटी भारत पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजना के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर रहा है। आर्थिक प्रभाग लाभार्थी का डिजटलीकरण, आधार संख्या, डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एमआईएस का एकीकरण आदि सहित डीबीटी भारत – पोर्टल के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय की पहचान की गई 32 परियोजनाओं की बोर्डिंग संबंधी कार्य का समन्वयन कर रहा है। 19 योजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया गया है और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ 15 योजनाओं का एकीकरण किया गया है तथा शेष योजनाओं के लिए एमआईएस का शीघ्र विकास करने और डीबीटी भारत पोर्टल उनका एकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी योजनाओं के लिए निधियां इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से अंतरित की जाती हैं।

कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, योजना और विकास के लिए उत्तरदायी है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख वस्त्र मंत्री हैं जिन्हें वस्त्र राज्य मंत्री, सचिव (वस्त्र) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 विजन

तकनीकी वस्त्र, पटसन, रेशम, कपास तथा ऊन सहित सभी प्रकार के वस्त्रों के विनिर्माण व निर्यात में प्रमुख वैश्विक स्थान प्राप्त करना और सतत आर्थिक विकास के लिए गतिशील हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास करना तथा इन क्षेत्रों में वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन करना और बचाए रखना।

2.3 मिशन

- सभी क्षेत्रों को पर्याप्त फाइबर उपलब्ध कराकर वस्त्र के सुनियोजित व सामन्जस्यपूर्ण विकास का संवर्धन करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उद्योग का आधुनिकीकरण करना।
- सभी वस्त्र कामगारों की क्षमता और कौशल का विकास करना।
- कार्य का समुचित वितरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुंच तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए बुनकरों और कारीगरों को बीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वस्त्र और क्लोदिंग तथा हस्तशिल्प के निर्यात का संवर्धन करना और इन क्षेत्रों में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार बोर्डों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:-

2.4.1 संबद्ध कार्यालय:-

(i) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके अधीनस्थ कार्यालयों में 28 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), 06 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र शामिल हैं।

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) हैं। यह हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को क्रियान्वित करता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चैन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बंगलुरू, कोयम्बतूर, नवीं मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, प्रौद्यो–आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस–पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। यह पीएससी की वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तथा विकेंद्रीकृत विद्युतकरण क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/सेवाओं की जरूरत को पूरा करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित किए जा रहे शेष बत्तीस विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन भी करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह विद्युतकरघा योजनाओं पर विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी मॉनीटरिंग भी करता है।

(ii) पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

पटसन आयुक्त के कार्यालय के कार्य तथा गतिविधियां –(i) मशीनरी विकास सहित पटसन उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना (ii)राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) जैसे वस्त्र मंत्रालय के पटसन संबंधी निकायों के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों विशेष रूप से भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा) और अन्य वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से ऐसे क्षेत्र तथा आरएंडडी कार्यक्रमों में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा

उद्यमशीलता कौशल में पटसन हस्तशिल्प और पटसन हथकरघा के संवर्धन के लिए कार्यान्वयन (iii) पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्ची पटसन और पटसन सामानों दोनों के मूल्य परिवर्तन की मानीटरिंग तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का क्रियान्वयन (iv) स्वदेशी तथा निर्यात बाजार दोनों में पटसन सामानों के बाजार की तलाश करने के लिए विशेष रूप से बाजार संवर्धन। उन पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित/प्रोन्नत करने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां ऐसे कार्यकलाप अपर्याप्त हैं और पूर्वोत्तर राज्यों सहित गैर पटसन उत्पादक राज्यों में हैं। पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए पटसन आयुक्त, बी.ट्विल बैगों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करता है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त, नियमित और समयबद्ध आधार पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति की सूचना भी मंत्रालय को भेजते हैं।

2.4.3 इनके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत समितियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय

(i) **वस्त्र समितिः** वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम,1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र मिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त,1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। अधिनियम की धारा 3 द्वारा वस्त्र समिति निरंतर उत्तराधिकार के साथ एक सतत अनुक्रमणशील सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) **राष्ट्रीय पटसन बोर्डः** राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के खंड–। के उप–खंड (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को उस तिथि के रूप में निर्धारित किया है जिससे राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना पटसन की खेती, विनिर्माण तथा पटसन के विपणन के विकास तथा पटसन उत्पादों और उनसे संबद्ध मामलों के लिए की गई है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया हैः–

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत एप्रोच विकसित करना;
- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का संवर्धन;
- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- कच्ची पटसन के बेहतर विपणन तथा कच्ची कपास के मूल्यों का स्थिरीकरण करने के लिए प्रोन्नत करना अथवा व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने, अधिकतम उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;
- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचना का प्रचार करना;
- गुणवत्ता नियंत्रण अथवा कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों का संवर्धन करना और उपाय करना।
- कच्ची पटसन के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ग्रेडिंग की तकनीकी और पैकेजिंग में सुधार के लिए सहयोग करना और अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना।
- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में आंकड़ों का संग्रह तथा निष्पादन करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना अथवा करना;
- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;
- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा विपणन अनुसंधान के लिए स्पांसर, सहयोग,समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;
- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप विपणन रणनीतियां तैयार करना;
- नयी सामाग्रियों, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों, उपकरण, उत्पादन की पद्धतियों, उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान के लिए प्रायोजित, सहयोग, समन्वय अथवा प्रोत्साहित करनाय
- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर–सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध कराकर विविधीकृत पटसन उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;
- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन

तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करनाय

- पटसन फसलों की जेस्टेशन अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;
- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;
- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;
- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- पटसन उद्योग में लगे कामगारों के लिए सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों में सुधार करना तथा बेहतर कार्यशील परिस्थितियों तथा प्रावधानों की व्यवस्था करना;
- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;
- समेकन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना;
- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन के लिए किसी अन्य निकाय के साथ कोई अनुबंध (भागीदार, संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना अथवा शेयर कैपिटल प्राप्त करना।

(iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम सं LXI) द्वारा 1948 में स्थापित सीएसबी को रेशम के आयात एवं निर्यात को अभिशासित करने वाली नीतियों के प्रतिपादन सहित रेशम यार्न के उत्पादन के लिए खाद्य पौधों के विकास से रेशम कोया तक देश में रेशम उत्पादन के कार्यकलापों की समग्र प्रक्रिया को शामिल करते हुए रेशम उद्योग को विकसित करने का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। सीएसबी मूल रूप से अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग तथा प्रोत्साहित करना है। रेशम–उत्पादन तथा रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा प्राथमिक रूप से प्रतिपादित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने देशव्यापी नेटवर्क केंद्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूरक रेशम कीट के प्राथमिक तथा वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की व्यवस्था करता है और विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी राज्यों को सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर रेशम उत्पादन के आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन भी करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित दृष्टि और मिशन के साथ काम कर रहा हैरू

विजन:

रेशम बाजार के लिए विश्व बाजार में भारत प्रमुख रूप से उभरा है।

मिशन:

- अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण में निरंतर प्रयास करना।
- वैज्ञानिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रसार के माध्यम से रेशम उत्पादन में लाभप्रद रोजगार और आय के स्तर में सुधार के लिए बड़े अवसरों का सृजन करना है।
- रेशम उत्पादन के सभी स्तरों में उत्पादकता सुधार करना।
- गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षमता के स्तरों को सुदृढ़ करना।

(iv) 1986 में स्थापित, निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा का प्रमुख उद्योग है और वस्त्र और अपैरल उद्योग के लिए व्यवसायिक मानव संसाधन उपलब्ध कराने में कार्यरत है। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारतीय संसद अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में इसे एक सांविधिक निकाय बनाया गया जिसके विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं और पूरे देश में इसके अपने परिसर हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानय फैशन शिक्षा केंद्र अग्रणी हैं जिसमें ज्ञान, शैक्षिक आजादी, महत्वपूर्ण आजादी तथा रचनात्मक सोच का एकीकरण किया जाता है। 3 दशकों से संस्थान की मजबूत उपस्थिति से अपने मूलभूत सिद्धातों के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है जहां शिक्षण की उत्कृष्टता महत्वपूर्ण है।

2.4.4 पंजीकृत समितियां

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन 1987 में एकीकृत नीति के विकास के साथ ऊनी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विविधीकृत हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था जिसका मुख्यालय, जोधपुर राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह, बोर्ड के शासी निकाय के समग्र मार्गदर्शन तथा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। यह बोर्ड ऊन क्षेत्र की उन्नति तथा विकास से संबंधित मामलों पर वस्त्र मंत्रालय के लिए सलाहकारी निकाय का भी कार्य करता है।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम)

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम) की स्थापना 24 दिसम्बर, 2002 को कोयम्बटूर, तमिलनाडु में एक वस्त्र प्रबंधन संस्थान के रूप में की गयी थी।

2.4.5 सलाहकार बोर्ड:

(i) **अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी):** बेहतर उत्पादकता, संवर्धित कुशलता हासिल करने, कामगार कल्याण और विद्युतकरघों के स्थानिक फैलाव में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपायों सहित विद्युत चालित बुनाई क्षेत्र के भीतर विद्युतकरघों के स्वस्थ विकास से जुड़े मामलों में आमतौर पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड (एआईपीबी) का गठन

सर्वप्रथम नवम्बर, 1981 में भारत सरकार के सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। भारत सरकार समय–समय पर एआईपीबी का पुनर्गठन करती है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों, विद्युतकरघा उद्योग के विद्युतकरघा परिसंघध्संघों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हैं तथा माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

(ii) **कपास सलाहकार बोर्ड:** कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) सरकारी एजेंसियों, उत्पादकों, उद्योग एवं व्यापार का एक प्रतिनिधि निकाय है। यह सरकार को सामान्यतरू कपास के उत्पादन, खपत और विपणन पर परामर्श देता है तथा कपास वस्त्र मिल उद्योग, कपास उत्पादन, कपास ट्रेड तथा सरकार के मध्य समन्वय का मंच भी उपलब्ध करवाता है। सीएबी का कार्यकाल 2 वर्ष का है। दिनांक 28.01.2015 के संकल्प के माध्यम से मौजूदा कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी)तथा सीएबी की परामर्शदात्री समिति का गठन वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में 01.01.2015 से दो वर्षों की अवधि के लिए किया गया था जिसे दिनांक 25.04.2017 के आदेश के माध्यम से नए बोर्ड के पुनर्गठन तक विस्तारित कर दिया गया है।

कपास सलाहकार बोर्ड कपास तुलनपत्र तैयार करता है। यह बोर्ड द्विस्तरीय प्रणाली में कार्य करता है जिसमें परामर्शदात्री समिति कपास उत्पादकों, कपास व्यापारियों, कपास मिलों से इनपुट प्राप्त करती हैं। कपास परामर्शदात्री समिति कपास सलाहकार बोर्ड की औपचारिक बैठक से पहले अपनी बैठकें आयोजित करती है। परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के बिंदुओं पर सीएबी द्वारा विचार किया जाता है।

(iii) **पटसन सलाहकार बोर्ड:** पटसन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सचिव (वस्त्र) हैं जो सरकार को पटसन व पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश–2016 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पटसन से संबंधित मामलों पर सलाह देते हैं जिनमें पटसन और मेस्ता के उत्पादन से संबंधित अनुमान शामिल हैं। बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 19.07.2018 को दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था।

(iv) **हस्तशिल्प सलाहकार बोर्ड:** अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (एआईएचबी) का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है।

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें:

वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात सिले–सिलाए परिधानों, सूती, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीनों का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। वैश्विक निर्यात बाजार में अपने–अपने क्षेत्र के विकास का संवर्धन करने के लिए ये परिषदें वस्त्र मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती हैं। अपैरल मेले तथा प्रदर्शनियां और भारत तथा विदेशी बाजारों में स्टैंड एलोन शो का आयोजन निर्यात को बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुंच के लिए किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
iv. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यूईपीसी)
v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूल टेक्सप्रो)
vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
ix. विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
x. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)
xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

2.5 सार्वजनिक क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम वस्त्र क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास में सक्रियता से लगे हुए हैं :–

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.(एनटीसी)
2. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एचएचईसी)
3. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)
4. भारतीय कपास निगम (सीसीआई)
5. सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली (सीसीआईसी)
6. ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी)
7. भारतीय पटसन निगम (जे.सी.आई.) लि., कोलकाता
8. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

2.5.1. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि.

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एक अनुसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो देशभर में स्थित अपनी 23 कार्यशील मिलों में 8.03 लाख स्पिंडल्स तथा 408 करघों के द्वारा लगभग 525 लाख किग्रा. यार्न और 200 लाख मीटर फैब्रिक प्रति वर्ष के उत्पादन के साथ यार्न तथा फैब्रिक के उत्पादन में संलग्न है। एनटीसी अपनी जेवी कंपनियों के माध्यम से परिधानों का विनिर्माण भी करती है। इसके अतिरिक्त, एनटीसी के पास देशभर में अपने 85 रिटेल स्टोरों के साथ एक विस्तृत रिटेल नेटवर्क भी उपलब्ध है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या लगभग 13,609 (संविदागत 3000 कर्मचारियों सहित) है। एनटीसी का मौजूदा निवल मूल्य 1553.71 करोड़ रुपए (30.09.2019 की स्थिति के अनुसार) है।

एनटीसी अपनी प्रचालनशील मिलों में अपनी प्रौद्यागिकी का उन्नयन करने के निकट है तथा आधुनिकीकरण, विस्तार, उत्पाद विविधीकरण आदि के उपाय कर रही है। भविष्य के उभरते हुए क्षेत्र – तकनीकी वस्त्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए इसके रिटेल विपणन आउटलेट का कायाकल्प करना तथा इसकी ब्रांड इमेज को बढ़ाना निगम के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी) की स्थापना वर्ष 1974, 1986 और 1995 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से अपने कब्जे में लिए गए रूग्ण वस्त्र उपकरणों के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। पुरानी

प्रौद्योगिकी, अधिक जनशक्ति, खराब उत्पादकता आदि के कारण इसकी 9 सहायक कंपनी में से 8 को वर्ष 1992–93 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने सभी नौ सहायक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजना अनुमोदित की– उनमें से 8 को वर्ष 2002–03 में और 9वीं को वर्ष 2005 में अनुमोदित किया गया था। यह कंपनी तब से लेकर अभी तक पुनरूद्धार योजना को क्रियान्वित कर रही है। वर्ष 2002–03 की स्वीकृत मूल योजना (एसएस–02) को 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आबंटित 736 करोड़ रुपए के संघटक के साथ कुल 3937 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया गया था। यह योजना 2 बार संशोधित की गई थी – पहली बार 5267 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2006 (एमएस–06) में जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपए का संघटक शामिल था और दूसरी बार यह योजना 4 नई मिलों की स्थापना सहित बढ़ाई गई क्षमता के साथ 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1,155 करोड़ रुपए के संघटक के साथ 9,102 करोड़ रुपए की कुल संशोधित लागत से वर्ष 2008 (एमएस–08) में संशोधित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा इस योजना का विस्तार 31.03.2012 तक किया गया था।

निवल मूल्य सकारात्मक हो जाने के साथ मैसर्स एनटीसी लि., 20.10.2014 के बीआईएफआर के आदेश के माध्यम से एसआईसीए की धारा 3(1)(0) के आशय के भीतर रूग्ण औद्योगिक कंपनी नहीं रही। बीआईएफआर ने निर्देशित किया कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पुनरूद्धार योजना के अक्रियान्वित प्रावधान किए जाएंगे।

तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत की गई कुल 124 मिलों में से बीआईएफआर को संदर्भित की गई 119 मिलों और हसन में स्थापित एक नई मिल का विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) 77 मिलें बंद हो गई हैं (78 मिलें आईडी अधिनियम के अंतर्गत बंद की गई हैं किंतु बंद की गई एक मिल नामतः बिदर्भ मिल, अचलपुर को फिनले मिल्स, अचलपुर के नाम से पुनः शुरू किया गया था)

(ii) 23 मिलें एनटीसी द्वारा प्रचालित की जा रही हैं (हसन में स्थापित एक नई मिल सहित)

(iii) जेवी मार्ग के माध्यम से पुनरुद्धार की जाने वाली 16 इकाइयों में से 5 इकाइयों का पुनरुद्धार कर दिया गया है और शेष 11 इकाइयां जिसके लिए जेवी हेतु एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, समीक्षा करने पर निरस्त कर दी गई थी। इन 11 मिलों का मामला न्यायालय/मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष न्यायाधीन है।

(iv) 2 मिलों को पुदुच्चेरी सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(v) उदयपुर एवं बीवर, राजस्थान स्थित दो मिलें प्रचालनशील नहीं हैं।

इस समय एनटीसी समूचे देश में स्थित निम्नलिखित 23 वस्त्र मिलों में काम कर रही है:

एनटीसी द्वारा स्वयं आधुनिकीकृत की गई 23 मिलों की सूची				
	क्र.सं.	मिलों की संख्या	मिलों का नाम	स्थिति
आंध्र प्रदेश				
	1	**(i)**	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनिगुंटा
गुजरात				
	2	**(i)**	राजनगर मिल्स	अहमदाबाद
कर्नाटक				
	3	**(i)**	न्यू मिनर्वा मिल्स	हासन
केरल				
	4	**(i)**	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पानगर
	5	**(ii)**	कनानुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स	कनानूर
	6	**(iii)**	केरल लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
	7	**(iv)**	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम
उप-योग		**4**		
मध्यप्रदेश				
	8	**(i)**	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
	9	**(ii)**	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	भोपाल

उप-योग		**2**		
महाराष्ट्र				
	10	**(i)**	पोदार मिल्स	मुंबई
	11	**(ii)**	टाटा मिल्स	मुंबई
	12	**(iii)**	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
	13	**(iv)**	बारशी टेक्सटाइल मिल्स	बारशी
	14	**(v)**	फिनले मिल्स	अचलपुर
उप-योग		**5**		
माहे				
	15	**(i)**	कन्नौर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स	माहे
तमिलनाडु				
	16	**(i)**	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	कामुदाकुदी
	17	**(ii)**	कालीश्वरर मिल्स 'बी' यूनिट	कलयारकोइल
	18	**(iii)**	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
	19	**(iv)**	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बटूर
	20	**(v)**	पंकजा मिल्स	कोयम्बटूर
	21	**(vi)**	श्री रंगविलास एस एंड डब्ल्यू मिल्स	कोयम्बटूर
	22	**(vii)**	कोयम्बटूर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स	कोयम्बटूर
उप-योग		**7**		
पश्चिम बंगाल				
	23	**(i)**	आरती कॉटन मिल्स	दासनगर
सकल योग		**23**		

एनटीसी के वर्तमान कर्मचारी 14,085 (3,000 संविदा कर्मी सहित) अप्रैल, 2002 से एमवीआरएस का लाभ लेने वाले 63,792 कर्मचारी पहले ही छोड़ चुके हैं। इन कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के रूप में 2,384.79 करोड़ का भुगतान किया है। इसके अलावा एनटीसी ने खुदरा विपणन प्रभाग के अलाभकारी 23 शोरुमों को भी बंद कर दिया है

एनटीसी ने तीन नई ग्रीन फील्ड परियोजनाएं स्थापित की हैं और 20 अन्य मिलों का आंशिक रूप से आधुनिकीकरण किया है। एनटीसी द्वारा नजदीकी निगरानी किए जाने और प्रबंधकीय हस्तक्षेप किए जाने से यह यार्न और क्लॉथ सेगमेंट, दोनों में ही बेहतर भौतिक कार्य निष्पादन करने में सफल रहा है। एनटीसी की कार्य–निष्पादन क्षमता में सुधार हो रहा है। वर्तमान तथा विगत कुछ वर्षों के दौरान इसके निष्पादन की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

उत्पाद

उत्पाद	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
यार्न (लाख किग्रा.)	521.95	527.81	504.16
फैब्रिक (लाख मीटर)	201.81	191.58	190.06

क्षमता उपयोग

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19
क्षमता उपयोग – स्पिनिंग (%)	84.81	87.61	85.38

उत्पादकता

मापदंड	Unit	2016-17	2017-18	2018-19
कपास उत्पादकता (40 परिवर्तित)	GMS	93.05	93.17	93.28
ब्लेंड उत्पादकता (40 परिवर्तित)	GMS	94.84	95.89	96.66

कारोबार

मापदंड	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19
अभियानों से राजस्व	करोड़ रुपए	1,168.50	1,066.27	1,102.95

लाभप्रदता

मापदंड	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19
कर से पूर्व का लाभ	करोड़ रुपए	969.38	-307.95	-310.22
कर पश्चात् का लाभ	करोड़ रुपए	969.38	-307.95	-310.22

एनटीसी के कार्यरत कर्मचारी

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19
अधिकारी और कर्मचारी (सं.)	910	819	505
कामगार (सं.)	8931	10262	10104
कुल (सं.)	9841	11081	10609

डीपीई द्वारा दिया गया एमओयू रेटिंग:-

वर्ष	रेटिंग
2012-13	बहुत अच्छा
2013-14	अच्छा
2014-15	अच्छा
2015-16	अच्छा
2016-17	अच्छा
2017-18	अच्छा
2018-19 (अतंतिम)	अच्छा

जबकि कंपनी को इसकी स्थापना के समय से बजटीय आवंटन की सहायता दी गई है, एनटीसी वर्ष 2009–10 से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं की और यह स्वयं के संसाधनों से अपना कामकाज चला रहा है।

1. पीएसयू का रणनीतिक विनिवेश

- वस्त्र मत्रालय ने नीति आयोग की सिफारिश पर विचार करते हुए दिनांक 27.12.2018 सचिवों के कोर समूह की सिफारिशों के बारे में एनटीसी को सूचित किया है कि विस्तृत विचार–विमर्श के बाद विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) ने सिफारिश की है कि दोध्तीन समूहों में मिलों की बंचिंग करने और एसपीवी को सारी भूमि सौंपने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जाए। उसके बाद एनटीसी के रणनीतिक विनिवेश पर विचार किया जा सकता है।
- एनटीसी बोर्ड ने दिनांक 24.01.2019 को आयोजित अपनी बैठक में सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिश पर विचार–विमर्श किया और कारगर दृष्टिकोण के रूप में इसका समर्थन किया है क्योंकि कुल मिलाकर कंपनी के लिए 'जहां जैसा है' आधार पर रणनीतिक क्रेता का पता लगाना व्यवहारिक कार्य प्रक्रिया प्रतीत नहीं होती है और (i) कार्यशील मिलों (ii) गैर कार्यशील मिल (iii) जेवी/विवादित मिलों के लिए भिन्न दृष्टिकोण और पद्धतियों की आवश्यकता होगी। तदनुसार, मिलों की बंचिंग की जा सकती है।
- एनटीसी ने मिलों की बंचिग के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सीएमडी–एनटीसी लि. के अनुमोदन के बाद इसे दिनांक 28.09.2019 के पत्र के माध्यम से अनुबंधों सहित वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
- एनटीसी इस मामले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोई निर्णय लेने से पूर्व अपने परिसंपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया में है।

2. भारत सरकार का ऋण

वर्ष 2006–07 के दौरान एनटीसी को जारी 6,250 लाख रुपए के बट्टे बचत खाते में डाला गया था और आज की तारीख तक उस पर लगे ब्याज पर छूट दी गई तथा वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान आज की तारीख तक लगे ब्याज की छूट प्रदान करते हुए 20,750.00 लाख रुपए की ऋण की मूल राशि एनटीसी को वापस की गई

2006-07	
दिनांक 23.05.2006 कार्यालय ज्ञापन 8/2/2006–एटीसी	प्राप्त राशि – 6,250.00 लाख रुपए जारी करने की तिथि – 23.05.2006 अवधि – ऋण पर ब्याज
2007-08	
कार्यालय ज्ञापन 8/2/2007 – एटीसी दिनांक 25.05.2007, 12.12. 2007, 24.01.2008 और 24.03.2008	कुल राशि. 6,250.00 लाख रुपए निम्नानुसार प्राप्त की गई:– राशि और जारी करने की तिथि – – दिनांक 25.05.2007 को 1,500.00 लाख रुपए – दिनांक 12.12.2007 को 1,500.00 लाख रुपए – दिनांक 24.01.2008 को. 3,000.00 लाख रुपए – दिनांक 24.03.2008 को. 2,50.00 लाख रुपए अवधि – ऋण पर ब्याज
2008-09	
दिनांक 18.03.2009 और 30.03.2009 कार्यालय ज्ञापन 8/2/2008 – एटीसी	कुल राशि 14,500.00 लाख रुपए निम्नानुसार प्राप्त की गई :– राशि और जारी करने की तिथि – दिनांक 18.03.2009 को 10,742.00 लाख रुपए दिनांक 30.03.2009 को 3,758.00 लाख रुपए अवधि – ऋण पर ब्याज

3. बीआईसी और एचएचईसी की ऋण की स्थिति

i. बीआईसी

ब्रिज ऋण का बिना भुगतान और 137.27 करोड़ रुपए का कुल ब्याज बीआईसीएल को दिया गया। वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार, एनटीसी ने निम्नलिखित ऋण ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को जारी किए (बीआईसीएल)

क्र.सं.	जारी करने की तिथि	राशि (रूपए करोड में)	ब्याज दर	उद्देश्य
1.	16.01.2012	56.10	10.42%	एलगिन मिल के प्रतिभूति ऋणताओं का निपटान (ब्रिज लोन)
2.	23.10.2019	10.00	10.42%	वेतन और मजदूरी का भुगतान (इंटर कॉरपोरेट ऋण)
	कुल	**66.10**		

30.09.2019 की स्थिति अनुसार कुल बकाया मूल राशि और उस पर लगा ब्याज क्रमशरू 56.10 करोड़ रुपए और 81.17 करोड़ रुपए है।

उपर्युक्त के अलावा एनटीसी ने वेतन और मजदूरी की भुगतान के लिए दिनांक 23.10.2019 को बीआईसी को 10.00 करोड़ रुपए का इंटर कॉरपोरेट ऋण जारी किया।

ii. एचएचईसी

वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार एनटीसी ने वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए दिनांक 23.10.2019 को हस्तशिल्प और भारतीय हथकरघा निर्यात कॉपोरेशन लिमिटेड (एचएचईसी) को 7.00 करोड़ रुपए का इंटर कॉरपोरेट ऋण जारी किया है।

4. पुदुच्चेरी सरकार से प्राप्त होने वाली राशि

वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 3 मार्च, 2005 के का.ज्ञा. के अनुसार, जिसमें पुदुच्चेरी में स्थित पूर्ववर्ती एनटीसी (टीएनएंडपी) की अनुषंगी दो मिलों अर्थात स्वदेशी कॉटन मिल्स और श्री भारती मिल्स को 1 अप्रैल, 2005 को पुदुच्चेरी राज्य सरकार को सौंपने के सरकार के निर्णय की सूचना दी गई थी, एनटीसी ने इन दोनों मिलों की सभी विगत देनदारियों को अपने पास रखते हुए उपर्युक्त दोनों मिलों को कामगारों और कर्मचारियों के साथ जहां जैसा है के आधार पर दिनांक 01.04.2005 को राज्य सरकार को सौंप दिया।

एनटीसी और पुदच्चेरी सरकार के बीच दिनांक 01.04.2005 को एक एमओयू हुआ जिसमें यह सहमति हुई कि परस्पर सहमत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 39.37 करोड़ रुपए का भुगतान, जो बिक्री योग्य आस्तियों का मूल्य है, पुदुच्चेरी सरकार द्वारा किया जाएगा।

एनटीसी और वस्त्र मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर यह मामला निरंतर रूप से पुदुच्चेरी सरकार के साथ उठाते रहे हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 28 जुलाई, 2017 के अपने पत्र में सचिव (उद्योग और वाणिज्य), पुदुच्चेरी सरकार से अनुरोध किया है कि वे दिनांक 01.04.2005 को एनटीसी और पुदुच्चेरी सरकार के बीच हुए एमओयू के अनुसार बिना किसी और विलंब के 39.37 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान एनटीसी को कर दें। इस पत्र के उत्तर में मुख्यमंत्री, पुदुच्चेरी ने दिनांक 31.07.2017 के अपने पत्र सं. 12–016/सीएम/2017 के तहत माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध किया कि वे पुदुच्चेरी की बजट संबंधी समस्याओं के कारण 39.37 करोड़ रुपए की राशि को माफ करने पर विचार करें।

इसके अलावा सीएमडी, एनटीसी ने निदेशक (वित्त) और मुख्य महाप्रबंधक (तकनीक) के साथ 24.11.2017 को माननीय मुख्य मंत्री, पुदुच्चेरी से मुलाकात की और अनुरोध किया कि दिनांक 01.04.2005 को हुए एमओयू के तहत पुदुच्चेरी सरकार को दो मिलों अर्थात स्वदेशी कॉटन मिल्स और श्री भारती मिल्स के हस्तांतरण के संबंध में वे पुदुच्चेरी सरकार से ब्याज सहित काफी समय से लंबित देय राशियों को जारी करवा दें। सीएमडी ने यह भी उल्लेख किया कि रूग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अनुसार मिलों का हस्तांतरण किसी बिक्री विलेख के बगैर नहीं किया जा सकता है। यह बात भी जानकारी में लाई गई कि डॉ. अम्बेडकर स्मारक के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार को एनटीसी की जमीन सौंपने का कार्य उचित बिक्री विलेख के आधार पर किया गया था। पुदुच्चेरी के माननीय मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि वे इस संबंध में माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री से मिले हैं और अनुरोध किया है कि एनटीसी की देय राशियों का भुगतान करने के लिए वे निधियां जारी करें। अंततः पुदुच्चेरी सरकार के माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे वित्त सचिव, पुदुच्चेरी सरकार के साथ परामर्श करके पुदुच्चेरी सरकार से एनटीसी को काफी समय से लंबित देय राशियों के भुगतान के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे।

दो मिलों के हस्तांतरण के कारण एनटीसी को पुदुच्चेरी सरकार द्वारा 39.37 करोड़ रुपए साथ ही उस पर लगे ब्याज के भुगतान संबंधी तथ्यों के बारे में दिनांक 06.03.2018 के पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव (यूटी) एमएचए ने आकलन किया।

दिनांक 04.02.2019 को एनटीसी ने संयुक्त सचिव (यूटी), एमएचए को पत्र भेजा और उपर्युक्त मामले के संबंध में दिनांक 09.12.2019 को वस्त्र मंत्रालय को दूसरा पत्र भेजा।

5. एनटीसी मिलों का संयुक्त उद्यम - 5जेवीसी

एनटीसी की 51% हिस्सेदारी सहित एनटीसी ने मिलों के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में पहले चरण में बीआरएफआर/जीओएम के अनुमोदन अनुसार एनटीसी ने निम्नलिखित 5 मिलों के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किया।

क्र. सं.	मिलों का नाम	रणनीतिक साझेदारों का नाम
1.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नंबर 1, मुंबई	मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में)
2.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स, मुंबई	मेसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लि.
3.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	
4.	गोल्ड मोहर मिल्स, मुंबई	मेसर्स फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रुप में शुरूआत में मैसर्स पैंटालून रिटेल (इंडिया) लिमिटेड) के रूप में जानी जाती थी)
5.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	

एनटीसी लिमिटेड बोर्ड ने दिनांक 14.09.2017 को आयोजित अपनी 374 बैठक में औरंगाबाद वस्त्र और अपैरल पार्क लिमिटेड और न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल लिमिटेड के संबंध में जेवी निरस्त करने का निर्णय लिया है।

दिनांक 23.05.2018 को आयोजित अपनी 380वीं बैठक में बोर्ड के दिशा–निर्देशों

के आधार पर जेवी कंपनियों अर्थात् इंडिया यूनाइटेड मिल लिमिटेड, गोल्ड मोहर डिजाइन और अपैरल पार्क लिमिटेड तथा अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क लिमिटेड के संबंध में रणनीतिक साझेदारी हेतु दिनांक 26.07.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसमें पूछा गया था कि एसएसएसए और अन्य करार और कानूनी परिकल्पना अनुसार उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

एनटीसी ने कारण बताओ नोटिस के संबंध में रणनीतिक साझेदारों से प्राप्त उत्तर भारत के महान्यायवादी को प्रेषित किए हैं, ताकि इस मामले की जांच की जा सके और भावी कार्ययोजना के के बारे में सलाह दी जा सके।

6. एनटीसी मिलों का संयुक्त उद्यम - 11 जेवीसी

11 मिल नामतः चालीसगांव वस्त्र मिल, धुले वस्त्र मिल, नांदेड वस्त्र मिल, आरबीबीए कताई और बुनाई मिल, सेवतराम रामप्रसाद मिल, उड़ीसा कॉटन मिल, लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल, सोडपुर कॉटन मिल, स्वदेशी कॉटन मिल, मऊ, श्रीशारदा मिल और श्री पार्वती मिलों के लिए रणनीतिक साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम समझौता के संबंध में दिनांक 14.11.2008 को कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

दिनांक 14.09.2010 के पत्र के माध्यम से सभी 3 समझौता ज्ञापनों को समाप्त किया गया क्योंकि समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट तरीके से एमओयू के पूर्ण होने की तिथि से 240 दिनों के भीतर निश्चित समझौता पूर्ण नहीं किया गया था।

जेवी के निरस्तीकरण के कारण लाभ की हानि और उसके ब्याज के लिए 11 संयुक्त उद्यमों के संबंध में पक्षों से 51,362 लाख के दावों की मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय मध्यस्थता अधिकरण ने 11 जेवी मध्यस्थता मामले में दिनांक 10.04.2019 को सामान्य निर्णय की घोषणा की।

एनटीसी ने रणनीतिक साझेदारों के प्रतिनिधियों को बताया कि चेकों के माध्यम से संबंधित रणनीतिक साझेदारों को 8.40 करोड़ रुपए की अग्रिम रुपए की राशि वापस कर दी गई है। रणनीतिक साझेदारों ने जेवी के पुनरूद्धार की प्रक्रिया के लिए एनटीसी को अनुरोध करते हुए चेक वापस कर दिया। एनटीसी को एसपीवी को शुरू करने की आवश्यकता है ताकि समझौता ज्ञापन के संदर्भ में निश्चित समझौता (डीए) किया जा सके।

एनटीसी बोर्ड द्वारा दिशा–निर्देशानुसार, एनटीसी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समझ प्रतिवाद दायर किया है ताकि एनटीसी की सुनवाई के अवसर दिए बिना इस मामले में ..... न किया जाए।

7. एनटीसी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें

(i) ऑनलाइन मोड के माध्यम से यार्न की बिक्री

ऑनलाइन मोड के माध्यम यार्न की बिक्री प्रभावी रूप से क्रियान्वित की गई।

(ii) स्किल इंडिया के अंतर्गत सहयोग

समर्थ योजनाः समर्थ, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप कौशल विकास योजना है। इस योजना में 1300 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से 3 वर्ष (2017–20) की अवधि में 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और इसमें वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकार के वस्त्र उद्योग, संस्थानों/संगठनों और प्रशिक्षण संस्थानों/एनजीओ/सोसाइटियों/ट्रस्टों/संगठनों/कंपनियों/स्टॉर्ट अप/उद्यमियों की भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है।

एनटीसी को भौतिक सत्यापन एजेंसी (पीवीए) के रूप में संसाधन सहायत एजेंसी द्वारा परिभाषित प्रति पाठ्यक्रम–वार मानदंड के अनुसार लक्ष्य आबंटन के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता का मूल्यांकन करने सहित अवसंरचना का सत्यापन करने के लिए 296 प्रशिक्षण केंद्र आबंटित किए गए हैं। एनटीसी ने अब तक आवंटित 296 केंद्रों में 291 केंद्रों का सत्यापन पूरा कर लिया है

(iii) डीलरों की वृद्धि

एनटीसी में यार्न और फैब्रिक, विशेषतः किसी मिल विशेष के लिए मिल–वार डीलरों की प्रणाली है। पूर्व में कुल 30 डीलर थे जिनमें से 27 यार्न के लिए और 3 फैब्रिक के लिए थे। डीलरों में एनटीसी के यार्न और फैब्रिक डीलरों के बीच एनटीसी ने पूर्व प्रणाली की समीक्षा की और पूर्ववर्ती डीलरशिप को रद्द कर दिया तथा एनटीसी के लिए नई डीलरशिप की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। एनटीसी के पास 101 पंजीकृत डीलर हैं जिनमें से 89 विशिष्ट रूप से यार्न के लिए 8 फैब्रिक के लिए और 4 यार्न तथा फैब्रिक दोनों के लिए हैं।

(iv) परिसंपत्ति का सत्यापन

एनटीसी पूर्व एलएमए कार्यकलापों अर्थात् सत्यापन और एनटीसी की चल और अचल संपत्ति का आकलन करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड स्वतंत्र तृतीय पक्ष (विशेषज्ञ/व्यवसायिक सरकारी एजेंसी) लगा हुआ है।

2.5.2 हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एचएचईसी)

दि हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. "(कॉरपोरेशन)", वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में 'इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.' के रूप में दो उद्देश्यों के साथ हुई (i) निर्यात प्रोत्साहन तथा (ii) हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम उत्पादों का व्यापार विकास। वर्ष 1962 में इसका नामकरण 'दि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.' के रूप में किया गया। कॉरपोरेशन वर्तमान में दो सितारा निर्यात गृह है जो सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए वूलन कारपेट एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) के कार्य करता है। कोपोरेशन को वर्ष 1997–98 में सोने–चाँदी के आयात तथा घरेलू बाजार में बिक्री के लिए नामित किया गया था।

एचएचईसी कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों, सोसायटियों एमएसएमई आदि के लिए विपणन मंच उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में असंगठित क्षेत्र के लिए काम कर रहा है और उन्हें लाभ हुआ है तथा इस संगठन के साथ बने हुए हैं 1000 से अधिक कारीगर, शिल्पकार, बुनकर, सोसायटी, एमएसएमई के साथ प्रत्यक्ष रूप से है और एचएचईसी के साथ 5000 अप्रयत्क्ष रूप से संबंधित है।

एचएचईसी, सार्क वस्त्र संग्रहालय दिल्ली हाट (पीतमपुरा) के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रमुख संकेतकों के संबंध में वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 (लेखा परीक्षित) में कॉरपोरेशन का निष्पादन नीचे दिया गया है:–

(Rs. in Crore)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
कारोबार	590.14	613.95	53.48
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(21.99)	(23.61)	(4.00)
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(30.53)	(23.61)	(4.00)

कारोबार का विवरण

(Rs. in Crore)

विवरण		2017-18 (लेखा परीक्षित)	2018-19 (लेखा परीक्षित)
निर्यातः			
क	हस्तशिल्प	2.86	2.78
ख	हथकरघा	6.25	7.52
घ	रेडी टू वियर	9.51	9.64
1	कुल	18.62	19.94
घरेलू:			
क	हस्तशिल्प और हथकरघा	8.85	7.90
ख	*बुलियन	586.48	25.64
2	**कुल योग**	**595.33**	**33.54**
3 (1+2)	**कुल योग**	**613.95**	**53.48**

*वस्त्र मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार बुलियन व्ययसाय को रोकने के कारण मुख्य रुप से कमी हुई।

पूर्व वर्ष में 22.23 करोड़ रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में वर्ष 2018–19 में प्रचालन हानि 6.60 करोड़ रुपए थी। कोर क्षेत्र में सुधार संदिग्ध ऋण के प्रावधान और संपत्ति कर प्रावधानों को बट्टे खाते में डालने के प्रावधान के कारण हानि में कमी हुई है।

इसके अलावा निगम को वर्ष 2017–18 में 23.61 करोड़ रुपए कर पश्चात हानि की तुलना में वर्ष 2018–2019 के दौरान कर पश्चात 4.00 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई है।

पूंजी

वर्ष 2018–19 के दौरान कारपोरेशन की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए और 13.82 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रही। पूरी प्रदत्त पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अभिदत्त है। निगम ने 2014–15 तक 12.67 करोड़ के संचयी लाभ का भुगतान किया है।

प्रचालन परिणाम

कॉपोरेशन का कुल कारोबार वर्ष 2018–19 के दौरान 613.95 करोड़ से घटकर 53.48 हो गया 560.47 करोड़ रूपए की (91.28%) कमी के मुख्य कारणः–

- वस्त्र मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार बिलियन व्यवसाय को रोकना।
- कई बाधाओं अर्थात् मुख्य अधिकारियों की कमी, रणनीतिक प्रबंधन, नकदी की कमी का प्रतिकूल प्रभाव तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान की अनुपलब्धता के कारण, मेलों और प्रदर्शनी में कम भागीदारी के वाबजूद निर्यात में 1.32 करोड़(7.09%) की मामूली वृद्धिय हुए है।
- कार्यशील पूंजी में कमी के कारण कंपनी विदेशी क्रेता से नए आदेश स्वीकार करने में समर्थ नहीं है। तथापि, मौजूदा क्रेता एचएचईसी को निरंतर लघु आदेश देते रहेंगे।
- अपर्याप्त कार्य और नकदी संकट के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मुख्य रूप से 0.95 करोड़ रुपए (10.74%) तक घरेलू व्यवसाय में कमी।

कार्यबल

	स्वीकृत संख्या	2017-18	2018-19
अधिकारी		47	42
कर्मचारी	89	48	40
कुल	214	95	82

निर्यात संवर्धन और व्यापार विकास

वर्ष के दौरान मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध न होने के कारण के कारपोरेशन ने अपनी स्वयं की निधियों में से घरेलू मेला : आईएचजीएफ (एयूटीयूएम) 2018, ग्रेटर नोएडा में भाग लिया।

मौजूदा चिंता

वित्तीय विवरण वर्तमान चिंता के आधार पर तैयार किया गया है। मुख्य रूप से संपन्न किए और चल रहे न्यायिक मामलों के प्रतिकूल प्रभाव, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी, आधुनिक कारखाना सेट–अप की कमी, मुख्य अधिकारियों और पूर्णकालिक रणीनतिक प्रबंधन की कमी के कारण और निर्धारित परिसंपत्तियों का कम उपयोग किए जाने के कारण अधिक बकाया और एचएचएसी की अवसंरचना उपर्युक्त कारणों से व्यवसाय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण प्रचालनात्मक हानि हुई है।

वर्तमान स्थिति

वस्त्र मंत्रालय ने अगस्त, 2018 में एचएचईसी को बताया कि एचएचईसी बंद हो गई है। इसके अलावा, मंत्रालय प्रशासन ने 08 मार्च, 2018 को एचएचईसी को बंद करने का निर्णय लिया है। एचएचईसी को बंद करने संबंध केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

वस्त्र मंत्रालय से सहायता

निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क) वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम से ब्याज मुक्त ऋण एचएचईसी ने अपने बैंक खातों का नियमित करने के लिए दिनांक 07.07.2018 और 09.07.2018 को 10.79 करोड़ रुपए का एनजेएमसी अर्थात् वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त किया।

ख) एचएचईसी को लंबित वेतन और भुगतान के लिए दिनांक 15.10..2019 को वस्त्र मंत्रालय के नियंत्राणाधीन अन्य पीएसयू अर्थात् एनटीसी से 7.00 करोड़ रुपए का इंटर कारपोरेट ऋण प्राप्त किया।

परिसंपत्तियों का सत्यापन

एचएचईसी ने पूर्व एलएमए कार्यकलापों अर्थात् सत्यापन और एचएचईसी की चल और अचल संपत्तियों का आकलन करने के लिए एनबीसी (इंडिया लिमिटेड) एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष (विशेषज्ञ/व्यवसायिक सरकारी एजेंसी) के साथ लगा हुआ है।

2.5.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लि., लखनऊ की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा फरवरी 1983 में की गई। एनएचडीसी लि. की प्राधिकृत पूँजी 2000 लाख रुपए है तथा इसकी प्रदत्त पूँजी रुपए 1900 लाख है। एनएचडीसी के प्रमुख उद्देश्य हैं:–

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार के यार्न की आपूर्ति करना।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता रंगों तथा संबंधित सामग्री की आपूर्ति करना।
- हथकरघा उत्पादों के बाजार का संवर्धन करना।

उक्त उद्देश्यों के अनुसरण में एनएचडीसी निम्नांकित कार्यों को कर रहा है:–

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस), भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसके अधीन एनएचडीसी द्वारा मिल गेट की दरों पर संपूर्ण भारत के पात्र हथकरघा बुनकरों को समस्त प्रकार की यार्न की आपूर्ति की जाती है। वाईएसएस के अधीन 5 वर्षों में आपूर्ति किए गए यार्न का विवरण निम्न है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा(लाख किग्रा. में)	मूल्य(रूपए करोड़ में)
2014-15	1484.300	2160.77
2015-16	1725.00	2356.86
2016-17	1799.14	2941.94
2017-18	1556.05	2564.59
2018-19	442.72	898.66
2019-20 (मार्च, 2020 तक)	403.883	697.10

वाईएसएस के अंतर्गत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो प्रचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो प्रचालन खर्चे दिए जाते हैं। वर्तमान में सारे भारत में ऐसे 641 यार्न डिपो कार्यरत हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतियोगी/न्यून दरों पर गुणवत्ता रंग और रसायन की आपूर्ति भी करता है। 5 वर्षों में की गई आपूर्ति का विवरण निम्न है:–

वर्ष	रंग एवं रसायन	
	मात्रा(लाख किग्रा. में)	मूल्य(रूपए करोड़ में)
2013-14	36.31	35.69
2014-15	36.90	49.48
2015-16	37.46	44.84
2016-17	45.82	45.97
2017-18	38.91	37.38
2018-19	40.51	45.43
2019-20 (मार्च, 2020 तक)	33.06	42.14

2. हथकरघा उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन, सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करता है। विगत 5 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	स्टॉलों की सं0	कुल बिक्री (रूपए करोड़ में)
2013-14	23	2168	101.00
2014-15	24	1742	89.00
2015-16	23	1802	92.37
2016-17	25	1716	88.99
2017-18	33	2090	93.78
2018-19	24	1166	52.88
2019-20	36	1940	75.73

3. एनएचडीसी, बुनकरों को नवीनतम रंगाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की जारी योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है:–

- क्रेता–विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न का प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

विगत 4 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, जारी किया गया लाभांश, रेटिंग इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:–

(रूपए लाख में)

वर्ष	कुल बिक्री	निवल लाभ	लाभांश	एमओयू रेटिंग
2014-15	221696.49	2540.00	511.00	उत्कृष्ट
2015-16	240604.43	2407.92	731.00	उत्कृष्ट
2016-17	299351.79	2888.16	870.00	बहुत अच्छा
2017-18	260515.54	2357.75	708.00	-
2018-19	95093.59	(1621.82)	-	-
2019-20	74872.41	-	-	-

2.5.4 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई, भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास विपणन के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। अपनी शुरूआत से निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में चल रहा है। इसकी बाजार हिस्सेदारी एमएसपी अभियानों के अंतर्गत कुछ वर्षों को छोड़कर जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई, 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई थी और समय–सयम पर संशोधित की गई। 1985 में मंत्रालय द्वारा घोषित

हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई, न्यूनतम मूल्य समर्थन अभियान चलाने के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास का मूल्य (बीज कपास) न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे पहुंचता है। एमएसपी अभियानों के अलावा, घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, विशेष रूप से जब इसकी फसल का समय नहीं होता है, कारपोरेशन अपने जोखिमपर वाणिज्यिक खरीद अभियान चलाता है।

- जब कभी कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाए तब बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कीमत समर्थन कार्यों को आरंभ करना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक अभियान को प्रारंभ करना।

वित्तीय परिणाम

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीसीआई ने पिछले वर्ष के 1173.53 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 2832.45 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2017–18 के दौरान वित्तीय परिणामों की विशेषताएं निम्नलिखित थीः

विवरण	वित्तीय वर्ष	
	2018-19	**2017-18**
खरीद (गांठ लाख में)	11.03	10.78
बिक्री (गांठ लाख में)	8.35	2.81
कारोबार (रुपए करोडं में)	2832.45	1173.53
कर पश्चात लाभ (रुपए करोड़ में)	50.99	4.17

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने अल्प कालीन ऋण की रेटिंग केयर ए1+(एसओ)[केयर ए1 प्लस] (संरचनात्मक दायित्व) अर्थात 25,000 करोड़ रुपए की अल्प कालीन बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में सौंपा गया उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है जो अल्प कालीन ऋण दायित्व के समय से भुगतान के लिए सशक्त क्षमता को प्रदर्शित करता है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखता है।
- लाभांशः सीसीआई ने वित्तीय 2018–19 के दौरान कंपनी के कर पश्चात लाभ के 30 प्रतिशत अर्थात 15.30 करोड़ रुपए के लाभांश की अनुशंसा की है।

2.5.5 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम की स्थापना वर्ष 1952 में दिल्ली में इण्डियन कोआपरेटिव यूनियन की प्रबंधकारिणी के अधीन किया गया। बाद में 1964 में सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा 4 फरवरी, 1976 को सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी) के रूप में निगमित किया गया। सीसीआईसी, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

सीसीआईसी का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता युक्त भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं का डीलर, निर्यातक, विनिर्माता तथा एजेंट होना है और भारत तथा विदेशों में इन उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना है। कॉरपोरेशन के दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर, चौन्नई, हैदराबाद, पटना और वाराणसी में शोरूम हैं।

पूँजी

कॉरपोरेशन की प्राधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है ।

कार्यशील परिणाम

(क) कारोबार

निगम का कारोबार पूर्व वर्ष में अर्थात 2017–18 में 7126.12 लाख रुपए के तुलना में वर्ष 2019–20 में 6808.84 लाख रुपए था। वर्ष 2019–20 के लिए 8500 लाख रुपए है।

(ख) निर्यात

पूर्व वर्ष में 211.80 लाख की की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान निगम का कुल निर्यात 274.12 लाख रुपए था।

(ग) लाभप्रदता

पिछले वर्ष में इसी अवधि की 949.14 लाख रुपए कर पूर्व हानि की तुलना में चालू वर्ष में 545.38 लाख रुपए की कर पूर्व हानि हुई।

सांख्यिकी

पिछले तीन वर्षों के कार्यशील परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित में दिया गया है:–

(लाख रुपए में)

	2016-17	**2017-18**	**2018-19**
कारोबार	8763.48	7126.12	6808.84
शुद्य लाभ (+)/हानि (–)कर पूर्व		(-)949.14	(-)545.38
शुद्य लाभ (+)/हानि (–) कर पूर्व		(-)2173.64	(-)538.86
लाभांश	2.50	शून्य	शून्य

डिजाइनों/प्रदर्शनियाँ का विकास

सीसीआईसी निरंतर नए डिजाइनें विकसित करने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 702 नई डिजाइनें विकसित की गई। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 10 नए कारपोरेट ग्राहक भी जोड़े गए जिन्हें वर्ष के दौरान एक लाख रुपए और उससे अधिक की बिक्री हुई।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीसीआईसी ने इंपोरिया में अंदर–बाहर 82 थीम आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें निगम के संरक्षण का विस्तार करने के लिए निगम द्वारा नवनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

चोलापुर और रामनगर, वाराणसी में दो सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना

वर्ष के दौरान वस्त्र मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन के सीसीआईसी ने इसके द्वारा पूर्व में वाराणसी में चोलापुर एवं रामनगर में प्रबंधित सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) तथा सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को क्रमशः 21.11.2017 तथा 27.08.2018 से नई क्रियान्वयन एजेंसियों को सौंप दिया गया है।

हस्तांतरण किए जाने तक सीसीआईसी ने चोलापुर तथा रामनगर में इसके द्वारा संचालित सीएफसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर सूचनाएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराकर 2020 बुनकरों को सुविधा पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त सीसीआईसी ने वाराणसी में सीएफसी से संबद्ध 322 बुनकरों को काम उपलब्ध कराया है तथा वर्ष 2018–2019 के दौरान सीसीआईसी एम्पोरिया के माध्यम

से विपणन हेतु 314.58 लाख रुपए मूल्य के साड़ी, ड्रेस मेटैरियल और दुपट्टा जैसी हथकरघा वस्तुओं के आदेश प्रस्तुत किए।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां:

सीसीआईसी हस्तशिल्प तथा हथकरघा कलस्टरों तथा देशभर में बड़ी संख्या में फैले कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों आदि के साथ–साथ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, एमएसएमई उद्यमियों, महिला संगठनों, अल्प संख्यकों तथा कमजोर तबकों आदि से वस्तुएं खरीदता है। सीसीआईसी के रिटेल मूल्य तथा उत्पादों की गुणवत्ता इस व्यापार में एक मानक समझी जाती है। सीसीआईसी ने वित्त वर्ष 2017–18 में 93.48% की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में कारीगरों से सीधे तौर पर कुल खरीद का 94.72% हिस्सा खरीदा था। पूर्व में 1.33 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

ऑनलाइन शोपिंग:

सीसीआई के पास अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए www.thecottage.in नामक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लगभग 1000 हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को उनके विवरण के साथ प्रदर्शित किया गया है। उत्पादों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक सुरक्षित भुगतान गेटवे के माध्यम से खरीदा जा सकता है जो कि वेरीसाइन प्रमाणित है। खरीदे गए उत्पादों को दुनिया के किसी भी देश में पहुंचाया जा सकता है। इस वेबसाइट में आर्डर ट्रैकिंग प्रणाली और विभिन्न सरकारी वेबसाइटों, इन्क्रेडिबल इंडिया आदि के लिंक उपलब्ध हैं।

सीसीआईसी में डिजीटल पहल

- सीसीआईसी के इम्पोरिया सात शहरों (दस शोरूम) में हैं। सभी शोरूम और कार्यालय एमपीएलएस नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं।
- खरीद, बिक्री, माल सूची, उपभोक्त संबंध प्रबंधन आदि के प्रबंधन के लिए एलएस खुदरा के साथ एक ईआरपी सैल्यूशन, माइक्रो सॉफ्ट नेवीजन 2009 आर 2 क्रियान्वित किया गया है।
- सभी शाखाओं में जीएसटी के अनुपालनों के अनुसार ईआरपी सैल्यूशन का अनुकूलन किया गया है।
- इसके इम्पोरियम में क्रेडिट/डेविट कार्ड/यूपीआई/भीम एप, यूएसएसडी, ई–वैलेट, आरटीजीएस/एनईएफटी और चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार किया जाता है (76% पावतियां ई–साधन के माध्यम से)।
- सीसीआईसी ने एन्ड्रॉयड और एपल प्लेटफार्म के लिए मोबाइल एप क्रियान्वित किया है।
- बुनकरों, शिल्पियों और अन्य क्रेताओं को सभी भुगतान ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाते हैं (98.63% भुगतान ई–साधन के माध्यम से)।
- नकदी रहित, विशेष रूप से भीम एप का प्रयोग करके भुगतान करने के लिए अपने उपभोक्ताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए सीसीआईसी ने 151 शिविर लगाए और 80000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- सीसीआईसी ने ई–टेंडरिंग के लिए ई–प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट के लिए और बिक्रेता, पीएफएमएस के लिए जीईएम (अनुदान प्राप्त करने के लिए) और आरटीआई का काम संभालने के लिए ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली जैसी ई–गवर्नेंस सुविधाओं को क्रियान्वित किया है।

लैंगिक न्याय

जहां तक सीसीआईसी का संबंध है महिला कर्मचारियों की कार्य स्थितियां उत्तम हैं। जहां तक मजदूरी, कार्य के घंटों, अन्य लाभों आदि का संबंध है उनके साथ उनके पुरूष समकक्षों जैसा व्यवहार किया जाता है। विभिन्न विभागों में वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और वास्तव में वित्त, प्रचार, आईडीएस, डिस्प्ले जैसे विभागों की प्रमुख हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाता है। उनकी सामान्य शिकायतों और यौन उत्पीडन के मामले, यदि कोई हों के निपटान के लिए एक उचित प्रणाली मौजूद है।

महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से, यदि कार्य की आकस्मिकता के कारण किसी महिला कर्मचारी को सीसीआईसी मुख्यालय अथवा शाखाओं में 8 बजे रात्रि के उपरांत कार्य करना आवश्यक हो तो यह संबंधित विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि ऐसी महिला कर्मचारियों को एक भरोसेमंद सुरक्षा गार्ड अथवा निगम के पुरूष कर्मचारी के माध्यम से टैक्सी सेवा द्वारा घर छोड़ा जाए

कार्यबल की संख्या और प्रशिक्षण:

कारपोरेशन में दिनांक 31 मार्च, 2018 को 267 कर्मचारियों की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 255 कर्मचारी थे।

2.5.6 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी):

पृष्ठभूमि

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर के पास दो ऊनी मिलों का स्वामित्व तथा उनका प्रबंधन कार्य है (1) कानपुर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः 'लाल इमली' तथा 'धारीवाल' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये इकाइयाँ ऊनीध्ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों, गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती हैं।

बीआईसी लिमिटेड का आधुनिकीकरण/पुनर्वासन:

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर बी.आई.सी. लिमिटेड को 1992 में बीआईएफआर को सौंप दिया गया और एक रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। वर्ष 2002 में बीआईएफआर ने कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की। योजना को समग्र रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लीज होल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में परिवर्तित किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। बीआईएफआर द्वारा 2008 में 273 करोड़ रुपए की संशोधित पुनर्वासन योजना अनुमोदित की गई थी जिसमें भारत सरकार द्वारा 273 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा शेष 116 करोड़ रुपए अधिशेष भूमि की बिक्री से करने की संकल्पना की गई थी। वर्ष 2010 में ब्यूरो फॉर रिकंस्ट्रक्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (बीआरपीएसई) की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2011 में 338 करोड़ रुपए की संशोधित योजना मंजूर की गई। एक संशोधित पुनर्वास योजना का मसौदा (एमडीआरएस) तैयार किया गया और बीआईएफआर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 273. 28 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी प्राप्त हुई जिसमें से 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजट सहायता तथा शेष राशि अधिशेष भूमि की बिक्री से प्राप्त की जानी थी। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ की एक और संशोधित योजना की संस्तुति की। संशोधित योजना को कैबिनेट, भारत सरकार ने 09.06.2011 को हुई अपनी बैठक में 'सिद्धांत रूप में' इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया था कि पहले उत्तर

विचारार्थ वित्तीय साधन निम्नवत हैं : -

(रुपए करोड़ में)

भारत सरकार वीआरएस से अनुदान	17.10
प्रचालन हानियाँ 9/10, 10/11 अनुदान	66.99
भूमि की बिक्री से ब्याज मुक्त ऋण	128.66
वेतन के लिए (2 वर्ष) भारत सरकार से कम ब्याज पर ऋण	78.00
परिवर्तन प्रभार भुगतान हेतु भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	47.35
योजना की लागत	338.04

प्रदेश सरकार से अधिशेष भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

योजना का कार्यान्वयन अभी प्रारंभ होना है क्योंकि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए आवश्यक मंजूरी अभी उत्तर प्रदेश सरकार से ली जानी है। यह मामला विभिन्न स्तरों पर उठाया जा रहा है तथा हाल के घटनाक्रम के अनुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 25.11.2014 के का.ज्ञा. के माध्यम से इस मामले के त्वरित निपटान के लिए मंडल आयुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति की पहली बैठक 07.01.2005 को आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सरकार कानपुर स्थित बीआईसी की इकाई का संचालन मौजूदा प्रबंधन अथवा पीपीपी मॉडल के अनुसार करने की इच्छा रखती है। प्रमुख उद्देश्य कानपुर के औद्योगिकी परिदृश्य को पुनः सुधारने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित करना है।

बीआईएफआर तथा बीआरपीएसई योजनाओं का बल लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के साथ अधिशेष भूमि की बिक्री से निधियों के सृजन पर था। उत्तर प्रदेश सरकार भूमि परिवर्तन मामले की जांच कर रही है। इसी बीच नीति आयोग ने बीआईसीएल को बंद करने की सिफारिश की जो कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

प्रमुख संकेतकों के संबंध में वर्ष 2015–16, 2016–17 (लेखा परीक्षित) और 2017–18 में (गैर–लेखापरीक्षित) कारपोरेशन का निष्पादन नीचे दिया गया है

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (गैर लेखापरीक्षित)
कारोबार/बिक्री	0.20	0.26	0.05
लाभ/(हानि) कर पूर्व	(111.36)	(102.60)	(106.20)
लाभ/(हानि) कर के पश्चात	(111.36)	(102.60)	(106.20)

बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. वर्ष 1864 में स्थापित की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो इकाइकों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं.2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। एक अध्यादेश नामतः ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों का अधिग्रहण किया और इस प्रकार यह 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बनी। एल्गिन मिल्स कंपनी ने सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। कंपनी को सिविल बाजार के लिए सूती और मिश्रित फैब्रिकों तथा रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्टिंग्स, ड्रिल, सैल्यूलर आदि के उत्पादन का कार्य सौंपा गया था।

कंपनी द्वारा लगातार घाटा उठाए जाने के कारण इसे एसआईसीए के उपबंधों के अंतर्गत बीआईएफआर को सौंपा गया था और रुग्ण घोषित किया गया था। बीआईएफआर ने 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में इसे बंद करने का आदेश पारित किया तथा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। भारत सरकार ने जून, 2001 में स्वैच्छिक पृथककरण योजना (वीएसएस) कार्यान्वित की। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. ने 1980 के आसपास कार्यशील पूंजी तथा आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किए थे। इन ऋणों का निधियों की कमी के कारण पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका और मैसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक, मैसर्स आईसीआईसीआई बैंक के अभिहस्तांकिती द्वारा उनके बकाया की वसूली के लिए 2009 में माननीय उच्च न्यायालय में एक केस दर्ज किया गया था तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2011 में परिसमापन के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे। मैसर्स एल्गिन मिल्स कंपनी लि. की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामले की पेरवी की जा रही है। कंपनी ने प्रतिभूत ऋणदाताओं के बकाया का भुगतान कर दिया है।

प्रतिभूति वाले ऋणदाताओं के साथ किए समझौते की भावना और शर्तो के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहमति से निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया गया है। तथापि एक ऋणदाता अर्थात् कोटक महिन्द्र बैंक (केएमबी) ने उनके द्वारा किए गए आकलन के अनुसार पूर्ण भूगतान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय (कम्पनी न्यायालय इलाहाबाद) में एक मामला दायर किया है। कम्पनी केएमबी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मामले को माननीय उच्च न्यायालय के समझ उठा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय ने ईएमसीएल की चल सम्पति बिक्री करने के लिए शुरुआत की है बीआईसी ने आदेश को समाप्त करने की चुनौती देने और माननीय उच्च न्यायाल के समक्ष रिट याचिका दायर करके चल सम्पतियों की बिक्री प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया है।

कानपुर टेक्सटाइल्स लि., कानपुर

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि., वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार की कंपनी, कानपुर टेक्सटाइल्स लि., बीआईसी लि. की अनुषंगी कंपनी है और इसे वर्ष 1920 में निगमित किया गया था। इस कंपनी को घरेलू बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक, सरकार और अन्य संस्थानों के लिए फैब्रिक और यार्न उत्पादन का काम सौंपा गया था।

कंपनी को लगातार हानि होने और निवल परिसंपत्तियां कम/नकारात्मक होने के कारण कंपनी का मामला एसआईसीए के उपबंध के तहत बीआईएफआर के पास भेजा गया था और कंपनी को वर्ष 1992 रुग्ण घोषित किया गया था। वर्ष 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे बंद करने का आदेश पारित किया और सरकारी परिसमापक नियुक्त किया। 1995 के कंपनी के मामला सं.2 में कई सुनवाइयों के बाद 2001 में भारत सरकार ने स्वैच्छिक पृथकीकरण योजना (वीएसएस) क्रियान्वित की गई प्रतिभूति ऋणदाओं ने माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ओएल ने मिल और कानपुर वस्त्र लिमिटेड के परिसर को कब्जे में ले लिया गया। एक मुश्त निपटान (ओटीएस) के अनुसार सभी प्रतिभूति ऋणदाओं को भुगतान किया गया तथा परिसमापक से बाहर लाने के लिए कम्पनी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अनुमित मांग रही है। इसी बीच कोटक महिन्द्रा बैंक ने अपने बकाया भुगतान के लिए मामला दायर किया जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकारिक परिसमापक को कम्पनी की चल सम्पति की बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया। ओएल ने निविदा जारी की तथा

सीटीएल की सभी चल सम्पतियों को बेचा गया।

परिसम्पतियों का सत्यापन

बीआईसी ने पूर्व एलएमए कार्यकलापों अर्थात् सत्यापन और बीआईसी की चल और अचल सम्पतियों का आकलन करने के लिए एनबीबीसी (इंडियां लिमिटेड), एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष (विशेष/व्यावसायिक सरकारी एजेसी) को शामिल किया है।

2.5.7 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि.,कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में एक स्थिरकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जेसीआई वाणिज्यिक प्रचालन भी करता है, जैसे लाभ के सृजन के लिए वाणिज्यिक प्रतिफल पर एमएसपी से ऊपर मूल्य पर पटसन की खरीद करना। जेसीआई के मूल्य समर्थन अभियानों में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी कर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान, कच्चे पटसन के मूल्य में अंतर–मौसमी और अंतरा–मौसमी उतार–चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति करके बाजार में एक नोशनल बफर के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय क्रय केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हैं, किसानों से पटसन सीधे खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और त्रिपुरा आदि राज्यों में जेसीआई के लगभग 141 डीपीसी हैं।

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार निगम की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रूपए और निवल मूल्य 136.50 करोड़ रुपए है। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण प्राधिकृत पूंजी को अभिदत्त किया गया है।

मिशन

देश के पटसन/मेस्टा उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना।

विभिन्न पटसन संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विस्तार उपाय शुरू करना।

विजन

पटसन व्यापार क्रियाकलाप जो विविधीकृत के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए आत्म–निर्भरता और सतत् लाभकारिता के दोहरे उद्देश्य के साथ पर्यावरण के अनुकूल है, पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के हित और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने और राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्ची पटसन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना।

मुख्य कार्य

i. जब भी कच्चे पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छूता है तो बिना किसी मात्रात्मक सीमा के सरकार की ओर से समर्थन मूल्य अभियान चलाना।

ii. जब भी आवश्यकता हो अन्य प्रयोजन के लिए एनजेएमसी की पटसन मिलों के लिए वाणिज्यिक कार्य शुरू करना।

iii. कारपोरेशन पटसन आईकेयर परियोजना की एक कार्यान्वयन एजेंसी जिसका उद्देश्य खेत स्तर पर पटसन उत्पादकों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करके सुदृढ़ कृषि विज्ञान पद्धति को प्रसार करने और प्रोत्साहित करना है।

    कारपोरेशन आईकेयर परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को रेटिंग उद्देश्य के लिए सब्सिडी गत पटसन बीजों और माइक्रोबाइल कन्सोर्टियम नामत– क्रिजाफा सोना पाउडर वितरण भी करता है।

iv. कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत योजना और योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

v. पटसन विविधीकृत उत्पादों का विपणन।

कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड का निष्पादन नीचे रेखांकित है:

विवरण मात्रात्मक (गांठें/लाख में)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (अनुमनित)
कच्चे पटसन की खरीद	3.63	1.90	0.57	0.05	2.25	3.15	1.06	0.99
कच्चे पटसन की बिक्री	2.40	2.60	1.46	0.20	0.71	2.49	2.51	1.87
अंत शेष माल	1.75	1.07	0.17	0.02	1.57	2.24	0.75	0.22
वित्तीय (रुपए लाख में)								
कच्चे पटसन की बिक्री	11135.58	12331.00	8027.07	1506.45	5097.70	17406.26	18060.25	12131.63
पटसन बीज की बिक्री		227.13	895.44	627.55	1214.1	580.79	322.51	392.53

2.5.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी), कोलकाता

राष्ट्रीय कंपनी लि. अधिनियम, 1980 तथा पटसन कंपनियां (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 6 औद्योगिक इकाइयों/मिलों नामतः नेशनल, एलेक्जेंड्रा, यूनियन, खारदाह, किन्नीसन और आरबीएचएम मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जून, 1980 में इन्हें एनजेएमसी में निहित कर दिया गया था। इसकी स्थापना की शुरूआत से एनजेएमसी निरंतर घाटा उठा रहा था। इसलिए इसे 1993 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया था। मार्च, 2010 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित किया गया था नवंबर, 2010 में 1562.98 करोड़ रुपए द्वारा संशोधित किया गया जिसे जनवरी, 2010 में बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। पुनरूद्धार योजना में अनिवार्य रूप से नेशनल, यूनियन तथा एलेक्जेंड्रा नामक 3 मिलों को बंद किया जाना तथा शेष 3 मिलों को संचालन शामिल था। इस पुनरूद्धार योजना में सभी कर्मचारियों को वीआरएस देना, 3 मिलों के संचालन के लिए मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव तथा पूंजीगत व्यय आदि शामिल थे। तदनुसार सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया। इन तीन मिलों के पुनरूद्धार के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हुए।

(क) एनजेएमसी को बंद किए जाने के कारण: प्रचालन के लिए चिन्हित की गई तीन मिलों यथा कटिहार में आरबीएचएमय तथा कोलकाता में खारदाह और

किन्नीसन मिलों को 2010 तथा 2011 में प्रचालनशील बना दिया गया था। श्रमिकों को कमीशन आधार पर काम पर रखकर उत्पादन शुरू कर दिया गया। चूंकि मिलें घाटा उठा रही थीं इसलिए अप्रैल, 2014 में खारदाह मिल तथा बाद में आरबीएचएम और किन्नीसन मिल में उत्पादन संविदा के आधार पर श्रमिकों को संविदा पर रखने के एक नए मॉडल की शुरूआत की गई। तथापि, इस मॉडल के माध्यम से प्रचालन में कुछ सुधार दर्शाने के बावजूद मिलें औद्यागिक विवाद मामलों, जल्दी–जल्दी होने वाली हड़तालों तथा ठेकेदार द्वारा संविदा के नियम एवं शर्तों का उल्लघंन किए जाने के कारण ये मिलें सफलतापूर्वक नहीं चल सकीं। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया था कि उद्योग के पास पटसन के बोरों के विनिर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। तदनुसार नीति आयोग ने एनजेएसमी को बंद करने की सिफारिश कर दी।

2.5.9 बर्ड्स जूट एक्स्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल), एनजेएमसी की एक सहायक कंपनी: इस कंपनी को 1904 में लेंसडाउन जूट मिल प्रा. लि. के रूप में निगमित किया गया था। यह 1986 में राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. की एक सहायक कंपनी बन गई थी। बीजेईएल ने अक्तूबर, 2002 से उत्पादन क्रियाकलापों को बंद कर दिया था। तब से लेकर 2014–15 तक कंपनी में कोई बिक्री नहीं हुई थी। मार्च, 2016 से बीजेईएल विपणन क्रियाकलापों में शामिल है और महिला स्वयं सहायता द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केंद्रों और छोटे विनिर्माताओं के लिए एक एग्रेग्रेटर के रूप में कार्य कर रही थी। बीआईएफआर ने अगस्त, 2012 में 137.88 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक पुनरूद्धार योजना को अनुमोदित किया था। बीआईएफआर द्वारा मसौदा पुनरूद्धार योजना (डीआरएस) को निम्नलिखित 2 शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया था:

(i) परिसंपत्ति बिक्री समिति (एएससी) का गठन किया जाना था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य थी।

(ii) बीजेईएल को इसके मौजूदा भूमि उपयोग को 'औद्योगिक' से बदलकर 'वाणिज्यिक' किए जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध करना होगा।

मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल सरकार की गैर–सहयोगात्मक प्रकृति के कारण इन दोनों शर्तों के पूरा न होने की वजह से पुनरूद्धार योजना में कोई प्रगति नहीं हो सकी थी।

(क) बंद करने की प्रक्रिया: पुनरूद्धार योजना के भाग के रूप में एनजेएमसी के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया था। वर्तमान में एनजेएमसी तथा बीजेईएल में कोई कर्मचारी उनकी नामावली पर नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर एनजेएमसी तथा बीजेईएल को बंद किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। वर्तमान में एनजेएमसी तथा बीजेईएल की कुल देयताएं/बकाया क्रमशः 533.40 करोड़ रुपए (31.03.2018 को गैर–लेखापरीक्षित) तथा 130.29 करोड़ रुपए (31.03.2018 को गैर–लेखापरीक्षित) थीं। तथापि, एनजेएमसी (2017 से आकलित मूल्य के अनुसार) की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य 2392.09 करोड़ रुपए था जबकि बीजेईएल का मूल्य 738.58 करोड़ रुपए था।

(ख) मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 को संपन्न हुई बैठक में एनजेएमसी तथा इसकी सहायक कंपनी बीजेएईएल को बंद किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।

इस संबंध में निम्नलिखित अनुमोदन की सहमति की गई है:–

i) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी) तथा इसकी सहायक कंपनी बर्ड्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लि. (बीजेईएल) की बंदीय करनाय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए तात्कालिक आकस्मिक देयताओं के लिए 21.21 करोड़ रुपए को बचाकर रखनाय एनजेएमसी को बंद किए जाने को प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखना तथा इसकी बंदी प्रक्रिया के साथ–साथ प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु बीजेईएल को 5 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करनाय

ii) भारत सरकार के पास तत्काल आधार पर 200 करोड़ रुपए जमा

iii) एनजेएमसी तथा बीजेईएल की परिसंपत्तियों का निपटान डीपीई द्वारा दिनांक 14.06.2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/5(1)/2014–वित्त(भाग– I) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एनजेएमसी तथा बीजेईएल चल तथा अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन करेंगे तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निपटान के लिए अचल संपत्तियों का दायित्व नामित की गई भूमि प्रबंधन एजेंसी को सौंप सकते हैं। नामित की गई भूमि प्रबंधन समिति अचल संपत्तियों के संबंध में सूचना एकत्र करेगी और इसका सत्यापन करेगी तथा दिनांक 14.06.2018 के डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

iv) परिसंपत्तियों के निपटान के माध्यम से सृजित निधि से देयताओं को चुकाना; और

v) शेष राशि को भारत सरकार तथा स्टेकहोल्डरों को लौटाना।

2.6 वस्त्र अनुसंधान संघ

2.6.1 प्रौद्योगिकी की प्रगति में अनुसंधान और विकास तथा वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए मंत्रालय वस्त्र अनुसंधान संघों को सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है जिसमें इस क्षेत्र का समग्र क्रियाकलाप शामिल है। अनुसंधान और विकास कार्य में निम्नलिखित 8 टीआरए शामिल हैं:

(i) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (अटीरा)

(ii) बम्बई टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बिटरा)

(iii) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा)

(iv) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (निटरा)

(v) मेन–मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (मंतरा)

(vi) सिंथैटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा)

(vii) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (इजिरा)

(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

टीआरए की परियोजनाओं और पेटेंटों का विवरण

क.सं.	टीआरए का नाम	आरएंडी परियोजनाओं की संख्या	दर्ज/प्राप्त पेटेंटों की संख्या
1.	अटीरा	4	3
2.	बिटरा	10	6
3.	इजिरा	14	-
4.	मंतरा	3	1
5.	निटरा	9	4
6.	सिटरा	7	4
7.	ससमीरा	12	10
8.	डब्ल्यूआरए	17	6
	कुल	**76**	**34**

वस्त्र मंत्रालय

I. **वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों की सूची**

श्रेणी	**संगठन का नाम**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट लि. (बीजेईएल), कोलकाता, इसकी सहायक कंपनियों के साथ ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (बीआईसी), सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली, द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) मुंबई, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी) लि., नई दिल्ली, भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि., कोलकाता, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एनजेएमसी), कोलकाता, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी), नई दिल्ली।
वस्त्र अनुसंधान संघ	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए), अहमदाबाद, बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए), मुंबई, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए), कोलकाता, मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत, उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद, दक्षिण भारत वस्त्र अनुधान संघ (सिटरा), कोयंबटूर, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), ठाणे।
सांविधिक निकाय	केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलूरू, भुगतान आयुक्त (सीओपी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता, वस्त्र समिति, मुंबई, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) नई दिल्ली
पंजीकृत समिति	केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) जोधपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम), कोयंबटूर
सलाहकार निकाय	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड, वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए समन्वय परिषद, कपास सलाहकार बोर्ड, पटसन सलाहकार बोर्ड

निर्यात संवर्धन

3.1 निर्यात

भारतीय वस्त्र उद्योग, दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है। इस उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी वर्ष 2018–19 में 12% है जो पर्याप्त है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 5% है। भारत हेतु प्रमुख वस्त्र तथा परिधान गंतव्य ईयू–28 और यूएसए है जिन्हें कुल वस्त्र तथा अपैरल का 43% निर्यात किया जाता है। यह उद्योग रोजगार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीण लोगों सहित संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ और लोगों को रोजगार देता है। सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की प्रमुख पहलों के साथ इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से तालमेल बना हुआ है। वस्त्र और अपैरल का निर्यात ब्यौरा निम्नलिखित है:–

मिलियन अमरीकी डॉलर में मूल्य	2016-17	2017-18	2018-19	CAGR	2018-19 (अप्रै.–नव.)	2019-20 (अप्रै.–नव.)	% परिवर्तन
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल	35,472	35,723	36,558	1.5%	23,483	21,518	-8.4%
हस्तशिल्प	3,639	3,573	3,804	2.2%	2,419	2,460	1.7%
हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र एवं क्लोदिंग	39,110	39,296	40,362	1.6%	25,902	23,977	-7.4%
भारत का समग्र निर्यात	275,852	303,376	329,536	9.3%	217,092	211,691	-2%
समग्र निर्यात का : वस्त्र निर्यात	14%	13%	12%		12%	11%	

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

- भारत से हस्तशिल्प सहित वस्त्र व परिधान के निर्यात में 3% की वृद्धि हुई है, जोकि 2017–18 के दौरान 39.3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान 40.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। भारत की संपूर्ण निर्यात बास्केट में वस्त्र व अपैरल का हिस्सा 2017–18 में 13% का तुलना में 2018–19 में 12% था।
- 2018–19 में रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी) कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 40% है। इसके अलावा निर्यात में योगदान करने वाले मुख्य भाग सूती वस्त्र (31%), मानव निर्मित वस्त्र (14%), कारपेट (4%) तथा हस्तनिर्मित कारपेट को छोड़कर हस्तशिल्प (9%) है।
- अप्रैल–नवम्बर 19 में, हस्तशिल्प सहित भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात पिछले वर्ष उसी अवधि के लिए 25.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में घटकर 24 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। अप्रैल–नवम्बर'19 में 211.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के भारत के कुल निर्यात में 11% हिस्सा था।
- हथकरघा तथा हस्तशिल्प सहित भारत के वस्त्र उत्पाद सौ से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। तथापि, यूएसए तथा यूरोपीय संघ में भारत के वस्त्र व अपैरल निर्यात का लगभग 43% हिस्सा हैं। चीन, यूएई, बंग्लादेश, श्रीलंका, सउदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान तथा वियतनाम आदि अन्य प्रमुख निर्यात केंद्र हैं।

आयात :

- भारत, वस्त्र तथा अपैरल का प्रमुख निर्यातक देश है और यहां व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश आयात पुनः निर्यात के लिए अथवा कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकता के लिए किया जाता है।
- 2017–18 में भारत में वस्त्र और अपैरल उत्पादों का 7.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात 6% बढ़कर 2018–19 में 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
- अप्रैल–नवम्बर 2019–20 में वस्त्र व अपैरल उत्पादों का आयात 5.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से 17% बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

मिलियन यूएस डालर में मूल्य	2017-18	2018-19	2018-19 (अप्रैल-नवम्बर)	2019-20 (अप्रैल-नवम्बर)
हस्तशिल्प सहित वस्त्र व अपैरल का आयात	7,318	7,549	5,173	6,048
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में		6%		17%

डाटा स्रोतः डीजीसीआईएण्डएस

3.2 निर्यात में वृद्धि के लिए उठाए गए कदम :-

सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए–टीयूएफएस): वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसी तैयार वस्त्र तथा निर्माण इकाइयों हेतु एक 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश आर्थिक–सहायता (सीआईएस) मुहैया करवाती है जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रक्षेपित उत्पादन तथा रोजगार की प्राप्ति पर आधारित एटीयूएफएस के अंतर्गत 15 प्रतिशत सीआईएस लाभ प्राप्त किया है। केवल ए–यूटीएफएस की योजना के अंतर्गत आईटीयूएफएस साफ्टवेयर के अंतर्गत परिधान उद्योग द्वारा दिनांक 25.07.2016 से 20.01.2020 तक 41,848 करोड़ रु का निवेश शामिल करते हुए 8,166 आवेदन रिपोर्ट किए गए हैं।
- राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) की शुरूआत: माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 07 मार्च, 2019 को अपैरल और मेड–अप्स निर्यात को सहायता प्रदान करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों/लेवियों (ड्रॉबैक समिति द्वारा यथाअनुशांसित) में छूट प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों में छूट (आरओएससीटीएल) की योजना का अनुमोदन किया। करों/लेवियों की छूट की अनुमति 31.03.2020 तक अधिसूचित दरों पर एक आईटी संचालित स्क्रिप प्रणाली के माध्यम से दी गई है।
- भारत के लिए मर्चेन्डाइज निर्यात योजना (एमईआईएस): इस योजना को विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अंतर्गत भारत में उत्पादित/विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओंध्उत्पादों के निर्यात में शामिल होने वाली आधारभूत ढ़ाचागत अकुशलताओं और संबद्ध लागतों को निष्क्रिय करने के लिए प्रारंभ किया गया था और यह विशेष रूप से उच्च निर्यात गहनता, रोजगार संभाव्यता तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए थी।

  प्रोत्साहन का प्रतिशत उत्पाद दर उत्पाद भिन्न–भिन्न है और यह अधिकांश वस्तुओं हेतु 2–7 प्रतिशत के मध्य है। सरकार ने वस्त्र उद्योग के 2 उप क्षेत्रों जैसे तैयार वस्त्रों तथा मेडअप्स के लिए 01.11.2017 से एमईआईएस के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु दरों को दुगना करके निर्यात के मूल्य के 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक कर दिया है। सभी हस्तशिल्प तथा हधकरघा मदों की एमईआईएस दरें 5% या 7% है।
- ब्याज समानीकरण योजना: वर्ष 2015 में शिपमेंट से पूर्व तथा पश्चात ऋण ब्याज दर छूट को तीन वर्षों के लिए बहाल किया गया था। इस कदम का उद्देश्य निर्यातकों को कच्चे माल की खरीद, उनके प्रसंस्करण तथा तैयार माल में बदलने और उनकी पैकेजिंग जैसे प्रयोजन हेतु बैंकों से ऋण पर ब्याज दरों के प्रति वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

  ब्याज समानीकरण की दर शिपमेंट पूर्व रुपए निर्यात ऋण तथा शिपमेंट पश्च रुपए निर्यात ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की है। यह योजना एमएसएमई के सभी निर्यातों और 416 टैरिफ लाइनों (4 अंकों वाले एचएस कोड हेतु) के लिए उपलब्ध है जिसमें 94 वस्त्र तथा परिधान लाइनें शामिल हैं। वस्त्र क्षेत्र की एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों के लिए ब्याज समानीकरण की दर को दिनांक 02.11.2018 से 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा इस योजना के लाभ, जो पूर्व में केवल विनिर्माता निर्यातकों तक सीमित थे, वर्ष 2019 से मर्चेन्ट निर्यातकों को भी प्रदान किए गए हैं।
- बाजार पहुंच पहल (एमएआई): इस योजना का उद्देश्य सतत आधार पर भारत के निर्यातों को बढ़ावा देना है। इस योजना को बाजार अध्ययनों/सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाजार तथा विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए फोकस उत्पाद–फोकस देश पद्धति पर बनाया गया है। इस पहल के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप कार्यान्वित किए गए हैं–

2019–20 में वस्त्र ईपीसी द्वारा 56 अन्तर्राष्ट्रीय और 11 स्वदेशी निर्यात संवर्धन गतिविधियों को एमएआई योजना के अंतर्गत समर्थन प्रदान किया गया है।

- विदेशों में विपणन परियोजनाएं
- क्षमता निर्माण
- सांविधिक अनुपालनों हेतु सहायता
- अध्ययन
- परियोजना विकास
- विदेश व्यापार सुविधा वेब पोर्टल विकसित करना
- कुटीर और हस्तशिल्प इकाइयों को सहायता करना

- **वस्त्र क्षेत्र के लिए व्यापक निर्यात रणनीति:** वस्त्र क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय (निर्यात डिवीजन) ने निम्नलिखित कार्य योजना बनाई है:
  - प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना
    - बाजारों का विविधीकरण करना
    - भारत के एटीएफ भागीदारों द्वारा उच्च प्रशुल्कों का समाधान करना
    - मूल्य श्रृंखला में तैनाती करना
  - सभी लागू राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट
  - सभी निर्यातकों को सहायता प्रदान करना

प्रत्येक संघटक के उद्देश्यों की पहचान उनकी प्राप्ति के प्रस्तावित पहलों और समय–सीमा सहित की गई है। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व प्रमुख निर्यात बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना और वस्त्र तथा अपैरल निर्यात का विविधीकरण करना है। इस दिशा में रणनीति में अल्पावधि और मध्यावधि पहल (12 देशों को बाजार विविधीकरण), दोनों स्तरों पर विचार किया गया है।

3.3 अन्य उपाय

- **विश्व कपास दिवस समारोह, जेनेवा में भागीदारी:** विश्व कपास दिवस का शुभारंभ 07 अक्टूबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) और अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) के सचिवालयों के सहयोग से किया गया। यह अफ्रीका में चार कपार उत्पादक देशों जिन्हें सी–4 (बैनिन, बुरकीना फासो, चाड और माली) के नाम से जाना जाता है, की पहल की, विश्व कपास दिवस के उद्देश्य निम्नलिखित थे:–
  - कपास और इसके सभी स्टेक होल्डरों को उत्पादन, रूपांतरण और व्यापार में अनुभव एवं मान्यता देना।

- कपास के लिए दाताओं और लाभार्थियों की सेवाएं लेना और विकास सहायता को सुदृढ़ करना।
- कपास संबंधित उद्योगों और विकासशील देशों में उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र और निवेशकों के साथ नए सहयोग करना।
- कपास पर प्रौद्योगिकीय उन्नतियों का संवर्धन तथा कपास पर आगे अनुसंधान और विकास।

माननीय वस्त्र मंत्री सुश्री स्मृति इरानी ने पूर्ण अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें अद्वितीय डिजाइन की हथकरघा साड़ियों, एसयूवीआईएन कॉटन से बने फैब्रिक, आर्गेनिक कॉटन, डीसीएच 32 और शंकर 6 कॉटन किस्मों, उच्च क्वालिटी के टेरी टावल और कॉटन फ्लोर कवरिंग्स का प्रदर्शन किया गया, एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्प गुरू द्वारा चरखे पर कताई के तरीके का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा डीजी, डब्ल्यूटीओ को महात्मा गांधी के चरखे का एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया।

- भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच का संस्थाकरण : भारत को फैब्रिक और मध्यवर्तियों के एक विश्वस्त आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए, भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच (आईबीटीआईएफ) 27.06.2019 को शुरू किया गया। आईबीटीआईएफ की पहली बैठक दिनांक 04–05 फरवरी, 2020 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई। सचिव (वस्त्र) द्वारा भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया गया।
- राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) का कार्यान्वयनः मंत्रिमंडल ने सभी संबंधित राज्य और केंद्रीय करों/लेवियों पर छूट देने के लिए आरओएससीटीएल हेतु योजना अनुमोदित की। इस योजना से अपेरल और मेड–अप्स निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने का अनुमान है। करों/लेवियों पर छूट को आईटी आधारित सूक्ष्म प्रणालियों के माध्यम से अधिसूचित दरों पर अनुमति दी गई। इसके अलावा, दिनांक 14 जनवरी, 2020 को वस्त्र मंत्रालय ने आरओएससीटीएल तथा आरओएसएल 4% की दर से एमईआईएस के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए दिनांक 7.3.2019 से 31.12.2019 तक अपैरल और मेड–अप्स के निर्यात के लिए प्रदान की जाने वाली एफओबी मूल्य का 1% तक एक विशिष्ट एक बारगी अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन अधिसूचित किया है।

3.4 निर्यात संवर्धन परिषदें : वस्त्र एवं अपैरल क्षेत्र के सभी सेगमेंट अर्थात सिले–सिलाए परिधान, कपास, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्यारह वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजार में अपने संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि और निर्यात का संवर्धन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से कार्य करती हैं। ये परिषदें, निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों में पहुंच बनाने के लिए भारत और विदेशी बाजारों में वस्त्र एवं अपैरल मेलों तथा प्रदर्शनियों एवं एकल प्रदर्शनियों में भाग लेती हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्नलिखित हैं:

i) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद(एईपीसी)
ii) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
iii) सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
iv) ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)
v) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संघ (वूल टेक्सप्रो)
vi) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
viii) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
ix) विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
x) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)
xi) पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

3.5 प्रचार-प्रसारः

– संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा न्यूज लेटर का प्रकाशन
– विभिन्न बाजारों, नीतिगत घटनाक्रम, निर्यात संबंधी खबर, सरकारी अधिसूचना, निर्यात लक्ष्य, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम पर नवीनतम सूचना प्रदान करना।

3.6 कार्यक्रम

– चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नई दिल्ली में दिनांक 19 फरवरी, 2020 को 'भारतीय वस्त्र तथा शिल्प हेतु उभरते अवसर' पर एक परिचर्चा आयोजित की गई।

कच्ची सामग्री सहायता

4.1 कपास

प्रस्तावना

4.1 कपास देश की प्रमुख फसलों में से एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह लाखों किसानों तथा कपास उद्योग में शामिल कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्चे माल खपत में कपास और मानव निर्मित रेशों तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 59:41 है।

परिदृश्य :

क. **उत्पादन और खपत :** भारत में कपास की खेती 3 भिन्न कृषि–पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे गैर–परंपरागत राज्यों के छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक गुणात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण सुधार किया है। पिछले दशकों के दौरान भारत में कपास का उत्पादन तथा उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक बन गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन तथा खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2014-15	386	309.44
2015-16	332	315.28
2016-17	345	310.41
2017-18	370	319.06
2018-19	330	315.50
2019-20 (पी)	360	331.00

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 28/11/19
*पी–अनंतिम

ख. **क्षेत्रफल/उत्पादकता :** भारत में कपास की खेती के अंतर्गत 125.84 लाख हेक्टेयर के कपास क्षेत्रफल अर्थात विश्व क्षेत्रफल का लगभग 36% के साथ विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। लगभग 62 प्रतिशत भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38 प्रतिशत सिचिंत भूमियों पर उगाई जाती है। गत 5 वर्ष हेतु भारत में कपास की उत्पादकता निम्नानुसार है :

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2014-15	128.46	511.00
2015-16	122.92	459.00
2016-17	108.26	542.00
2017-18	124.44	500.00
2018-19	126.58	443.20
2019-20 (P)	125.84	486.33

स्रोत–कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 28/11/19 पी–अनंतिम

ग. **आयात/निर्यात :** वर्तमान में कपास, भारत से मुक्त रूप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत प्रमुख रूप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता है जिसमें से बंगलादेश और चीन भारतीय कपास का सबसे बड़े आयातक हैं। यद्यपि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व आयातक है एक्स्ट्रा लांग स्टेपल किस्म जो देश में उपलब्ध नहीं है, की कुछ मात्रा आयात की जाती है। निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के आयात और निर्यात आंकड़े दिए गए हैं:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2014-15	14.39	57.72
2015-16	22.79	69.07
2016-17	30.94	58.21
2017-18	15.80	67.59
2018-19	31.00	44.00
2019-20 (पी)	25.00	50.00

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 28/11/19 * पी–अनंतिम

घ. कपास का तुलन पत्रः गत पाँच वर्षों के लिए नीचे दिया गया हैः

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)
आपूर्ति					
प्रारंभिक स्टॉक	66.00	36.44	43.76	42.91	44.41
फसल आकार	332.00	345.00	370.00	330.00	360.00
आयात	22.79	30.94	15.80	31.00	25.00
कुल आपूर्ति	420.79	412.38	429.56	403.91	429.41
मांग					
मिल खपत	270.20	262.70	280.11	274.50	288.00
एसएसआई खपत	27.08	26.21	26.18	25.00	25.00
गैर वस्त्र खपत	18.00	21.50	12.77	16.00	18.00
कुल खपत	**315.28**	**310.41**	**319.06**	**311.50**	**331.00**
निर्यात	69.07	58.21	67.59	44.00	50.00
कुल मांग	**384.35**	**368.62**	**386.65**	**359.50**	**381.00**
अंतिम स्टॉक	**36.44**	**43.76**	**42.91**	**44.41**	**48.41**

स्रोत– कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 28/11/19 *पी–अनंतिम

ड. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियानः-

बीज कपास (कपास) का मूल्य एमएसपी के स्तर से नीचे आ जाने पर किसी मात्रात्मक सीमा के बिना एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों में कपास किसानों द्वारा पेशकश की गई कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद करने के लिए अभियान चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

देश के कपास किसानों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष कपास मौसम (अक्टूबर से सितम्बर) के प्रारंभ होने से पहले कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अपने परामर्शदाता बोर्ड कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों मध्यम लंबी स्टेपल किस्म (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तथा माइक्रोनेअर मान 4.3 से 5.1) तथा लंबी स्टेपल कपास (स्टेपल लंबाई 29.5 मी. से 30.5 मिमी. तथा माइक्रोनेअर मान 3.5 से 4.3) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

2019–2020 कपास मौसम के लिए कृषि मंत्रालय ने एफएक्यू ग्रेड का एमएसपी मध्यम स्टेपल के लिए 5255 रु प्रति क्विंटल पर तथा लंबी स्टेपल कपास के लिए 5550 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा गत कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित हैः–

वर्ष	मध्यम स्टेपल (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी से 25.5 मिमी तक माइक्रोनेयर के मूल्य 4.3 से 5.1)	लंबा स्टेपल (स्टेपल की लंबाई 29.5 मी से 30.5 मिमी तक माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 से 4.3 तक)
2014-15	3750	4050
2015-16	3800	4100
2016-17	3860	4160
2017-18	4020	4320
2018-19	5150	5450
2019-20	5255	5550

बीज कपास की इन दो आधारभूत किस्मों के समर्थन मूल्य के आधार पर और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की बीज कपास की अन्य श्रेणियों हेतु एमएसपी भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा कपास मौसम 2019–2020 (अक्तूबर–सितम्बर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु एमएसपी नीचे दिया गया हैः–

क्र.सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता पैरामीटर		न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2018-19 रूपये/क्विंटल में
		मूल स्टेपल लंबाई (2.5% स्पैन लंबाई) मिमी में	माइक्रोनेयर मूल्य	
लघु स्टेपल (20.0 मिमी और नीचे)				
1	असम कोमिला	--	7.0-8.0	4755
2	बंगाल देशी	--	6.8-7.2	4755
मध्यम स्टेपल (20.5 मिमी -24.5 मिमी)				
3	जयधर	21.5-22.5	4.8-5.8	5005
4	वी–797 / जी.कॉट.13 / जी.कॉट.21	21.5-23.5	4.2-6.0	5055
5	एके / वाइ–1 (महा. एवं म.प्र.) / एमसीयू–7 (त.ना.) / एसवीपीआर–2 (त.ना.) / पीएसओ–2 (आ.प्र. एवं कर्ना.) / के.–11 (त.ना.)	23.5-24.5	3.4-5.5	5105
मध्यम लंबा स्टेपल (25.0 मिमी -27.0 मिमी)				
6	जे –34 (राज)	24.5-25.5	4.3-5.1	5255
7	एलआरए–5166 / के.सी.–2 (त.ना.)	26.0-26.5	3.4-4.9	5355
8	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	26.5-27.0	3.8-4.8	5405
लंबा स्टेपल (27.5 मिमी -32.0 मिमी)				
9	एफ–414 / एच–777 / जे–34 हाइब्रिड	27.5-28.5	4.0-4.8	5450
10	एच–4 / एच–6 / एमईसीएच / आरसीएच–2	27.5-28.5	3.5-4.7	5450
11	शंकर–6 / 10	27.5-29.0	3.6-4.8	5500
12	बन्नी / ब्रह्म	29.5-30.5	3.5-4.3	5550
अतिरिक्त लंबा स्टेपल (32.5 मिमी और अधिक)				
13	एमसीयू–5 / सुरभि	32.5-33.5	3.2-4.3	5750
14	डीसीएच–32	34.0-36.0	3.0-3.5	5950
15	सुविन	37.0-39.0	3.2-3.6	6750

च. वर्ष 2018-19 के दौरान कपास एमएसपी अभियान:-

कपास मौसम 01 अक्तूबर से अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक चलता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से प्रारंभ होता है तथा 31 जुलाई को समाप्त होता है। नवम्बर से फरवरी माह तक इस मौसम की शुरूआत आवक की गति में वृद्धि के साथ होती है तथा इसके पश्चात बाद वाले महीनों में गिरावट आनी शुरु होती है।

कपास मौसम 2018–19 के दौरान एमएसपी अभियान शुरू करने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 12 कपास उत्पादक राज्यों के 125 जिलों में तीन 367 खरीद केंद्र खोलें। जहां कहीं भी बीज कपास का मूल्य एमएसपी स्तर से नीचे चला गया था, वहां 01 अक्टूबर, 2018 से एमएसपी अभियान के अधीन खरीद प्रारंभ की गई थी। एमएसपी अभियान के अधीन कपास की खरीद के अलावा, जहां व्यवहार्य हो, वहां सीसीआई ने व्यवसायिक अभियान के अधीन इसी प्रकार की खरीददारी की थी ताकि एमएसपी अवसंरचना के हिस्से का उपयोग किया जा सके और ओवरहेड व्यय के हिस्से की वसूली की जा सके।

इस प्रकार, कपास मौसम 2018–19 के दौरान सीसीआई ने 2800 करोड़ के मूल्य की 10.80 लाख गाँठों (10.70 लाख एमएसपी के अधीन 0.10 गाँठें वाणिज्यिक अभियान के अधीन) की खरीद की थी। उपरोक्त स्टाक को ई–नीलामी के माध्यम से एमएसएमई सहित खरीददारों को बेचा जा रहा है।

छ. कपास एमएसपी अभियान 2019-2020

नया कपास मौसम 1 अक्तूबर, 2019 से आरंभ हो चुका है। कपास की बुआई पूर्ण हो चुकी है और फसल कटाई सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में शुरू हो चुकी है। नए कपास मौसम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

- बुआई के समय अनुकूल कृषि–जलवायु संबंधी दशों के कारण, पिछले वर्ष के दौरान अन्य प्रतिस्पर्धी फसल की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त होने और एफएक्यू ग्रेड कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 2% तक की वृद्धि के कारण देश में कपास की खेती के अंतर्गत पिछले वर्ष क 126.58 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 125.84 लाख हेक्टेयर हो सकता है।

- उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, 5 वर्ष के औसत उपज और असामयिक वर्षा के कारण कपास उत्पादक राज्यों के भागों में फसल क्षति की समाचार रिपोर्टों पर विचार करते हुए, यह अनुमान है कि देश में कपास उत्पादन पूर्व वर्ष में 330 लाख गांठों (सीएबी द्वारा दिनांक 28.11.19 की अपनी पिछली बैठक में अनुमानित) की तुलना में लगभग 360 लाख गांठ होगा जो पूर्व वर्ष से लगभग 9% अधिक है।

इस उद्देश्य से कि आगामी कपास मौसम में एमएसपी अभियान एक पारदर्शी और सक्षम तरीके से कार्यान्वित किए जाएं, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ने सभी कपास उत्पादक राज्यों के अधिकारियों के साथ 19.08.2019 को एक सभा की अध्यक्षता की। इसके पश्चात सभी कपास उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित मुख्य उपाय करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया है:–

i. वास्तविक कपास किसानों की बिना कमीशन एजेंटों, बिचौलियों और व्यापारियों की संलिप्तता के बिना एमएसपी तक पहुंच होय

ii. कपास किसानों की उनकी भूमि और राजस्व अभिलेख, भूमि अभिलेखों का वार्षिक फसल आंकड़ों के साथ एकीकरण के अनुसार पहचानय

iii. कपास किसानों के खाते में तेजी से सीधे भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए बाजार यार्डों में सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार करना और बिना किसी हस्तचालित दखलअंदाजी के उन्हें सीसीआई के सर्वर में अंतरित करनाय

iv. एपीएमसी यार्डों में कपास की आवक को विनियमित करना अथवा वैकल्पिक तौर पर सीसीआई द्वारा काम पर लगाई गई गिनिंग और प्रेसिंग कारखानों को एपीएमसी के अधिसूचित उप–बाजार यार्डों के रूप में घोषित किया जाए ताकि किसानों के लिए परिवहन की लागत कम होय

v. एपीएमसी और सीसीआई द्वारा उनके द्वारा खरीदे गए कपास के भंडारण के लिए किराए पर लिए गए राज्य के नियंत्रणाधीन गोदामों में सीसीटीवी की व्यवस्थाय और

vi. सीसीआई के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में गिनर्स द्वारा किसी सांठ–गांठ को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं।

सीसीआई ने कपास किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

i. 18 खरीद और बिक्री शाखाओं के अंतर्गत सभी कपास उत्पादक राज्यों में 12 कपास उत्पादक राज्यों के 125 जिलों को शामिल करते हुए 367 खरीद केंद्रों सहित 610 खरीद केंद्र खोले गए हैं।

ii. एपीएमसी में बैनरों के प्रदर्शन, समाचार पत्रों में विज्ञापन, अलग–अलग किसानों को पैम्पलेटों के वितरण द्वारा कपास किसानों को एमएसपी दरों के बारे में आवश्यक सूचना का प्रसार।

iii. किसानों को उनके कपास के लिए उपयुक्त मूल्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से गांवों, एपीएमसी, जीएमपी फैक्ट्रियों आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर लगाकर एपीएमसी में बिक्री के लिए सूती कपास लाने के लाभों पर जोर दिया जा रहा है।

iv. एमएसपी अभियान को समन्वित और मॉनीटर करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय में एमएसपी कक्ष गठित किया गया है।

v. एमएसपी के अंतर्गत खरीदी गई कपास का शत–प्रतिशत भुगतान 72 घंटे के अंदर कपास किसानों को सीधे उनके खाते में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से करना।

vi. एमएसपी अभियान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग:

- कपास किसानों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक किसान अनुकूल मोबाइल एप 'कॉट–ऐली' की स्थापना की गई।
- कपास किसानों को गुणवत्ता आधारित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए डिजीटलीकृत नमी मीटर, माइक्रोनेयर टेस्टर और हस्तचालित जिनिंग मशीन।
- कपास किसान के बैंक खातों में त्वरित सीधा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ताकपट्टी पर किसानों के फोटो सहित बिलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार करने के लिए वेब कैम और प्रिंटर सहित लैपटॉप।

vii. कपास किसानों को आधुनिक कपास हारवेस्टिंग प्रौद्योगिकी अर्थात सीएसआर के अंतर्गत हस्तचालित कपास पल्गर मशीने प्रदान करना।

vii. कपास मौसम 2019–20 (1 अक्तूबर, 2019 से 30 सितम्बर, 2020) में 1 अक्तूबर, 2019 से 31.03.2020 तक बीज कपास की अखिल भारत आवक 280 लाख गांठें हैं। इसमें से 84.83 लाख कपास गांठों की खरीद भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान के तहत की गई है जो कुल आवक का 30% है।

4.2 पटसन व पटसन वस्त्र

प्रस्तावना

पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय,बायो–डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान लगाया गया है कि पटसन उद्योग संगठित मिलों तथा तृतीय क्षेत्र और संबद्ध क्रियाकलापों सहित विविधीकृत इकाईयों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कई लाख कृषक परिवारों को आजीविका में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं।

क. कच्ची पटसन परिदृश्य

कच्ची पटसन की फसल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कच्ची पटसन की फसल की खेती न केवल आद्योगिक प्रयोग हेतु फाइबर उपलब्ध कराती है बलकि पटसन की छड़ी भी उपलब्ध कराती है जिसका कृषक समुदाय द्वारा ईंधन तथा निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में पटसन की खेती के अंतर्गत क्षेत्रों में सदैव बड़े उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। वर्ष–दर–वर्ष के उतार–चढ़ाव मुख्यतः तीन कारकों के कारण होते हैं, नामतः (1) बुवाई के मौसम के दौरान वर्षा में उतार–चढ़ाव, (2) पिछले पटसन मौसम के दौरान प्राप्त औसत कच्चे पटसन के मूल्य और (3) पिछले मौसम के दौरान प्रतिस्पर्धी फसलों से प्राप्त प्रतिफल। पटसन के अंतर्गत एक बड़ा क्षेत्र उसी मौसम में धान के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अतः वर्ष–दर–वर्ष पटसन के मूल्यों और धान के मूल्यों के संबंध में उतार–चढ़ाव से इन दोनों फसलों के मध्य भूमि का अपेक्षाकृत आवंटन सामान्यतः प्रभावित होता है।

कच्ची पटसन का उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में किया जाता है। निम्नलिखित तालिका में 2015–16 से 2020–21 (अनुमानित) की अवधि के लिए मेस्टा सहित कच्ची पटसन की आपूर्ति मांग की स्थिति दर्शायी गई है:

(मात्रा रू 180 कि.ग्रा. की प्रत्येक गांठ वाली लाख गाँठें में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 अनुमानित
(क) आपूर्ति						
i) प्रारंभिक स्टॉक	14.00	6.00	22.00	22.40	18.40	26.40
ii) पटसन और मेस्टा की फसल	65.00	92.00	76.00	72.00	68.00	72.00
iii) आयात	6.00	4.00	3.40	3.00	4.00	4.00
कुल :	85.00	102.00	101.40	97.40	90.40	102.40
(ख) वितरण						
iv) मिल की खपत	70.00	70.00	69.00	69.00	1.80	1.80
v) घरेलू /औद्योगिक खपत	9.00	10.00	10.00	10.00	9.72	12.42
vi) निर्यात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल:	79.00	80.00	79.00	79.00	11.52	14.22
(ग) अंतिम स्टॉक	6.00	22.00	22.40	18.40	4.03	4.93

स्रोत : पटसन सलाहकार बोर्ड

ख. कच्ची पटसन तथा मेस्टा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों की रक्षा हेतु कच्ची पटसन तथा मेस्टा के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों हेतु मूल्यों का निर्धारण करते समय, निम्न ग्रेड की पटसन के उत्पादन को हतोत्साहित करने तथा उच्च ग्रेड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मामले पर भी विचार किया जाता है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन हेतु भारत सरकार की मूल्य सहायता एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल, 1971 में मुख्यतया समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पटसन किसानों के लाभ के लिए कच्ची पटसन बाजार तथा समग्र रूप से पटसन अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भी की गई थी। जेसीआई आवश्यकता पड़ने पर एमएसपी अभियान चलाता है। देश भर के 500 से अधिक केंद्रों पर कच्ची पटसन का लेन–देन किया जाता है। पिछले कई वर्षों के दौरान जेसीआई द्वारा राज्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग से खरीदी गई कच्ची पटसन का विवरण निम्नलिखित है:–

(हजार गांठ में मात्रा *)

वर्ष (जुलाई - जून)	उत्पादन	प्रापण			प्रापण उत्पादन के प्रतिशत के रूप में
		समर्थन	वाणिज्यिक	कुल	
2012-13	9300	319.0	44.2	363.8	3.91
2013-14	9000	138.0	52.1	190.2	2.11
2014-15	7200	15.5	41.1	56.6	0.77
2015-16	6500	0	4.9	4.9	0.075
2016-17	9200	57.4	168.7	226.1	2.46
2017-18	7600	339	0	339	4.46
2018-19	7200	72	0	72	1.0%

1 गाँठ = 180 किलो।

ग. पटसन सामानों का उत्पादन

भारत विश्व में कच्ची पटसन तथा पटसन वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी देश है जो विश्व के अनुमानित उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत का उत्पादन करता है। विनिर्मित पटसन वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा मुख्यतः घरेलू बाजार में पैकेजिंग प्रयोजनों में प्रयोग की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों और वर्तमान वर्ष में पटसन वस्तुओं के उत्पादन की प्रवृत्ति नीचे दी गई है :–

(हजार एमटी में मात्रा)

अवधि अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2011-12	239.9	1165.1	3.6	173.8	1582.4
2012-13	210.0	1218.2	2.9	160.3	1591.3
2013-14	202.5	1150.4	3.3	171.5	1527.7
2014-15	211.3	901.8	3.0	151.2	1267.3
2015-16	196.5	891.9	0.0	128.9	1217.3
2016-17	178.6	871.6	0.0	92.3	1142.5
2017-18	175.3	910.3	0.0	101.5	1187.1
2018-19	147.6	912.3	2.0	101.3	1161.4
2019-20 (अनुमानित)	130.0	944.2	0.0	117.3	1191.5

स्रोतः आई जे एम ए, कोलकाता

निर्यात में गिरावट, हेसियन तथा अन्य के साथ–साथ सस्ते व बढ़िया गुणवत्ता के हेसियन फैब्रिक के आयात के कारण हेसियन का उत्पादन कम हो रहा है जबकि पिछले 5 वर्षों से पिछली बढ़त से गिरावट के बाद सैकिंग का उत्पादन सरकारी एजेंसियों के द्वारा निरंतर मांग के कारण, 2016–17 के दौरान मामूली गिरावट के बाद लगभग स्थिर रहा है।

घ. पटसन सामानों की घरेलू खपत

भारत मुख्यतया अपने वृहद घरेलू बाजार के कारण विश्व में पटसन उत्पादों का प्रमुख उत्पादक रहा है। कुल उत्पादन में से औसत घरेलू उत्पादन लगभग 90% रहा है। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु पटसन उत्पादों की घरेलू खपत का रुख निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:–

(हजार एमटी में मात्रा)

अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2010-11	182.3	1034.4	0.9	133.4	1351.5
2011-12	184.2	1079.7	0.1	117.9	1381.9
2012-13	165.8	1118.7	0.8	113.9	1399.0
2013-14	157.6	1043.1	0.4	126.4	1327.5
2014-15	171.7	873.2	0.1	111.4	1156.2
2015-16	164.2	890.2	0.0	90.2	1144.6
2016-17	140.9	855.9	0.0	78.9	1075.7
2017-18	141.9	894.2	0.0	76.5	1112.6
2018-19	130.2	900.8	1.2	81.4	1113.6
2019-20 (अनुमानित)	116.7	937.8	0.0	97.2	1151.8

ड. निर्यात निष्पादन

वर्ष 2014–15 से 2019–20 के दौरान निर्यात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा '000' मी.टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

प्रकार	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 अनुमानित	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य	मात्रा	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हेसियन	80.2	769.5	77.7	827.3	78.6	930.2	86.86	917.24	64.11	802.69	59.67	787.30
सैकिंग	46.9	296.6	38.7	307.5	46.6	411.9	44.75	407.20	37.09	432.91	41.17	514.62
यार्न	23.6	138.7	16.9	118.5	9.3	72.8	16.98	130.20	13.61	109.42	12.94	101.85
जेडीपी	-	508.6	-	562.3	-	590.9	-	631.50	-	815.51	-	894.87
अन्य	7.7	100.4	5.1	73.7	4.1	68.5	19.63	72.43	6.87	112.74	4.39	97.12
कुल	161.6	1813.8	140.7	1892.3	140.7	2074.2	152.8	2158.57	121.68	2273.27	118.17	2395.76

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस

i. कच्ची पटसन एवं पटसन सामानों का आयात

वर्ष 2014–15 से 2019–20 के दौरान आयात रुझान इस प्रकार हैं:

(मात्रा '000' मि.टन में, मूल्य करोड़ रु. में)

साल	कच्चा पटसन			पटसन उत्पाद			कुल आयात मात्रा	कुल आयात मूल्य
	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य	ईकाइ मूल्य		
2014-15	47.6	142.4	29916	130.7	561.5	42961	178.3	703.9
2015-16	87.6	364.0	41552	158.1	933.4	59038	245.7	1297.4
2016-17	138.9	704.2	50711	140.1	931.6	66495	279.1	1635.8
2017-18	68.2	289.2	42405	147.9	1169.4	79067	216.1	1458.6
2018-19	57.3	235.93	41186	128.98	951.92	73800	186.3	1187.9
2019-20	71.4	294.89	41300	132.87	1221.05	91900	204.3	1515.9

स्रोत :2014–15– सीमा शुल्क आयुक्त, पेट्रापोल रोड, पश्चिम बंगाल
2017–18 और 2018–19 – डीजीसीआईएण्डएस, वाणिज्य मंत्रालय, 2019–20 (अनुमानित)

ङ. पटसन क्षेत्र हेतु पहलें/प्रोत्साहन

प. पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग करने के लिए लागू किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में, वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

केंद्र सरकार एसएसी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा प्रतिशतता के अनिवार्य प्रयोग के लिए जेपीएम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत समय–समय पर आदेश जारी कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है। सरकार कच्चे पटसन तथा पटसन वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर पटसन में पैक किए जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित कर सकती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण श्रृंखला में रूकावट पैदा किए बिना देश में उत्पादित पटसन की फसल का उपयोग करने के लिए यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।

वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 20.12.2019 को 30 सितम्बर, 2020 तक वैध अधिसूचना एस.ओ. 4578 (ई) जारी की जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2019–20 के लिए खाद्यान्नों का 100% और चीनी का 20% अनिवार्य रूप से पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा। इस आदेश में यह निर्धारित है:–

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	उत्पादन का 100%*
चीनी	उत्पादन का 20%**

*प्रारंभिक रुप से खाद्यान्नों के 10% मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के द्वारा जारी किए गए है।

** मिलों या खुले बाजार से प्रापण एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के अंतर्गत विविध पटसन थैलों में

सीसीईए निर्णय में निम्नलिखित अधिदेश दिया गया है–

- खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन थैलों के प्रापण जैम पोर्टल के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर शुरु होंगे। शुरुआत में राज्य प्रापण एजेंसियों (एसपीए) के द्वारा 10% के मांगपत्र जैम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से जारी किए गए हैं। एक सीमा तक जैम पोर्टल बिडिंग के माध्यम से स्वीकृत 30 दिनों के भीतर पूर्ति करने में असमर्थ होने पर, वस्त्र मंत्रालय अनिवार्य पैकेजिंग नियमों के अपफ्रंट विचलन की अनुमति देगा। जैम पोर्टल में जूट मिलों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन सह–आपूर्ति आदेशों (पीसीएसओ) के आबंटन का फार्मूला संशोधित किया जाएगा।
- जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में अवरोध या कमी होने पर अन्य आकस्मिकता/अत्यावश्यकता की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय प्रयोक्ता मंत्रालय के परामर्श से इन प्रावधानों को खाद्यान्न उत्पादन के प्रावधानों के अलावा अधिकतम 30% तक सरल कर सकता है।
- यदि प्रापण एजेंसियां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्नों की पैकेजिंग हेतु पटसन थैलों की मांग नहीं करती हैं और मांग (इंडेंट) की संख्या बढ़ जाती है तो पटसन थैलों की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को पर्याप्त अतिरिक्त समय मिलेगा। तथापि, यदि मिलें बढ़ाई गई अवधि में थैलों की आपूर्ति करने में असफल होती हैं तो उनके विलय से संबंधित शर्ते लागू होंगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए की कच्ची पटसन में लगे लोग अनिवार्य पैकेजिंग से लाभान्वित हैं, पटसन कार्मिकों को सांविधिक बकायों की अदायगी कराने तथा पटसन कृषकों तथा पटसन के प्रापण पर बैलर्स को त्वरित भुगतान के लिए एक यथोचित व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था में कच्चे पटसन की आपूर्ति के लिए त्वरित भुगतानों पर मिलों से कार्मिकों के सांविधिक भुगतान तथा स्वप्रमाणन से संबद्ध राज्य सरकार के श्रम विभाग से आवधिक प्रमाणन प्राप्त करने को शामिल किया जाएगा।

  इस निर्णय से देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में अवस्थित किसानों तथा कामगारों को लाभ होगा।

ii. **जूट-स्मार्ट,** सुशासन दिवस 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रारंभ एक ई–शासन पहल बी–ट्विल बोरों की खरीद हेतु एक स्मार्ट अस्त्र के रूप में ई–शासन पहल है।

जूट–स्मार्ट, सभी हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु एक एकीकृत मंच मुहैया करवाने की मंशा रखता है जिससे सूचना पर आसान पहुंच, अधिक पारदर्शिता और पटसन क्षेत्र हेतु व्यापार करने की आसानी हो सके। बी–ट्विल आपूर्ति प्रबंधन तथा मांग उपस्कर, जिसे संक्षेप में जूट–स्मार्ट कहा जाता है, वास्तव में एक वेब आधारित एपलिकेशन है जिसे बी–ट्विल बोरे की खरीद से संबंधित समग्र लेन–देन को सुकर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह निम्नलिखित उद्देश्य हेतु बनाया गया है:

- एसपीए द्वारा बी–ट्विल के इंडेंटिंग प्रणाली का एकीकरण
- एसपीए द्वारा उनके संबंधी बैंक खातों में आवश्यक फंड का प्रेषण
- पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा उत्पादन नियंत्रण सह आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) का नियम आधारित आबंटन
- पटसन मिलों द्वारा इंस्पैक्शन कॉल किया जाना तथा निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षकों का आबंटन
- निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना।
- लोडर्स/पटसन मिलों द्वारा रेल/रोड़ तथा कौंकोर से परिवहन के लिए प्रेषण सूचना आपलोड करना
- जूट मिलों द्वारा बिल बनाना तथा अंततः इस कार्यालय द्वारा पटसन मिलों को संबंधित बैंकों में भुगतान जारी करना।
- एसपीए द्वारा यदि कोई शिकायत हो तो ऑनलाइन शिकायत जेनरेट करना।
- एसपीए द्वारा फंड का सियल टाइम समाधान

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) द्वारा बी–ट्विल बोरे की खरीद तथा आपूर्ति के प्रचालन को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) से लेकर 1 नवम्बर, 2016 से पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता को अंतरित करने का निर्णय लिया था। वार्षिक तौर पर भारतीय पटसन कामगारो तथा किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 7584 करोड़ रु. मूल्य की पटसन के बोरों की खरीद की जाती है।

पूर्ववर्ती प्रणाली अधिकांशतः कागजों पर निर्भर थी और हितधारकों, मुख्यतः राज्य खरीद एजेंसियां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पटसन मिलें, निरीक्षणकर्ता एजेंसी, लोडर, प्रेषिति, वेतन एवं लेखा कार्यालय आदि के मध्य सूचना साझा करने में बाधाएं थी। चूंकि बी–ट्विल बोरी खाद्यानों की खरीद हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है, अतः समूचे प्रचालन समयबद्ध हैं और इनकी निकट रूप से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में राज्य खरीद एजेंसियों को उनकी निधि में ब्याज की कमी के कारण लागत कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वचालित लेन–देन हेतु प्रावधान हैं।

एसपीए ने पहले ही अपने बैंकों तथा निरीक्षण एजेंसियों का चयन प्रस्तावों हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर के माध्यम से चयनित एजेंसियों में से कर लिया है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों, बैंकों, निरीक्षण एजेंसियो तथा आपूर्ति करने वाली पटसन मिलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान में जूट–स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील है और 27.35 हजार करोड़ रु. (लगभग) मूल्य की लगभग 106.23 लाख गांठ के कुल मांगपत्र नवंबर, 2016 से जून, 2020 तक जूट स्मार्ट के माध्यम से पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।

जूट–स्मार्ट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर मंच है जो राज्य सरकारों तथा एफसीआई द्वारा बी–ट्विल की खरीद की प्रक्रिया को काफी आसान, इसे पूर्णतः पारदर्शी तथा नियम आधारित बनाएगा तथा एसपीए हेतु लागतों में भी कमी लाएगा।

iii. **इसरो के साथ भुवन जम्प परियोजना:**

'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने जेसीआई के परामर्श से पटसन फसल के आंकलन हेतु एक उपग्रह आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है। इस प्रणाली में भू–संबंधित डाटा खेतों से पटसन फसल की स्थिति तथा चित्र दोनों का कैप्चर करने तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र सर्वर पर डाटा अपलोट करने के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है। वर्तमान फसल मौसम 2017–18 में विविध पटसन उत्पादक राज्यों से जेसीआई द्वारा भेजे गए फील्ड डाटा के आधार पर लगभग 7026 फील्ड डाटा इसरो सर्वर को भेजे गए।

iv. **पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास तथा संवर्धन:**

पटसन उद्योग मुख्यतः उद्योग के भविष्य हेतु पटसन के बोरों पर निर्भर है जोकि लंबे समय से विविधिकरण तथा आधुनिकीकरण के अभाव से स्पष्ट होता है। विभिन्न अन्य विविधिकृत उत्पादों के विकास हेतु पटसन क्षेत्र को समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) में 2012–13 की तुलना में 28 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है जो ऐसे उत्पादों हेतु एक बढ़ती हुई वैश्विक मांग को दर्शाता है। पटसन के खरीददारी वाले थैले, पटसन की फर्श कवरिंग, पटसन आधारित गृह साज–सज्जा तथा दीवार कवरिंग और पटसन आधारित हस्तशिल्पों जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन तथा विपणन आवश्यक हो जाता है। विविधिकरण का संवर्धन पटसन उद्योग को राज्य सहायता निर्भरता कम करने में सहायता करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा की उद्योग प्रतिस्पर्धी तथा स्वधारणीय बने तांकि वैश्विक तथा घरेलू बाजारों में मौजूद अवसरों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।

पटसन खेती में बेहतर कृषि–विज्ञान व्यवहारों को बढ़ावा देने, पटसन विविधिकृत उत्पादों के संवर्धन तथा उनका विपणन, पटसन मिलों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु सहायता आदि के लिए कदम उठाए गए हैं। डिजाइन, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा समान सुविधा आधारभूत ढ़ांचा जैसे अग्रगामी तथा पश्चगामी संयोजनों पर सहायता मुहैया करवाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत ब्लैक स्तर पर महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा प्रचालित जेडीपी क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसके अनुपालन में मंत्रालय ने पटसन विविधिकृत उत्पादों के डिजाइन को सुकर बनाने हेतु राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

v. **परियोजना जूट-आईकेयर (जूटः बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया)**

एनजेबी एक चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2015 से भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) तथा केंद्रीय पटसन व संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर एक पटसन–आईकेयर (पटसन–बेहतर खेती तथा उन्नत रेटिंग क्रिया) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस पायलट परियोजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर इस परियोजना का विस्तार 31 मार्च 2020 तक किया गया है। मंत्रालय ने तीन वर्ष की अवधि (2017–18 से 2019–20) के लिए एनजेबी को कुल 45.35 करोड़ रु का अनुदान दिया है। वर्ष 2015 (आईकेयर–I), 2016 (आईकेयर–II), 2017 (आईकेयर–III) तथा 2018 में प्रस्तावित आईकेयर–IV के पटसन आईकेयर परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	**आईकेयर –I (2015)**	**आईकेयर – II (2016)**	**आईकेयर –III (2017)**	**आईकेयर–IV (2018)**	**आईकेयर –V (2019)'**
कवर किए गए पटसन उत्पादक ब्लाकराज्य की संख्या	**असम और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 14 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 30 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 69 ब्लाक**	**पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय के अंतर्गत 72 ब्लाक**
कवर की गई भूमि (हैक्टेयर)	12,331	26,264	70,628	98,897	1,06,934
कवर किए गए किसानों की संख्या	21,548	41,616	1,20,000	1,93,070	2,43,549
मुहैया करवाए गए प्रमाणित बीज (एमटी में)	64	160	500	755	535
बीज ड्रिल मशीनों की संख्या	350	450	1200	1950	2550
नेल वीडर मशीनों की संख्या	500	700	1200	1950	2850
सीआरआईजेएएफ सोना (एमटी में)	83	273	206	610	612
प्रत्येक किसान को भेजे गए एसएमएस	46	52	55	60	75
बुवाई व रैटिंग प्रदर्शन	50	132	220	400	500

*अनुमानित

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20**
लाख रु. में	256.98	527.55	1,526.21	614.65	506.56
किसानों की सं.	21,548	41,616	1,02,372	1,93,070	2,43,549

** अनंतिम व्यय दिसंबर, 2019 तक

(च) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार 1 अप्रैल, 2010 को किया गया था और तत्कालीन पटसन विनिर्माता विकास परिषद और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में विलय किया गया था। एनजेबी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान एनजेबी की विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है –

i. **कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय):**

स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पटसन मिल कार्मिकों के काम की स्थिति के लिए एनजेबी पटसन मिलों को सहायता उपलब्ध कराता है। सहायता की दर वास्तविक व्यय की 90% तथा अधिकतम 60.00 लाख (प्रति मिल/वर्ष) है। पिछले 5 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रु में	194.33	249.46	274.13	268.72	471.39	300.00
शौचालय ब्लॉक की संख्या	340	252	323	210	320	94
मिलों की संख्या	12	9	10	7	8	8

(*अनंतिम व्यय)

ii. **पटसन मिल, एमएसएमई के कार्मिकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना**

पटसन मिल कार्मिकों और एमएसएमई–जेडीपी यूनिट कामगारों के बाल विद्यार्थियों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सफल होने लिए सहायता उपलब्ध की जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रु में	187.20	238.74	354.74	277.36	255.25	300.00
बालिकाओं की संख्या	2721	3151	4442	3835	3573	3750

(*अनंतिम व्यय)

iii. **निर्यात बाजार विकास सहायता योजना**

निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना पटसन उत्पादों के पंजीकृत निर्माता तथा निर्यातकों को जीवनशैली तथा अन्य पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा विदेशों में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान योजना के अधीन निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रुपए में	272.78	306.48	428.12	384.39	439.81	37.29
पंजीकृत निर्यातकों की संख्या	51	63	73	60	58	52

(*अनंतिम व्यय दिसंबर, 2019 तक)

iv. **पटसन विविधिकृत उत्पादों तथा अधिक मात्रा में आपूर्ति योजना के रिटेल आउटलेट**

संपूर्ण देश में विशेष रुप से उन क्षेत्रों में जहां पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है जेडीपी का विस्तार करने के लिए रिटेल आऊटलेट योजना चुनिंदा और बड़े पैमाने के उपभोग हेतु पूर्ति श्रंख्ला तथा बड़ी मात्रा में आपूर्ति को प्रोत्साहित करती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रु में	71.11	94.75	95.15	51.87	30.60	47.15
इकाइयों की संख्या	11	20	25	14	10	8

(*अनंतिम व्यय)

v. **डिजाइन विकास योजना- एनआईडी पर एनजेबी पटसन डिजाइन सेल**

एन आईडी (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान) अहमदाबाद के प्राकृतिक रेशों के अभिनव केंद्र (आईसीएनएफ) में पटसन के शापिंग थैलों तथा जीवनशैली की अनुषंगी सामग्री के विकास के लिए एक पटसन उत्पादन डिजाइन सेल भी स्थापित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में एवं विदेशों में मूल्यसंवर्धन तथा बेहतर बाजार हेतु डिजाइन तथा तकनीकी कार्यकलापों के माध्यम से नवीन व अभिनव उत्पादों का विकास करना है। एनआईडी ने पटसन नमूनों की जीवनशैली सामग्री के लिए 100 से अधिक बुने हुए, डाई किए हुए तथा तैयार नमूने विकसित किए हैं तथा प्लास्टिक बैग, नष्ट होने योग्य पटसन थैलों आदि के बदले में कम कीमत वाले पटसन कैरी बैग्स प्रदर्शनी में रखे हैं। फैशन थैले, टौटे थैले, मोड़ने योग्य हैंड बैग्स (प्राकृतिक व डाई किए हुए) नाम वाले पटसन थैलों को इंडिया डिजाइन मार्क (I मार्क), 2017 से भी पुरस्कृत किया गया है। प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में, पटसन विविधिकरण क्रियाकलापों, प्रतिमान गतिविधियों को मूल्य वर्धित जेडीपी के उत्पादन में संलग्न मिल/एमएसएमई इकाइयों के द्वारा बढ़ावा देने के लिए एनआइडी ने प्रसार कार्यक्रम के भाग के रुप में उद्योग के समक्ष नये डिजाइनों का प्रस्तुतीकरण किया है। एनजेबी ने इन उन्नत पटसन थैलों तथा जीवनशैली सामग्री को भावी व्यावसायिक गठबंजन हेतु विशिष्ट प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था की है।

vi. **पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस)**

जेआईडीएस योजना का उद्देश्य विविध क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए सही निकायों के सहयोग से संपूर्ण देश में सुदूर स्थानों पर स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करना है। जेआईडी व संभावित उद्यमियों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकिंग उपलब्ध कराने, मुख्यतया तकनीकी एप्लीकेशन तथा डिजाइन/उत्पाद विकास व प्रसार पर आधारित स्तर पर प्रशिक्षण व जागरुकता प्रदान करने के लिए समन्वयक के रुप में कार्य करता है। पटसन विविधिकृत उत्पादों (जेडीपी) इकाइयों, एसएचजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधाओं के लिए जेआईडी एजेंसियां एक प्रमुख स्रोत होंगी। इस प्रकार यह उत्पादन इकाइयों के निर्माण व पोषण में सहयोग करता है जिसमें पश्चात उद्यमों मे विकास तथा स्व सहायता समूहों विशेषकर महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में सहायता मिलती है।

जेआईडी योजना की 2016–17 में शुरुआत से पिछले चार वर्षो का निष्पादन निम्नलिखित है –

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रुपए में	39.68	47.09	24.05	38.00
इकाइयों की संख्या	18	25	10	12

(*अनंतिम व्यय)

पिछले 4 वर्षों के दौरान (2016–17, 2019–20) में 65 समन्वय एजेंसियां थी जो पटसन विविधिकृत उत्पादों के लिए 1300 लाभार्थियों को आधारभूत, उन्नत व डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करता है। जैसा की मूल्यांकन किया जा चुका है, जॉब वर्क या स्वरोजगार पर पटसन विविधिकृत क्रियाकलापों में 500 से अधिक लाभार्थी लगे हुए हैं।

vii. **पटसन कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी) योजना**

यह योजना पटसन असंगठित क्षेत्र तथा उत्पादन इकाइयों की आवश्यक्ताओं को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाती है ताकि उन्हें पटसन कच्चे माल की नियमित रुप से आपूर्ति की जाती रहे। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं, जिनके लिए सक्षम संस्थानों/एजेंसियों के फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त संयोजन हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। जेआरएफबी मौजूदा डब्ल्यूएचजी, कारीगरों व उद्यमियों की सेवा के अलावा नये डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों व उद्यमियों को विकसित करने के लिए जेआईडी द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण व कौशल विकास प्रयासों के लिए सहयोग करने का कार्य करते हैं। 2016–17 में इसकी शुरुआत से पिछले 4 वर्षो में जेआरएमबी योजना का निष्पादन निम्नलिखित है–

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
लाख रु में	14.87	34.30	69.56	9107
इकाइयों की संख्या	9	11	16	17

(*अनंतिम व्यय)

viii. **संयुक्त पटसन मिलों का सूचीकरण:**

पटसन मिलों में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के शोर, धूल, अधिक रोशनी आदि में पटसन मिलों में काम करने वाले कार्मिकों के स्वास्थ्य निष्पादन निश्चित करने के लिए 67 पटसन मिलों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। 67 पटसन मिलों के अध्ययन के परिणाम प्रसारित कर दिए गए हैं, ताकि इसके लिए पर्याप्त उपचारात्मक प्रस्ताव/कार्रवाई के लिए अध्ययन की अनुशंसाओं को संज्ञान लिया जा सके।

ix. **तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन –**

जेटीएम के अधीन कार्यान्वित 15 आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए एनजेबी द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए। व्यवहार्यता रिपोर्ट पटसन मिलों तथा मौजूदा व भावी उद्यमियों को प्रसारित कर दी गई है। महिलाओं व बालिकाओं में मासिक–धर्म संबंधी स्वच्छता के लिए पटसन लुगदी के प्रयोग से बने कम कीमत वाले सेनेटरी नैपकिन का विकास व्यवहार्यता रिपोर्ट के मुख्य परिणामों में से एक है। यह पटसन लुगदी एनजेबी द्वारा आईआईटी के सहयोग से विकसित की गई थी। एनजेबी ने इजिरा के लिए एक अन्य परियोजना को अनुदान दिया है जिसके अधीन पटसन सैनेटरी नैपकिन के निर्माण के लिए स्वचालित व अर्ध–स्वचल मशीनों को विकसित किया गया व इजिरा में उत्पादन प्रारंभ किया गया। यह तकनीकी व साथ ही साथ मशीनरी को पटसन उद्योग सदस्यों के साथ–साथ रुचि रखने वाले उद्यमियों के बीच प्रसारित किया जा रहा है। यह तकनीकी विकेन्द्रित पटसन क्षेत्र विशेषकर महिला स्व–सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी0 की महिला लाभार्थियों तथा आय सृजन के लिए नए आयाम खोलेगा।

x. **पटसन-जियो-टैक्सटाइल का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र राज्यों में प्रयोग**

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में पांच वर्ष (2014–15 व 2018–19) में 427 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ जियो–टैक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है तथा अब इसे अतिरिक्त वर्ष के लिए 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य पटसन–जियो टैक्सटाइल समेत जियो टैकनिकल वस्त्रों के प्रयोग को उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों की संवेदनशील भूवैज्ञानिक परिस्थितयों के अवसंरचनात्मक विकास में एक आधुनिक व दीर्घकालिक किफायती तकनीकी के रुप में प्रदर्शित करना तथा सड़कों व तटबंधों के स्थायित्व में सुधार करना है। 2019–20 के दौरान

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में पटसन जियो टैक्सटाइल की खपत की दृष्टि से इस योजना की प्रगति 875 एमटी (15,54,500 वर्ग मीटर) रही है। जूट जियो–टेक्सटाइल एप्लीकेशन का प्रयोजन मुख्यतरू ढलान स्थिरीकरण के लिए है तथा जेजीटी एप्लीकेशन में संबद्ध संगठन एनएफ रेलवे, एनएचपीसी आदि हैं।

वर्तमान स्थिति

यह योजना एक संवर्धनात्मक योजना है और इसे 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियोटेक्नीकल टेक्सटाइल के प्रयोग के संवर्धन हेतु योजना' नाम दिया गया है और पटसन–जियोटेक्सटाइल घटक का कार्यान्वयन उत्कृष्टता केंद्र–भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवसंरचना दुर्बल भूवैज्ञानिक स्थितियों के विकास में आधुनिक लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के रूप में जियोटेक्सटाइल के प्रयोग को प्रदर्शित करना तथा पूर्वोत्तर में अवसंरचना का टिकाउपन, कार्य और जीवन में सुधार लाना है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 427 करोड़ रुपए है।

इस योजना के हार्ड–इंटरवेशन के अंतर्गत, वर्तमान में, एक पारिस्थितिकी–अनुकूल घटर, पटसन जियो टेक्सटाइल के प्रयोग से 8 सड़क निर्माण और ढलान स्थिरीकरण परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत जूट जियोटेक्सटाइल के प्रयोग के कारण वृद्धिशील लागत को वस्त्र मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया गया है। इन 8 परियोजनाओं के लिए कुल 1.53 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है और जीएसटी के प्रयोग के लिए वृद्धिशील लागत का 50% पहले ही कार्यान्वयन एजेंसियों को संवितरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 7 नए सड़क निर्माण परियोजना प्रस्तावों को हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन 7 परियोजनाओं की वृद्धिशील लागत 2.97 करोड़ रुपए हैं। ये परियोजनाएं मणिपुर और मेघालय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

xi. **कौशल विकास कार्यक्रम:**

सुधारगृहों जैसे तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के कैदियों, दिल्ली पुलिस के परिवारों/लाभार्थियों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा अन्य संस्थानों पर पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध कौशल विकास कार्यक्रम आयोजनत किए गए। कई लाभार्थियों ने एनजेबी के सहयोग से पटसन उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन प्रारंभ कर दिया है।

xii. **सतत बाजार सहयोग-**

इस योजना के अंतर्गत पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, गैर–सरकारी संगठनों, महिला स्व–सहायता समूहों को भारत व विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन तथा संवर्धन करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले इन जनसमूहों की जीविका के साधन हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में थे– आईआईटीएफ, दिल्लीय पौष मेला शाति निकेतन, कोलकाता पुस्तक मेला, शिल्पग्राम, माधापुर, हैदराबाद, सूरजकुंड मेला, हरियाणा, टेक्स ट्रेंड्स, दिल्लीय ताज महोत्सवय लखनऊ महोत्सवय शिल्पग्राम उदयपुरय गिफ्टेक्स, मुंबईय भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि। अंतर्राष्ट्रीय मेले, जिनमें पंजीकृत पटसन निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाया गया, ये थेय हांगकांग इंटरनेशनल गिफ्ट मेला, ऑटम फेयर बर्घिगंम, डोमटेक्स हन्नोवर, एएसडी शो, लासवेगास आदि।

xiii. **पटसन आधारित किफायती सैनेटरी नैपकिनों का प्रायोगिक निर्माण:**

एनजेबी ने पटसन आधारित किफायती सैनेटरी नैपकिन किफायती पटसन अवशोषक लुगदी तथा पटसन आधारित सैनेटरी पैड, आटोमेशन के लिए कच्चा माल बैंक स्थापित करने के साथ डब्ल्यूएसएचजी के लिए उत्पादन मॉडल को कार्यान्वित करने के लिए इजिरा को परियोजना निर्दिष्ट की है। परियोजना के लक्ष्यों में नैपकिन निर्माण प्रक्रिया में स्वचालन तथा पीएसयू तथा अन्य सरकारी निकायों के माध्यम से पटसन आधारित नैपकिन का व्यावसायिक तथा गुणवत्ता मानदंड व आश्वासन निर्धारित करना, इजिरा ने किफायती पटसन आधारित नैपकिन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा प्रस्तुत की कर दी है। परियोजना के लक्ष्यों में गुणवत्ता मानदंड तथा गुणवत्ता आश्वासन तथा जूट के पल्प से सैनेटरी नैपकिन का प्रायोगिक स्तरीय उत्पादन (2400 पीस/प्रतिदिन) की स्थापना में सम्मिलित हैं। किफायती पटसन आधारित लुगदी के निर्माण पर इजिरा ने डीपीआर तैयोर की है व प्रस्तुत की है। इस प्रकार से विकसित उत्पाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान निगम के द्वारा चिकित्सकीय रुप में स्वच्छ के रुप में प्रमाणित है। उत्पादन में संवर्धन के लिए इजिरा द्वारा मैसर्स इनटेक सैफ्टी प्रा. लि. को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया है। इजिरा और एनजेबी के बीच प्रस्तावित गतिविधि, सुपुर्दगी सामान और समय सीमा को शामिल करते हुए 18 मार्च, 2016 को एक करार ज्ञापन किया गया है। इजिरा और आईसीएमआर के बीच 15 जून, 2020 को जूट आधारित सेनिटरी नेपकिन्स पर फील्ड परीक्षण करने और इसके वाणिज्यीकरण के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

xiv. **पटसन विविधिकृत उत्पादों का विकास व उन्नयन**

पटसन उद्योग में विविधीकरण व आधुनिकीकरण न होने के कारण पटसन के शॉपिंग थैले, पटसन के फ्लोर कवरिंग, पटसन आधारित होम फर्निशिंग तथा वाल कवरिंग तथा पटसन आधारित हस्तशिल्प जैसे विभिन्न जेडीपी का उत्पादन एवं विपणन करने की सख्त जरुरत है। पटसन फार्मिंग में बेहतर कृषक व्यवहार को बढ़ावा देने, पटसन आधारित उत्पाद (जेडीपी) को बढ़ावा देने और विपणन करने, पटसन मिलों आदि के तकनीकी समुन्नयन के लिए सहयोग करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

xv. **प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए सब्सिडी योजना**

एनजेबी किसानों के लिए प्रमाणित पटसन बीज वितरित करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहीं है। प्रमाणित पटसन बीज योजना के अधीन 40 रु/किग्रा की सब्सिडी पर वितरित किए जा रहे हैं। भारतीय पटसन निगम का नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य कच्चे पटसन की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करना तथा कृषकों को बेहतर लाभ प्रदान कराना है।

4.3. रेशम और रेशम उत्पादन

परिचय:

रेशम, कीट से निकले तंतु से बना एक वस्त्र है, जिसमें चमक–दमक, वस्त्र विन्यास और मजबूती का गुण होता है। इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में रेशम को ष्वस्त्रों की रानी के रूप में जाना जाता है । भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश रहा है और इसने दुनिया को कई वस्तु प्रदान किए हैं, रेशम उनमें से एक है। भारत, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तथापि, भारत एकमात्र देश है, जो रेशम की सभी पांच वाणिज्यिक किस्मों जैसे शहतूत, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग में उच्च रोजगार सृजन क्षमता के साथ ही साथ कम पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है और रेशम उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

4.3.1 भौतिक प्रगति:

भारत 35,468 मी.ट. रेशम के उत्पादन के साथ चीन के बाद, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम– उत्पादक देश है। वर्ष 2017–18 के दौरान के कुल 35,468

मी.ट. कच्चे रेशम उत्पादन की चार किस्मों में शहतूत 71.50% (25,344 मी.ट.), तसर 8.4% (2,981 मी.ट.), एरी, 19.48% (6,910 मी.ट.) और मूगा 0.66% (233 मी.ट.) रहा। आयात प्रतिस्थानी द्विप्रज रेशम उत्पादन 2017–18 के 5,874 मी.ट. से बढ़कर 2018–19 में 6,987 मी.ट. हो गया जो 18.9% की वृद्धि दर्शाता है। वन्या रेशम उत्पादन 2.9% की वृद्धि के साथ 9840 मी.ट. से 10,124 मी.ट. हो गया। मूगा रेशम 233 मी.टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज करते हुए विकास की एक नई गति निर्धारित की है।

वर्ष 2015–16 से 2018–19 के दौरान किस्म–वार कच्चे रेशम का उत्पादन, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए लक्ष्य और उपलब्धि (दिसंबर, 2019 तक) का ब्यौरा निम्नलिखित है:

विवरण	2015-16 उपलब्धियां	2016-17 उपलब्धियां	2017-18 उपलब्धियां	2018-19 उपलब्धियां	2019-20	
					लक्ष्य	उपलब्धियां(अनं.) (दिसंबर, 2019 तक)
शहतूत पौधारोपण (लाख हे.)	2.09	2.17	2.24	2.35	2.57	2.44
कच्चा रेशम उत्पादन (मी.ट. में):						
मलबरी (द्विप्रज)	4613	5266	5874	6987	8500	4039
मलबरी (संकर नस्ल)	15865	16007	16192	18358	18865	11824
उप – कुल	20478	21273	22066	25345	27365	15863
वन्या						
तसर	2819	3268	2988	2981	3515	1818
एरी	5060	5637	6661	6910	7370	5802
मूगा	166	170	192	233	280	222
उप कुल	8045	9075	9840	10124	11165	7843
कुल योग(क़ख)	28523	30348	31906	35468	38530	23706
संचयी अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्ति)	8.25	8.51	8.6	9.18		

स्रोतः राज्य रेशम उत्पादन विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित (पी):अनंतिम

क. योजना एवं इसके घटक

केन्द्र–क्षेत्र की योजना नामतः " सिल्क समग्र" रेशम उद्योग के विकास की एक एकीकृत योजना है, जिसे निम्न चार घटकों के साथ संचालित किया जा रहा है:

1. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल
2. बीज संगठन
3. समन्वयन तथा बाजार विकास
4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्राण्ड उन्नयन व प्रौद्योगिकी उन्नयन

सिल्क समग्र के सभी चार मुख्य घटक आपस में जुड़े हैं और सबका सामान्य लक्ष्य एक है। अनुसंधान व विकास इकाईयां प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने की साथ–ही–साथ, पणधारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देती हैं और फ्रंट लाइन प्रदर्शन के माध्यम से तकनीक को क्षेत्र में स्थानांतरित करती हैं, जबकि बीज उत्पादन इकाइयों की जिम्मेदारी है कि प्रजातीय गुणवत्ता, संकर ओज और नस्लों की शक्ति बनाए रखने के लिए चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क को अद्यतन रखे तथा अपने एककों एवं राज्य की बीज उत्पादन इकाइयों को नाभिकीय एवं मूल बीज की आपूर्ति करें और राज्य इकाइयों को मूल बीज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सुविधा प्रदान करें । केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बोर्ड सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार के समन्वय से विकसशील योजनाएं तैयार कर इन्हें कार्यान्वित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेशम उद्योग के विकास के लिए उन योजना कार्यक्रमों के परिणाम राज्य सरकार के समन्वय से पणधारियों तक पहुँच रहे हैं। गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अधीन कार्यरत इकाईयां, रेशमकीट बीज, कोसा, कच्चा रेशम तथा रेशम उत्पाद सहित संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के लिए अनुसंधान व विकास इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा प्रमाणित करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसके अलावा भारतीय रेशम मार्क संगठन द्वारा उचित ब्रांड के माध्यम से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेशम मार्क लेबल के माध्यम से शुद्ध रेशम उत्पादों का संवर्धन करता है।

इन योजनाओं से संबंधित विवरण केरेबो वेबसाइट http://www.csb.gov.in/ में दिया गया है।

वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र घटक के लिए निधिकरण की पद्धति (%) निम्नानुसार है:

श्रेणी	भारत सरकार (केरेबो)	राज्य	लाभार्थी
सामान्य राज्य	50	25	25
सामान्य राज्य – एससीएसपी व टीएसपी के लिए	65	25	10
विशेष दर्ज प्राप्त राज्य, उप– राज्य व एससीएसपी व टीएसपी	80	10	10
समूह गतिविधि	100%	--	--

ऊपर के उल्लेख के अनुसार, 100% वित्त पोषण (केरेबो) समूह गतिविधियों की पात्रता के प्रति है क्योंकि ये गतिविधियाँ बहुत सीमित हैं और केरेबो संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। समूह गतिविधियों का तात्पर्य मुख्य रूप से किसानों/पणधारियों द्वारा अपनाये जिस के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन जैसे प्रतिदर्श के रूप में चॉकी के, सासुके आदि हैं। समूह गतिविधियों को राज्य विभागों द्वारा अपने फार्मों में भी लिया जा सकता है। यदि समूह गतिविधियों को राज्यों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो भारत सरकार व राज्य/गैससं/लाभार्थी द्वारा हिस्सेदारी पैटर्न 75:25 का होगा। समूह गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी केरेबो और राज्य दोनों द्वारा की जानी है।

4.3.2. सिल्क समग्र के मुख्य आकर्षण

1. आनुवंशिक आधार तथा संकर ओज को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगी अनुसंधान पर जोर।
2. फसल चक्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, नियंत्रित कीटपालन के लिए वान्या रेशम के व्यवस्थित पौधारोपण में विस्तार।
3. समूह पहल के माध्यम से उत्तर–पूर्व सहित गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के क्षैतिज विस्तार को बढ़ावा देना।
4. लाभार्थियों के लिए मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
5. जैव कृषि और पारि अनुकूल रेशम – वान्या रेशम, को बढ़ावा देना।
6. किसान नर्सरी से वस्त्र उत्पादन तक उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निवेश समर्थन प्रदान करना।
7. अतिरिक्त मूल्य प्राप्ति के लिए कुक्कुट आहार के लिए रेशमकीट उपोत्पाद (प्यूपा) का उपयोग, सौंदर्यवर्धक अनुप्रयोग के लिए सेरिसिन और गैर–बुने हुए कपड़े, रेशम डेनिम, रेशम बुनाई आदि में उत्पाद विविधीकरण।
8. राज्य के बीज प्रगुणन सुविधाओं के उन्नयन और कच्चे रेशम के उत्पादन–लक्ष्य से मेल खाने के लिए बीज उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करके स्वचालित बीज उत्पादन केंद्रों, मूल बीज फार्मों और विस्तार केंद्रों द्वारा पंजीकरण और रिपोर्टिंग के माध्यम से बीज अधिनियम को सुदृढ़ बनाना।
10. धागाकरण प्रौद्योगिकी का उन्नयन और ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम के अधीन विकसित स्वदेशी स्वचालित धागाकरण मशीन और उन्नत वान्या धागाकरण उपकरणों को बढ़ावा देना।
11. रेशम उत्पादन के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना – स्वयं सहाय समूह/समूह पहल को बढ़ावा देना।
12. ब्रांड उन्नयन– भारतीय रेशम के जेनेरिक उन्नयन और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक छवि सृजित करना ।
13. रेशम उत्पादन के विस्तार हेतु अधिक जिलों को शामिल करने के लिए एकल खिड़की आधारित सिल्क्स रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विस्तार।
14. बेहतर योजना के लिए रेशम उत्पादन डेटाबेस का विकास सुनिश्चित करना। सभी पंजीकृत किसानों और धागाकारों तथा राज्य कार्यकर्ताओं को कोसा और कच्चे रेशम मूल्य संबधी मुफ्त एसएमएस सेवा।
15. किसानों के लिए मोबाइल ऐप, ऑडियो, वीडियो स्पॉट, संस्थान–ग्राम संबद्ध कार्यक्रम और क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम।

योजना से अपेक्षित परिणाम निम्नानुसार हैं:

1. रेशम उत्पादन को वर्ष 2016–17 के 30,348 मी. टन को 2019–20 के अंत तक 38,530 मीट्रिक टन तक बढ़ाना।
2. शहतूत (बहुप्रज और द्विप्रज) रेशम का उत्पादन 21,273 मी. टन से बढ़ाकर 27,365 मी. टन करना जिसमें द्विप्रज रेशम को 5,266 मी. टन से 8,500 मी. टन तक बढ़ाना शामिल है।
3. वान्या (मूगा, एरी और तसर) रेशम उत्पादन को 9,075 मी. टन से 11,165 मी. टन तक बढ़ाना।
4. 4ए ग्रेड शहतूत (द्विप्रज) रेशम का उत्पादन लगभग 15% से 25% तक बढ़ाना।
5. शहतूत कच्चे रेशम की उत्पादकता 100 किग्रा/हेक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 111 किग्रा/हेक्टेयर/वर्ष करना।
6. वर्ष 2019–20 तक रोजगार 85 लाख व्यक्ति से 100 लाख व्यक्ति तक बढ़ाना।
7. नए वृक्षारोपण को शामिल करने के लिए शहतूत की बेहतर किस्मों के पौध लगाने के लिए 453 किसान नर्सरी विकसित करना।
8. कोसे की गुणवत्ता और फसल में वृद्धि के लिए, रेशमकीट अंडों को वैज्ञानिक तरीके से संभालने और नियंत्रित स्थितियों के तहत डिम्भक रेशमकीट लार्वे का पालन करने के लिए 131 नए चॉकी कीटपालन केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना की जाएगी।
9. उन्नत धागाकरण की सुविधा के लिए, कोसा सुखाने के लिए 81 तप्त वायु शुष्कक स्थापित किए जाएंगे।
10. कुशल और गुणवत्तापूर्ण रेशम उत्पादन की सुविधा और धागाकरण क्षेत्र में काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए, 162 मोटरीकृत चरखा/धागाकरण उपकरण और 130 बहुछोरीय धागाकरण मशीन, पारंपरिक धागाकरण मशीनरी के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाएगी।
11. द्विप्रज रेशम के उत्पादन पर अधिक जोर देने के लिए, केरेबो द्वारा विकसित देशी स्वचालित धागाकरण मशीन की 29 इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
12. वर्ष 2016–17 में 491 लाख रोग मुक्त चकत्तों (डीएफएल) से रेशमकीट बीज उत्पादन वर्ष 2020 तक 535 लाख रोग मुक्त चकत्तों तक बढ़ाने के लिए बुनियादी बीज फार्म और रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा।

प्लान योजनाओं के लिए वित्तीय आबंटन :

वर्ष 2016–17, 2017–18 और चालू वित्तीय वर्ष 2019–2020 (दिसंबर,2019 तक) के दौरान "सिल्क समग्र" योजना से संबंधित वर्ष वार वित्तीय प्रगति का ब्यौरा निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

(रु करोड़ में)

योजना	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (दिसं. 2019 तक)
सिल्क समग्र	154.01	154.01	161.50	161.50	120.00	117.41	181.00	129.88
जिसमें से उत्तर पूर्व	23.05	23.05	16.00	16.00	14.00	11.41	11.50	7.25
जिसमें से एससीएसपी	22.73	22.73	23.00	23.00	25.00	25.00	30.00	22.50
टीएसपी	8.50	8.50	30.00	30.00	15.84	15.84	20.00	18.57

नोटः प्रशासनिक लागत को छोड़कर मात्र योजना लागत। 2018–19 के दौरान, उत्तर पूर्व शीर्ष के अधीन की गई बचत रु 2.59 करोड़ वस्त्र मंत्रालय/भारत सरकार को अभ्यर्पित की गई ।

4.3.3. उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना:

उत्तर पूर्व, रेशम उत्पादन का गैर–परंपरागत क्षेत्र है और इसी कारण, भारत सरकार ने उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन के साथ परपोषी पौधारोपण विकास से अंतिम उत्पाद तक महत्वपूर्ण मध्यस्थता से सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में रेशम उत्पादन के समेकन एवं विस्तार के लिए विशेष जोर दिया है। इसके एक भाग के रूप में उत्तर पूर्व क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस), वस्त्र मंत्रालय की एक छत्र योजना, के अधीन भारत सरकार ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के चयनित संभाव्य जिलों में 1,107.90 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 956.01 करोड़ रुपए है, व्यापक श्रेणियों अर्थात एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी), सघन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी), एरी स्पन सिल्क मिल्स और महत्वाकांक्षी जिलों के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए 38 रेशम उत्पादन परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है । इन परियोजनाओं से मलबरी, एरी, मूगा और ओक तसर सेक्टरों के अंतर्गत लगभग 38,170 एकड़ बागान लाने का प्रस्ताव है जिससे परियोजना अवधि के दौरान 2,650 मी.टन कच्चे रेशम का अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

4.3.3.1. एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी)

बीटीसी सहित असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में कार्यान्वयन के लिए 673.41 करोड़ रुपए की कुल लागत (566. 53 करोड़ रुपए का भारत सरकार का हिस्सा) से बीस परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। ये परियोजनाएं मलबर, एरी और मूगा के 29,910 एकड़ बागान में सहायता करेंगी। इसमें त्रिपुरा के लिए सिल्क प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, बीटीसी (असम) के लिए सॉयल टू सिल्क और नागालैंड के लिए कोकून पश्च प्रौद्योगिकी शामिल है। जबकि 18 परियोजनाएं राज्य रेशम उत्पादन विभागों द्वारा कार्यान्वयन किए जाने के लिए हैं, एक परियोजना–बीज अवसंरचना का सृजन सीएसबी द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों को गुणवत्ता बीज का उत्पादन किया जा सके और अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दिसंबर, 2019 तक मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए 448.78 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में 384.69 करोड़ रुपए (86%) का व्यय होने की सूचना है।

त्रिपुरा में सिल्क प्रिंटिंग यूनिटः त्रिपुरा में उत्पादित रेशम और फैब्रिक के मूल्यवर्धन के लिए रेशम प्रिंटिंग सुविधाओं की आधुनिकीकरण करने के लिए, एनईआरटीपीएस तहत सिल्क प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग यूनिट की स्थापना के लिए एक परियोजना 3.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर अनुमोदित की गई थी। इस यूनिट का 1.50 लाख मीटर रेशम प्रति वर्ष का प्रिंट और प्रसंस्करण करने का लक्ष्य है। अब तक मंत्रालय ने इस प्रयोजना के लिए 3.52 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसकी तुलना में 3.52 करोड़ रुपए (100%) व्यय होने की सूचना है।

सीएसबी में बीज अवसंरचना यूनिटः पूर्वोत्तर में मलबरी, एरी और मूगा सेक्टरों में गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन के लिए अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए 37.71 करोड़ रुपए की कुल लागत (100% केंद्रीय सहायता) पर एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस योजना में 6 बीज अवसंरचना यूनिटों (जोरहाट (असम) में 1 मलबर बीज यूनिट, सिल्चर (असम), मोकूकचांग (नागालैंड), कोकराझार (बीटीसी असम), तूरा (मेघालय) में 4 मूगा बीज यूनिट उत्पादन क्षमता 30 लाख मलबरी डीएफएलएस और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएलएस है। मंत्रालय ने अब तक इस परियोजना के लिए 35.82 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसकी तुलना में 32.54 करोड़ रुपए (91%) व्यय होने की सूचना है।

4.3.3.2 गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी):

290.31 करोड़ रुपए की कुल लागत से दस परियोजनाएं जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 258.74 करोड़ रुपए है, एनईआरटीपीएस के अंतर्गत आयात प्रतिस्थापना बाइवोल्टाइन रेशम के उत्पादन के लिए स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं में सभी पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) में 4900 एकड़ मलबरी बागान को शामिल करते हुए लगभग 10,607 महिला लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। सितंबर, 2019 तक, मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजना के लिए 201.95 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसमें से 178.00 करोड़ रुपए (88%) का व्यय होने की सूचना है।

4.3.3.3 एरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम):

प्रतिवर्ष 165 मी.टन एरी स्पन यार्न का उत्पादन करने के लिए कुल 64.59 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 57.28 करोड़ रुपए) की लागत पर असम, बीटीसी और मणिपुर राज्यों में 3 एरी स्पन सिल्क मिलों का अनुमोदन किया गया है जिससे मिलों की स्थापना के बाद लगभग 7500 स्टेकहोल्डरों को लाभ मिलेगा। दिसंबर, 2019 तक, मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 15.00 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

4.3.3.4. महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उत्पादन का विकास:

भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहभागिता से जिले की संभाव्यता के अनुसार मलबरी, एरी, मूगा या ओक तसर को शामिल करते हुए प्रति जिला एक/दो ब्लाकों में महत्वाकांक्षी जिलों में रेशम उद्योग के विकास की शुरूआत की है। इस समय असम, बीटीसी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में 79.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 73.47 करोड़ रुपए है, 5 रेशम उत्पादन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। इन परियोजनाओं में 3360 एकड़ बागान शामिल है जिससे लगभग 4,185 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा। दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय ने उपर्युक्त परियोजना के अधीन 32.53 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसमें से 6.25 करोड रुपए (19%) व्यय होने की सूचना है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र की वस्त्र संवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही समग्र रेशम उत्पादन परियोजनाओं का सारांश नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है :

#	राज्य	कुल परियोजना लागत(करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि(दिसं. 2019 तक)	लाभार्थी (संख्या)		आउटपुट प्रति वर्ष(एमटी) 2019-20	
				(करोड़ रूपए)	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि(अनं.) (नवंबर-2019 तक)
I	**एकीकृत रेशमकीट विकास परियोजना**							
1	असम	66.67	47.42	45.05	5,965	5,965	94	90.00
2	बीटीसी	34.92	24.68	22.62	3,356	3,356	75	45.00
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	10.08	654	654	26	18.00
4	बीटीसी (मृदा से रेशम)	55.36	53.12	37.09	3,526	2,345	102	70.00
5	अरुणाचल प्रदेश	18.42	18.42	17.50	1,805	1,672	36	-
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.60	107.55	6,613	5,555	203	13.68
7	मणिपुर (पहाड़ी)	30.39	24.67	20.50	2,169	1,201	51	9.00
8	मेघालय	30.16	21.91	19.57	2,856	2,856	77	40.00
9	मिजोरम	32.49	24.49	23.26	1,683	1,683	49	29.00
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	12.19	833	800	10	2.42
11	नगालैंड	31.47	22.66	21.52	2,678	2,678	69	49.50
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	12.19	1,053	1,053	24	24.00
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	8.06	400	406	पश्च कोकून और पश्च यार्न गतिविधियां	
14	त्रिपुरा	47.95	33.20	29.58	3,432	3,432	121	4.71
	कुल (I)	**544.75**	**441.93**	**386.76**	**37,023**	**33,656**	**938**	**395.31**
Ia	**नई आईएसडीपी परियोजनाएँ**							
15	अरुणाचल प्रदेश (आईएलएसईएफ)	37.25	35.65	9.12	1,270	445	48	-
16	अरुणाचल प्रदेश (आईएमएसडीपी)	12.69	12.15	6.08	875	350	9	-
17	बीटीसी–आईईएसडीपी (टेप)	18.63	17.35	5.78	1,400	375	18	-
18	नगालैंड–चुंगटिया	18.67	18.04	1.70	500	150	16	-
	कुल (Ia)	**87.24**	**83.19**	**22.68**	**4,045**	**1320**	**91**	
	उप योग	**631.97**	**525.11**	**409.43**	**41,068**	**34,976**	**1,029**	**395.31**
Ib	**मूलढ़ांचा परियोजनाएं**							
19	त्रिपुरा (प्रिंटिंग)	3.71	3.71	3.52	-	-	1.50 लाख मीटर/यार्ड	
20	सीएसबी बीज अवसंरचना	37.71	37.71	35.82	-	-	30 लाख मलबरी और 3.70 लाख मूगा/एरी/एरी डीएफएलएक/यार्ड	
	कुल (Ib)	**41.42**	**41.42**	**39.35**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (I+Ia+Ib)	**673.41**	**566.53**	**448.78**	**41,068**	**34,976**	**1,029**	**-**
II	**गहन बाइवोल्टार रेशमकीट विकास परियोजना**							
1	असम	29.55	26.28	24.96	1,144	1,144	17	17.00

2	बीटीसी	30.06	26.75	25.41	1,188	1,188	17	2.80
3	अरुणाचल प्रदेश	29.47	26.20	24.89	1,144	663	16	-
4	मेघालय	29.01	25.77	24.47	1,044	1,033	16	8.59
5	मिजोरम	30.15	26.88	25.54	1,169	1,169	16	16.99
6	नगालैंड	29.43	26.16	24.85	1,144	1,144	16	6.94
7	सिक्किम	29.68	26.43	25.11	1,094	885	17	0.75
8	त्रिपुरा	29.43	25.95	24.65	1,144	1,144	16	3.50
	कुल (II)	**236.78**	**210.41**	**199.88**	**9,071**	**8,370**	**130**	**57.00**
IIa	नई बाइवोल्टाइन परियोजनाएं							
9	नागालैंड – बाइवोल्टाइन (एसपीवी)	22.43	20.68	10.34	436	120	14	-
10	त्रिपुरा–सिपाहीजाला	31.11	27.64	3.16	1,100	-	17	-
	कुल(IIक)	**53.54**	**48.32**	**13.50**	**1,536**	**120**	**31**	**-**
	कुल (II+IIक)	**290.31**	**258.74**	**213.38**	**10,607**	**8,490**	**161**	**-**
	आईईसी			2.00				
III	**एरी स्पन रेशम मिल्स**							
1	असम	21.53	19.09	5.00	-	-	-	-
2	बीटीसी	21.53	19.09	5.00	-	-	-	-
3	मणिपुर	21.53	19.09	5.00	-	-	-	-
	कुल (III)	**64.59**	**57.28**	**15.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV	आकांक्षात्मक जिले							
1	असम	21.03	19.55	9.78	1,200	-	46	-
2	बीटीसी	20.28	18.64	9.32	1,020	400	40	-
3	मेघालय	12.08	10.97	5.48	410	200	17	-
4	मिजोरम	11.56	10.82	3.45	650	200	17	-
5	नागालैंड	14.65	13.49	4.50	965	500	17	8.00
	कुल(IV)	**79.60**	**73.47**	**32.53**	**4,245**	**1300**	**137**	**8.00**
	सकल योग(I+II+III+IV) (38 परियोजनाएं)	**1,107.90**	**956.01**	**711.68**	**55,920**	**44,766**	**1,327**	**460.13**

पी: अनंतिम

4.3.4. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना प्रौद्योगिकी पहल

4.3.4.1. अनुसंधान व विकास (अ व वि):

वर्ष 2019–2020 के दौरान, दिसंबर, 2019 के अंत तक कुल 24 नई अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं और केरेबो के विभिन्न अनुसंधान व विकास संस्थानों द्वारा 37 परियोजनाओं का समापन किया गया है और वर्तमान में कुल 110 अनुसंधान परियोजनाएं, जिनमें से शहतूत क्षेत्र की 63, वान्या क्षेत्र की 37 और कोसोत्तर क्षेत्र 10 प्रगति पर है।

4.3.4.2. परपोषी पौध सुधार :

- मलबरी जिनोटाइप (पीवाईडी 01,08,09, 21 एवं 27) के ड्रॉट टोलरेंट वेरायटी सी1730 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक और सी2038 की तुलना में 5–10 प्रतिशत अधिक उपज के साथ प्रति पौधा 318–827 ग्राम प्रति पौधा पत्ती का उत्पादन रिकॉर्ड किया गया।
- मलबरी जिनोटाइप (सी11, सी01, सी02, और सी05) के अन्य परीक्षण केंद्रों (10.26–23.43 कि.ग्रा. प्रति प्लॉट) में एस1635 की तुलना में गुणवत्ता से संबंधित 10 प्रतिशत अधिक पत्ती का उत्पादन रिकॉर्ड किया गया।
- कुल 18637 किसानों के मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया, 17,184 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए, 16,058 नमूनों को डिजीटल बनाया गया।

- असम के शिवसागर जिले के पेट्रोलियम निष्कर्षण क्षेत्रों से डीसल्फराइजिंग बैक्टीरिया की पहचान की गई है, अलग किए गए बैक्टीरिया गोडोनिया एसपी की पूर्ण जिनोम को क्रमबद्ध करने का कार्य पूरा हो गया है, अलग किए गए जिनोम का कुल आकार लगभग 5एमबी है, स्कैफोल्ड की औसत लंबाई प्रतिशत जीसी:67 के साथ 47 केबी है और पहचान किए गए जीन की कुल संख्या 4641 है।
- 13 मापदंडों (पीएच,ईसी,ओसी और उपलब्ध एन,पी,के,एस,जेडएन,एफई, सीयू,एमएन,बी एवं एलआर) के लिए 1561 किसानों से 1056 मृदा नमूनों के विश्लेषण किए गए।
- फसल की हानि से बचने के लिए तसर खाद्य पौधों में स्टेमबोर्रर के प्रबंधन के लिए विभिन्न पद्धति का मूल्यांकन किया गया।
- आरएंडडी प्रयासों से वर्ष 2005–06 के दौरान 50 एमटी/हेक्टेयर/वर्ष से वर्ष 2018–19 के दौरान 60 एमटी/हेक्टेयर/वर्ष तक मलबरी की उपलब्धता में सुधार करने में सफलता मिली है।

4.3.4.3. रेशमकीट फसल सुधार, उत्पादन एवं संरक्षण:

- इसके जहरीलेपन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन और किए गए वीवों अध्ययनों के माध्यम से 100 प्रतिशत फीड सप्लीमेंट (एफएस) की पहचान की गई। एफएस में कोई जहर का प्रभाव नहीं पाया गया। इसके अलावा रियरिंग और रीलिंग मापदंडों के संबंध में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। इनके उत्तरजीविका को उन बैचों में 16 प्रतिशत अधिक पाया गया जिन्हें स्टैफीलोकोक्स एसपी के साथ टीका लगाया था और सामान्य डाइट की तुलना में एफएस के साथ प्रतिपूर्ति की गई थी। अन्य पैथोजीन की तुलना में एफएस को प्रभावी नहीं पाया गया।
- दो पर्यावरण अनुकूल रसायनों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक वेटिंग एजेंट, को मिलाकर एक फार्मुलेशन तैयार किए गए और इसे सभी रेशमकीट पैथोजीन (वीवों और विट्रो अध्ययन के आधार पर) की तुलना में प्रभावी पाया गया है।
- मूगा रेशमकीट अंडों के इम्ब्रायों पृथक्करण करे लिए दो पद्धतियों मानकीकृत किया गया है।
- मूगा रेशमकीट के अंडों के संरक्षण के लिए उद्भवन के तापमान और उसकी अवधि को मानकीकृत किया गया। कुल रीलिज से पहले 5 दिन तक 5 डिग्री सेल्सियस पर 24 एवं 36 घंटें पुराने मूगा के अंडे को संरक्षित किया जा सकता है। उसके पश्चात 80 प्रतिशत हैचिंग के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पर 7–8 दिन का उद्भवन और 10 दिन के लिए 10 डिग्री सेल्सियस का उद्भवन जिसके पश्चात 75 प्रतिशत से अधिक हैचिंग के साथ 7 दिन का उद्भवन।
- तसर सिल्क वार्म एन्थेरिया मिलिटा के विभिन्न इकोरेसेस की विशिष्ट पहचान के लिए एसएनपी वार्ककोर्ड विकसित किए गए।
- मॉडल अंडे, लार्वा और प्यूपा की बैक्टीरिया संबंधी विविधता का विश्लेषण किया गया और बायो इन्फारमेटिक उपकरणों का उपयोग करके रैली और दाबा तसर सिल्क वार्म प्रजातियों की कार्यात्मक विविधता के पांचवे इन्सटर लार्वा का विश्लेषण किया गया है।
- आरएंडडी प्रयासों से वर्ष 2005–06 के दौरान 48 कि.ग्रा./100 डीएफएल से वर्ष 2018–19 के दौरान 60.3 कि.ग्रा./100 डीएफएल तक मलबरी की उपलब्धता में सुधार करने में सफलता मिली है।

4.3.4.4. कोसोत्तर प्रौद्योगिकी का विकास:

- रेड एरी सिल्क सेरीसिन के नमी तत्व, राख तत्व, नाइट्रोजन और प्रोटीन तत्व, भारी धातु तत्व आदि के लिए इसका विश्लेषण किया गया।
- एरी स्पिनिंग की मिनीऐचर संकल्पना के अंतर्गत मशीन की ईष्टतम 9 विकसित की गई है।
- घुलनशीलता का अध्ययन करने के लिए कुछ रसायनों की पहचान की गई है।
- आरएंडडी प्रयासों से वर्ष 2005–06 के दौरान 8.2 से वर्ष 2018–19 के दौरान 7.3 रेंडिटा तक सुधार करने में सफलता मिली है।

4.3.4.5. उत्पाद डिजाइन विकास एवं विविधीकरण:

- निफ्ट मुंबई और भुवनेश्वर के साथ चालू परियोजनाएं, मध्य प्रदेश के बाग, महेश्वर और उड़ीसा के नुवापटना और संबलपुरी जैसे कलस्टरों में नए उत्पादों के विकास के साथ जारी हैं। दोनों परियोजनाओं के अधीन उत्पादों का विकास पूरा हो चुका है।
- विभिन्न स्थानों पर विभिन्न एक्सपो, व्यापार मेलों और सिल्क मार्क एक्सपो में भाग लिया और नए विकसित रेशम उत्पादों का प्रदर्शन किया।

4.3.4.6. पेटेन्टिंग/वाणिज्यिकरण के लिए फाइल की गई प्रौद्योगिकी/उत्पाद

- वायड सिल्क यार्न का उत्पादन।
- रेशम और रेशम मिश्रित मिलांग यार्न और फैब्रिक्स।

4.3.4.7. रेशम उत्पादन में सुदूर संवेदन और भूस्थानिक सूचना प्रणाली का अनुप्रयोग

एनईएसएसी, शिलांग (उत्तर–पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र) के सहयोग से सिल्क्स (रेशम उत्पादन सूचना अनुबंध और ज्ञान प्रणाली) का विकास किया गया है और देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। "सिल्क्स" एक एकल विण्डो, आईसीटी (सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी) आधारित सूचना और सलाहकार सेवा प्रणाली है जो योजना बनाने वाले, क्षेत्र कर्मचारी तथा रेशम उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए है। परियोजना के प्रथम चरण में 24 राज्यों में कुल 108 जिलों को शामिल किया गया है और द्वितीय चरण में 70 जिलों को शामिल किया जा रहा है। हाल में रेशम उत्पादन के लिए "प्रोजेक्ट एटलेस" (चरण II- उत्तर–पूर्वी राज्य) तथा 20 चयनित जिलों के लिए सिल्क्स पोर्टल का विमोचन दिनांक 22.10.2018 को गुवाहाटी, असम में आयोजित कार्यशाला के दौरान किया गया। शेष 50 जिलों में (उत्तर–पूर्वी राज्यों के अलावा) भी अध्ययन पूरा हो चुका है और परियोजना एटलस 05–06 अगस्त, 2019 को शिलांग में आयोजित कार्यशाला में जारी किया गया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने स्व–निहित गगन सक्रिय वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली के एक डेटा रिकॉर्डर उपकरण "नवशारे" का उपयोग करते हुए अनेक सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के समर्थन से केरेबो और राज्यों द्वारा बनाई गई परिसंपत्ति (वृक्षारोपण और अवसंरचना) के भू–टैगिंग के लिए उत्तर–पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) शिलांग, मेघालय के साथ सहयोगी परियोजना भी शुरू की है। भू–टैगिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीपीएस अनुकूल उपकरण परिसंपत्ति के चित्र (पौधारोपण एवं अवसंरचना), स्थान तथा परिसंपत्ति के विवरण जोड़ सकता है। सदस्य सचिव, केरेबो की अध्यक्षता में एनईएसएसी परियोजना के कार्यान्वयन नामतः "उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विभिन्न सरकारी निधि प्राप्त परियोजनाओं के समर्थन से सृजित परिसंपत्ति की

भू–टैगिंग" की समीक्षा बैठक केरेबो, बेंगलूरु में दिनांक 28.12.2018 को श्री पी एल एन राजू, निदेशक, एनईएसएसी, शिलांग व एनईएसएसी एवं केरेबो के वैज्ञानिकों के साथ आयोजित की गई ।

एनईएसएसी ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से विभिन्न सरकारी निधि पोषित परियोजनाओं की सीएसबी और राज्यों द्वारा सृजित परिसंपत्तियों (बागान और अवसंरचना) की जियो टैगिंग के लए 'सिल्क्स' नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है। परियोजना के एक भाग के रूप में एनईएसएसी ने एनईएसएसी, उमियाम, शिलांग, मेघालन में 6 जून, 2019 को सीएसबी के 11 अधिकारियों/वैज्ञानिकों को डेशबोर्ड विजुअलाइजेशन सिस्टम सहित 'सिल्क्स' मोबाइल अप्लीकेशन के माध्यम से गगन आधारित जियो–टैगिंग पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंक आयोजित की हैं। इस समय 'सिल्क्स' मोबाइल एप परीक्षण पद्धति के अधीन है, सीएसबी ने एनईएसएसी के सहयोग से एनईआरटीपीएस परियोजना के अधीन परिसंपत्तियों को जियो–टैग करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, 06 सितंबर, 2019 को कोकराझार, बीटीसी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित की गई और इसके बाद बीटीसी खेत्रों में एनईआरटीपीएस परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों को जियो–टैग करने से संबंधित फील्डवर्क किया गया। एनईआरटीपीएस के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग बीटीसी और मेघालय राज्य में प्रगति पर है, एनईएसएसी ने पहले ही 8 पूर्वोत्तर राज्यों में एनईआरपीटीएस परियोजना के अधीन सृजित संपूर्ण परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सीएसबी को प्रस्तुत कर दिया है।

4.3.4.8. क्षमता विकास व प्रशिक्षण:

केरेबो का क्षमता विकास व प्रशिक्षण प्रभाग अपने सभी अनुसंधान व विकास संस्थानों के साथ वर्ष 2019–2020 से क्षमता विकास जारी रखा और उद्योग के पणधारियों को इसे उजागर किया। प्रतिभागियों को विभिन्न संरचित तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से रेशम के सभी उप–क्षेत्रों (शहतूत, तसर, एरी व मूगा) को शामिल करते हुए रेशम क्षेत्र की अनुशंसित प्रौद्योगिकियों और अन्य आधुनिक विकास का प्रदर्शन किया गया ।

वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 13885 (आंतरिक एवं उद्योग पणधारी सहित) व्यक्तियों को शामिल किया गया। वर्ष 2019–2020 के दौरान (दिसंबर, 2019 तक), 15750 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न 'कौशल बीजारोपण' और 'कौशल विकास' प्रशिक्षण के लिए 4946 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.3.4.9. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:

समाप्त परियोजनाओं से विकसित प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात् कृषि मेला, समूह चर्चा, प्रबोधन कार्यक्रम, क्षेत्र दिवस, कृषक सम्मिलन, दृश्य–श्रव्य कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, आदि के माध्यम से क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है। वर्ष 2019–2020 के दौरान (दिसंबर, 2019 के अंत तक) कुल 1461 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 33 प्रौद्योगिकियों को कोसापूर्व क्षेत्र के अधीन उपयोगकर्ता के स्तर पर सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोसोत्तर क्षेत्र में कुल 88 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन 1060 कृषकों को किया गया तथा 640 कृषकों को कोसोत्तर प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया एवं 68699 कोसा एवं रेशम नमूनों का परीक्षण किया गया एवं इसके परिणाम प्रदान किए गए।

4.3.4.10 क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम (पीपीपी):

क. बाइवोल्टाइन क्लस्टर संवर्धन कार्यक्रम

12वीं योजना के दौरान देश में आयात एवजी रेशम के संवर्धन और द्विप्रज रेशम का उत्पादन 1685 मी.टन (2011–2012) से बढ़ाकर 5000 मी. टन तक करने पर सबसे अधिक जोर डाला गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य के रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से क्लस्टरों के माध्यम से 12वीं योजना – अवधि के अंत तक 172 द्विप्रज क्लस्टर विकसित कर लगभग 5266 मी. टन द्विप्रज कच्चे रेशम का उत्पादन किया जिसमें कलस्टरों के माध्यम से 3405 मी.टन शामिल है।

कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम मुख्य रूप से 2019–2020 के अंत तक 8500 मी.टन के देश के बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। जबकि प्रभावी मॉनीटरिंग प्रयोजन के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कुछ मौजूदा कलस्टरों का पुनर्गठन/पुनर्विन्यास किया गया, कलस्टरों की कुछ संख्या कुल कलस्टर लक्ष्य को प्रभावित किए बिना मौजूदा 172 कलस्टरों से घटाकर 151 कलस्टर कर दी गई।

संयुक्त सुगठित प्रयासों से 2018–19 के दौरान 7200 मी.टन के देश के लक्ष्य की तुलना में (2017–18 में उत्पादित 5874 मी.टन की अपेक्षा 18.9% वृद्धि) 6987 मी.टन बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया है। बाइवोल्टाइन कलस्टरों ने 6987 मी.टन के देश के कुल बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम के उत्पादन में से 5020 मी.टन (71.85%) का योगदान किया है।

वर्ष 2018–19 के दौरान (दिसंबर, 2019 तक) कुल बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम का उत्पादन 4039 मी.टन होता है जिसमें से 151 कलस्टरों ने 2785 मी.टन (68.95%) का उत्पादन किया और पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कलस्टरों का योगदान नीचे साणी में दर्शाया गया है:–

वर्ष	कच्चा रेशम			
	लक्ष्य(मी.टन)	उपलब्धि (मी.टन)	उपलब्धि (%)	क्लस्टर उत्पादन (मी.टन)
2014-15	3500	3870	110	2357
2015-16	4500	4613	103	2932
2016-17	5260	5266	100	3400
2017-18	6200	5874	95	4100
2018-19	7200	6987	97	5020
2019-20	8500	4039 (दिसंबर, 2019 तक)		2785

ख. वान्या कलस्टर संवर्धन कार्यक्रम:

तसर रेशम क्षेत्र के संवर्धन के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने 9 तसर उत्पादक राज्यों में कलस्टर पहले के माध्यम से राज्य सरकारों के समन्वय से 22 वान्या कलस्टर स्थापित किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत, कुल 2229 लाभार्थी (425 बीज उत्पादक, 109 निजी ग्रेन्योर्स, 4 डोर टू डोर समिति एजेंट्स और 1691 वाणिज्यि उत्पादक) को शामिल किया गया। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण 827 लाभार्थियों को प्रदान किया गया है और प्रौद्योगिकी अंतरण सेवा पर 19 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2018–19 के दौरान सीड कुल (1 क्राप) में 924 अंगीकृत बीज उत्पादकों द्वारा कुल 1.69 लाख डीएफएल बुश किए गए और 36.37 कोकून/डीएफएल की दर पर 61.55 लाख सीड कोकून का उत्पादन किया गया। इन सीड कोकूनों को 142 निजी ग्रेन्योर्स द्वारा प्रसंस्कृत किया गया जिसमें से 5.98 लाख डीएफएल का दूसरी क्राप में 2772 वाणिज्यिक किस्मों द्वारा उत्पादन किया गया और कलस्टरों में 43.47 कोकून/डीएफएल की दर से 259.81 लाख कोकून का उत्पादन किया गया।

4.3.4.11. सूचना प्रौद्योगिकी (31 दिसंबर, 2019 तक सूचना प्रौद्योगिकी पहल):

i. डीबीटी एमआईएस: 'रेशम उद्योग के विकास' योजना के लिए डीबीटी

एमआईएस का विकास पूरा किया गया और एसटीक्युसी द्वारा सुरक्षा लेखा–परीक्षा समाशोधन प्राप्त हुआ है। इसे डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ii. एम–किसानः केरेबो ने कृषकों को उनके मोबाइल टेलीफोन से एम–किसान वेब पोर्टल के इस्तेमाल द्वारा वैज्ञानिक सुझावों को प्रदान करने हेतु सूचना–प्रसार के लिए वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की पहुंच को और विस्तृत किया है। सभी मुख्य संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से सलाह प्रदान कर रहें हैं। दिसंबर, 2019 तक 64,38,949 एसएमएस संदेशों के रूप में 410 सलाह भेजे गए।

iii. एसएमएस सेवाः कृषकों तथा उद्योग के अन्य पणधारियों के उपयोग के लिए रेशम तथा कोसों के दैनिक बाजार दर के संबंध में मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस सेवा प्रचालित की गई है। पुश और पुल दोनों एसएमएस सेवा प्रचालन में है। रेशम उत्पादन निदेशालय से प्राप्त मोबाइल नम्बर को अद्यतन किया गया है और दैनिक आधार पर सभी पंजीकृत 10,433 कृषकों को एसएमएस संदेश प्राप्त हो रहे हैं।

iv. सिल्क पोर्टलः उत्तर–पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से छाया चित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विकास किया गया और रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्रों के चयन एवं विश्लेषण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी, बहु–जिला ऑकडा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।

v. वीडियो कान्फ्रेंसः केन्द्रीय रेशम बोर्ड में केरेबो कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु, केरेअवप्रसं, मैसूरु व बहरमपुर, केतअवप्रसं, राँची, केरेअवप्रसं, पाम्पोर, केमूएअवप्रसं, लाहदोईगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सुसज्जित वीडियो कान्फ्रेन्स सुविधा उपलब्ध है। दिसंबर, 2019 तक 212 बहु–स्टुडियो वीडियो की कान्फ्रेंस संचालित किए गए ।

vi. केरेबो वेबसाइट : केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट "csb.gov.in" द्विभाषी रूप अर्थात् अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य नागरिकों के लिए, जिन्हें संगठन तथा इसकी योजनाओं एवं अन्य विवरण के बारे में जानना होता है, अधिकाधिक जानकारी प्रसारित की जाती है। वेबसाइट में रेशम उत्पादन योजना कार्यक्रम, उपलब्धियाँ तथा सफलता की कहानियाँ विशेष रूप से दी गई हैं। केरेबो ने अपना नया वेबसाइट पूरा किया है और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू अनुकूल तथा सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

vii. एईबीएएस : आधार सक्रिय बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली केन्द्रीय रेशम बोर्ड में लागू की गई है। उपस्थिति पोर्टल में फार्म कामगार सहित 4254 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत है। सभी 121 उपकरण आर डी सेवा से युक्त है। केरेबो की पुनर्संरचना के कारण, लगभग 450 कर्मचारियों को विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया गया, उन्हें अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

viii. कृषकों तथा धागाकारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस : राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों तथा धागाकारों का डेटाबेस बनाने के लिए कृषक एवं धागाकार डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया गया है, इससे प्रभावी निर्णय लेने में समुचित सूचना के साथ नीति निर्धारकों को मदद मिलेगी। डेटाबेस में राज्यों द्वारा 31 दिसंबर, 2019 को यथा विद्यमान 7,25,314 कृषकों एवं 15,548 धागाकारों के विवरण रिकार्ड किए गए हैं ।

ix. एनईआरटीपीएस पर एमआईएस "उत्तर पूर्वी राज्यों में गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन विकास परियोजना" : गहन द्विप्रज रेशम उत्पादन के लिए एमआईएस विकसित कर सभी पणधारियों द्वारा बिना समस्या के इसे देखने के लिए समर्पित सर्वर पर होस्ट किया गया है ।

x. एफआरडीबी कृषकों के साथ संपर्क करने के लिए बीपीओरू प्रत्येक अंचल के नोडल अधिकारी एफआरडीबी ऑकडा आधार से मोबाइल नंबर लेते हुए चयनित कृषकों से नियमित रूप से संपर्क कर रहे हैं।

4.3.5. बीज संगठन- रेशमकीट बीज उत्पादन तथा आपूर्ति

सीएसबी के पास राज्यों को बुनियादी बीज की आपूर्ति करने वाले बुनियादी बीज फार्मों की एक श्रृंखला है। इसके वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्र किसानों को वाणिज्यिक रेशम कीट बीज की आपूर्ति करने में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। देश भर में फैले इसके बुनियादी/वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्रों की नेटवर्क के माध्यम से राज्यों को बुनियादी और वाणिज्यिक बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए मलबरी हेतु राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ), तसर के लिए बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन (बीटीएसएसओ), मूगा के लिए मूगा रेशम कीट बीज संगठन (एमएसएसओ) और एरी के लिए एरी रेशम कीट बीज संगठन (ईएसएसओ) स्थापित किए गए हैं।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2018–19 व 2019–2020 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान केरेबो की बीज इकाईयों द्वारा लब्ध प्रगति का विवरण दर्शाता है :

(इकाईः लाख डीएफएलएस)

मद	2018-19		2019-20	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (2019 तक)
मलबरी	440.00	483.04	470	288.14
तसर	51.02	51.08	51.17	47.79
ओक तसर	0.64	0.78	1.48	0.123
मूगा	8.16	5.33	5.65	5.40
एरी	6.00	7.22	6.30	4.76
कुल	505.82	547.45	534.60	346.213

4.3.6. समन्वय तथा बाजार विकास

केरेबो का लक्ष्य है "भारत विश्व में रेशम के अग्रणी देश के रूप में उभरे" और इस लक्ष्य परक कथन के समर्थन में बोर्ड ने सभी 3 विशेष क्षेत्रों – क) रेशमकीट बीज उत्पादन, ख) क्षेत्र/कोसा पूर्व क्षेत्र तथा ग) उद्योग अथवा कोसोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों को योजनाबद्ध किया है ।

केरेबो के कार्यकलापों में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन, 4 स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख–रखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता पैरामीटर स्थापित करना, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का उन्नयन तथा केन्द्र सरकार को रेशमउत्पादन एवं रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों में सलाह देना । इन कार्यकलापों का संचालन विभिन्न राज्यों में स्थित 176 इकाइयों [01.01.2019 को यथा विद्यमान] के समूह द्वारा किया जा रहा है।

रेशम की बढ़ती आंतरिक मांग और भूमंडलीय ताप, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, शहरीकरण एवं नए नाशक जीवों और रोगों के प्रकोप की चुनौतियों को पूरा करने एवं रेशम उत्पादन क्षेत्र को वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान व विकास संस्थान कृषकों/विद्यार्थियों/पणधारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

रेशम उद्योग के संपूर्ण विकास के लिए संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभाग ओर निजी उद्यमियों के समन्वय से केंद्रीय सेक्टर योजना ख्केसेयो, और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केरेबो के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भरपूर लाभ लिया जा रहा है ।

4.3.7 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली:

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का एक प्रमुख्य उद्देश्य यह है कि गुणवत्ता आश्चासन, गुणवत्ता निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपाय किया जाए। योजनांतर्गत, दो घटकों यथा "कोसा एवं कच्चे रेशम के परीक्षण एकक" एवं "रेशम मार्क संवर्धन" को लागू किया जा रहा है। कोसों की गुणवत्ता से धागाकरण के दौरान निष्पादन तथा उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीडीपी के समर्थन से विभिन्न कोसा बाजारों में स्थापित कोसा परीक्षण केंद्र कोसा परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से संबंद्ध केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केंद्र निर्यात किए जाने वाले रेशम माल को लदान पूर्व स्वैच्छिक निरीक्षण करते हैं, ताकि भारत से निर्यात किए जा रहे रेशम माल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, भारत के रेशम मार्क संगठन [भा रे मा सं] के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्वता के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है। "रेशम मार्क", लेबल एक प्रकार का आश्वसन है, जो शुद्व रेशम के नाम पर कृत्रिम रेशम उत्पादों को बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है ।

वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 [दिसंबर, 2019 तक] के दौरान रेशम मार्क योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है:

विवरण	2018-19		2019-20	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि [दिसंबर, 2019 तक]
नामांकित नये सदस्यों की कुल सं.	250	291	260	221
बेचे गए रेशम मार्क लेबुलों की कुल सं. (लाख सं.)	27	25.46	27.00	23.72
जागरुकता कार्यक्रम/प्रदर्शनी/मेले/कार्यशाला/रोड शो	480	463	500	411

4.3.7.1 रेशम मार्क प्रदर्शनी :

रेशम मार्क की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से देशभर के रेशम मार्क प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए रेशम मार्क प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। रेशम मार्क प्रदर्शनी लोकप्रियता का एक आदर्श मंच है जो शुद्ध रेशम उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए निर्माताओं और उपभोक्ताओं को एक ही मंच पर लाने का कार्य करती है । इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों का अच्छा व्यापार होता है । इस कार्यक्रम के दौरान भा रे म सं द्वारा प्रभावशाली जागरुकता और प्रचार अभियान चलाए जाते हैं ।

वर्ष 2019–2020 (दिसंबर, 2019 तक), एसएमओआई ने गुवाहाटी, लखनऊ, बेंगलुरू और चौन्नई में चार रेशम पार्क प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। गुवाहाटी में प्रदर्शनी एनईडीएफआई हाउस, दिसपुर में 05 से 09 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई थी। पूर्वोत्तर के अतिरिक्त 7 राज्यों के इक्तालीस (41) अधिकृत प्रयोक्ताओं ने भाग लिया और 8000 से अधिक उपभोक्ता प्रदर्शनी में आए और भागीदार रेशम पार्क के अधिकृत प्रयोक्ताओं ने 1.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया। लखनऊ एक्सपो मार्ट, कैसरबाग में 18 से 23 सितंबर, 2019 को आयोति किया गया। देश भर के 8 राज्यों से इक्तीस (31) अधिकृत प्रयोक्ताओं ने इसमें भाग लिया और 1800 से अधिक उपभोक्ता इस प्रदर्शनी में आए तथा 32 लाख रुपए के कारोबार की सूचना मिला है।

4.3.7.2 आईएफएसओडब्ल्यू के लिए जागरूकता कार्यक्रम:

रेशम और 'रेशम मार्क' के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 25 जून, 2019 को सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट ऑडियोटोरियम, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में भारतीय वन सेवा अधिकारी पत्नी संघ के लिए रेशम और रेशम मार्क पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आईएफएस ऑफिसर्स वाइव्ज एसोसिएशन (आईएफएसओडब्ल्यू) की अध्यक्षा श्रीमती सुष्मिता दास द्वारा किया गया। आईएफएसओडब्ल्यू के सदस्यों को रेशम और रेशम मार्क पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया जिसके बाद एक संवाद सभा हुआ जिसमें आईएफएसओडब्ल्यू के सदस्यों ने रेशम और रेशम मार्क से संबंधित कई शंकाएं उठाई जो उन्हें स्पष्ट की गईं। भागीदारों के लाभ के लिए रेशम पहचान का एक जीवंत प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में भागीदारों को एक प्रश्नावली वितरित की गई और तीन सर्वोत्तम भागीदारों को चिन्हित किया गया और आईएफएसओडब्ल्यू के अध्यक्ष द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।

4.3.8. अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

बुलगेरिया से प्राप्त आनुवंशिक संसाधन का उपयोग कर एक नया द्विप्रज द्विगुण संकर विकसित किया गया जिसमें उच्च रेशम की मात्रा [24%] है और उपज की क्षमता 75 किग्रा कोसा/100 रोमुच है और प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया जा रहा है। आगे, इंडो–स्वीडिश सहकारी परियोजना, यथा शीर्षक "स्टडीज ऑन द जेनेटिक केरेक्टरैसेशन, ट्रान्ससमीशन एण्ड टिश्यू डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ इफलावैरस इनफेक्टिंग दी इंडियन ट्रापिकल तसर सिल्कवर्म, एन्थीरिया माईलिटा" को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है । इसके अतिरिक्त उत्पादन, उत्पादकता और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जापान, चीन, आस्ट्रेलिया और उज्बेकिसतान जैसे देशों के साथ सहयोग शुरू किया गया है।

केंद्रीय रेशम बोर्ड की दो आरएंडडी संस्थाएं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अधीन प्रति वर्ष 50 विदेशी नागरिकों को रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

4.3.9. योजना स्कीमों के लिए बजट आबंटन:

वर्ष 2018–19 एवं 2019–2020 [दिसंबर, 2019 तक] के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए केरेबो को आबंटित बजट और उपगत व्यय निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

#	केरेबो के कार्यक्रम	2018-19		2019-20	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय(दिसंबर, 2019 तक)
	सिल्क समग्र (रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना)				
1.	अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहल	560.45	557.86	679.00	536.97
2.	बीज संगठन				
3.	समन्वय एवं बाजार विकास (एचआरडी)				
4.	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली एवं निर्यात/ब्रांड संवर्धन तथा तकनीकी उन्नयन				
	एससीसीपी	25.00	25.00	30.00	**22.50**
	टीएसपी	15.84	15.84	21.00	**18.57**
कुल योग		**542.50 (*)**	**598.70 (*)**	**730.00 ($)**	**578.04 ($)**

(*)– वर्ष 2018–19 के दौरान 601.29 करोड़ रु. की आबंटित राशि में "481.29 करोड़ रु. का "जीआईए–वेतन घटक" और 598.70 करोड़ रु. के व्यय में 481.29 करोड़ रु. का "जीआईए–वेतन घटक" मार्च 2019 तक के लिए शामिल है जिसके परिणामस्वरूप एनई–सीएपी के तहत 2.59 करोड़ रु. की बचत हुई जिसे वस्त्र मंत्रालय/भारत सरकार को अभ्यर्पित किया गया ।

($)– वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 730.00 करोड़ रु.की आबंटित राशि में "549.00 करोड़ रु. की "जीआईए–वेतन घटक" और 578.04 करोड़ रु. के व्यय में 448.16 करोड़ रु. का "जीआईए–वेतन घटक" दिसंबर, 2019 तक के लिए शामिल है।

4.3.10. वर्ष 2019-2020 के दौरान सिल्क समग्र योजना के तहत अनुसूचित जाति उप-योजना [अजाउयो] और जनजाति उप-योजना [जउयो] का कार्यान्वयन ।

4.3.10.1. अनुसूचित जाति उप-योजना ख्अजाउयो,

वर्ष 2019–2020 के दौरान वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने रेशम उत्पादन के तहत अनुसूचित जाति उप–योजना [अजा उ–यो] के कार्यान्वयन के प्रति रु.30.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। वर्ष 2019–2020 के दौरान अजाउयो के तहत घटकों के कार्यान्वयन के प्रति कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ओडिशा और हरियाणा को 22.50 करोड़ रु. (दिसंबर, 2019 तक) की संपूर्ण स्वीकृत राशि विमोचित की गई ।

4.3.10.2. जनजातीय उप-योजना ख्जजाउयो,

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2019–2020 के दौरान रेशम उत्पादन के तहत जनजातीय उप–योजना [जजाउ–यो] के कार्यान्वयन के प्रति 20.00 करोड़ रु. की राशि की स्वीकृति दी है । वर्ष 2019–2020 के दौरान जजाउ–यो के तहत घटकों के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छततीसगढ़ और तमिलनाडु को 18.57 करोड़ रु. [दिसंबर,2019 तक] की संपूर्ण स्वीकृत राशि विमोचित की गई ।

4.3.11. तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना [मकिसप]

केरेबो द्वारा छः राज्यों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना [मकिसप] के अंतर्गत रु.7160.90 लाख की लागत पर बहु–राज्य तसर परियोजना का समन्वय किया जा रहा है जिसे अक्तूबर, 2013 से ग्रामीण विकास मंत्रालय [रु.5366.15 लाख] और केरेबो [रु.1794.75 लाख] द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना से झारखंड, उडीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं बिहार के राज्यों में अधिकतर वामपंथी उग्रवाद [एलडब्लूई] से प्रभावित 23 जिलों के सीमांत परिवार, विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर 36,000 संपोषणीय जीविका का सृजन हुआ है ।

कुल 33093 कृषकों को 687 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में संघटित किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 2738 कृषकों द्वारा 1521 हेक्टेयर तसर परपोषी पौधों को उगाया गया है। 94.33 केंद्र को और 320.81 लाख मूल बीज कोसों के उत्पादन के लिए 1.782 लाख रोमुच के नाभिकीय बीज और 10.86 लाख रोमुच के मूल बीज का कीटपालन किया गया। 360 निजी बीज उत्पादकों ने 222.587 लाख बीज कोसों को संसाधित कर 50.95 लाख वाणिज्यिक रोमुच का उत्पादन किया। 13933 वाणिज्यिक कीटपालकों ने 53.52 लाख रोमुच कूर्चित कर 1806.72 लाख धागाकरण कोसों का उत्पादन किया। इसके अलावा, तसर मूल्य क्रम की दिशा में अनेक क्षमता और संस्थागत सृजन के कार्यकलाप किए गए।

4.3.12. अभिसरण

वस्त्र मंत्रालय, 'रेशम समग्र' के रूप में रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए सहायता दे रहा है। भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं की वित्तीय सहायता के अभिसरण से अतिरिक्त निधि की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्यों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018–19 के दौरान 822.53 करोड़ रुपए के लिए प्रस्तुत परियोजना की तुलना में राज्यों को 763.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 656.88 करोड़ रुपए आरकेवीवाई, मनरेगा और अन्य अभिसरण कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान राज्यों में 676.08 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और 623.95 करोड़ रुपए के परिव्यय से परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की है और 316.97 करोड़ रुपए निधियां प्राप्त की हैं।

4.3.13. राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन [राग्राजीमि] समर्थन संगठन [राससं] के रूप में केरेबो के साथ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना [मकिसप] के अंतर्गत परियोजनाओं को बढ़ाना:

केरेबो, ग्रामीण विकास मंत्रालय [ग्रा वि मं] के राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन ख्याग्राजीमि, में तसर क्षेत्र के अंतर्गत की गई पहल को बढ़ाने में राज्य ग्रामीण जीविका मिशन ख्याग्राजीमि, को समर्थन दे रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय [ग्रा वि मं] ने केरेबो के समर्थन से सूत्रबद्ध झारखंड [25,000], उडीसा [5220] और पश्चिम बंगाल [5000] के राज्यों के लिए तीन मकिसप तसर परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है जिसमें 35,220 महिला किसान शामिल हैं। इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय [ग्रा वि मं] [60%] और राग्राजीमि [40%] से रु.63.34 करोड़ लागत की निधि प्राप्त होगी, जो वर्ष के दौरान कार्यान्वित होगा। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों का परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन है और महाराष्ट्र के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाना शेष है।

4.4 ऊन एवं ऊनी वस्त्र

4.4.1 केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का गठन वर्ष 1987 में किया गया था जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4.4.2 योजना बजट

वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए कुल 112 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय में से वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए योजना आबंटन 30.84 करोड़ रुपए है।

क. क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

ऊन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय ने नया एकीकृत कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) तैयार किया है जिसे स्थायी वित्त समिति की दिनांक 23.03.2017 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किया गया है। यह कार्यक्रम सभी हितधारकों जैसे ऊन उत्पादक को–ऑपरेटिव का गठन, मशीन शीप शियरिंग, ऊन विपणन/ऊन प्रसंस्करण/ऊनी उत्पाद निर्माण सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता सहित ऊन क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है। अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप के माध्यम से प्रमाणन, लेबलिंग, पश्मीना ऊन की ब्रांडिंग और औद्योगिक उत्पादों में दक्कनी ऊन के उपयोग पर जोर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पश्मीना क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए पुर्निर्माण योजना के नाम से आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

क. (i) ऊन विपणन योजना (डब्ल्यू एम एम)

देश में कच्ची ऊन के विपणन पर और जोर देने के लिए लाभप्रद मूल्य पर ऊन की अधिक खरीद, ऊन उत्पादक सोसाइटी का निर्माण, बेहतर सुविधाओं के लिए ऊन की मंडियों के सशक्तिकरण के लिए सहायता हेतु देश के सभी प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस) नामक एक नई योजना लागू की गई है।

उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए 1,000 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 120 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

यह योजना सभी किस्म के ऊन और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे ऊन स्कोरिंग, ड्राइंग, कार्डिंग डाइंग, निटिंग, विविंग, ऊन उत्पादन और ऊन व्यापार क्षेत्रों में फेल्टिंग/नॉन–वूवन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए सहयोग प्रदान करेगी। वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए 800 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 150 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(iii) मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी)

विभिन्न विख्यात संगठनों/संस्थाओं/विभागों के सहयोग से कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है। योजना के अंतर्गत ऊन क्षेत्र कु मुद्दों को प्राप्त करने और विकसित की गई नई प्रौद्योगिकी को प्रचार करने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

वर्तमान वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान बोर्ड के अपने वूल परीक्षण केंद्र, विविंग एवं डिजाइन प्रशिक्षण केंद्र के संचालन, बाजार आसूचना नेटवर्क, चालू परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन आदि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(iv) अंगोरा ऊन विकास योजना (एडब्ल्यूडीएस)

यह योजना अंगोरा पालन कार्यकलाप में सहायता करने के लिए देश के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(v) ऊन विकास योजना (डब्ल्यूडीएस)

वस्त्र मंत्रालय ने 12वीं योजना की स्वास्थ्य देखभाल, नस्ल सुधार चारापूरक जैसे संघटकों के साथ भेड़ एवं ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस) की चल रही परियोजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। चल रही परियोजनाओं की देनदारी को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 में 14.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 170.36 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(vi) भेड़ पालक सामाजिक सुरक्षा योजना

यह योजना भेड़ पालकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करके भेड़ पालकों की सहायता करती है। इस योजना की मूल संरचना निम्नानुसार है:

I. सामाजिक सुरक्षा योजना– भेड़ पालक बीमा योजना

अर्हता आयु: 18–50 वर्ष। मौजूदा पीएमजेजेबीवाई योजना के अनुसार आयु के मापदंड हैं।

क. भेड़ पालक बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम का विभाजन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रति सदस्य प्रति वर्ष प्रीमियम	एसएसपीएमजेजेबीवाई
1	एलआईसी यूनिट स्तर पर संग्रह किए जाने वालाप्रीमियम (रुपए) (सदस्य की हिस्सेदारी)	80
2	केंद्रीय स्थल पर एलआईसी सीओ स्तर पर संग्रह की जाने वाली मंत्रालय की हिस्सेदारी (रुपए)	162
3	एसएसएफ से प्रीमियम (रुपए)	100
	कुल (रूपए)	

इस योजना के अंतर्गत बीमित राशि 2.0 लाख रुपए है। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपए और दुर्घटनावश मृत्यु के मामले में 4.00 लाख रुपए दिए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सात लाख भेड़ पालकों को लाभांवित करने के लिए वित्त वर्ष 2017–18 से 2019–20 में 1200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और आज की तारीख तक कुल व्यय 2.82 लाख रुपए है।

(vii) पश्मीना ऊन के विकास के लिए जेएंडके राज्य हेतु पुनर्निर्माण योजना

क. इस योजना के अंतर्गत पश्मीना क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए निम्नलिखित संघटकों को निम्नानुसार क्रियान्वित किया जाएगारू

1. कच्ची पश्मीना के उत्पादन में वृद्धि

2. मॉडल उत्पादन क्षेत्रों की स्थापना

3. पश्मीना संसाधन केंद्र की स्थापना

जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु पुर्निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक 5000 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान 2169 लाख रुपए का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है।

ख. निर्यात रूझान:

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊन मिश्रित उत्पादों का निर्यात किया गया है। 2018–19 और 2019–2020 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:–

उत्पाद	2018-19 (सितंबर, 2018 तक)	2019-2020 (सितंबर, 2019 तक)
	करोड़ रूपए में	करोड़ रूपए में
आरएमजी ऊन	801.12	605.93
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड–अप्स आदि	700.79	679.42
हस्त निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	4879.61	4743.83
कुल	6381.52	6029.18
वृद्धि / कमी	5.52% कमी	

ग. आयात रूझान

कच्ची ऊन का आयात

घरेलू उद्योग, अपैरल श्रेणी के ऊन के आयात पर बहुत अधिक आश्रित है। यह घरेलू उद्योगों को आयात पर आश्रित बनाता है। भारत कई देशों से कच्ची ऊन का आयात कर रहा है। आस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, तुर्की, आदि प्रमुख पांच आयात बाजार हैं। वर्ष 2018–19 और 2019–2020 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान कच्ची ऊन, ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स तथा सिलेसिलाए परिधान का आयात नीचे दिया गया है:

आयात रूझान

2018-19		2019-20 (सितंबर, 2019 तक)	
मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रूपए में	मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रूपए में
77.43	2159.56	33.47	892.24

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स आदि का आयात

2018-19	2019-20 (सितंबर, 2019 तक)
मूल्य करोड़ रूपए में	मूल्य करोड़ रूपए में
804.92	407.30

आर एम जी का आयात

2018-19	2019-20 (सितंबर, 2019 तक)
मूल्य करोड़ रूपए में	मूल्य करोड़ रूपए में
110.34	51.94

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता

5.1 वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। टीयूएफएस एक ऋण संबद्ध योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

5.2 यह योजना आरंभ में अप्रैल, 1999 में 31 मार्च, 2004 तक अनुमोदित की गई थी और इसे तत्पश्चात 2004 से 2007 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007 में यह स्कीम तकनीकी वस्त्र और गारमेंट के सेगमेंटों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ आगे बढ़ाई गई थी और इसे संशोधित टीयूएफएस (एमटीयूएफएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना 29.06.2010–27.04.2011 के दौरान स्थगित रही जिसे 'ब्लैक आउट अवधि' के रूप में जाना जाता है। स्कीम को पुनर्गठित किया गया था और पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आरटीयूएफएस) 28.04.2011 से 31.03.2012 तक क्रियान्वित की गई।

5.3 यह योजना फिर से 01.04.2012 से संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के रूप में संशोधित की गई थी और 11 जुलाई, 2016 तक क्रियान्वित की गई थी। 53805.49 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत कुल 10766 यूआईडी जारी किए गए और 7259.26 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी जारी की गई।

5.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस):

5.4.1 एटीयूएफएस पात्र बेंचमार्क मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सब्सिडी के साथ 13 जनवरी, 2016 को आरआरटीयूएफएस के स्थान पर शुरू की गई थी। गारमेंट और तकनीकी वस्त्र जैसे सेगमेंट, जहां रोजगार और निर्यात की संभावना अधिक है 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के पात्र हैं। नए शटलरहित करघे (विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग सहित) के लिए वीविंग, प्रोसेसिंग, पटसन, रेशम और हथकरघा जैसे सेगमेंट 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर पर सब्सिडी प्राप्त करेंगे। एटीयूएफएस के अंतर्गत विभिन्न सेगमेंटों की सब्सिडी की दरे और सीमा नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	क्षेत्र	पूंजी निवेश सब्सिडी की दरें (सीआईएस)
1.	परिधान, तकनीकी वस्त्र	30 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
2.	नए शटल–रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	20 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%
3(a)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र–यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	30 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 15%
3(b)	मिश्रित इकाई/मल्टीपल क्षेत्र–यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश 50% से कम है।	20 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 10%

डिजिटल प्रिंटिंग मशीन

राशेल मशीन

5.4.2 यदि इकाई ने पूर्व में आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया हो, तो वह नई अथवा मौजूदा इकाइयों के लिए एक एकल इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष सब्सिडी की सीमा तक पात्र होगी।

5.4.3 एटीयूएफएस के अंतर्गत 12671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं और नए मामलों के लिए 5151 रुपए की देयताओं को पूरा करने के लिए 2015–16 से 2021–22 तक सात वर्षों के लिए 17822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इससे एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा और 35.62 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होगा।

5.4.4 यह योजना एक वेब आधारित एमआईएस सिस्टम (आई–टफ्स) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है और मशीन की स्थापना किए जाने तथा उसकी जांच के पश्चात सब्सिडी सीधे इकाई को जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा बेंचमार्क वाली मशीन की खरीद का सत्यापन करने के लिए 100% संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण किया जाता है।

5.4.5 एटीयूएफएस के अंतर्गत 31.03.2020 तक 40839.75 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 9888 यूआईडी जारी किए गए हैं और 2958.45 करोड़ रुपए मूल्य की सब्सिडी जारी की गई है। एटीयूएफएस की सेगमेंट–वार प्रगति नीचे दी गई है:–

क्र.सं.	सेगमेंट का नाम	जारी किए गए यूआईडी संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपए में)	सब्सिडी धनराशि (करोड़ रूपए में)	नए रोजगार (अनुमानित)	मौजूदा रोजगार
1	गारमेंटिंग (15%सीआईएस)	1190	2451.20	237.08	79772	295448
2	हथकरघा (10% सीआईएस)	89	69.12	5.56	457	222
3	पटसन (10% सीआईएस)	9	10.56	0.88	2448	6476
4	बहु–गतिविधि (10% सीआईएस / 15%सीआईएस)	1756	19060.46	1241.59	133451	354524
5	प्रसंस्करण (10% सीआईएस)	1068	4157.58	290.19	21917	124478
6	रेशम (10% सीआईएस)	37	48.70	3.32	407	405
7	तकनीकी वस्त्र(15% सीआईएस)	338	2237.58	202.70	5263	14864
8	विविंग (10% सीआईएस)	5401	12804.55	977.13	46246	60641
	कुल	**9888**	**40839.75**	**2958.45**	**289961**	**857058**

गारमेंट यूनिट

5.4.6 वेब आधारित प्रक्रिया को सुचारू बनाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आई–टीयूएफएस को एक समग्र समाधान बनाने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) स्वचालित यूआईडी तैयार करना

(ख) डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करना

(ग) दस्तावेजों की कम संख्या

(घ) मशीन की सूची बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

(ङ) जेआईटी निरीक्षण के दौरान अनुमोदन आईटीयूएफएस सॉफ्टवेयर में जियोटैग युक्त और टाइम स्टैंप युक्त फोटोग्राफ अपलोड करना

(च) सब्सिडी पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी इकाई के खाते में जारी की गई।

5.4.7 जेआईटी रिपोर्ट/सब्सिडी दावे को आगे बढ़ाने सहित अनुमोदन की प्रक्रिया को सुचारू बनो के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनकी सूचनी नीचे दी गई है:

(क) **शक्तियों का प्रत्यायोजन:** सब्सिडी के दावों को अनुमोदित करने और 5.00 करोड़ रुपए तक इकाइयों को भुगतान जारी करने के लिए वस्त्र आयुक्त को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को एटीयूएफएस के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के दावे अनुमोदित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ख) **जियो टैगिंग और डिजीटल हस्ताक्षर:** मशीन की जियो टैगिंग प्रणाली क्रियान्वित की गई थी और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आईटीयूएफएस में इकाइयों/बैंकों/वस्त्र आयुक्त के कार्यालयों द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर की शुरूआत की गई है।

(ग) दावों की कार्रवाई में विलंब को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्ति करने की की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जेआईटी रिपोर्टें अनुमोदन के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को अग्रेषित किए जाने से पहले हर हालत में पूर्ण हों।

(घ) प्रक्रिया को सुचारू बनाने और अस्पष्टता को दूर करने के लिए विभिन्न नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

(ङ) योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शित में सुधार करने के लिए पात्र दावों/मामलों की स्थिति और इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

(च) टीयूएफएस के पिछले संस्करण के अंतर्गत खरीदी गई मशीनों का सत्यापन करने का आदेश दिया गया है ताकि दावों की प्रमाणिकता का सत्यापन किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेंचमार्क वाली मशीनरी की खरीद की गई है।

फेब्रिक डाइंग मशीन

5.5 टीयूएफएस के अंतर्गत बजट आवंटन:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014-15	2300	1885.02	1884.31
2015-16	1520.00	1413.68	1393.19
2016-17	1480.00	2610.00	2621.98
2017-18	2013	1913.15	1913.15
2018-19	2300	622.63	621.92
2019-20	700	494.37	317.90

राशेल वार्प निटिंग

5.6. परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) : मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प के माध्यम से परिधान क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन एवं रोजगार संबद्ध सहायता योजना (एसपीईएलएसजीयू) को भी अधिसूचित किया है। निर्दिष्ट गुणवत्ता वाली मशीनों की स्थापना के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने वाली परिधान इकाइयों को 3 वर्ष के पश्चात 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसलिए परिधान इकाइयों ने निर्दिष्ट मशीनों के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में इकाई द्वारा उल्लिखित अनुमानित उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राप्ति पर 10% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अनुमानित उत्पादन और रोजगार की प्राप्ति के आधार पर एटीयूएफएस के अंतर्गत एसपीईएलएसजीयू की भांति मेडअप्स इकाइयों की सीमा को 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाते हुए उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

शिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु सहायता

6.1 एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)

वस्त्र मंत्रालय द्वारा एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) की शुरूआत अक्तूबर, 2010 में 272 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी जिसमें 229 करोड़ रुपए के सरकार के अंशदान के साथ 2.56 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का वास्तविक लक्ष्य शामिल था। इसमें वस्त्र उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल थी। आईएसडीएस के मुख्य चरण को 15 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 1900 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं योजना में वर्ष 2016–17 की अवधि तक के लिए 23 अगस्त, 2013 को अनुमोदित किया गया था। आईएसडीएस ने उद्योग उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वस्त्र उद्यम में कुशल श्रमशक्ति की गंभीर कमी का समाधान किया। इसका क्रियान्वयन निम्नलिखित 3 संघटकों के माध्यम से 30.11.2017 तक किया गया था जिसमें पीपीपी माध्यम पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत एक मांग आधारित कौशल पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए उद्योग के साथ एक भागीदारी विकसित की गई है:–

i. संघटक–। (वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संस्थान/वस्त्र अनुसंधान संघ)

ii. संघटक–।। (पीपीपी माध्यम में निजी निकाय)

iii. संघटक–।।। (राज्य सरकार की एजेंसियां)

(i) आईएसडीएस का परिणाम:

कुल प्रशिक्षित	कुल मूल्यांकित	कुल नियुक्ति	प्रशिक्षित महिलाएं	प्रशिक्षित अनु. जाति	प्रशिक्षित अनु.ज. जाति	प्रशिक्षित दिव्यांग
11.14 लाख	10.45 लाख	8.43 लाख (75.49%)	7.94 लाख (71.27%)	2.32 लाख (20.82%)	0.77 लाख (6.9%)	3176 (0.28%)

(ii) स्थापना से लेकर अब तक आईएसडीएस की वर्ष–वार प्रगति:–

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय आवंटन (करोड़ रू. में)	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रू. में)	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि (व्यक्तियों में)	प्लेसमेंट (व्यक्तियों में)
1	2010-11	97.82	41.72	95,230	1,479	1,070
2	2011-12	126.68	55.33	1,60,850	34,432	21,259
3	2012-13	90.00	74.60	80,000	84,224	53,610
4	2013-14	250.00	99.50	1,30,000	1,35,847	91,184
5	2014-15	181.00	170.28	4,00,000	1,30,193	83,549
6	2015-16	134.31	134.31	4,74,000	2,17,682	1,85,178
7	2016-17	250.80	250.79	4,16,000	4,01,611	3,25,878
8	2017-18	100.00	100.00	1,11,000	1,09,077	81,354
	कुल	**1230.61**	**926.53**	**18,67,080**	**11,14,545**	**8,43,082**

iii. विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण का संचालन दर्शाने वाले प्रशिक्षण केंद्रों के चित्र नीचे दर्शाए गए हैं:–

नई कौशल विकास योजना अर्थात 'समर्थ (Samarth)'-वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण योजना

आईएसडीएस के अनुभवों के आधार पर मंत्रालय ने संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और वीविंग को छोड़ते हुए वस्त्र क्षेत्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए 'समर्थ–वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु योजना (एससीबीटीएस)' नामक एक नई कौशल विकास योजना की शुरूआत की है। इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुसार वित्त पोषण के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) का अनुपालन करने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस योजना के द्वारा वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट में 10 लाख लोगों को कौशल प्रदान किए जाने और प्रमाणित किए जाने का अनुमान है जिनमें से 1 लाख व्यक्ति परंपरागत क्षेत्रों में होंगे। योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) संगठित वस्त्र और संबद्ध क्षेत्रों जिसमें स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सम्मिलित है, में रोजगार सृजत करने के उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और अनुपूरित करने के लिए मांग आधारित, रोजगारोंन्मुखी राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुगामी कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना (स्पिनिंग और वीविंग में कौशल विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा किया जाना है।

(ii) हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और पटसन के पारम्परिक क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना।

(iii) संपूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को वेतन अथवा स्व–रोजगार के द्वारा सतत आजीविका की व्यवस्था करना।

योजना के कार्यान्वियन की स्थिति

(i) समर्थ के अंतर्गत राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों और वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठन को लगभग 4 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। मंत्रालय प्रशिक्षण केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के समग्र ढ़ांचे में विभिन्न गुणवत्ता वाले पहलुओं और मानकों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है। प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए क्रियान्वयन भागीदार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रीप्रेटरी और प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है।

(ii) पैनल बनाने के लिए आरएफपी और प्रशिक्षण लक्ष्य के आवंटन के माध्यम से केंद्र अथवा राज्य सरकार/केंद्र अथवा राज्य सरकार के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत पंजीकृत वस्त्र उद्योग/संघों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। वस्त्र उद्योग/वस्त्र उद्योग संघों को 69,174 व्यक्तियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

(iii) मंत्रालय ने समर्थ के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण/पुनः कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए परिधान निर्माण, अपैरल, गृह साज–सज्जा और मेड–अप्स क्षेत्र में लगे वस्त्र उद्योग से भी प्रस्ताव आंमत्रित किए गए हैं।

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)

राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान (निफ्ट) फैशन शिक्षा, एकीकृत ज्ञान, अकादमिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक सोच वाला एक अग्रणी संस्थान है। पिछले तीन दशकों में संस्थान की मजबूत उपस्थिति इसके सिद्धांतों की गवाह है जहां अकादमिक उत्कृष्टता इसके केंद्र में मौजूद है। यह संस्थान गंभीर और महत्वपूर्ण कार्यों के मार्गदर्शक तथा सक्षम पेशेवर लोगों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मौजूद है।

वर्ष 1986 में स्थापित निफ्ट हमारे देश में फैशन शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और वस्त्र एवं अपैरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक रहा है। इसे भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में एक सांविधिक संस्थान बनाया गया। पेशेवर रूप से प्रबंधित इसके 16 परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न भागों से भावी विद्यार्थी उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त कर सकें। इसकी स्थापना के शुरूआती वर्षों से संस्थान का डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में फैशन शिक्षा में मजबूत आधार है। तभी से निफ्ट ने उच्च अकादमिक मानक प्राप्त किए हैं। संस्थान के शिक्षक अग्रणी पेशेवरों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, रचनात्मक विचारकों, अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषणकर्ताओं के एक समुदाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

अपनी इस यात्रा के माध्यम से निफ्ट ने अपनी अकादमिक रणनीति को सुदृढ़ बनाया है। वैचारिक नेतृत्व, अनुसंधान को उत्प्रेरित करने वाले, उद्योग केंद्रित, रचनात्मक उद्यम और सहयोगियों से सीखने को प्रेरित करने के संस्थान के अकादमिक आधार को और मजबूत बनाया है। रचनात्मक विचारकों की एक नई पीढ़ी का पोषण करने वाला संस्थान, स्नातक, स्नात्कोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है। विश्वस्तरीय सीखने की प्रक्रियाओं के विचार को प्रस्तुत करते हुए इस संस्थान ने अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ रणनीतिक भागीदारी की है।

निफ्ट फैशन शिक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति कटिबद्ध है। संस्थान का दृष्टि–पत्र चुनौतियों को स्वीकार करता है और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने पर बल देता है। निफ्ट सर्वोत्तम शैक्षणिक मानकों को हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

विगत वर्षों में डिजाइन की भूमिका और संभावनाएं, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में कई गुणा विस्तार हुआ है। निफ्ट में हमने निरन्तर उद्योग से आगे को बने रहने और भारत में फैशन परिदृश्य को दिशा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्तमान और भावी मांगों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और निफ्ट के पास अब वर्धित सृजनात्मक संभावना और लचीलेपन के साथ एक नया और समय से बहुत आगे का पुनर्गठित पाठ्यक्रम है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं– मेजर्स और माइनर्स की अवधारणाएं, कार्यक्रम के भीतर विशेषसता और चुनने के लिए जनरल इलेक्टिव्स का समूह, जिससे छात्र व्यक्तिपरक विषयों में विशेषज्ञता हासिल कर सकें।

पुनर्गठित पाठ्यक्रम का सफल कार्यान्वियन

निफ्ट के पुनर्गठित पाठ्यक्रम ने जुलाई, 2018 में इसके क्रियान्वयन से ही अकादमिक सत्र 2018–19 से सभी अकादमिक पाठ्यक्रमों को ठोस और गतिशील बनाया है। पाठ्यक्रम में सुधार करने और पुनः उन्मुखीकरण बनाने

का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त करना है जो उन्हें अपनी पसंद का चयन करने और अपनी पूर्ण क्षमता को विकसित करने में समर्थ बना सके। इस पाठ्यक्रम में छात्रों को अपने पूर्ण अनुभव की पेशकश करने और अपने जीवनभर के ज्ञान की क्षमता समाहित करने की परिकल्पना की गई है। उद्योग की भावी अवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए और छात्रों के लिए वांछित कौशल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने नए और उभरते हुए विषय से संबंधित क्षेत्रों को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है।

अपनी विशिष्टता में वृद्धि करने के साथ विषय की ओर गहरायी में अन्वेषण करके इसकी एक मजबूत आधारशिला का निर्माण करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। आंतरिक छोटी–छोटी विधाएं छात्रों को अपनी विशिष्टता को सुदृढ़ बनाने और/अथवा वांछित स्रोत की शुरूआत करने के लिए उन्हें एक अवसर प्रदान करने में समर्थ बनाती है। दूसरी ओर पाठ्यक्रम के रूप में अन्य सामान्य विषयों पर विचार किया गया था जिससे उनके सर्वांगीण और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व का विकास हुआ है। पुनर्गठित पाठ्यक्रम आत्म–ज्ञान, आपस में बातचीत, पुस्तकालय अनुसंधान, फिल्ड अन्वेषण आदि के माध्यम से छात्रों के सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक में कौशल में सुधार करने के लिए लचीलेपन की अनुमति प्रदान करता है।

विजिटिंग फैकलटी और जूरी के सदस्यों के रूप में किसी बाह्य विशेषज्ञ की तैनाती करने से पहले व्यवसायिक दक्षता और विषय–वस्तु का सूक्ष्म मानचित्रण किया जाता है। नए पाठ्यक्रम में विशिष्टता युक्त प्रयोगशाला और अवसंरचना के प्रयोग की भी आवश्यकता है जो सभी निफ्ट कैंपसों में उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले अकादमिक वर्ष में अतुल्य ज्ञान प्रदान किया गया है। निरंतर फीडबैक और मॉनिटरिंग तंत्र अपेक्षाकृत मजबूत ढंग से पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरूआती कदम हैं। ताकि निफ्ट के इस नए पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके।

कन्वर्ज

विभिन्न निफ्ट परिसरों के विद्यार्थियों में संवाद के एक अवसर प्रदान करने के साथ सुनियोजित चहुमुखी समग्र विकास के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में अंतर–परिसर सांस्कृतिक एवं खेल प्रतिस्पर्धायें आयोजित की जाती हैं।

प्रत्येक निफ्ट परिसर में प्रारंभिक चयन सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में हर परिसर के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। सभी निफ्ट परिसरों के विद्यार्थियों ने हैदराबाद में आयोजित कन्वर्ज 19 में भाग लिया। यह कार्यक्रम निफ्ट के सभी परिसरों में विद्यार्थियों में 'एक' मातृ संस्था की भावना का विकास करने में एक प्रमुख कदम है।

दीक्षांत समारोह 2019

प्रत्येक अकादमिक वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। वर्ष 2019 में अलग–अलग परिसरों ने मई–सितंबर, 2019 के दौरान दीक्षांत समारोह आयोजित किए। ये दीक्षांत समारोह अकादमिक वर्ष के दौरान ही संपन्न किए गए ताकि निरंतरता और उत्तीर्ण होने वाले बैच की बेहतर प्रतिभागिता को बनाए रखा जा सके।

वर्ष 2019 में कुल 2913 स्नातकों ने उपाधियां प्राप्त कीं। परिसर–वार तथा कार्यक्रम–वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

परिसर-वार तथा कार्यक्रम-वार स्नातक विद्यार्थियों का विवरण

अकादमी कार्यक्रम	बंगलुरु	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	रायबरेली	शिलांग	कुल
बैचलर ऑफ डिजाइन (एसेसरी डिजाइन)	36	27	31	27	35	27		29	28		43	34	31	25	30	**403**
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन कम्यूनिकेशन)	33		33	28	33	36		30	33	23	37	34	34	27		**381**
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन डिजाइन)	40		35	37	57	34		36	41	36	58	30	32	27	30	**493**
बैचलर ऑफ डिजाइन (निटवियर डिजाइन)	28			30		27			26	34	31	35				**211**

बैचलर ऑफ डिजाइन (लेदर डिजाइन)				26					25			31		25		**107**
बैचलर ऑफ डिजाइन (टेक्सटाइल डिजाइन)	29	33	36	31	33	29		29	29	27	32	39	33			**380**
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (अपैरल प्रोडक्शन)	28		22	27	28	23	26	21	28	26	28	34	27			**318**
मास्टर ऑफ डिजाइन	27									27	26	30				**110**
मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट	36	27	28	31	33	34	32		36	25	34	33	29	21	20	**419**
मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी	24			20	21							26				**91**
कुल	**281**	**87**	**185**	**257**	**240**	**210**	**58**	**145**	**246**	**197**	**289**	**326**	**186**	**125**	**80**	**2913**

उपर्युक्त के अलावा, निफ्ट दिल्ली कैंपस के दीक्षांत समारोह 2019 में 3 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधियां प्रदान की गई है।

निफ्ट द्वारा शुरू की गई परामर्शदात्री परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी परियोजनाएं संचालित करता है। यह परियोजनाएं शिक्षकों को अनुभव तथा छात्रों को प्रयोगशील शिक्षण के अवसवर उपलब्ध कराती हैं। इनसे तकनीकी कौशल उन्नयन तथा डिजाइन मूल्य में वृद्धि के द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डरों को लाभ प्राप्त होता है। निफ्ट द्वारा चलाए जा रही 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की प्रमुख परामर्शी परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:–

- पहनने को तैयार परिधानों की बेहतर फिटिंग के लिए भारतीयों के शारीरिक माप पर आधारित साइज चार्ट विकसित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुसंधान और विकास योजना के तहत नेशनल साइजिंग सर्वे इंडिया परियोजना। इस परियोजना का मूल्य 31 करोड रुपए है।
- मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में मध्य प्रदेश के युवाओं (10000 व्यक्तियों) को कौशल प्रदान करने हेतु एक कौशल विकास परियोजना स्वीकृत की गई। परियोजना का मूल्य 12.72 करोड़ रुपए है।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टल्स और ब्रांड निर्माण के साथ सहयोग करके डिजाइन इंटरवेंशन, प्राडक्ट रेंज डेवलपमेंट, पैकेजिंग/प्रदर्शनी, फैशन शो और मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कौशल के उन्नयन और प्रशिक्षण विकास योजना के अधीन निफ्ट ज्ञान भागीदार के रूप में परियोजना मूल्य 15.09 करोड़ है।
- हथकरघा और वस्त्र विभाग, केरल सरकार की मूल्य वर्धित हथकरघा उत्पाद की ब्रांडिंग योजना को कार्यान्वित करने में निफ्ट एक ज्ञान भागीदार के रूप में – परियोजना का मूल्य 3.7 करोड़ रुपए है।
- कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, कर्नाटक सरकार के लिए एकीकृत प्राडक्ट मैपिंग, डिजाइन इंटरवेशन, उत्पाद विविधीकरण और विकास, प्रशिक्षण और विपणन गतिविधियों के माध्यम से कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ब्रांड को सुदृढ़ करना। परियोजना मूल्य 3.50 करोड़ रुपए है।
- सॉफ्ट इंटरवेंशन की ओर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के जोधपुर मेगाकलस्टर के अंतर्गत सॉफ्ट इंटरवेंशन का आयोजन (प्रशिक्षण कार्यशाला और उत्पाद/डिजाइन विकास)। परियोजना की लागत 72.91 लाख रुपए है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) के अधीन 17 विषयों के लिए फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी विषयों–चरण–।। हेतु ई–कंटेट का विकास। परियोजना मूल्य 1.16 करोड़ रुपए है।
- निफ्ट को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की सर्वांगीण हथकरघा कलस्टर विकास योजना के अधीन भागलपुर मेगा हैंडलूम कलस्टर का एकीकृत और सर्वांगीण विकास परियोजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, डीपीआर तैयार करने, कार्यान्वयन में सहायता और परियोजना की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए कलस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। परियोजना मूल्य 62.57 लाख रुपए है।
- निफ्ट के माध्यम से मूल्यवर्धित खादी परिधान की डाइंग और प्रिंटिंग, डिजाइन विकास, क्षमता निर्माण, उत्पादन और बिहार खादी की ब्रांडिंग के लिए खादी बोर्ड, बिहार सरकार के लिए बिहार खादी की व्यापक डिजाइन इंटरवेशन, पोजिशनिंग और ब्रांडिंग परियोजना। परियोजना मूल्य 80 लाख रुपए है।

इंडिया साइज़

निफ्ट भारतीय आबादी के लिए एक व्यापक शारीरिक आकार चार्ट विकसित करने के लिए एक विस्तृत मानवमितीय अनुसंधान अध्ययन कर रहा है। प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य न केवल भारतीय अपैरल क्षेत्र के लिए परिधान आकार चार्ट को मानकीकृत करना है, वरन इस अध्ययन के निष्कर्षों का ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, फिटनेस और स्पोर्टस, कला, कंप्यूटर गेमिंग आदि पर

भी प्रभाव होगा जिसमें इन आंकड़ों से श्रमसाध्य डिजाइनीकृत उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जो भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होंगे।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना में 15 वर्ष और 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु समूह के 25000 पुरुषों और महिलाओं की माप करना शामिल होगा जो 3डी संपूर्ण बाडी स्केनर का प्रयोग करते हुए भारत के छह क्षेत्रों में स्थित यह भिन्न–भिन्न शहरों अर्थात कोलकाता (पूर्व), मुंबई (पश्चिम), नई दिल्ली (उत्तर), हैदराबाद (मध्य), चौन्नई (दक्षिण) और शिलांग (पूर्वोत्तर) में किया जाएगा।

3डी संपूर्ण बॉडी स्कैनर एक पोश्चर में 10 सेकेंड से भी कम समय में शारीरिक माप निकालने और अत्यधिक शुद्ध 3डी बॉडी मैप कैप्चर करने की नॉन–कंटेक्ट पद्धति है। यह शरीर को स्कैन करती है और ऐसा प्वांइट क्लाउड तैयार करती है जिसमें हस्तचलित माप और ट्रांसक्रिप्शन त्रुटियों को दूर करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए स्वचालित रूप से सैकड़ों बॉडी मेजरमेंट निकाले जाते हैं। यह प्रौद्योगिकी त्वरित, सटीक और मानव सुरक्षित है और यह मानवमितीय सर्वेक्षण के टाइमफ्रेम को कम करने में अत्यधिक सहायता करती है, इसका उपयोग हाल के वर्षों में अनेक देशों जैसे यूएसएस, कनाडा, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, थाइलैंड, कोरिया, चीन, आस्ट्रेलिया आदि द्वारा किए गए सभी राष्ट्रीय साइजिंग मानवमितीय सर्वेक्षण ों में किया गया है।

अपने तरह की अनूठी यह परियोजना मई, 2017 में आरंभ हुई और इसके 2021 तक पूरा होने की संभावना है। यह भारत को उन चुनिंदा देशों के बीच वैश्विक मंच पर ला खड़ा करेगा जिन्होंने ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। भारतीय अपैरल के लिए मानकीकृत साइज चार्ट जो इस अध्ययन का परिणाम होगा, न केवल बेहतर फिट्स उपलब्ध कराने में उपभोक्ता के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा वरन बिक्रियों की वापसीध्हानि में कमी, बेहतर उपभोक्ता सन्तुष्टि और भारतीय अपैरल और निर्यात के लिए अधिक ध्यान देकर की उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा देगा।

नई परियोजनाएं

निफ्ट ने वस्त्र क्षेत्र में बहु–आयामी पहल के लिए तीन विस्तृत प्रस्ताव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने वस्त्र मंत्रालय को वस्त्र क्षेत्र में 'उत्पादों के नवाचार, प्राथमिकताओं को बदलने, नए उत्पादों के आरंभ के समय नई प्रवृत्तियों और उनके समय तथा विश्व में उभरता हुई आवश्यकताओं' के क्षेत्र में योगदान करने की परिकल्पना करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश पर अमल करते हुए निफ्ट ने नवाचार और विकास के संभावित क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अवधारणा नोट प्रस्तुत किया जो प्रवृत्तियों और प्राथमिकताओं तथा लक्जरी ब्रांडों और हस्तशिल्पित वस्तुओं के क्षेत्र में एक वैश्विक छाप छोड़ेगा।

इस परियोजना के लिए आधार स्वयं इस तथ्य पर आधारित है कि भारतीय वस्त्र और शिल्प बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। भारत में कुछ प्राचीनतम परम्पराएं जीवित बनाए रखी गई हैं, जिन्होंने भारत का निर्माण किया है तथा इस प्रकार यह हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्राप्त करने का एक प्रमुख गन्तव्य बन गया है। भारत के समक्ष चुनौती मात्र एक स्रोत गन्तव्य के स्थान पर डिजाइन और विकास गन्तव्य बनना है। उत्पाद नवाचार, उभरती हुई वैश्विक प्रवृत्तियां और डिजाइन पर उनका प्रभाव, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं, नई विकसित के रूप में भारतीय शिल्पों की स्थिति सुदृढ़ करना और विश्व तथा स्वयं देश के लिए भारत में सृजित पूर्वानुमान के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति को सक्षम बनाना विचार हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उपर्युक्त कारकों का समाधान करने के लिए नवाचार में एक बहुआयामी दृष्टि को नीतिगत योजना बनाई जा सकती है ताकि भारत केंद्रीत वैश्विक दृष्टिकोण के लिए वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके।

इस प्रस्ताव को आईडीसी मुंबईय आईआईटी दिल्लीय आईआईटी चौन्नईय और एनआईडी जैसी संस्थाओं द्वारा अपनाये गए मॉडलों पर आधारित करने का प्रस्ताव किया गया था जिन्होंने उद्योग के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर स्वतंत्र डिजाइन परियोजनाएं चलाई थी।

इस प्रस्ताव से तीन क्षेत्रों में योगदान की संभावनाएं सामने आईं और इन्हें समय के साथ आत्मनिर्भर परियोजनाओं के रूप में परिकल्पित किया गया:

1. विजनेक्स्ट – प्रचलन अंतरदृष्टि और पूर्वानुमान केन्द्र
2. रिपोजिटरी – भारतीय वस्त्र और शिल्प
3. निफ्ट डिजाइन नवाचार इन्क्यूबेशन केंद्र

परियोजना की अवधि के दौरान समूचे आधारभूत ढांचे, संकाय सदस्यों और छात्रों संबंधी परियोजनाओं के लिए एनआईएफटी के योगदान पर एक आकलन भी किया गया था।

चूंकि उपरोक्त सभी तीनों प्रस्ताव अद्वितीय प्रकृति के हैं और इन्हें पहली बार वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किए जा रहा है, इसलिए संगत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय विचार–विमर्श और व्यापक अनुसंधान और सभी हितधारकों के परामर्श से निम्नलिखित तीन परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई हैं:

1. विजनेक्स्ट प्रचलन अंतरदृष्टि और पूर्वानुमान केन्द्र

इस परियोजना की योजना दिल्ली और चेन्नई हेतु बनाई जाएगी। भारत की पहली स्वदेशी प्रचलन पूर्वानुमान सुविधा भारतीय फैशन और परिधान उद्योग के लिए शैली, रंग दिशा, क्षेत्रीय लहजे में रुझान का पता लगाएगी। क्रियाकलाप दृ सुविधा की स्थापना, एआई सहयोग, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और उद्योग परामर्श। परियोजना के लिए ट्रेंड स्पॉटर के रूप में प्रशिक्षण से नए रोजगार उत्पन्न होंगे। फैशन ट्रेंड स्पॉटर और एआई समर्थित फैशन विश्लेषणात्मक विशेषज्ञों का एक पूल बना कर उद्योग को लाभ होगाय स्टार्ट–अप्स प्रचलन अंतरदृष्टि और किफायती महत्वपूर्ण क्षेत्र–विशिष्ट रिपोर्ट मुहैया करवाएंगे और और खुदरा उद्योग के 2017 में 672 बिलियन अमेरीकी डालर से बढ़ कर 2021 में 1,200 बिलियन अमेरीकी डालर का होने की आशा है।

यह शोध एक बहु–विषयक और एक अंतर–विधा अध्ययन होगा जिसमें उपभोक्ता की इच्छा के बदलावों और उनकी पसंद तथा वरीयताओं से फैशन के रुझानों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने के लिए उद्योगों में बड़े और छोटे रूझानों की पहचान तथा उनका अध्ययन करना शामिल है। यह डेटा ट्रेंड स्पॉटर्स के माध्यम से एकत्र किया जाएगा, जिसमें एनआईएफटी के 16 परिसरों के छात्र, अन्य संस्थानों और अन्य निकायों से स्वतंत्र ट्रेंड स्पॉटर शामिल होंगे। सूचना को डाटा निकालने, दिशा का पता लगाने और मानसिकता में बदलाव के पैटर्नों की पहचान करने के लिए समूहबद्ध तथा फिल्टर किया जाएगा। यह क्रिया किसी भी समय 1000 से 3000 संभावित ट्रेंड स्पॉटर के साथ प्रत्येक सीजन में दृश्य डेटा की बड़ी मात्रा के संग्रहण को समर्थ बनाएगा। डाटा की मात्रा को एआई और मशीन लर्निंग के नियोजन द्वारा व्यवस्थित, छांटा और क्रमबद्ध किया जाएगा। तथापि, एक व्यापक आउटपुट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटा स्रोतों को लगाया जाएगा।

परियोजना की लागत 20.41 करोड़ रूपए और परियोजना की अवधि दो वर्ष है।

2. रिपोजिटरी - भारतीय वस्त्र और शिल्प

एनआईएफटी की शिल्प क्लस्टर पहल विकास आयुक्त, हथकरघा और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित है। शिल्प क्लस्टर पहल के माध्यम से उत्पन्न वस्त्र और शिल्प ज्ञान के सार को भारतीय वस्त्र और शिल्प रिपोजिटरी नामक राष्ट्रीय ज्ञान पोर्टल में रखा जाएगा। यह भी प्रस्तावित है कि यह रिपोजिटरी वस्त्र और शिल्प संसाधनों के आभासी रजिस्टर को रखेगी, जो बुनकर सेवा केंद्र, शिल्प संग्रहालय, समान संस्थानों और निजी संग्रह में उपलब्ध हैं। रिपोजिटरी वस्त्र और वस्त्र शिल्प, एक डिजाइनर संग्रह, स्वदेशी मामले के अध्ययन का एक आभासी संग्रहालय विकसित करेगी और संबंधित अनुसंधान पर ऑनलाइन जानकारी के संग्रहकर्ता के रूप में भी कार्य करेगी। रिपोजिटरी का उद्देश्य एक संवादात्मक मंच प्रदान करना है जहां व्यक्तिगत शिल्पकारों और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी साझा की जा सकें। टीसीआर में विभिन्न उप–रिपॉजिटरी शामिल होंगी और यह शोधकर्ताओं, उद्यमियों, शिल्पकारों और शिल्प के प्रति रूचि रखने वाले लोगों को कई सूचना सेवाओं के साथ–साथ सीखने और रचनात्मक संसाधनों तक सहज पहुंच प्रदान करेगी। वस्त्र और शिल्प रिपोजिटरी को पूरा होने पर इसे राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र के पोर्टल (जो कि इस तरह की जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने वाले पोर्टल को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है) के साथ संरेखितधविलय कर दिया जाएगा।

परियोजना की लागत 15.57 करोड़ रुपये और परियोजना की अवधि दो वर्ष है।

3. एनआईएफटी डिजाइन नवाचार इन्क्यूबेटर (डीआईआई)

युवा उद्यमियों, कारीगरों, स्टार्ट–अप्स, एनआईएफटी के पूर्व छात्रों और छात्रों के सपोर्ट के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाकर फैशन के मुख्य क्षेत्रों में व्यवसायों को बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि संभावित उद्यमियों के लिए एक डिजाइन नवाचार इनक्यूबेटर हो जो अभिनव डिजाइन विचारों को व्यवहार्य उद्यमों में बदलने और बुनियादी ढाँचे तक पहुँच प्राप्त करने तथा निर्दिष्ट सेवाओं की स्थापना किए जाने के लिए है। डीआईआई व्यवसाय विकास के लिए संगत सहयोग भी प्रदान करेगा। लक्षित लाभार्थियों में निफ्ट के पूर्व छात्र और छात्र शामिल हैं जो उद्यमीय उद्यम शुरू करना चाहते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो निफ्ट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन एनआईएफटी इन्क्यूबेशन सपोर्ट लेना चाहते हैं। उद्योग के सदस्य, मौजूदा स्टार्ट–अप, डिजाइनर, उद्यमी और कारीगर जो अपने व्यावसायिक विचारों को विकसित करने या उन्हें बढ़ाने के लिए डीआईआई की सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वे भी ऐसा कर सकते हैं।

निफ्ट के मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई परिसरों में निम्नलिखित क्षेत्रों में इन्क्यूबेशन सुविधाएं (क्षेत्रीय इनक्यूबेटर्स) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है:

1. परिधान, घर और स्थानों के लिए वस्त्र (दिल्ली)
2. स्मार्ट पहनने योग्य सिस्टम (मुंबई)
3. फैशन और जीवनशैली से संबंधित सामान (मुंबई)
4. परिधान जिसमें एथलेजर और एक्टिववियर शामिल हैं (चेन्नई)

पहचान किए गए क्षेत्र निफ्ट के विशेषज्ञता के क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं और अन्य सरकार समर्थित इनक्यूबेटरों द्वारा इनकी पेशकश नहीं की जाती है। तीन स्थानों को उद्योग, सलाहकारों, मेंटरों और अनुभवी निफ्ट संकाय की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है।

परियोजना के पहले चरण में फैशन और जीवन शैली उत्पादों के पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास रचनात्मक उद्यम क्षेत्र में इन्क्यूबेशन की अवधारणा का प्रमाण विकसित करना होगा। परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इम्प्रिंट–2 और नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के उद्देश्यों और परिणामों के साथ संरेखित होगी और इन पहलों के साथ मिलकर काम करेगी, तथा आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य इन्क्यूबेटरों के साथ साझेदारी करेगी।

निफ्ट डीआईआई के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक धारा 8 कंपनी (सेंटर ऑफ फैशन इनोवेशन) पंजीकृत की जानी है, जो बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली में तीन क्षेत्रीय इनक्यूबेटरों को संचालित करेगी।

डीआईआई के 50 से 60 उद्यमी उद्यम पांच साल के समय में 1500 से अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे।

परियोजना की लागत 17.532 करोड़ रूपए और परियोजना की अवधि 1.5 वर्ष की है।

अपैरल उद्योग 4.0 के क्षेत्र में निफ्ट में शाही चेयर

वर्ष 1974 में स्थापित शाही एक्सपोर्ट प्रा.लि. भारत का सबसे बड़ा अपैरल विनिर्माता और निर्यातक है। शाही 100,000 विविध कामगारों के साथ भारत के 9 राज्यों में 65 अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं का प्रचालन करता है। शाही अपने एकीकृत प्रचालनों, विविध उत्पाद रेंजों और नैतिक प्रचालनों की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता तथा पर्यावरणीय स्थिरता के लिए विश्वविख्यात है। निफ्ट के फैशन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम देश में इस प्रकार के प्रथम कार्यक्रम है। निफ्ट ने अवरोधक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रम में हाल ही में सुधार किया है जिन्होंने तीव्र गति से विकास किया है और अपैरल तथा फैशन सहित कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाल रही हैं।

दिनांक 04 जून, 2019 को शाही एक्सपोर्ट प्रा.लि. ने अपैरल उद्योग 4.0 के क्षेत्र में फैशन प्रौद्योगिकी विभाग (डीएफटी), निफ्ट, नई दिल्ली में चेयर की स्थापना करने के लिए निफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अपैरल विनिर्माण के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता और नेतृत्व का संवर्धन करना तथा शाही और निफ्ट फैकल्टी तथा छात्रों के बीच व्यापक और गहन विचार–विमर्श की सुविधा प्रदान करना है।

निफ्ट में यह चेयर अधिक प्रभाव डालने वाले अनुसंधान संबंधी कार्यसूची तैयार करेगी तथा कार्यान्वित करेगी, बहु अन्वेषक कार्यक्रम विकसित करेगी और बहुविध प्रयोगशालाएं तथा अभिनवकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तैयार करेगी जो सभी उद्योग और अकादमी के साथ सहयोग को बढ़ावा देंगे।

यह सहयोग अपैरल विनिर्माण के क्षेत्र में विकसित अनुसंधान करने के लिए नवाचारी मतों और पहलों का सृजन करने हेतु चर्चा और परिचर्चा के लिए उद्योग और संस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेगा।

इस चेयर के अन्य क्रियाकलाप छात्रों को विभिन्न विषयों में अनुसंधान करने के लिए छात्रवृत्ति, उद्योग सर्वेक्षण और बैंचमार्क अध्ययन, उच्च गुणवत्ता वाले मौलिक अनुसंधान करने, बौद्धिक संपदा का सृजन करने और नए ज्ञान का प्रसार करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा अपैरल उद्योग 4.0 के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टोरल अनुसंधान स्कॉलर को फैलोशिप प्रदान करना।

चेन्नई फोटो बीनेल

समुदाय आर्ट फोटो प्रोजेक्ट के रूप में परिकल्पित स्थानीय समुदाय को हरकदम पर शामिल किया गया था। इन मॉडलों में अन्य के साथ–साथ कुक, ऑटो ड्राइवर, घरेलू हेल्पर, निर्माण कार्य में लगे कामगार, जिप्सियां,

फूल विक्रेता शामिल हैं। इसका उद्देश्य चेन्नई के फैशन को वैश्विक मानचित्र पर लाना था। निफ्ट चेन्नई ने अपने प्रयासों के माध्यम से कार्यकारी स्थान को प्रदर्शनी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए सभी प्रचलनात्मक बाध ाओं से निपटने का प्रयास किया है। इसकी इस पहल की कई शहरों के समाचार–पत्रों–द हिंदू मेट्रो प्लस और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई आदि द्वारा प्रशंसा की गई थी।

निफ्ट, चेन्नई ने चेन्नई फोटो बीनेल के दूसरे संस्करण में भाग लिया जो सीपीबी फाउंडेशन (एक गैर–लाभकारी चेरीटेबल ट्रस्ट) द्वारा 22 फरवरी–24 मार्च, 2019 के बीच आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी महोत्सव है। इस दौरान थिरूवनमियूर, एमआरटीएस के रेलवे स्टेशन के फोयर में बड़े पैमाने पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रतिष्ठित परियोजना को संपन्न करने के लिए 5 संकाय सदस्यों के संरक्षण में निफ्ट चेन्नई के सभी विभागों के छात्रों के एक दल का गठन किया गया था।

भुवनेश्वर परिसर में सतत् फैशन केंद्र

निफ्ट भुवनेश्वर ने हथकरघा, प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक फाइबर बेस की विशिष्ट समृद्धि के आधार पर सतत् फैशन केंद्र का प्रस्ताव किया है। निफ्ट भुवनेश्वर ने लगभग 60 अलग–अलग स्थानों पर उगाए गए रंग उत्पादक पौधों और 10 विभिन्न प्राकृतिक फाइबर पौधों की पहचान की और उनमें से लगभग सभी को अपने परिसर में लगाया है। परिसर द्वारा किया गया यह विशिष्ट कार्य खेती से फैशन की अवधारणा पर आधारित है। दुनिया का यह पहला संस्थान है जहां छात्र पर्यावरण अनुकूल फैशन की समग्र मूल्य श्रृंखला को देख सकते हैं।

CAMPUS BUZZ

NIFT TAKES A GREEN STEP TO BRING FARM TO FASHION

The premier institute in the capital city has decided to set up a Centre for Sustainable Fashion on its campus to encourage students to experiment with different plants to create new natural fibres and dyes

BY MONALISA PATSANI

CAMPUS BUZZ

WE HAVE REMOVED ALL THE PLASTIC DUSTBINS FROM OUR CAMPUS AND REPLACED THEM WITH BAMBOO DUSTBINS. WE HAVE ALSO BANNED THE USE OF PLASTIC BAGS

प्रदर्शनी - 'नीलांबर - भारत की खादी और नील परंपरा का अनुष्ठान

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर निफ्ट के विभिन्न परिसरों में वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के भाग के रूप में दिल्ली कैंपस ने दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 से 'नीलांबर – भारत की खादी और नील परंपरा का अनुष्ठान नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आत्मनिर्भरता के अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए नील की खेती करने वाले किसानों और खादी की कताई और बुनाई करने वालों की सहायता के लिए चंपारण आंदोलन के माध्यम से विदेशी नियम के विरूद्ध जनता को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी की पहलों को एकजुट करना है।

वर्ष 2017 में निफ्ट ने व्याख्यान, रंगाई कार्यशाला और विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनी का आयोजन करके समस्त भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय इतिहास और संस्कृति के आंतरिक रूप से संबद्ध भाग के इंडिगो रूप में प्राकृतिक रंगाई समारोह के लिए चंपारण आंदोलन की शताब्दी का आयोजन किया था।

गांधीजी के स्वदेशी के विचार ने लाखों भारतीयों की आत्मनिर्भरता के प्रश्न का उत्तर दिया था। हाथ से बुनाई का कार्य जीवनयापन का माध्यम बन गया था और इसने काफी सीमा तक आर्थिक विषमता को समाप्त करने में भी सहायता की थी। भारत के फैब्रिक को अपनाकर और विदेशी सामानों का बहिष्कार करके गांधीजी ने बहुत से लोगों की भावनाओं को जगाया था और इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की थी।

खादी और नील की रंगाई संबंधी सूचना और फैशन तथा वस्त्र में इन दोनों में निहित मूल्यों के प्रसार के अलावा 'नीलांबर – भारत की खादी और परंपरा का अनुष्ठान नामक प्रदर्शनी नील का प्रयोग करने के लिए भारतीय शिल्पियों की प्रतिभा को भी प्रदर्शित किया गया जिसे अदभुत सुंदर वस्त्र का निर्माण करने के लिए रंगाई एवं छपाई के लिए 'नीला सोना' के रूप जाना जाता था। छात्रों ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए डिजाइन बनाए। छात्रों के लाभ के लिए चरखे पर खादी धागे की बुनाई को प्रदर्शित करने के लिए गांधी स्मृति से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया था।

विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय के अधीन देश भर में मौजूद बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) ने प्रदर्शनी के लिए अपने नमूने प्रदर्शित किए। डब्ल्यूएससी के कलेक्शन में नील से रंगे गए वस्त्र हैं जिसमें नील की रंगाई, छपाई, ईकत और हथकरघा बुनकरों के कौशल को प्रदर्शित किया गया था। नील से प्राप्त होने वाले रंगीन पैलेट को प्रदर्शित करने के लिए नील से रंगे हुए विभिन्न प्रकार की चमक वाले नमूने प्रदर्शित किए गए थे।

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 को श्री रवि कपूर, सचिव (वस्त्र) और श्री शांतमनु महानिदेशक, निफ्ट द्वारा किया गया था। इस प्रदर्शनी में छात्रों, शिल्प जिज्ञासु, टाटा ट्रस्ट के बुनकर और बहुत से अन्य लोगों ने भाग लिया।

'टूल बॉक्स – निफ्ट प्रदर्शनी 2019'

निफ्ट में संस्थान के चल रहे कार्य और उपलब्धियों के प्रदर्शित करने के आशय से बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली में 30 और 31 अगस्त, 2019 को आयोजित निफ्ट 'टूल बॉक्स', इस प्रकार का पहला वार्षिक कार्यक्रम था जिसमें डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के छात्रों के उत्कृष्ट स्नातक प्रोजेक्टों और सभी 16 निफ्ट कैंपसों के अन्य शिक्षण संबंधी पहलों को प्रदर्शित किया गया था।

'टूल बॉक्स' निफ्ट के छात्रों और संकाय के नवीन, रचनात्मक और विस्तृत कार्य को आगे लाने का एक माध्यम था। इस कार्यक्रम में शिल्प क्षेत्र और मेगा प्रोजेक्ट के विविध क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया गया था जिसे निफ्ट ने हाल ही में शुरू किया है। निफ्ट दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम ने उद्योग, डिजाइनरों और अकादमी के लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया था।

टूल बॉक्स 2019 की झलक

शिल्प की प्रदर्शनी आधारित स्नातक प्रोजेक्ट : शिल्प आधारित डिजाइन प्रोजेक्ट, शिल्प पर शिल्प दस्तावेज और फिल्म।

स्नातक प्रोजेक्ट – सभी परिसरों की फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, निटवियर डिजाइन, फैशन संवाद, एसेसरी डिजाइन और लेदर डिजाइन के उत्कृष्ट संग्रह।

संगोष्ठी – फैशन प्रौद्योगिकी विभाग ने 30 अगस्त, 2019 को अपैरल एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से अपैरल विनिर्माण के कायाकल्प के भावी स्वरूप पर एवं प्रदर्शनी आयोजित की।

फैशन रिटेलिंग, मर्चेडाइजिंग और मार्केटिंग पर उद्योग गोलमेज सम्मेलन – 31 अगस्त, 2019 को फैशन प्रबंधन परास्नातक विभाग द्वारा।

पोस्टर प्रस्तुतीकरण - डिजाइन परास्नातक छात्रों द्वारा

उत्पाद प्रोजेक्ट प्रदर्शनी - अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजना के लिए शिल्प कलस्टरों में उत्पाद विकसित किए गए।

निफ्ट मेगा प्रोजेक्ट - विजनेक्स्ट, रिपोजिटरी और डिजाइन नवाचार इंक्यूबेटर।

निफ्ट फैकल्टी शो केश

विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए ओपन हाउस

सतत शिक्षा कार्यक्रम

वस्त्र क्षेत्र में विकास की तीव्र गति सहित उद्योग में इच्छुक और पेशेवरों की सतत शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मुख्यालय में सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) को उद्योग की जनशक्ति प्रशिक्षण और ज्ञान उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान 12 एनआईएफटी कैम्पसों में 80 पाठ्यक्रमों (46 – एकवर्षीय, 22 – छमाही और 12 – तिमाही कार्यक्रम) की पेशकश किया जाना प्रस्तावित है जिसमें वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित सतत शिक्षा कार्यक्रमों से राजस्व सृजन में 19 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ 12,22,86,500 करोड़ रूपए (लगभग) के राजस्व व्यय की संभावना है।

पेशकश किए जाने वाले सतत शिक्षा कार्यक्रमों के अतिरिक्त, एनआईएफटी ने शैक्षणिक वर्ष 2014 से डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करना प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और अन्य स्रोतों के इष्टतम उपयोग के लिए केंद्रों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना है।

डिप्लोमा कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य के उन स्थानीय छात्रों के लिए मूल्यवर्धित कार्यक्रमों की पेशकश करना है जहां नए एनआईएफटी परिसर स्थित है। वर्ष 2018–19 के दौरान, चार डिप्लोमा कार्यक्रमों का आयोजन दो एनआईएफटी कैंपसों में किया गया था जिससे 1,54,01,200/– रूपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। वर्तमान में, वर्ष 2019–20 के दौरान दो एनआईएफटी केंद्रों में तीन डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

निफ्ट के पुराने स्नातकों के डिप्लोमा को डिग्री में परिवर्तित करने की अनुमति देने के लिए पूरक कार्यक्रम के रूप में ब्रिज कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। आरंभ में इस ब्रिज कार्यक्रम की पेशकश 5 वर्ष (2009–14) के लिए की गई थी और बाद में इसे दो वर्ष (2014–16) तक बढ़ा दिया गया था। एल्यूमनी की मांग पर इस ब्रिज कार्यक्रम को वर्ष 2019–20 से दुरस्त/ऑनलाइन पद्धति के रूप में पुनः शुरू किया जा रहा है। इस वर्ष का कुल इनटेक 82 है जिसमें से 2 सेमेस्टर के लिए 34 अवर स्नातक (यूजी) ब्रिज कार्यक्रम (एफडीएण्डएडी) और 1 सेमेस्टर के लिए 48 परास्नातक (पीजी) ब्रिज कार्यक्रम (एलडी, केडी, टीडी, एफसी, जीएमटी एवं एएमएम) हैं।

उद्योग और एल्यूमनी मामले - कैम्पस नियोजन

उद्योग और पूर्व छात्र मामलों की यूनिट निफ्ट के स्नातक छात्रों को कैंपस नियोजन की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपना करियर शुरू कर सकें। अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां एनआईएफटी पेशेवरों को भर्ती करने के लिए नियोजन में भाग लेती हैं।

एनआईएफटी के नियोजन में भाग लेने वाली कंपनियों की प्रोफाइल में बड़े रिटेलर्स, ब्रांड मार्केटर्स, विनिर्माता, परामर्शी संगठन, ई–रिटेलर्स, वस्त्र मिले, गृह साज–सज्जा कंपनियां, डिजाइन और ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, प्रौद्योगिकी समाधान मुहैया करवाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और स्टार्ट–अप फर्म जैसे उद्योग के विविध खंडों में काफी विस्तार हुआ है। स्नातक करने वाले छात्र अक्सर उन संस्थानों के साथ नौकरी करते हैं जहां उन्होंने इंटर्नशिप की थी या जिनके लिए उन्होंने स्नातक परियोजनाएं की थी। अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निफ्ट के पेशेवरों की भर्ती करने का प्रयास करती हैं।

निफ्ट ने देशभर के 7 कैंपसों अर्थात् मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलूरू, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और गांधीनगर में 22 अप्रैल से 03 अप्रैल तक कैंपस प्लेसमेंट 2019 का आयोजन किया।

वर्ष 2017 से 2019 तक प्रति वर्ष नियोजित किए गए छात्रों और औसत वेतन का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे दिया गया है:

	2017	2018	2019
नियोजित छात्रों का प्रतिशत	69%	81%	84.2%
औसत वेतन प्रति वर्ष (लाख रूपए में)	4.6	4.9	7.3

पिछले कई वर्षों में निफ्ट कैंपस प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण कराने वाली कंपनियों की संख्या स्थिर रही है। भर्ती करने वाली कंपनियों की रूचि अथवा भागीदारी में कोई गिरावट नहीं आई है। भर्ती वाली कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ–साथ डिजाइनर, निर्माता, निर्यातक, खरीद एजेंसियों, परामर्शदाता, खुदरा विक्रेताओं, फैशन ब्रांड्स, ई–रिटेलर्स, गृह साज–सज्जा, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता, आईटी एवं आईटीईएस, यूआई/यूएक्स जैसे विविध क्षेत्रों से थी।

निफ्ट के स्नातकों को जॉर्डन, इथियोपिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई एवं जीसीसी के विदेशी भर्ती कर्ताओं द्वारा अवसर प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने सितंबर, 2019 तक ऑफ कैंपस अभियान के माध्यम से अवसर प्रदान किए।

निफ्ट सतत् रूप से उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है और अपने स्नातकों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। निफ्ट ने नए पुनर्गठित पाठ्यक्रम की शुरूआत की है जिसने अवरोधक प्रौद्योगिकियों सहित नए और उभरते हुए क्षेत्रों को शामिल किया है और उच्चतर उद्योग तैनाती की शुरूआत की है। विश्वास है कि इससे निफ्ट में उद्योग की रूचि में वृद्धि हुई है।

लागू की गई नीतियां

क. इस उद्योग तैनाती की नीति में संसाधन आवश्यकताओं के साथ आईई और तैनाती मानदंडों की शुरूआत करने के लिए उद्योग तैनाती वर्गीकरण, उद्योग तैनाती का निर्धारण, आईई की आयोजना और कार्यनीति के उपाय, प्रक्रिया का उल्लेख है और इन अनुमानों को दिनांक 11.12.2018 को आयोजित बीओजी की 45वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।

ख. नीति–सोर्सिंग और प्रबंधन इंडोमेंट को इंडोमेंट के स्रोतों, विभिन्न इंडोमेंट श्रेणियों के वर्गीकरण और इंडोमेंट नीति के लिए संसाधनों को जुटाने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत अथवा संस्थागत उपहार की विशिष्ट संविदात्मक दायित्वों के प्रबंधन के विवरण सहित बीओजी के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इस नीति में उपहारों की स्वीकृति और स्वैच्छिक प्रबंधन, शपथ और वसीयत तथा प्रबंधन समिति को

सूचित करने से संबंधित क्रिया–विधियां शामिल हैं। इस नीति में इंडोमेंट प्रबंधन, प्रशासन और अनुपालन के पहलुओं को शामिल करने का इरादा नहीं है जिनका प्रावधान पहले ही प्रचलित निफ्ट इंडोमेंट निधि की नीति में किया गया है।

उद्योग द्वारा तैनाती

क. सीआईईएल टेक्सटाइल लि., मॉरीशस दृ कैंपस वाइड जीपीपीपीओ

ख. डिजाइन संबंधी छात्रों के लिए अरिवंद रनवे 2019, जीपी दृ पीपीओ

ग. निफ्ट दिल्ली कैंपस के साथ ब्लैकबेरी छात्र पुरस्कार एमओयू

घ. प्यूमा डिजाइन चौलेंज 2019

ङ. निफ्ट में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए निफ्ट दृ हरीश गुप्ता डिजाइन प्रतियोगिता।

च. रेमंड डिजाइन चौलेंज 2019, जिसमें 2019 के स्नातकों को तैनाती पूर्व पेशकश का प्रावधान है।

छ. निफ्ट दिल्ली में शाही चेयर और निफ्ट मुंबई में टाटा ट्रेंट चेयर।

ज. इंटर्नशिप एवं जीपी के लिए स्टार्ट–अप कनेक्ट।

उद्योग परिचर्चा

क. वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित की जाने वाली 'विजनेक्स्ट' ट्रैंड लेब की पूर्वापेक्षाओं की बेंचमार्किंग के लिए दी ऑबराय (आर्चिड हॉल), 39, एम.जी. रोड़, बैंगलूरू में 03 नवंबर, 2018 को उद्योग अग्रणियों और निफ्ट एल्यूमनी के साथ एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य एक स्वदेशी फैशन पूर्वानुमान सेवा का निर्माण करना है जो हमारे देश के लिए मौसमी निर्देशों को तैयार करता है। निफ्ट द्वारा विजनेक्स्ट पहल का आयोजन भारतीय फैशन उद्योग और इसकी चुनौतियों में सूक्ष्म अंतर पर विचार करते हुए हमारे राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना और बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप हथकरघा हाट, जनपद, दिल्ली में आवंटित स्थान पर किया जाएगा।

ख. इंडिया साइज प्रोजेक्ट के लिए उद्योग बैठकें।

ग. निफ्ट में इंक्यूबेटरों की स्थापना के लिए उद्योग बैठकें।

घ. सितंबर, 2019 के दौरान एएमसीएचएएम प्रतिनिधिमंडल के साथ परिचर्चा।

विदेश उद्योग संपर्क

क. इकाई प्रभारी (उद्योग) के साथ उद्योग एवं एल्यूमनी प्रमुख मामले को मीडिल ईस्ट रिटेल फोरम, दुबई, यूएई के सातवें संस्करण में भाग लेने के लिए और विदेश में उद्योग इंगेजमेंट को सुदृढ़ बनाने के लिए संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए दुबई में रिटेलरों/परिधान निर्माताओं के साथ बैठक करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। इस दौरे की निरंतरता में यूएई की कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट 2019 के दौरान निफ्ट का दौरा किया और जीसीसी में स्नातकों को नौकरी के लिए पेशकश की।

ख. बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जो फैशन के क्षेत्र में उभरते हुए गंतव्य हैं, में फैशन एवं जीवन–शैली उद्योगों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए विनिर्माता, रिटेल एवं अन्य फैशन व्यवसाय के क्षेत्रों के एल्यूमनी और उद्योग प्रमुखों के साथ बैठक करने के लिए इन देशों का दौरा करने के लिए इकाई प्रभारी (उद्योग) के साथ उद्योग प्रमुख एवं एल्यूमनी मामले की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस दौरे के दौरान दल ने निफ्ट के विभिन्न प्रयासों को प्रस्तुत किया और उद्यमशीलता विकास, इंक्यूबेटर एवं अनुसंधान चेयरों की स्थापना, प्रोजेक्ट एवं परामर्श, उद्योग एवं एल्यूमनी राउंट टेबल, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, इंटर्नशिप, स्नातक प्रोजेक्ट, कैंपस प्लेसमेंट आदि के लिए सहयोग हेतु अवसरों की तलाश की। फैशन शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने वियतनाम का भी दौरा किया। इस दौरे के क्रम में बांग्लादेश और वियतनाम की कंपनियों ने कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट 2019 के माध्यम से निफ्ट के स्नातकों को अवसर प्रदान किए।

ग. क्लासिक फैशन के प्रबंध निदेशक, जॉर्डन ने कन्नूर, केरल, भारत में अपने दौरे के दौरान उनके साथ ऑनलाइन विचार–विमर्श किया जिसके परिणामस्वरूप एक प्रतिनिधिमंडल ने कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट 2019 के दौरान निफ्ट का दौरा किया और अपने जॉर्डन की सुविधा में काम करने के लिए लगभग 50 स्नातकों को नौकरी करने की पेशकश की।

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संबंध

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

एनआईएफटी की अकादमिक रणनीति अंतरराष्ट्रीयता को अपनाती है। पिछले कई वर्षों में, निफ्ट ने सचेत रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और विदेशों में अन्य प्रतिष्ठित फैशन संस्थानों के मध्य अपनी ख्याति में वृद्धि की है। एनआईएफटी के 26 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय फैशन संस्थानों और संगठनों के साथ रणनीतिक समझौते और साझेदारी हैं जो समान शैक्षणिक दिशा साझा करते हैं। एक तरफ यह एनआईएफटी छात्रों को सहयोगी संस्थानों के साथ आदान–प्रदान कार्यक्रम का अवसर देकर फैशन की वैश्विक मुख्य धारा के साथ एकीकृत होने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत निफ्ट के साथ–साथ भौगोलिक क्षेत्रों के साथ संवाद करने के लिए, उनके दृष्टिकोण को विकसित करने तथा विविध संस्कृतियों को समझने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में इसी तरह के 'विदेश में अध्ययन' के अवसर प्रस्तुत करता है।

एक शैक्षिक उपलब्ध कराने के लिए संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध छात्रों को अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं/सेमीनारों/अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियों में भागीदारी दिलाता है। इसके अलावा, रणनीतिक समझौते फैकल्टी के आदान प्रदान के माध्यम से फैकल्टी स्तर पर शिक्षा या संयुक्त अनुसंधान प्रयासों को विस्तृत करने के विकल्प उपलब्ध कराते हैं। इससे निफ्ट फैकल्टी को विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समान बनाकर शैक्षणिक विधियों तथा सुविधाओं के स्थायी अद्यतीकरण तथा उन्नयन सुनिश्चित होता है।

शिक्षण अध्यापन, अवधारणाओं और पेशेवर विचारों के आदान–प्रदान को सुकर बनाने के लिए, संकाय सदस्य शैक्षिणक आदान–प्रदान कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय मेलों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और व्यापार शो में भाग लेते है जिससे कक्षा में पर्याप्त अनुभव प्राप्त होता है और एनआईएफटी का ज्ञान पूल समृद्ध होता है।

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलियाय डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, यूकेय ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट्स, यूकेय स्विस टेक्सटाइल कॉलेज, स्विट्जरलैंडय इएनएसएआईटी, फ्रांसय एनएबीए, इटलीय ईएसएमओडी, जर्मनीय सैक्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, नीदरलैंड्सय एम्स्टर्डम फैशन इंस्टीट्यूट, नीदरलैंडय बंका गौकेन यूनिवर्सिटी, जापानय नॉर्थम्प्टन

यूनिवर्सिटी, ब्रिटेनय पोलिटेकनिको डी मिलानो, इटलीय केईए–कोपेनहेगन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, डेनमार्कय उत्तरी कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसएय सवाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन (एससीएडी), संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई अन्य निफ्ट के द्वारा साझेदारी वाले कुछ मुख्य संस्थान हैं।

भागीदार संस्थानों के साथ छात्रों का लगातार आदान–प्रदान होता है। जुलाई–दिसंबर 2018, जनवरी दृजून, 2019 सेमेस्टर में एनआईएफटी के 15 और 23 छात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर आदान–प्रदान कार्यक्रम में शामिल है जबकि 6 निफ्ट छात्रों को अकादमिक सत्र जुलाई–दिसंबर 2019 में सेमेस्टर आदान–प्रदान कार्यक्रम/स्नातक परियोजना/अनुसंधान परियोजना हेतु पोलिटेक्निको डी मिलानो, इटलीय ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट, यूकेय सैक्सियन यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, नीदरलैंड्स जैसे संस्थानों में शार्टलिस्ट किया गया है।

संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शैक्षिक और सांस्कृतिक समृद्धि में अनुभव प्रदान करने वाले निफ्ट की ओर भी आकर्षित करता है। आदान–प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से, विदेशी संस्थानों के छात्रों ने न केवल भारतीय संस्कृति, कला और शिल्प की मूल्यवान समझ विकसित की है बल्कि भारतीय बाजार तथा इसकी गतिशीलता को भी समझा है। वर्ष 2018 में स्विस टेक्सटाइल्स कॉलेज, स्विटजरलैंड (एसटीसी) के 35 छात्रों ने निफ्ट का दौरा किया तथा 28 निफ्ट छात्रों ने एसटीसी, स्विटजरलैंड में ग्रीष्म कालीन कार्यक्रम कार्यान्वित किया। वर्ष 2019 में स्विस टेक्सटाइल्स कॉलेज, स्विटजरलैंड (एसटीसी) के 13 छात्रों ने निफ्ट का दौरा किया तथा 26 निफ्ट छात्रों ने एसटीसी, स्विटजरलैंड में ग्रीष्म कालीन कार्यक्रम कार्यान्वित किया।

4 निफ्ट छात्रों ने शैक्षणिक सत्र जुलाई–दिसंबर, 2019 हेतु बीयूएफटी, बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपैरल इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया। 4 बीयूएफटी छात्र जनवरी–मई, 2019 से एनआईएफटी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं।

एनआईएफटी छात्रों को सभी कैंपसों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों ने वूल मार्क, डब्ल्यूओडब्ल्यू (वर्ल्ड ऑफ वियरेबल आर्ट्स) आदि जैसे कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है।

दोहरी डिग्री अवसर

फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एफआईटी), न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ एनआईएफटी की रणनीतिक साझेदारी ने निफ्ट से मेधावी छात्रों का चयन करने का अवसर दिया है, जिससे उन्हें एनआईएफटी तथा एफआईटी दोनों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर मिलता है। एनआईएफटी से छात्र गृह संस्थान में दो वर्ष का अध्ययन प्रारंभ करते है जिसमें बीच में एफआईटी में एक वर्ष का अध्ययन भी शामिल होता है। तत्पश्चात, छात्र दोनों संस्थानों से दोहरी डिग्री प्राप्त करने के लिए निफ्ट में अपना अध्ययन पुनरू प्रारंभ करते है। विभिन्न विधाओं के 21 छात्र वर्ष 2018–19 में एफआईटी में दोहरी डिग्री के अवसर का लाभ उठा रहे हैं।

पेपर प्रस्तुतीकरण के लिए विभिन्न संकाय सदस्यों द्वारा यात्राः

1. मेनचेस्टर फैशन संस्थान, यूके में 8 से 12 अप्रैल, 2019 तक 21वें वार्षिक आईएफएफटीआई सम्मेलन में 4 एनआईएफटी संकाय सदस्यों द्वारा पेपर प्रस्तुतिकरण।
   - सुश्री परमिता सरकार, सहायक प्रोफेसर
   - सुश्री मौलश्री सिन्हा, सहायक प्रोफेसर
   - सुश्री पेट्रीसिया सुमोद, एसोसिएट प्रोफेसर, एफडी
   - डॉ. सुशील रतूड़ी –प्रोफेसर, एफएमएस
2. 9 से 14 अप्रैल, 2019 तक मिलान में सलोन इंटरनेशनल डेल मोबाइल फेयर का दौरा, श्री संजीव कुमार, प्रोफेसर और श्री शक्ति सागर काटरे, सहायक प्रोफेसर, एफएंडएलए विभाग दिल्ली कैंपस।
3. प्रो. बिनाया भूषण जेना, एनआईएफटी, भुवनेश्वर का न्यू यॉर्क, यूएसए में 4/8/2019 से 8/8/2019 तक क्ल्यूट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रस्तुतिकरण।
4. श्री गौतम बार, सहायक प्राध्यापक का 1.7.19 से 3.7.19 तक पुर्तगाल में प्रकृति फाइबर पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मौखिक प्रस्तुतिकरण।
5. श्री संदीप किडिल, सहायक प्रोफेसर का बेल्जियम में वस्त्र डिजाइन विभाग, एयूटीईएक्स सम्मेलन में 11.6.19 से 15.6.19 तक में पेपर प्रस्तुतिकरण।
6. सुश्री गिरिजा झा, सहायक प्रोफेसर, डीएफटी विभाग, दिल्ली कैंपस का फैक्टम 19, अस्कोना, स्विट्जरलैंड में 21–26 जुलाई 2019 तक पेपर प्रस्तुतिकरण।
7. डॉ. सुधा ढींगरा, प्रोफेसर, टीडी द्वारा किस्लोवोडस्क, रूस में चौथी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 21 से 26 सितंबर 2019 तक पेपर प्रस्तुतिकरण।
8. प्रो. विजया दुआ, एफसी, दिल्ली कैंपस ने लॉस एंजिल्स कन्वेंशन केंद्र, यूएसए में 4 से 6 नवंबर 2019 तक तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।
9. डॉ. सुशील रतूड़ी, प्रोफेसर, एफएमएस, मुंबई कैंपस द्वारा 16 से 17 नवंबर 2019 को ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मौखिक प्रस्तुतिकरण।

अकादमिक सहयोग हेतु निफ्ट संकाय की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा:

नए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक सामंजस्य शुरू करने और पहले से मौजूद विश्वविद्यालयों के साथ संबंधों को सुधारने/मजबूत बनाने के लिए नोडल अधिकारियों की यात्रा को 44वें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) ने इस दृष्टिकोण के साथ मंजूरी दी थी कि निफ्ट को निफ्ट छात्रों द्वारा विदेशों में अध्ययन करने तथा फैशन उद्योग के कार्य करने की प्रवृत्ति के वैश्विक परिदृश्य हेतु अवसरों की संख्या बढ़ाने में अधिक जोर देना चाहिए।

साझेदार के लिए नोडल अधिकारी/निफ्ट अधिकारियों की यात्रा को दो चरणों में अनुमोदित किया गया था, चरण–I जो कि मई 2019 में हुआ था, का विवरण निम्नलिखित हैं:

1. दिनांक 20–23 मई, 2019 तक निम्नलिखित निफ्ट संकाय द्वारा नीदरलैंड के विभिन्न विश्वविद्यालय जैसे: एम्स्टर्डम फैशन इंस्टीट्यूट (एएमएफआई); रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स (आरएए); एम्स्टर्डम फैशन अकादमी (एएफए) का दौरा किया गया:
   - डॉ. एम. वसंत, प्रोफेसर, निफ्ट चेन्नई
   - सुश्री रूपाली पंडित, एसो. प्रो, निफ्ट गांधीनगर
   - श्री नितिन कुलकर्णी, एसो. प्रो., निफ्ट, मुंबई
   - श्री कमलजीत, एसो. प्रो., निफ्ट कांगड़ा
2. दिनांक 21 से 24 मई, 2019 को निम्नलिखित निफ्ट संकायों द्वारा ब्रिटेन के विश्वविद्यालय जैसे: डी मोंट फोर्ट यूनिवर्सिटी (डीएमयू); ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट (जीएसए); स्कूल ऑफ डिजाइन, लीड्स; एडिनबर्ग, यूके का दौरा किया गया था:
   - डॉ. रजनी जैन, प्रोफेसर, हैदराबाद,
   - डॉ. रूपा एन. अग्रवाल, प्रोफेसर, एनआईएफटी, मुंबई
   - श्री. टोनी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, निफ्ट, पटना
2. एनआईटीयू और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जैसे यूके के विश्वविद्यालयों का जुलाई, 2019 में निफ्ट फैकल्टी द्वारा दौरा किया गया था:
   - डॉ. रूबी के सूद, निफ्ट, नई दिल्ली
   - सुश्री शिप्रा रॉय, निफ्ट, बैंगलूरू
3. दिनांक 06 से 10 मई 2019 तक इटली के विश्वविद्यालयों जैसे: इंस्टीट्यूटो यूरोपो डी डिजाइन (आईईडी); नोवा अकेडमिया डी बेली आरती (एनएबीए); पॉलिटेक्निको डी मिलानो (पीडीएम) का निम्नलिखित निफ्ट फैकल्टी द्वारा दौरा किया गया।
   - डॉ. एम. अरावेंदन, प्रोफेसर, निफ्ट, चेन्नई
   - श्री अखिलेन्द्र प्रताप सोनकर, सहायक प्रोफेसर, एनआईएफटी, रायबरेली
4. दिनांक 06 से 10 मई 2019 तक फ्रांस के विश्वविद्यालयों जैसे: ईएनएसएआईटी; इकोले ड्यूपरय अंतर्राष्ट्रीय फैशन अकादमी (आईएफए); आईईएसईजी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट; ईएनएसएडी का निम्नलिखित निफ्ट संकाय द्वारा किया गया:–
   - डॉ. सौगत बेनर्जी, सहायक प्रोफेसर, एनआईएफटी, कोलकाता
   - सुश्री स्नेहा भटनागर, सहायक प्रोफेसर, निफ्ट, मुंबई

घरेलू लिंकेज

निफ्ट भारत में डिजाइन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है और इसे प्राप्त करने के लिए इसने विभिन्न प्रमुख संगठनों/संस्थानों के साथ अपने को संबद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। एनआईएफटी ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित संगठनों/संस्थानों के साथ समझौता–ज्ञापन किए हैं:

- **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), अहमदाबाद** - दोनों संस्थानों के बीच सहयोग शिक्षण, निर्णायक मंडल के लिए पैनलिस्ट के साथ–साथ पीएचडी प्रोग्राम हेतु गाइड के लिए संकाय सदस्यों को साझा करना, आधारभूत ढांचे को साझा करना, संयुक्त छात्र फील्ड दौरे, डिजाइन शिक्षा और संवर्धन जैसे क्षेत्रों में है।
- **फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट (एफडीडीआई)** – एनआईएफटी ने दिसम्बर,2013 में एफडीडीआई, दिल्ली के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग शिक्षण, निर्णायक मंडल के लिए पैनलिस्ट के साथ–साथ पीएचडी प्रोगाम हेतु गाइड के लिए संकाय सदस्यों को साझा करना, आधारभूत ढांचों को साझा करना, संयुक्त छात्र फील्ड दौरे, डिजाइन शिक्षा और संवर्धन जैसे क्षेत्रों में है।
- **सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईसी)** – एनआईएफटी ने सीसीआईसी, दिल्ली के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। दो संस्थानों के मध्य सहयोग निम्नानुसार हैं:

क. एनआईएफटी, सीसीआईसी की सहायता के लिए नए डिजाइन और उत्पाद विकास तकनीकों पर कार्य करेगा, जिसके आधार पर एनआईएफटी और सीसीआईसी द्वारा नमूना उत्पाद बनाए जाएंगे।

ख. सीसीआईसी उन नमूनों को अपने शोरूमों में रखेगा, विभिन्न प्रदर्शनियों में ऑर्डर बुक करने के लिए प्रदर्शित करेगा और उसके आधार पर विभिन्न शिल्प क्लस्टरों में आर्डर देगा।

संकाय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण और विकास

पुनर्गठित पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के साथ, संकाय सदस्यों को नए कौशल और ज्ञान के साथ प्रशिक्षित तथा लैस करने और फैशन व्यवसाय में बदलते रुझानों के साथ उनके पुनर्अभिमुखीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेमेस्टर की शुरुआत से पहले कैम्पस आत्मनिर्भर रहें और बाहरी संसाधनों पर निर्भरता न्यूनतम हो। परंपरा से अलग हटते हुए, 2018 में टीओटी का आयोजन प्रत्येक परिसर में एक विशिष्ट विषय को पढ़ाने वाले संकाय सदस्य के लिए किया गया है, जो कि विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित है, न कि प्रशिक्षण के लिए चुने जाने वाले संकाय सदस्यों के पैटर्न पर, जिन्हें अन्य संकाय सदस्यों द्वारा उनकी रूचि के अनुसार बनाया गया है। नए पुनर्गठित पाठ्यक्रम और निफ्ट की आवश्यकता वाले शैक्षणिक प्रदाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट हो गया कि नियमित कार्यक्रम निफ्ट की संकाय प्रशिक्षण की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) या घरेलू प्रशिक्षण की नीति शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉड्यूल को अनुकूलित करने के विषय पर ध्यान नहीं देती है। अतः बीओजी एनआईएफटी ने भारत मे प्रतिपठित संस्थानों और संगठनों के प्रख्यात संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा विशेषीकृत देशीय प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

जुलाई और अगस्त 2018 के दौरान, संकाय सदस्यों के पुनर्अभिमुखीकरण और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए तीन प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इनमें यूके के एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञय आईआईएम–बेंगलुरू, आईआईएम–अहमदाबाद और आईआईएससी, बेंगलुरू जैसे संस्थानों में फैकल्टी प्रशिक्षण द्वारा 4 विशेषीकृत देशीय प्रशिक्षण तथा इनहाउस आंतरिक प्रशिक्षकों

और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा 12 टीओटी शामिल थे।

टीओटी के लिए फोकस का क्षेत्र फाउंडेशन प्रोग्राम में शिक्षण पद्धति और संव्यवहार मॉडल और विशेषज्ञता के लिए उभरते क्षेत्रों पर था। बड़ा डाटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, लक्जरी बिजनेस– उत्पाद और खुदरा, डिजाइन प्रक्रिया और इस तरह के कई प्रशिक्षण जुलाई और अगस्त 2018 में आयोजित किए गए। इसमें 241 संकाय सदस्यों ने भाग लिया और प्रशिक्षणों से लाभान्वित हुए।

एससीएडी– हांगकांग में 2019 में प्रारंभ में शीतकालीन सत्र में 4 फैकल्टी सदस्यों हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण की प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुकी है। कौशल उन्नयन तथा ज्ञान प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय तथा अंतरार्ष्टीय संस्थानों में अपनी फैकल्टी के प्रशिक्षण हेतु अध्यक्ष पाठ्यक्रमों को चिन्हित करने के लिए कार्यरत हैं। सुई प्रेस्कॉट, एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, फैशन और परिधान डिजाइनर, और नगा पे महुटोंगा स्कूल ऑफ डिजाइन, मैसी यूनिवर्सिटी में व्याख्याता को निफ्ट, नई दिल्ली में संकाय सदस्यों की एक तीन दिवसीय कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था।

कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण, वार्तालाप सत्र तथा रचनात्मक निर्माण एकीकृत 'स्थायी फैशन', रचनात्मक विचार तथा फैशन हेतु महत्वपूर्ण डिजाइन संकल्पना सम्मिलित थे। भाग लेने वाले फैकल्टी सदस्यों ने चिन्हित किए जाने वाले से संबंधित वर्तमान फैशन विरोधाभास तथा विकसित रचनात्मक डिजाइन सोल्युशन्स और वैकल्पिक डिजाइन रणनीतियों के अंतर्गत मौजूद मुख्य बातों को चिन्हित और उजागर किया। फैकल्टी सदस्यों ने रचनात्मक डिजाइन संकल्पनाओं को विकसित किया तथा 'डिजाइन फॉर डिसअसेंबली' और 'डिजाइन आउट ऑफ वेस्ट' की विविध संकल्पनाओं को प्रयोग करते हुए क्लोज्ड लूप्ड प्रणाली में वस्त्र के गहरे संबंधों का निर्माण करते हुए स्थायी फैशन की विचारधारा और विचारों को प्रसारित किया।

फालमाउथ विश्वविद्यालय, यूके से प्रोफेसर डॉ. एलन मरे ने जुलाई और अगस्त, 2018 में नई दिल्ली और बेंगलुरु में दो संकाय–प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की थी। श्कोर डिजाइन शिक्षाशास्त्र और भविष्य की प्रवृत्तियोंश पर पांच दिनों की अवधि की प्रत्येक कार्यशाला में सभी निफ्ट परिसरों के संकायों द्वारा भाग लिया गया। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और डिजाइन शिक्षा को अधिक अभिनव बनाने के तरीकों के रूप में रोजगार पर चर्चा मुख्य आकर्षण थे।

निफ्ट संकाय सदस्यों को सूक्ष्म स्तर पर उद्योग में अपने काम के ज्ञान को अद्यतन करने या उद्योग और इसके अंतर्संबंध के बारे में समग्र समझ हेतु समर्थ बनाने के लिए, संकाय उद्योग संबंधों को सुकर बनाया जाता है जो संकाय को नवीनतम व्यवहारों से अवगत कराता है और कक्षाओं में उनके प्रसार करने के लिए समर्थ बनाता है। कुल 35 संकाय सदस्यों ने जून – जुलाई 2018 के दौरान रिलायन्स अजियो, सन ऑफ ए नोबल, वैदिक एपेरल प्राइवेट लिमिटेड, टुकाटेक, अरविंद डेनिम, ल्यूमिअरे बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एएनसी लाइफस्टाइल आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों/कंपनियों में उद्योग अटैचमेंट को पूरा किया।

इन प्रशिक्षणों के अलावा, 4 दिन प्रत्येक की अवधि के दो संकाय सदस्य समागमों का आयोजन किया गया था – पहला हैदराबाद में डिजाइन संकाय सदस्यों के लिए और दूसरा बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संकाय सदस्यों के लिए। इसका उद्देश्य सभी 16 कैम्पसों में प्रत्येक संकाय सदस्य के लिए पुनर्संरचनाबद्ध पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी का प्रसार करना था। पाठ्यक्रम के अलावा, नीतियों में बदलाव, नई शुरू की गई विशेषताएं जैसे अकादमिक मेंटरिंग और शिक्षण और सीखने के अभिनव तरीकों पर समागम में चर्चा की गई थी।

वर्ष 2018–19 में एनआईएफटी में पहली बार संकाय और कैंपस निदेशकों के लिए यूनिवर्सल प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में होने के कारण पांच या छह परिसरों के लिए एक दौर में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। यह एक संयुक्त आवासीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाता है, जो पूरे परिसर में आदान–प्रदान और अंतःविषय सीखने और साझा करने के लिए मंच को सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य इस प्रकार है:

- निफ्ट के विजन और आदर्शों के लिए स्वामित्व और प्रतिबद्धता विकसित करना और उसी के लिए एक रोड मैप विकसित करना
- संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु टीम वर्क की भावना और कौशल
- व्यक्तिगत संकाय की शक्तियों की पहचान करना और उनकी शक्तियों के आधार पर संस्थान में उनके योगदान का अधिक से अधिक प्रयोग करना
- सहस्त्राब्दी पीढ़ी को पढ़ाने/सलाह देने की चुनौतियों को समझना और उनके लिए प्रतिक्रिया करना

एक प्रशिक्षण एजेंसी को संकाय के सार्वभौमिक प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए आउटसोर्स किया गया था। सभी परिसरों के संकायों को जनवरी और दिसंबर 2018 में आयोजित तीन चरणों और जून 2019 में अंतिम दौर में प्रशिक्षित किया गया था।

नई भर्ती फैकल्टी के लिए निफ्ट कैंपस में आरंभिक प्रशिक्षण मार्च, 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फैकल्टी को यूनिट प्रमुखों द्वारा निफ्ट प्रक्रिया और नीतियों के बारे में जानकारी दी गई थी। प्रत्येक नए संकाय को बाद में एक वरिष्ठ शिक्षक के रूप में आवंटित किया गया था ताकि उन्हें शिक्षण पद्धति को समझने और शिक्षण और मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके।

शिल्प क्लस्टर

शिल्प क्लस्टर पहल कार्यक्रम एनआईएफटी के छात्रों को प्रत्येक वर्ष भारत के विविधतापूर्ण प्रचुर एवं अनूठे हथकरघा तथा हस्तशिल्प से एक व्यवस्थित, सतत और नियमित अनुभव प्रदान करता है। विशेषज्ञता के अनुरूप छात्र डिजाइन बुद्धिमता, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विकास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ब्रांड प्रबंधन, खुदरा उद्यमशीलता, संगठनात्मक विकास और प्रणाली डिजाइन तथा विकास जैसे क्लस्टरों के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देते है। छात्र प्रक्रिया नवाचार, उत्पादन योजना और अनुसंधान आधारित सुधार और गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्रों में भी योगदान देते है। छात्र लोगों, पोस्टर, ब्रोशर और कैटलॉग जैसी प्रचार सामग्री के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों की अलग पहचान विकसित करने में कारीगरों और बुनकरों की सहायता करते हैं।

कलस्टर पहल में शिल्प समूहों में समग्र हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई है। यह प्रक्रिया छात्रों को शिल्प, कलस्टरों, दस्तकारों, उनकी सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं और सांस्कृतिक लोकाचारों के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ शुरू होती है। फिर यह शिल्प और लोगों, प्रक्रियाओं और सामग्रियों और शिल्प के समकालीन परिदृश्य के प्रलेखन की ओर बढ़ती है। अगला कदम सूचना का विश्लेषण करना, अंतराल की पहचान करना और हस्तक्षेप के क्षेत्रों को समझना है। कारीगर और छात्र रि–डिजाइनिंग तथा नए उत्पादों के विकास द्वारा सह–निर्माण और संकल्पना करते हैं। इसके अलावा छात्र शिल्प तथा कारीगरों हेतु विशिष्ट पहचान का निर्माण करके, वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज बनाकर, अपने उत्पादों की फोटोग्राफ लेना और अपलोड करना सिखाकर तथा शिल्प और कारीगरों हेतु प्रचार सामग्री जैसे विजिटिंग कार्ड आदि के निर्माण के माध्यम से शिल्प को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हैं।

लाकेर खिलौने क्लस्टर के लिए छात्रों द्वारा विकसित उत्पाद विचार

प्रत्येक कैंपस ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 2–5 शिल्प समूहों को अपनाया है। पहल के अंतर्गत कवर किए गए क्रियाकलापों की सूची निम्नलिखित है:

क्रम सं.	क्रियाकलाप	क्रियाकलाप की प्रकृति
	छात्र कैंपस के आसपास के क्षेत्र में किसी शिल्प परिवेश का दौरा करते हैं	शिल्पकारों के साथ बातचीत के माध्यम से शिल्प को समझना और 1–5 दिनों की अवधि के लिए आसपास के शिल्प क्लस्टरों के दौरे के माध्यम से उनकी चुनौतियों को समझना।
2.	निफ्ट परिसर में कारीगरों द्वारा शिल्प प्रदर्शन	छात्रों के लिए कौशल प्रदर्शन हेतु परिसर के आसपास के क्षेत्रों में शहरी शिल्प क्लस्टरों से या चिनहित किए गए शिल्प क्लस्टरों से कारीगरों को आमंत्रित किया जाता है।
3.	शिल्प अध्ययन और संगोष्ठी	उद्योग, सरकारी एजेंसियों और शिल्प क्षेत्र के पेशेवरों सहित लोगों को चयनित पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है।
4.	शिल्प अनुसंधान और प्रलेखन	देश के ग्रामीण सौंदर्यशास्त्र, गांवों की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ के सुग्राहीकरण के लिए दो सप्ताह का शिल्प क्लस्टर का दौराय शिल्प प्रलेखन में प्रक्रिया प्रलेखन और नैदानिक अध्ययन शामिल हैं।
5.	शिल्पकारों के साथ उत्पाद विकास	यह सेमेस्टर VII के छात्रों द्वारा लिया जाने वाला एक इन–फील्ड क्रियाकलाप है जिसका उद्देश्य फील्ड में उत्पादों को विकसित करना है।
6.	कारीगरों और बुनकरों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं	इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा उनके द्वारा कवर किए जाने वाले शिल्प समूहों के लिए वर्ष में एक बार जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ये कार्यशालाएँ शहरी बाजारों के बारे में उनकी समझ बढ़ाने के लिए आयोजित की जाती हैं। वे रुझानों और बाजार की मांगों को समझने के लिए ज्ञान साझा करने हेतु एनआईएफटी संकाय और छात्रों के साथ बातचीत करते हैं।

सभी निफ्ट कैंपसों ने इन शिल्प कलस्टर गतिविधियों को विविध कलस्टरों के अंतर्गत आयोजित किया, इसमें हथकरघा हेतु ईकल, चिंतामणि, महेश्वरी तथा चंदेरी साड़ियां, नउपटना, कांचीपुरम, पटोला, मशस, पोचम्पल्ली इकट, वारंगल दुर्रीस, पट्टु बुनाई, फुलिया, बालुचरी, पैठानी, मुबारकपुर ब्रोकेड तथा जजवजा दुर्रीस, बनारस ब्रोकेड्स, मजुलि कलस्टर तथा अन्य शामिल थे। हस्तशिल्प हेतु चेन्नापटना वुडन लकेव्यरवेयर, पत्थनों पर नक्काशी, मिट्टी के पात्र, बेंत व टोकरी की बुनाई, नारियल के छिलेक के आभूषण, बांस शिल्प, हेरेकोटा, लंबनी कढ़ाई, मैसूर रोजवुड कलमकारी, कसुरी कढ़ाई, जरदोजी, पीपल के पत्ते पर कला, बनाना फाइबर शिलप, ब्लॉक प्रिंटिंग, कढ़ाई तथा जरी का काम, डोकरा बैल धातु, पिपली शिल्प, पेपर मैश, पटचित्र, ऐप्लीक आदिवासी आभूषण, सवई शिल्प, सॉफ्ट डॉल बनाना, हैंड नीटिंग, लकड़ी पर नक्काशी, समुद्री शीप शिल्प, ताड़ के पत्तों की टोकरी, बेंत के फर्नीचर, लेदर पपेटरी, तंजोर कला कृतियां, कलमकारी, माता की पछेडी, क्रोचेट लेस, भोजरी कलस्टर, पाइन नीडल शिल्प, उरावु बैम्बू कलस्टर, कोरा घास की चटाइयां, पय्यनुर बैल धातु शिल्प, कण्ठ, कोल्हापुर चप्पलें, टाई एंड डाई, लघुचित्र कलाकृति, चांदी के आभूषण, काले मिट्टी के बर्तन, मधुबनी, बोन क्राफ्ट तथा अन्य।

रायबरेली परिसर द्वारा लाकेर खिलौने

क्राफ्ट आधारित स्नातक परियोजनाएं

संपूर्ण निफ्ट कैंपसों से वर्ष 2019 में छः हथकरघा कलस्टर आधारित स्नातक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थी। स्नातक सत्र के छात्रों ने खनदुआ हथकरघा कलस्टर में डिजाइन पहल तथा नहरलगुन ब्लॉक स्तरीय हथकरघा कलस्टर, बनारस ब्रोकेडस तथा बुनाई पहलों, पोचमपल्ली से इक्ट्स, कच्छ क्षेत्र से कला कपास जेसे विविध क्षेत्रों में शिल्प आधारित परियोजनाएं में अलगढ़ के फूलपत्ती काम, पाहन नीडल शिल्प, फड़ कलाकृतियों, बंगाल के बैंबू शिल्प, डल टोंगंज के सुआ चिआन्की में कढाई तथा बंगाल के कंठ शिल्प का शामिल है।

ये सभी परियोजनाएं वस्त्र आयुक्त वस्त्र आयुक्त हथकरघा तथा वस्त्र आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा प्रायोजित की गई है।

शिल्प बाज़ार

प्रत्येक निफ्ट कैंपसने शिल्प बाजार आयोजित किया जहां अभिज्ञात कलस्टरों से कारीगरों तथा बुनकरों को आमंत्रित किया गया। इन शिल्प बाजारों को विस्तृत रूप से बढ़ावा दिया गया तथा इन्होंने बुनकरों तथा कारीगरों द्वारा विकसित उत्पादों की बिक्री हेतु मंच प्रदान किया। इस शिल्प बाजारों को स्थानीयसमाचार पत्रों में प्रकाशित होने के साथ सराहना प्राप्त होती है। कारीगरों ने इस प्रयास की उन्हें आमंत्रित करने तथा उन्हें शहरी बाजारों से परिचित करने तथा शहरी ग्राहकों की पजरूरतों को समझने में सहायता करने के लिए सराहना की है।

शिल्प कोष

निफ्ट ने अपने हितधारकों हेतु श्रेणीबद्ध पहुंच प्रणाली में साथ शिल्प कलस्टर रिपोर्ट का एक स्थायी डिजीटल कोष विकसित किया है। निफ्ट का यह प्रयास शिल्प कलस्टरों में रचनात्मक नवाचार तथा अनुसंधान कारने वाले युवा डिजाइन व्यवसायिकों द्वारा डिजाइन पहल हेतुअवसर बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के नए शिल्प कलस्टर प्रयास के उद्देश्यों के अनुरूप है। निफ्ट भारत सरकार के डिजीटल इंडिया के प्रति भारतीय वस्त्र तथा शिल्प कोष नामक राष्ट्रीय ज्ञान पोर्टल में शिल्प कलस्टर प्रयास के माध्यम से सृजित वस्त्र तथा शिल्प ज्ञान का प्रसार करने की आरे कार्यरत है। पैन इंडिया शिल्प कलस्टर के माध्यम से निफ्ट द्वारा विकसित सूचनातंत्र को और अधिक बड़े पैमाने पर संपर्क मेंलाने की आवश्यकता है, इससे भारतीय वस्त्र तथा वस्त्र सूचना की वैश्विक स्तर पर पहुंच बन पाएगी।

कोष के कार्यक्षेत्रों में भारतीय हथकरघा वस्त्र, परिधान तथा शिल्प पर अनुसंधान अध्येता, शिल्प में रूचि लेने वालों तथा संबंधित उद्योग सहित वैश्विक दर्शकों को एतेहासिक एवं समकालीन सूचना तथा ब्यौरों का प्रसार करना। भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को सीधा संपर्क को बढ़ावा देने और उपलब्ध करवावे के लिए शिल्पकारों और बुनकरों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना, हथकरघा तथा हस्तशिल्प, उसका उत्पादन तथा प्रणालियों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए शिल्पकारों, बुनकरों तथा डिजाइनरों पर चित्रों, फिल्मों, श्रव्य–दृश्य, पोडकास्ट लेक्चर सीरीज का एक विजुअल डाटा बैंक तैयार करना शामिल है। इसमें समकालीन बाजार हेतु डिजाइनरों द्वारा वस्त्र व हस्तशिल्प के पारंपरिक कौशल तथा सूचना का प्रदर्शन, डाटा बैंक विकसित करना तथा अनुसंधान दस्तावेजों, मामले का अध्ययन वस्त्र, परिधान तथा शिल्प आधारित क्षेत्रों पर शोध निबंध तथा डाक्टोरल थीसिस जैसे संसाधनों के लिए पहुंच उपलब्ध कराना तथा बाजार ट्रेंड्स, बाजार सांख्यिकी तथा वस्त्र, शिल्प तथा परिधान से संबंधित संसाधन निदेशिकाओं से संबंधित डाटा का संजोजन करना भी शामिल होगा।

शिल्प को निफ्ट समुदायों और अन्य के बीच सभी अनुसंधानों को अंतर संबंधित करने, प्रदर्शित करने और परिणाम साझा करने की आवश्यकता का एक ही पृष्ठभूमि पर निदान करेगा। निफ्ट हमेशा सूचना प्रसारण में अग्रणी रहा है और शिल्प कोष इस दिशा में एक मुख्य कदम है।

पीएचडी तथा अनुसंधान

निफ्ट दिल्ली में अपने मुख्यालय के माध्यम से फुलटाइम और पार्टटाइम डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अपनी उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों, डिजाइन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान के स्वतंत अनुसंधान और प्रसार के कारण जाना जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षा और उद्योग में बड़े पैमाने पर प्रयोग हेतु वास्तविक ज्ञान का निकाय बनाने के लिए वस्त्र, फैशन तथा परिधान क्षेत्र में अनुसंधान संचालित करने के लिए उद्देश्य से किया गया है।

पीएचडी कार्यक्रम हेतु परिणामों की घोषणा तथा जुलाई माह में पंजीकरण के साथ दाखिले की प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के दौरान प्रारंभ होती है। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले हेतु योग्यता योग्यता पात्रता डाक्टर की उपाधि की डिग्री के दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

पीएचडी कार्यक्रम वर्ष 2009 में 7 छात्रों द्वारा शुरू किया गया था तथा वर्तमान में 43 छात्र निफ्ट से पीएचडी कर रहे हैं। कार्यक्रम की समय सीमा के संबंध में उम्मीदवार द्वारा पर्यवेक्षित अध्ययन को 5 वर्ष की अवधि के अंतर्गत पूरा किया जाना अपेक्षित है जो कि महानिदेशक निफ्ट के विशेष अनुमोदन द्वारा अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान तक 24 छात्रों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है।

अवसंरचना के लिए सहायता

7.1 वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से वस्त्र उद्योग को अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध करा रहा है।

क. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

1. वस्त्र उद्योग को विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वित की जा रही है। इसकी परियोजना लागत में अधिकतम 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% वित्तीय सहायता के साथ आईटीपी की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन/सहायता के लिए सामान्य अवसंरचना और भवन शामिल हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीपी स्थापना में लोचशीलता प्रदान की गई है।

2. इस योजना के अंतर्गत कंपाउंड वॉल, सड़क, नाली, जलापूर्ति, कैपटिव विद्युत संयंत्र सहित विद्युत आपूर्ति, बहिस्राव शोधन, दूरसंचार लाइन जैसी सामान्य अवसंरचनाओं, परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरण सहित), डिजाइन केंद्र (उपकरण सहित), परीक्षण केंद्र (उपकरण सहित), व्यापार केंद्र/प्रदर्शनी केंद्र, वेयर हाउसिंग सुविधा/कच्ची सामग्री डिपो, एक पैकेजिंग इकाई, क्रैच, कैंटीन, कामगार होस्टल, सेवा प्रदाता कार्यालय, श्रमिक विश्राम स्थल और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सुविधा प्रणाली (वैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज) आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए उत्पादन के लिए कारखाना हेतु भवन, संयंत्र एवं मशीनरी और वस्त्र इकाइयों के लिए कार्य स्थल और कामगारों के होस्टल, जो किराया/हायर परचेज आधार पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं, जैसी के घटकों के अंतर्गत वित्त पोषण किया जाता है।

3. भारत सरकार की कुल वित्तीय सहायता 40 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 40% तक सीमित है। तथापि, भारत सरकार की सहायता अरुणालच प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत का 90% की दर से प्रदान की जाएगी।

4. अभी तक 56 स्वीकृत वस्त्र पार्क क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

क्रियान्वयन की स्थिति:

1. उपर्युक्त पार्कों के पूरी तरह से प्रचालनशील हो जाने पर लगभग 5723 वस्त्र इकाइयों के शुरू होने, लगभग 3,44,443 व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 26,529 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किए जाने की संभावना है।

2. इन 56 वस्त्र पार्कों के लिए एसआईटीपी के अंतर्गत 1347.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

3. दिसंबर, 2019 तक योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 22 पार्क पूरे हो गए हैं। ये हैं– ब्रांडिक्स –आंध्र प्रदेश, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, मुंद्रा सेज, आरजेडी टेक्सटाइल पार्क, सूरत सुपर यार्न प्रा.लि., वराज आईटीपी, फेयरडील टेक्सटाइल पार्क प्रा.लि., सयन टेक्सटाइल पार्क– गुजरात, मैट्रो हाइटैक को–ऑपरेटिव पार्क लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्रय पल्लाडम हाईटैक वीविंग पार्क, करूर टेक्सटाइल्स पार्क, तमिलनाडुय मदुरई एकीकृत वस्त्र पार्क, तमिलनाडु, इस्लामपुर एकीकृत वस्त्र पार्क, बारामती हाईटेक वस्त्र पार्क, दिशान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं लातूर इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क–महाराष्ट्र। लोटस इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, पंजाब, डोडबल्लापुर टेक्सटाइल पार्क, कर्नाटक। जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क प्रा.लि.–राजस्थान, पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क लि. – तेलंगाना, अस्मिता इन्फ्राटेक प्रा.लि., महाराष्ट्र और प्राइड इंडिया कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पार्क लि. महाराष्ट्र।

एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल निर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान योजना (एसएजीएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्योग में तेजी लाने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर यह योजना क्रियान्वित कर रहा था। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पार्क में नई/अतिरिक्त अपैरल इकाइयों की स्थापना करने के लिए एसआईटीपी के अंतर्गत एकीकृत वस्त्र पार्कों को 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत पालाडैम हाईटेक विविंग पार्क, तमिलनाडु के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है।

(क) एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

1. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए की लागत से अक्तूबर, 2013 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य समुद्री, नदी और शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) सहित उचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थ बनाना है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य में नई प्रसंस्करण इकाइयों वर्तमान वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों के समुन्नयन और नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा विधिवत अनुशांसित उपयुक्त प्रसतवों के साथ परियोजना लागत के 25% वहन की प्रतिबद्धता मंत्रालय के विचारार्थ अग्रेषित करें। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा नीचे दिए गए 7 प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

i. बलोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और बलोतरा, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., बलोतरा द्वारा 18 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

ii. जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण शोधन और जसोल, राजस्थान में रिवर्स ओसमोसिस प्रा.लि., राजस्थान द्वारा 2.5 एमएलडी सीईटीपी का शून्य तरल बहिस्राव (जेडएलडी) का उन्नयन।

iii. सांगानेर, राजस्थान में सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट द्वारा 12.3 एमएलडी जेडएलडी परियोजना की स्थापना करना।

iv. पाली, राजस्थान में 12 एमएलडी सीईटीपी का जेडएलडी का उन्नयन।

v. विरूधनगर, तमिलनाडु में सदर्न जिला टेक्सटाइल प्रसंस्करण कलस्टर (प्रा.) लि. द्वारा 6 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vi. भवानी तालुका, इरोड जिला, तमिलनाडु में श्री भवानी सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र द्वारा 4 एमएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

vii. गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, सूरत, गुजरात में 25 एनएलडी जेडएलडी की स्थापना करना।

2. स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत 56.31 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस योजना को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है।

(ख) अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम)

अपैरल विनिर्माण उद्भवन योजना (एसआईएएम) की शुरूआत 12.93 करोड़ रुपएध्उद्भवन केंद्र की दर से 38.80 करोड़ रुपए के प्रांरभिक परिव्यय के साथ जनवरी, 2014 में पायलट आधार पर की गई थी। इस योजना का उद्देश्य नए उद्यमियों को पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और प्लग एंड प्ले की सुविधा के साथ एकीकृत कार्यस्थल प्रदान कर अपैरल विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना है जो नए उद्भवन केंद्र स्थापित करने में लगने वाले समय, लागत और प्रयासों को कम करने में उनकी मदद करेगा। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में एचएसआईआईडीसी, ओडिशा में एसपीआईएनएफईडी तथा मध्य प्रदेश में आईआईडीसी की एक–एक अर्थात कुल तीन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।

(ग) वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास (एसटीआईडब्ल्यूए)

वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरूआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2014 में 45 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र एवं अपैरल उद्योग के कामगारों को वस्त्र एवं अपैरल उद्योगों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों के नजदीक सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। ऐसी दो परियोजनाओं को अक्तूबर, 2014 में स्वीकृत किया गया था जिनमें गुजरात इको–टेक्सटाइल्स पार्क प्रा.लि. तथा तमिलनाडु में पल्लाडम हाई–टेक विविंग पार्क प्रा.लि. शामिल हैं। दोनों परियोजनाओं को कार्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा कर लिया गया है।

वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

8.1 पटसन सहित वस्त्र उद्योग की अनुसंधान और विकास योजना को 149 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किया गया था। इस योजना को निम्नलिखित प्रमुख संघटकों के साथ तैयार किया गया है:

संघटक–I:

वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़े वस्त्र अनुसंधान संघों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाई जाएंगी (कुल परिव्यय – 50 करोड़ रुपये)। योजना ने 31 मार्च, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और दिनांक 31 मार्च, 2020 तक इसका विस्तार कर दिया गया है।

उद्देश्य :

- संविदा अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से उद्योगों के साथ सहयोग करके बाजार प्रेरित अनुसंधान को सुनिश्चित करना।
- नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं का विकास।
- अनुसंधान और विकास का क्षेत्र में वस्त्र मूल्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों और विशेषकर तकनीक जैसे अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान को शामिल किया जाएगा।
- इस संघटक में उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए कारोबारी अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए बाजार में नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को लाने के उद्देश्य से विकसित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने/बाजारीकरण की भी परिकल्पना की गई है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करना कि आर एंड डी प्रयास उस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए लक्षित हो जो इस सेक्टर और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक और प्रासंगिक हो।

संघटक–II:

पटसन क्षेत्र में आर एंड डी का प्रोत्साहनय पटसन क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रसार के क्रियाकलाप (कुल परिव्यय–80 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य:

- पटसन का उपयोग और विविध कार्यों में बढ़ाने के लिए आर एंड डी प्रयासों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से जहां पटसन का उपयोग भारी मात्रा में होता हो।
- वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान आर एंड डी प्रयासों में पटसन का उपयोग पटसन–जियो––टेक्सटाइल, पटसन–एग्रोटेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, पेपर की लुगदी का निर्माण, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में पटसन मिश्रित चीजों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है।
- अन्य टेक्सटाइल प्रयोगों में पहले से हासिल की गई प्रौद्योगिकी को (वुलेनाइजेशन, बलेंड्स, महीन धागा, सुगंधित कपड़े, अग्निरोधी और जलरोधी कपड़ा इत्यादि) पटसन में प्रयोग के लिए और आर एंड डी के माध्यम से सुग्राह्य बनाना।
- विकसित प्रौद्योगिकियों का अंतरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए औद्योगिक/क्षेत्रीय प्रदर्शन।

संघटक–III:

मानकीकरण संबंधी अध्ययन, ज्ञान का प्रसार और आर एंड के माध्यम से हरित प्रयासों को प्रोत्साहित करना (कुल परिव्यय–15 करोड़ रुपये)।

उद्देश्य:

- औद्योगिक मानक और मानकीकरण तैयार करने के लिए अनुसंधान अध्ययन चलाना और उचित मानकीकरण हासिल करने के लिए चरणों की पहचान करना और उन्हें प्रलेखित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उद्योग हरित प्रयासों को कार्यान्वित कर सकें।
- इस प्रकार तैयार किए गए मानकी का प्रसार और इकाइयों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलानाय और
- इस मानकीकरण को हासिल करने वाली इकाइयों को प्रत्यायन में सहयोग देना और बेहतर राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता देना।

8.2 **पात्र एजेंसियां:** वस्त्र अनुसंधान संगठनों सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियां, विश्वविद्यालय, उद्योग संघ, सरकार अनुमोदित अनुसंधान केंद्र जैसे आईआईटी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएं/मान्यता प्राप्त इंजिनियरिंग कॉलेज/डीएसटी/डीएसआईआर आदि से अनुमोदित संस्थान परियोजना प्रस्ताव देने के लिए पात्र होंगे।

8.3 **कार्यान्वयन एजेंसी और नोडल अधिकारी:**

(i) संघटक I और III के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा ओर संघटक II के लिए पटसन आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी होगा।

(ii) भारत सरकार का अपर सचिव/संयुक्त सचिव रैंक का वस्त्र आयुक्त संघटक I और III के सभी आर एंड डी क्रियाकलापों हेतु प्रत्यक्ष रूप से नोडल अधिकारी होगा और संघटक II के तहत सभी पटसन संबंधी आर एंड डी क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव

स्तर का पटसन आयुक्त नोडल अधिकारी होगा। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन पीएएमसी करेगा और अपनी सिफारिशों को पीएसी को भेजेगा।

8.4 पात्र निधि सहायता:

(प) व्यावहारिक अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के मामलों में, परियोजना लागत की अधिकतम 70 प्रतिशत राशि की सहायता दी जाएगी और शेष राशि का प्रबंध संबंधित परियोजना अधिशासी एजेंसी/संस्थान द्वारा उद्योग से अथवा स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा; जिसका ब्यौरा परियोजना प्रस्ताव जमा कराते समय दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुसंधान उद्योग की जरूरत के अनुसार होगा। यदि एजेंसी का पूर्ण या आंशिक योगदान सेवाओं के रूप में होगा तो इसका मूल्य निर्धारित करके परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा।

(ii) बुनियादी अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पीएएमसी 100 प्रतिशत निधि तक की सिफारिश पुरजोर तर्क सहित केस–वार आधार पर कर सकती है।

वर्तमान में टीआरए/अनुसंधान एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 118 परियोजनाएं चल रही हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	अनुसंधान एजेंसी का नाम	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (लाख रूपए में)	भारत सरकार की हिस्सेदारी (लाख रूपए में)	जारी की गई कुल जीओआई निधि (लाख रूपए में)
1	अटीरा	6	1484.54	972.48	401.75
2	बिटरा	10	617.54	484.68	335.34
3	सिटरा	9	428.36	297.74	153.86
4	निटरा	10	1015.89	884.50	525.27
5	मंतरा	5	145.64	105.23	49.80
6	ससमीरा	15	816.15	571.27	259.32
7	डब्ल्यूआरए	19	768.19	570.50	292.98
8	इजिरा	13	1203.63	824.39	348.76
9	निफ्ट	3	5175.16	4383.66	468.45
10	आईआईटी दिल्ली	2	282	197.40	78.96
11	डीजेएफटी	11	845.26	620.08	261.38
12	डीकेटीई	6	119.63	83.74	52.13
13	आईसीटी, मुंबई	2	63.07	44.15	20.58
14	पीएसजी कॉलेज, कोयंबटूर	1	19.96	19.96	6.99
15	निरजफ्ट, कोलकाता	1	74.04	74.04	25.92
16	आईआईईएसटी, हावड़ा	1	78.20	54.74	21.89
17	केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, उ.प्र.	1	8.74	8.74	3.49
18	कुमारगुरू प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयंबटूर	1	23.50	14.10	5.64
19	आईआईटी मद्रास/एमएचआरडी (यूएवाई)	1	160	40.13	19.17
20	आईआईटी, कानपुर/ एमएचआरडी (इमप्रिंट)	1	250	125	37
	कुल	**118**	**13615.00**	**10376.53**	**3368.68**

8.5 मंत्रालय आरएंडडी योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों को यूएवाई योजना के अंतर्गत 25% की दर से और इंप्रिंट योजना के अंतर्गत 50% की दर से निधि प्रदान करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई) और इंप्रिंट योजना का भी समर्थन कर रहा है।

8.6 वस्त्र अनुसंधान संघ

वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं की उन्नति में अनुसंधान एवं विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए मंत्रालय ने वस्त्र अनुसंधान संघों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया है जिसमें वस्त्र क्षेत्र की समग्र श्रृंखला कवर होती है। अनुसंधान और विकास के कार्य में 8 वस्त्र अनुसंधान संघ कार्य कर रही है:

(i) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (एटीआईआरए)

(ii) बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संघ (बीटीआरए)

(iii) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए)

(iv) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)

(v) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (एमएएनटीआरए)

(vi) सिंथेटिक एवं आर्ट रेशम मिल्स अनुसंधान संघ (एसएएसएमआईआरए)

(vii) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए)

(viii) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

8.7 टीआरए की परियोजनाएं और पेटेंट का ब्यौरा

क्र.सं.	टीआरए का नाम	आरएंडडी परियोजनाओं की संख्या	दर्ज और प्राप्त पेटेंटों की संख्या
1.	अटीरा	4	3
2.	बिटरा	10	5
3.	सिटरा	9	0
4.	निटरा	10	3
5.	मंतरा	5	1
6.	ससमीरा	15	8
7.	इजिरा	14	3
8.	डब्ल्यूआरए	19	11
	कुल	86	34

तकनीकी वस्त्र

9.1 तकनीकी वस्त्र, वस्त्र सामग्री और उत्पाद है जो उनके तकनीकी कार्य निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तकनीकी वस्त्रों का बाजार बढ़ रहा है क्योंकि तकनीकी उत्पाद सुरक्षात्मक कपड़े, कृषि, क्लोदिंग, निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, पैकेजिंग, खेलकूद, पर्यावरण संरक्षा और अन्य कार्यों जैसे विभिन्न उद्योगों में अंतिम उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तकनीकी वस्त्रों की सफलता मुख्य रूप से इसकी बड़ी रेंज के प्रयोग के विस्तार के साथ फाइबर, यार्न और वूवन/निटेड/नॉन–वूवन फैब्रिकों की सृजनशीलता, नवीनता तथा बहु–आयामी के कारण है। तकनीकी वस्त्रों की क्षमता नए कार्यात्मक उत्पादों का सृजन एक–दूसरे और अन्य उत्पादों के साथ मिश्रण के लिए वृद्धि के असीमित अवसर की पेशकश करती है।

भारत में तकनीकी वस्त्रों की भारी संभावना है और निरूसंदेह यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत में विश्व तकनीकी वस्त्र उत्पादन की 3% है जो तकनीकी वस्त्र का लगभग 90,000 मी.टन बनता है। चीन और यूरोप तकनीकी वस्त्र के अग्रणी विनिर्माता हैं जो तकनीकी वस्त्र का 75% से अधिक का उत्पादन करते हैं। हालांकि यूरोप और चीन तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप तकनीकी वस्त्रों के सबसे बड़े आयातक देश हैं। भारत वैश्विक तकनीकी वस्त्र का 4% निर्यात करता है और 3% आयात करता है। भारत में वर्ष 2017–18 में तकनीकी वस्त्र उद्योग 1,16,217 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। भारत का घरेलू तकनीकी वस्त्र बाजार 20% के सीएजीआर के साथ वर्ष 2020–21 तक 2,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने कई योजनाएं शुरू की हैं और इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

9.1.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में भू–तकनीकी वस्त्रों का उपयोग संवर्धन योजना :

इस योजना को 5 वर्ष की अवधि (2014–15 से 2018–19) के लिए 24.03.2015 को 427 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सड़क, पहाड़ी/ढलान संरक्षण तथा जलाशयों में मौजूदा/नई परियोजनाओं में भू–तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास में भू–तकनीकी वस्त्रों का संवर्धन और उपयोग करना है। इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों तथा संबंधित हितधारक एजेंसियों के परामर्श से चिह्नित किया गया है। योजना ने 31 मार्च, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और दिनांक 21 मार्च, 2020 तक इसका विस्तार कर दिया गया है।

अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि लाख रूपए में)	अनुमोदन की तिथि
मणिपुर			
सड़क परियोजनाएं			
(i)	इम्फाल एयरपोर्ट सड़क (पूर्ण)		06.06.2015
(ii)	एमएसआरआरडीए के अधीन पीएमजीएसवाई चरण–X के अंतर्गत थुबल, मणिपुर में हियांगलाम से हिरनमई तक सड़क के फुटपाथ का सुदृढ़ीकरण – 4.8 किलोमीटर (एमएन0832 परियोजना–1) (पूर्ण)	26.00	27.06.2016
(iii)	एमएसआरआरडीए के अधीन पीएमजीएसवाई चरण–X के अंतर्गत थुबल, मणिपुर में थुनाओजाम से एलांगखांगपोकपी तक सड़क के फुटपाथ का सुदृढ़ीकरण – 5.2 किलोमीटर (एमएन0833 परियोजना–2) (पूर्ण)	28.25	27.06.2016
(iv)	बिषनुपुर–नुंगबा सड़क (विभिन्न लंबाई के सड़क के 7 हिस्से, ढलान स्थिरीकरण के लिए 26 हिस्से तथा मिट्टी का एक कठोर ढ़ांचा)	1682.20	24.06.2018
(v)	इम्फाल जिलें में खुदराकपाम से ताओरेम तक सड़क का निर्माण	56.23	05.02.2016
(vi)	इम्फाल पूर्व जिले में टी07/0.7 से सीईडीटी एवं सीएचसी तक सड़क का निर्माण	29.02	05.02.2018
(vii)	**उप–योग**	**1966.71**	

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि लाख रूपए में)	अनुमोदन की तिथि
जलाशय			
(vii)	एंड्रो माखा लेईकाई, इम्फाल पूर्वी जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार (पूर्ण)	29.43	30.12.2015 30.12.2015
(viii)	इम्फाल पश्चिमी जिला, मणिपुर में कादांगबंद पार्ट–II में जलाशय में सुधार (पूर्ण)	30.44	
(ix)	कासा लुई, उखरुल जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार (पूर्ण)	13.58	
(x)	बिषनुपुर जिला मणिपुर के ओकसोंगबुंग में जलाशय में सुधार	14.63	
(xi)	थोबुल जिला, मणिपुर में लेईशांगथेम पूर्व में जलाशय में सुधार	25.64	
(xii)	कोनपुई, छुराछंदपुर जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	15.68	
(xiii)	लांगोई खुनफी लोउकोल, चंदेल जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	13.58	
(xiv)	बंगती, सेनापती जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	18.53	
(xv)	लेंगलौंग, तामेंगलौंग जिला, मणिपुर में जलाशय में सुधार	8.36	
	उप–योग	169.87	
ढलान स्थिरीकरण			
(xvi)	कांग्ला आउटर मोट, खोंगजाम में पटसन जियो–टेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	4.54	30.12.2015
(xvii)	टूरिस्ट सर्किट मणिपुर–इम्फाल–मोईरांग–खोंगजाम–मोरेह (कैनाल/जलाशय)	147.07	24.06.2016
(xviii)	थाउबाल, खुनाव में 400 केवी सब–स्टेशन में पटसन जियोटेक्सटाइल्स के साथ ढलान स्थिरीकरण	13.96	25.05.2016
(xix)	तामेंगलांग जिले में कुइलोंग III पाइंट I को आईटी रोड (जेनल), 10 किमी, पैकेज नं.एमएन0769 – आईजेआईआरए	16.12	30.01.2018
(xx)	तामेंगलांग जिले में कुइलोंग III पाइंट II को आईटी रोड (जेनल), 10 किमी, पैकेज नं.एमएन0778 – आईजेआईआरए	24.05	30.01.2018
(xxi)	तामेंगलांग जिले में तमेई से अटंग कुहनौप्ट पाइंट II, 10 किमी, पैकेज नं.एमएन7106 – आईजेआईआरए	22.75	30.01.2018
(xxii)	टी03 से लुखाम्बी, 6.60 किमी तामेंगलोंग जिले में पैकेज नं. एमएम 7116 – आईजेआईआरए	187.00	30.01.2018
(xxiii)	तामेंगलांग जिले में टी02 से बराक झरना, 10.50 किमी, पैकेज नं.एमएन7117 – आईजेआईआरए	27.30	30.01.2018
(xxiv)	तामेंगलांग जिले में रिशोपहंग से कमलाचिंग, 10 किमी, पैकेज नं.एमएन6257 – आईजेआईआरए	19.50	30.01.2018
(xxv)	तामेंगलांग जिले में हरूप खोपी से राजाथर, 4.0 किमी, पैकेज नं.एमएन6267 – आईजेआईआरए	14.30	30.01.2018
	उप-योग	**476.59**	
	कुल - मणिपुर	**2613.17**	
त्रिपुरा सड़क परियोजनाएं			
(xxvi)	मोहनपुर डिवीजन के अंतर्गत तालाब बाजार से होकर खोलाबारी से झारानतिल्ला तक सड़क	21.39	30.12.2015
	उप-योग	**21.39**	
त्रिपुरा जलाशय			
(xxvii)	अगरतला में भगतसिंह हॉस्टल में जलाशय	28.19	24.06.2016
(xxviii)	अरारतला में महिला महाविद्यालय में जलाशय	37.70	24.06.2016
	उप-योग	**65.89**	
	कुल - त्रिपुरा	**87.28**	

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (राशि लाख रूपए में)	अनुमोदन की तिथि
अरूणाचल प्रदेश ढलान स्थिरीकरण			
(xxix)	एनआईटी, जेओटीई में रिटेनिंग वॉल का निर्माण	96.72	25.05.2016
	कुल – अरूणाचल प्रदेश	96.72	
मेघालय सड़क परियोजनाएं			
(xxx)	शिलांग – नोंगस्टोईन सड़क	495.32	24.06.2016
(xxxi)	प्रस्तावित बॉर्डर हॉट, मेवसिनराम प्रभाग मेघालय की ओर जाने वाली बलत–बगली सड़क के सुधार, मेटलिंग और ब्लैक टापिंग (3.682 किमी	190.50	19.12.2016
	उप-योग	**685.82**	
मेघालय ढलान स्थिरीकरण			
(xxxii)	'जोंगशा–खरांग–डेंग्लिेंग–नोंगज्रोंग रोड का उन्नयन (लंबाई – 10.00 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 5 एनएच शिलांग बाय पास डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	22.10	27.06.2016
(xxxiii)	'एसटी रोड एनएच–40 से मवान के 12वीं मील हेतु कमजोर फुटपाथ के सुदृढ़ीकरण में सुधारश्श (लंबाई – 3.764 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 6 एनएच शिलांग बाय पास डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	1.76	27.06.2017
(xxxiv)	'रवांग–लंगजा–लंगपिह सड़क की ब्लैक टॉपिंग की मेटलिंग सहित सुधार (32 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 8 नोंगस्टोइन डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	3.80	27.06.2016
(xxxv)	'रेलांग में आंतरिक ग्राम सड़क की मेटलिंग और ब्लैक टॉपिंग सहित निर्माण (3.00 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 9 नार्थ जोवाई डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	11.44	27.06.2016
(xxxvi)	वापुंग सोहकीमफोर से बायरवी सड़क की एमबीटी सहित निर्माण और सुधार (15.00 किमी) में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 10 एनईसी डिवीजन, जोवई के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए (पूर्ण)	1.94	27.06.2017
(xxxvii)	'राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के अंतर्गत मावशिनररूट–हाशिम सड़क के उन्नयन हेतु संशोधित अनुमान (37.365 किमी)' में ढलान का स्थिरीकरण, परियोजना संख्या 7 नोंगस्टोइन डिवीजन के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग, मेघालय सरकार – आईजेआईआरए	57.59	27.06.2016
उप-योग		**98.63**	
कुल		**784.45**	
मिजोरम सड़कें			
(xxxviii)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत छुमखुम से चांग्टे (0000 से 41530 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	2565.00	19.12.2016
(xxxix)	पीडब्ल्यूडी, मिजोरम के अंतर्गत सेरचिप से सियालशुक (0000 से 15000 किमी तक) और सेरचिप से बोरपुई (0000 से 40000 किमी तक) सड़क का सुधार और उन्नयन	2088.20	19.12.2016
(xl)	चम्फई–जोखवतार सड़क, पीडब्ल्यूडी मिजोरम का सुधार और उन्नयन	1948.60	19.12.2016
	कुल - मिजोरम	**6601.80**	
	कुल अनुमोदित राशि	**10183.42**	

वस्त्र मंत्रालय

योजना की वित्तीय प्रगति :-

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन	व्यय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव भू–तकनीकी वस्त्र के उपयोग के संवर्धन संबंधी योजना	2014-15	8.00	4.00
	2015-16	15.00	3.63
	2016-17	19.99	17.24
	2017-18	19.82	19.82
	2018-19	15.00	0.00
कुल		77.81	44.69

9.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र एग्रो टेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना :

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपये के परिव्यय से पूर्वोत्तर क्षेत्र एग्रो टेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना योजना अनुमोदित की है। योजना दिसम्बर, 2012 के दौरान अनुमोदित की गई और जून, 2013 में इसे प्रचालनशील किया गया। इस योजना का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, बागवानी, पुष्पोत्पादन और रेशम उत्पादन के उत्पादों में सुधार लाने हेतु एग्रो टेक्सटाइल्स के उपयोग को प्रोत्साहन देना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रयोग के लिए ग्राहक अनुकूल एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों का विकास करना, क्षेत्र के लिए उपयोगी एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों के प्रयोग–लाभों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी–सेटअप तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत, किसानों को एग्रो–टेक्सटाइल्स किटों का वितरण किया जा रहा है जिसमें एग्रो टेक्सटाइल्स सामग्री, अनुदेश, एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादों का उपयोग करते समय सही पद्धतियां और प्रक्रिया शामिल है। एग्रो टेक्सटाइल्स की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए उद्यमियों द्वारा देश में और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स उत्पादन इकाइयों की स्थापना किए जाने की संभावना है।

अभी तक, एग्रो टेक्सटाइल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 44 प्रदर्शनी केंद और शेष भारत में 10 प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 1171 एग्रो टेक्सटाइल्स किटें वितरित की गई हैं तथा 42.46 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। प्रगति का संक्षिपत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :–

योजना की भौतिक प्रगति :

राज्य	प्रदर्शन केंद्र	पूर्ण प्रशिक्षण	एग्रो किट लक्ष्य	वितरित एग्रो किट
मणिपुर	4	386	172	172
मिजोरम	7	510	114	114
असम	4	963	279	280
मेघालय	6	1242	212	224
अरुणाचल प्रदेश	6	906	139	172
त्रिपुरा	5	243	80	19
सिक्किम	7	318	79	69
नागालैंड	5	444	167	168
कुल	**44**	**5012**	**1242**	**1218**

III – **योजना की वित्तीय प्रगति :**

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन	व्यय
पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना	2012-13	0.32	0.32
	2013-14	सं.प्रा.– शून्य	शून्य
	2014-15	9.00	9.00
	2015-16	10.00	10.00
	2016-17	14.99	14.99
	2017-18	9.99	8.15
	2018-19	7.60	0.00
कुल		**51.90**	**42.46**

योजना ने 31 मार्च, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और दिनांक 21 मार्च, 2020 तक इसका विस्तार कर दिया गया है।

टेक्नोटेक 2019 – तकनीकी वस्त्रों पर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन टेक्नोटेक्स 2018 का आयोजन दिनांक 29–31 अगस्त, 2019 के दौरान बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र, मुंबई में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र मेजबान राज्य था और गुजरात, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया। प्रदर्शनी में अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, कंबोडिया, कोलंबिया, चेको गणराज्य, इथियोपिया, फ्रांस, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, ईरान, इजरायल, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, नाइजीरिया, पोलैंड, रूस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, युगांडा, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और जाम्बिया आदि जैसे देशों की भागीदारी देखी गई।

9.2 भारत में तकनीकी वस्त्र को बढ़ावा:

माननीय प्रधान मंत्री ने 07 जून, 2018 को वस्त्र क्षेत्र की समीक्षा की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी वस्त्र भारत में विकास की अपास संभावना के साथ एक उभरता हुआ उप–क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। इस संबंध में समयसीमा और जिम्मेदारियों के साथ एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के लिए वस्त्र मंत्रालय को एक योजना तैयार करनी चाहिए और सचिवों की समिति की बैठक (सीओएस) की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों में विभिन्न सिफारिशें दी गई हैं, जिन पर काम चल रहा है।

उद्योग संघों, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के साथ उचित परामर्श और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुमोदन के बाद, मंत्रालय ने पहली बार तकनीकी वस्त्र के रूप में 207 वस्तुओं को अधिसूचित किया था।

दिनांक 30 जुलाई, .2018 को बुलाई गई सचिवों की समिति की बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मंत्रालय, मानकों, विनिर्देशों, कोड, दिशानिर्देशों, एसओआर आदि में तकनीकी वस्त्र के अनिवार्य उपयोग के लिए प्रावधानों को शामिल करेगा। उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद, अधिदेशित किए जाने के लिए पहचान की गई 92 तकनीकी वस्त्र मदों में से, 68 मदें को पहले ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य बना दिया गया हैं। भारतीय मानक ब्यूरो शेष वस्तुओं के मानकों को विकसित कर रहा है, जबकि जिन मदों पर बीआईएस मानक उपलब्ध हैं, संबंधित मंत्रालय इन मदों को सार्वजनिक खरीद में अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में हैं।

क्षेत्र की योजनाएं

10.1 विद्युतकरघा

10.1.1 सिंहावलोकन

विकेन्दीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन एवं रोजगार सृजन के संदर्भ में वस्त्र उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2013 के दौरान किए गए मैसर्स नीलसन बेसलाइन पावरलूम सर्वेक्षण के अनुसार यह विकेंद्रीकृत क्षेत्र में 44.18 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है एवं देश के कुल कपड़ा उत्पादन में 60% का योगदान करता है। विद्युतकरघा क्षेत्र में उत्पादित होने वाले फैब्रिक का 60% मानव निर्मित होता है। निर्यात होने वाले फैब्रिक में से 60% से अधिक विद्युतकरघा क्षेत्र से आता है। रेडीमेड गारमेंट एवं घरेलू वस्त्र क्षेत्र अपनी फैब्रिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यतया विद्युतकरघा क्षेत्र पर निर्भर हैं।

देश में लगभग 25 लाख विद्युतकरघे हैं। इस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का स्तर सामान्य करघों से लेकर उच्च तकनीक वाले शटल रहित करघों तक है। यह अनुमान है कि शटल वाले करघों में से 75% से अधिक अप्रचलित एवं 15 वर्ष तक पुराने हैं तथा उनके साथ कोई प्रसंस्करण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण/उपस्कर नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी, पिछले 8–9 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के स्तर में कुछ उन्नयन हुआ है।

10.1.2 कपड़े का उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर):

पिछले 6 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा क्षेत्र के साथ–साथ कुल कपड़ा उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	कुल उत्पादन(मिलियन वर्ग मीटर में)	विद्युतकरघा से उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)	कुल कपड़ा उत्पादन में विद्युतकरघा की प्रतिशतता
2013-14	63,500	36,790	57.93%
2014-15	65,276	37,749	57.83%
2015–16	65,505	36,984	56.78%
2016-17	64,421	35,672	55.37%
2017-18	67,779	38,945	57.46%
2018-19	71,051	39,826	56.05%
2019-20 (पी)(अप्रैल–नवंबर)	47,080	28,076	59.63%

स्रोतः आर्थिक और सांख्यिकी प्रकोष्ठ, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

10.1.3 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण :

वस्त्र आयुक्त तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत 47 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) में से 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) को आधुनिक मशीनों और प्रोजेक्टाइल, रेपियर, एयरजैट, ऑटामेटिक, कॉप चौंजिंग करघों, ड्राप बॉक्स करघों, तीन वाइंडर, कॉन वाइंडर, सेक्सनल वार्पिंग मशीन, डीजीसेट आदि किस्म के शटल रहित करघों जैसे उपकरण के साथ आधुनिकीकृत किया गया है। 47 पीएससी में से 15 पीएससी वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के अधीन हैं, 26 पीएससी विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा चलाए जाते हैं, 4 पीएससी कर्नाटक विद्युतकरघा राज्य विकास निगम (केएसटीआईडीसी), बैंगलोर के अधीन हैं तथा एक–एक पीएससी क्रमशरू मध्य प्रदेश सरकार और मणिपुर राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है।

10.1.4 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का निष्पादन

01.04.2019 से 31.12.2019 तक की पीएससी की उपलब्धियां इस प्रकार हैः–

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	:	3106
परीक्षित नमूनों की संख्या	:	62420
विकसित डिजाइनों की संख्या	:	30
परामर्श/समस्या निदान की संख्या	:	1375
कुल राजस्व	:	Rs. 1,33,75,301/-

10.1.5 विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं :

क. विद्युतकरघा कामगार समूह बीमा योजना (जीआईएस) :

भारत सरकार ने समूह बीमा योजना वर्ष 2003–04 से शुरू की है और यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विद्युतकरघा बनुकरों/कामगारों को एक वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर पुनः नया बनाया जाता है।

गत पांच वर्षों हेतु योजना के अंतर्गत पंजीकृत विद्युतकरघा कामगारों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	नामांकित विद्युतकरघा कामगारों की संख्या	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त अंशदान (करोड़ रूपए में)
1	2015-16	111441	6.62
2	2016-17	131921	2.00
3	2017-18	161821	4.00
4	2018-19	109912	5.28 (1.94 सहित)
5	2019-20*	62992	1.94 अग्रिम रूप से अदा किए गए

* दिसंबर, 2019 तक

ख. सम्मिलित समूह बीमा योजना:

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय विद्युतकरघा क्षेत्र के सभी कामगारों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित करने का इच्छुक है और इसे 18 से 50 वर्ष की आयु समूह हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा 51 से 59 वर्ष की आयु समूह हेतु आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को शामिल करके 1 सम्मिलित समूह बीमा योजना के अंतर्गत पाया गया है।

उक्त बीमा योजना 1 जून, 2017 से प्रभावी है और यह तीन वर्षों की अवधि अर्थात 31.3.2020 तक वैध रहेगी। योजना को विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारो हेतु अभिसारित समूह बीमा योजना के रूप में जाना जाएगा।

उद्देश्य

योजना का आधारभूत उद्देश्य प्रकृतिक मृत्यु, दुर्घटनावश मृत्यु और साथ ही साथ दुर्घटना के कारण आंशिक तथा स्थाई निशक्तता के मामले में बीमा कवर मुहैया करवाना है।

प्रीमियम और लाभ

सामाजिक सुरक्षा पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ ढांचा (पीएमएसबीवाई के प्रीमियम सहित) निम्नानुसार है:

आयु समूह	प्रीमियम ढांचा	लाभ
18 से 50 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का अंशदान 162/– रूपए	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु 200000/– रूपए
	सदस्य का अंशदान 80/– रूपए	दुर्घटना के कारण मृत्यु 400000/– रूपए (पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 200000/– रूपए और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 200000/– रूपए)
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/– रूपए	स्थायी पूर्ण निशक्तता पर 200000/– रूपए
	कुल 342/– रूपए	स्थायी आंशिक निशक्तता पर 100000/– रूपए

संशोधित एएबीवाई योजना केवल नवीकरण आधार पर मौजूदा विद्युतकरघा बुनकरों हेतु लागू हैं जो जून, 2016–मई 2017 के दौरान तत्कालीन जीआईएस में पहले से पंजीकृत हैं। एएबीवाई योजना के अंतर्गत किसी नए विद्युतकरघा बुनकर को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। जीआईएस के मौजूदा सदस्यों हेतु संशोधित एएबीवाई योजना के अंतर्गत प्रीमियम तथा लाभ ढांचा निम्नानुसार है:

आयु समूह	प्रीमियम ढांचा	लाभ
51 से 59 वर्ष	वस्त्र मंत्रालय का हिस्सा 290/– रूपए	
	सदस्य का अंशदान 80/– रूपए	किसी भी कारण से मृत्यु होने पर Rs.60,000/-
	सामाजिक सुरक्षा निधि 100/– रूपए	
	कुल 470/– रूपए	

अतिरिक्त लाभ :

उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के अंतर्गत कोई कामगार शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के तहत अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा/प्रति छमाही 600 रुपए के शैक्षिक अनुदान का पात्र होगा।

10.1.6 पावरटेक्स इंडिया

विद्युतकरघा क्षेत्र की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता पर ध्यान देने और प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्तमान विद्युतकरघा क्षेत्र का पुनरूद्धार नए घटकों यथा सौर उर्जा योजना और विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना, प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करके और वर्तमान योजनाओं यथा समूह कार्य शेड योजना, सामान्य सुविधा केंद्र योजना, धागा बैंक योजना, प्लेन मशीनीकरघों हेतु स्व–स्थाने उन्नयन योजना आदि के युक्तिकरण/उन्नयन द्वारा किया गया है। इस योजना को अब पावरटेक्स

इंडिया के नाम से प्रारंभ किया गया है और यह 1.04.2017 से 31.3.2020 तक प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटक हैं:

क. साधारण विद्युतकरघों का स्व-स्थाने उन्नयन

- इस योजना का उद्देश्य कतिपय अतिरिक्त संलग्नकों के साथ सादे विद्युतकरघों का उन्नयन करके उत्पादन किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है जिससे वे स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होंगे। इसका उद्देश्य 3 वर्षों (2017–18 से 2019–20) में 1,25,000 करघों को शामिल करना है।

- यह योजना लघु विद्युतकरघा बुनकरों के लिए है जिनके पास 8 तक करघे हों। 4 से कम करघों वाली इकाइयों को वरीयता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, एससी और एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए क्रमशः 45,000 रुपए, 67,500 रुपए और 81,000 रुपए प्रति विद्युतकरघा अधितकतम सब्सिडी तक उन्नयन की लागत का 50%, 75% और 90% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

- भारत सरकार की करघा सब्सिडी के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारें भी प्रति विद्युतकरघा 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बिहार राज्य सरकार भी अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 12,000 रुपए प्रदान कर रही है तथा तेलंगाना सरकार अपने संबंधित कलस्टरों में अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में के रूप में उपस्कर लागत के 50% प्रदान कर रही हैं।

- वर्ष 2018–19 से 2019–2020 के दौरान (30.11.2019 की स्थिति के अनुसार) 36674 करघों का उन्नयन (विगत वर्ष के दौरान 31404 करघों के समुन्नयन सहित) किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा 45.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–2020 की अवधि (30 नवंबर, 2019 तक) के दौरान 90725 करघों का उन्नयन किया गया था। भारत सरकार द्वारा 111.39 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई थी।

ख. समूह कार्य शेड योजना (जीडब्ल्यूएस)

इस योजना का उद्देश्य मशीनीकरघों हेतु आधुनिक बुनाई मशीनरी के साथ आधारभूत ढांचे की स्थापना करना है ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके। संशोधित योजना के अनुसार कार्य शेड के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता निर्माण की इकाई लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी जो कि अधिकतम 400 रु. प्रति वर्ग फुट की सीमा के अधीन होगी, इनमें से जो भी कम हो। सामान्यतः एकल चौड़ाई (230 सेंटीमीटर तक) के 24 आधुनिक करघे वाले न्यूनतम 4 बुनकरों का समूह अथवा 16 अधिक चौड़ाई वाले करघों (230 सेंटीमीटर तथा उससे अधिक) वाले प्रत्येक लाभग्राही के पास कम से कम चार करघे होने वाले बुनकरों का समूह बनेगा।

शयनगृह/कामगारों के आवास के निर्माण हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता में न्यूनतम 1.25 व्यक्ति प्रति विद्युतकरघे के आवास हेतु 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति का पर्याप्त स्वच्छता पूर्ण शौचालय तथा स्नानागार (वैकल्पिक तौर पर भंडार कक्ष के साथ रसोई तथा भोजन कक्ष शामिल किया जा सकता है) के साथ आवास मुहैया करवाया जाएगा। शयनगृह/कामगार आवास हेतु प्रतिवर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर समूह कार्य शेड के लिए लागू प्रति वर्ग फुट आर्थिक सहायता की दर के समान होगी।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान (31 दिसंबर, 2019 तक) 38 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और 12.75 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

ग. यार्न बैंक के लिए स्थायी निधि

विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी)/कंसोर्टियम को थोक मूल्य की दर पर यार्न की खरीद हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए ब्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान करने और विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में लघु बुनकरों को उचित दर पर ब्याज प्रदान करना। यार्न की बिक्री पर बिचौलिए/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की दलाली प्रभार को दूर करना। एसपीवी/कंसोर्टियम को सरकार द्वारा प्रति यार्न बैंक अधिकतम 200 लाख रुपए का ब्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (31 दिसंबर, 2019 तक) 3 धागा बैंक परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी है तथा 1.67 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

घ. सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

एक समूह में संबद्ध और सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के इच्छुक विद्युतकरघा बुनकरों को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना। कलस्टर की आवश्यकता के अनुसार पिछडी और अग्रणी एकीकरण के लिए पीपीपी पद्ध ति वाली परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें हाऊस डिजाइन केन्द्र/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना एवं व्यापार केन्द्र तथा सामान्य कच्ची सामग्री/यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक उद्योग के लिए जल शोधन संयंत्र और सामान्य बुनाई पूर्व सुविधाएं अर्थात वार्पिंग, साइजिंग आदि शामिल हैं।

सीएफसी के लिए भारत सरकार का शेयर प्रति कलस्टर 200 लाख रुपए है।

विद्युतकरघा कलस्टरों की ग्रेडिंग के आधार पर भारत सरकार की सहायता के स्तर निम्नलिखित हैं:

- ग्रेड–ए – परियोजना लागत के 60% तक।
- ग्रेड–बी – परियोजना लागत के 70% तक।
- ग्रेड–सी – परियोजना लागत के 80% तक।
- ग्रेड–डी और पूर्वोत्तर क्षेत्र/जम्मू एवं कश्मीर के कलस्टरों में परियोजना लागत के 90% तक।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (31 दिसंबर, 2019 तक) 4 सीएफसी अनुमोदित की जा चुकी है तथा 1.22 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

ङ. विद्युतकरघा क्षेत्र हेतु सौर ऊर्जा योजना

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा ईकाइयों द्वारा सामना की जा रही विद्युत की कटौती/कमी की समस्या को दूर करना है ताकि उपयोग. दक्षता, उत्पादकता आदि में सुधार किया जा सके और सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र की स्थापना हेतु छोटी विद्युतकरघा यूनिटों को वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया करवाकर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पार्धात्मक रूप से सामना किए जाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

प्रस्तावित सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) संयंत्र को 2 माध्यम में कार्यान्वित किया जाना है– (1) ऑन–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र और (2) ऑफ–ग्रिड सौर विद्युत संयंत्र।

भारत सरकार निम्नलिखित के अनुसार आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए सौर उर्जा संयंत्र की आधारभूत लागत (सौर पैनल की लागत. इनवर्टर बैटरी) के क्रमशः 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता/पूंजीगत आर्थिक सहायता मुहैया कराती है–

क्र.सं.	किलोवाट पीक (केडब्ल्यूपी) के रूप में क्षमता	आर्थिक सहायता हेतु पात्र उपकरण तथा घटक की अधिकतम लागत		अधिकतम आर्थिक सहायता रूपए में	
		ऑन-ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑफ-ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑन-ग्रिड सौर संयंत्र हेतु	ऑन-ग्रिड सौर संयंत्र हेतु
1	**4 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 04 करघों के लिए उपयुक्त)**				
	सामान्य@50%	2,80,000/-	3,60,000/-	1,40,000/-	1,80,000/-
	अनु.जा.@75%			2,10,000/-	2,70,000/-
	अनु.ज.जा.@90%			2,52,000/-	3,24,000/-
2	**6 केडब्ल्यूपी (आमतौर पर 06 करघों के लिए उपयुक्त)**				
	सामान्य@50%	4,20,000/-	5,40,000/-	2,10,000/-	2,70,000/-
	अनु.जा.@75%			3,15,000/-	4,05,000/-
	अनु.ज.जा.@90%			3,78,000/-	4,86,000/-
3	**8 केडब्ल्यूपी (आमतैर पर 08 करघों के लिए उपयुक्त)**				
	सामान्य@50%	5,60,000/-	7,20,000/-	2,80,000/-	3,60,000/-
	अनु.जा.@75%			4,20,000/-	5,40,000/-
	अनु.ज.जा.@90%			5,04,000/-	6,48,000/-

यह योजना 01.04.2017 से कार्यान्वित की गई है।

च. विद्युतकरघा बुनकरों हेतु प्रधानमंत्री ऋण योजना

सरकार विद्युतकरघा बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने, निवेश आवश्यकताओं (सावधि ऋण) तथा साथ ही साथ कार्यशील पूंजी हेतु एक लोचशील एवं लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाती है।

योजना में दो घटक हैं अर्थात् प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत श्रेणी–I और स्टैंड–अप इंडिया योजना के अंतर्गत श्रेणी–II। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय इस योजना के प्रचालन हेतु ऋणदाता एजेंसियों को सूचीबद्ध करता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (31 दिसंबर, 2019 को) 2 मामले अनुमोदित किए जा चुके हैं तथा 0.45 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

इन घटकों के अंतर्गत पात्रता, आवेदन के तरीके तथा उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा योजना दिशानिर्देशों में दिया गया है।

छ. सहायता अनुदान और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण/उन्नयन

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, 26 वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) और 6 राज्य सरकारों के अंतर्गत 15 विद्युतकरघा सेवा केंद्र (पीएससी) समूचे देश में स्थापित किए गए हैं तथा कार्य कर रहे हैं। पीएससी सरकार की ओर से विद्युतकरघा क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, संगोष्ठी/कार्याशाला आदि जैसी विभिन्न सेवा की पेशकश कर रहे हैं।

टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मुहैया करवाया गया सहायता अनुदान मुख्यतः विद्युतकरघा क्षेत्र को सेवाएं मुहैया कराने के लिए पीएससी के चालन हेतु आवृत्त व्यय हेतु है। टीआरए/राज्य सरकार के एजेंसियों के पीएससी को सहायता अनुदान के स्वीकृति वस्त्र आयुक्त द्वारा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान (31 दिसंबर, 2019 को) 32 पीएससी/टीआरए को 4.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को कलस्टर में आवश्यक सुविधाओं के साथ उन्नत बनाने तथा आधुनिकीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसमें प्रशिक्षण केंद्रों को बेहतर बनाना तथा नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक बनाने हेतु आधुनिक करघे स्थापित करना और प्रशिक्षण उपलब्ध करना भी शामिल है। इसके अलावा विद्युतकरघा सेवा केंद्रों को प्रीपरेटरी मशीनें परीक्षण उपकरण, गारमेंट तथा अपैरल हेतु सिलाई मशीनें, कढ़ाई मशीनें, डिजाइन विकास सुविधाएं आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

ज. टेक्स-वैंचर पूंजी निधि की योजना

विद्युतकरघा उद्योग में निर्माण और सेवा कार्यकलापों में लगी कंपनियों में प्राथमिक निवेश करने के लिए 35 करोड़ रुपए के कार्पस वाली एक समर्पित निधि, टेक्स फंड शुरू की गई है।

टेक्स–वेंचर पूंजी निधि के लिए भारत सरकार 24.50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी और सिडबी द्वारा 10.50 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

टेक्स–वेंचर निधि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार और समय–समय पर संशोधित अनुसार इक्विटी शेयर और/अथवा वस्त्र सुक्ष्म

और लघु उपक्रम की इक्विटी में कन्वर्टिवल इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा। इस निधि का संचालन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन 2012 (सेबी का एआईएफ विनियमन 2012) के तहत होगा।

निधि का प्राथमिक निवेश उद्देश्य आरंभिक अथवा विकास स्तर पर पूंजी निवेश आवश्यकता के लिए गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निजी वार्ता सम्मत इक्विटी/इक्विटी से संबंधित और/अथवा परिवर्तनीय/गैर–परिवर्तनीय ऋण साधनों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के माध्यम से आकर्षक जोखिम समायोजित प्रतिफल प्राप्त करना है।

लाभ:

योजना के अंतर्गत कंपनियों की इक्विटी में निवेश से उनकी निवल मूल्य, वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि, उनकी विनिर्माण क्षमता में सुधार और बिक्री कारोबार, प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेगा। निधि से निवेशों द्वारा निवेशक कंपनियों के आंतरिक प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं प्रबंधन क्षमता तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार होने का अनुमान है।

भारत सरकार और सिडबी के बीच दिनांक 03.10.2014 को अंशदान करार पर हस्ताक्षर किया गया है और वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित 11.50 करोड़ रुपए की राशि सिडबी वेंचर पूंजी लि. (एसवीसीएल) को नवम्बर, 2014 में जारी की गई है।

इस घटक के अंतर्गत कुल 20.93 करोड़ रुपए के निवेश के लिए निम्नलिखित 7 मामलों को अनुमोदित किया गया है।

झ. विद्युतकरघा के लिए सुविधा केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र फैब्रिक उत्पादन और रोजगार सृजन के रूप में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वदेशी उत्पादन तथा विपणन के साथ–साथ विद्युतकरघा बुनकरों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2007–08 से एकीकृत योजना कार्यान्वित की गई है, जिसका उद्देश्य विद्युतकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, अनुभव दौरा, क्रेता–विक्रेता बैठकें, कलस्टर विकास कार्यकलाप तथा कौशल विकासध्उन्नयन इत्यादि है।

10.1.6.1 सुविधा सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के घटक:

(क) सुविधा सेवाएं

- **हेल्पलाइन:** निःशुल्क कॉल द्वारा विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता/परामर्श/जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन (1800222017) स्थापित की गई है।
- विद्युतकरघा बुनकरों तथा इकाइयों की पीएससी के साथ पंजीकरण की सुविधा –
- **एसएमएस एलर्ट:** एक प्रणाली विकसित की गई है ताकि जिससे विद्युतकरघा संबंधित विषयों पर नए घटनाक्रम/पहलों के संबंध में विद्युतकरघा बुनकरों को एसएमएस एलर्ट भेजे जा सके।
- **बैंक सहायता:** अग्रणी बैंक तथा प्रमुख बैंकों की सेवाएं विद्युतकरघा क्लस्टरों में विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के माध्यम से मुहैया करवाई जाएंगी ताकि विद्युतकरघा बुनकरों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके और विद्युतकरघा इकाइयां बैंकों से ऋण सुविधाएं तथा मुद्रा ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी – भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल/मोबाइल एप्लीकेशन का विकास।

(ग) जागरूकता और बाजार विकास कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक/क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।

2.1 संगोष्ठियां/कार्याशालाएं

2.2 क्रेता विक्रेता बैठकें

2.3 रिवर्स क्रेता–विक्रेता बैठकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम:

2.4 विद्युतकरघा उत्पादों के विपणन हेतु ई–प्लेटफार्म

2.5 बुनकरों का संपर्क दौरा– भारत सरकार द्वारा प्रत्येक बुनकर को आकस्मिक व्यय और स्लीपर क्लास के लिए आने–जाने का रेल भाड़ा के प्रति 5000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.6 अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन कार्यक्रमों का आयोजन करना/विशेष आवश्यकताओं संबंधी योजनाएं

(घ) इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया मे प्रचार:

विद्युतकरघा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार में सहायता करने तथा जागरूकता का सृजन करने में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन उपकरणों द्वारा हितधारकों/विद्युतकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं का समाधान किया जा सकता है।

फरवरी, 2019 में निटिंग तथा निटवियर क्षेत्र के विकास हेतु एक योजना प्रारंभ की गई है।

10.1.7. व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना

भिवंडी (महाराष्ट्र) तथा इरोड़ (तमिलनाडु) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर का विकास करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उनके बजट भाषण में 2008–09 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन को समर्थ बनाने के लिए वर्ष 2008–09 में व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना तैयार की गई थी। तत्पश्चात, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009–10, 2012–13 और 2014–15 के बजट भाषणों में क्रमशः भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (महाराष्ट्र) और सूरत (गुजरात) में विद्युतकरघा मेगाकलस्टरों के विकास करने की घोषणा की है।

क्लस्टरों के डिजायन में निहित दिशानिर्देशों/सिद्धांतों का उद्देश्य विश्वस्तरीय आधारभूत ढ़ांचे का सृजन करना है तथा उत्पादन श्रृंखला को इस ढंग से एकीकृत करना है कि जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कलस्टर दृष्टिकोण योजना का मुख्य उद्देश्य बढ़ते बाजार शेयर के अनुसार कलस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना तथा उत्पादों का उच्च इकाई मूल्य प्राप्त करके उत्पादकता को बढ़ाना है। योजना में पर्याप्त आधारभूत ढ़ांचा, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजायन विकास, कच्ची सामग्री, बैंकों, विपणन और संवर्धन, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य घटकों के अनुसार अपेक्षित सहायता/संपर्क उपलब्ध कराया जाता है जो विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

सीपीसीडीएस को 110 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 12वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर 2013 में संशोधित किया गया था। इस योजना को 99.99 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय (विद्युतकरघा हेतु 75 करोड़ रुपए. रेशम हेतु 24.99 करोड़ रुपए) के साथ 3 वर्ष की अवधि (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक) की अवधि हेतु कार्यान्वयन के लिए दिसंबर, 2016 में फिर से संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के तहत

मेगाकलस्टर के लिए सरकार की सहायता अधिकतम 50 करोड़ रुपए के अध्यधीन परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है।

इस योजना के अंतर्गत पांच विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इरोड (तमिलनाडु):

बजट 2008–09 में 145.78 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से इरोड में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की घोषणा की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत, एकीकृत वस्त्र बाजार परिसर जिसमें साप्ताहिक वस्त्र सैंडी बाजार, दैनिक बाजार (थोक बाजार परिसर) और प्रदर्शनी हॉल शामिल हैं, को अनुमोदित किया गया था। साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजार का निर्माण पूरा हो गया है।

(ii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सोलापुर (महाराष्ट्र):

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भिवंडी की घोषणा बजट 2008–09 में की गई थी। भूमि की अनुपलब्धता और भिवंडी में परियोजना के विकास में भाग लेने के लिए स्टेकहोल्डरों में अनिच्छा के कारण महाराष्ट्र सरकार ने भिवंडी के स्थान पर सोलापुर में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर का स्थानापन्न करने का प्रस्ताव किया है। तद्नुसार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से इसके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया है। मैसर्स ग्रैंड थार्टन इंडिया एलएलपी, गुडगांव को कलस्टर प्रबंधन तथा तकनीकी एजेंसी (सीएमटीए) के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना की विस्तृत संकल्पना रिपोर्ट (डीसीआर) को कलस्टर समन्वय समूह (सीसीजी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पीएएमसी की दिनांक 6.1.2020 को आयोजित बैठक में सीएमटीए को प्रस्तावित पहलों की व्यवहार्यता का अध्ययन करने, उन संभावित साझेदारों की पहचान करने का आदेश दिया था जो पहलों का निर्धारण करने के लिए रंगाई की सुविधा और नए सर्वेक्षण करने तथा मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक हैं।

(iii) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, भीलवाड़ा (राजस्थान)

भीलवाडा में विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की घोषणा बजट 2009–10 में की गई थी। भीलवाडा, में भूमि की अनुपलब्धता के कारण भीलवाडा जिले में करनपुरा में परियोजना को पुनः स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए करनपुरा गांव में 30 एकड़ भूमि आबंटित की है। चूंकि भीलवाड़ा में पिछले 8 वर्षों में सीएमटीए द्वारा कोई प्रगति नहीं की जा सकी, पीएएमसी ने सीएमटीए रद्द करने का निर्णय लिया और दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए नई सीएमटीए का चयन करने के लिए वस्त्र आयुक्त को आरएफपी पुनः आवंटित करने की सलाह दी।

इस परियोजना के लिए सीएमटीए के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने में इच्छुक संगठनों से कई बार ईओआई तथा आरएफपी आमंत्रित किए गए हैं। परन्तु, उद्यमियों और राजस्थान राज्य सरकार की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण पीएएमसी ने दिनांक 6 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया।

(iv) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचलकरंजी (महाराष्ट्र)

बजट 2012–13 में कुल 113.57 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, इचलकरंजी की घोषणा की गई थी। आज की तारीख तक परियोजना के लिए 29.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(v) विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत (गुजरात)

विद्युतकरघा मेगाकलस्टर, सूरत की बजट घोषणा 2014–15 में की गई थी। सीएमटीए के रूप में मैसर्स आईएल एंड एफएस का चयन किया गया है। कलस्टर समन्वय समूह (सीसीजी) का गठन किया गया है। सीसीजी द्वारा अनुमोदित डीसीआर मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

पीएएमसी की दिनांक 6.1.2020 को आयोजित अपनी बैठक में सीएमटीए को एसआईटीपी के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं में स्थापित क्षमताओं सहित वाटरजेट शटलरहित करघों की क्षेत्र–वार स्थापित क्षमता का अध्ययन करने का आदेश दिया गया था। डीसीआर में सीईटीपी घटक की आवश्यकता को न्याय संगत बनाने के लिए सीईटीपी का मानचित्रण, एक भौतिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाना है और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीएमटीए को निर्देश दिया गया है। सीएमटीए को कलस्टर की आवश्यकता के मद्देनजर प्रस्तावित डीसीआर के अन्य घटकों का पुनरू दौरा करने और तदनुसार इस परियोजना के घटकों में आवश्यक परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

10.1 हथकरघा

10.2.1 प्रस्तावना

हथकरघा बुनाई कृषि के बाद सबसे बड़े आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है जो 35.23 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। देश में वस्त्र उत्पादन में इस क्षेत्र का लगभग 12% योगदान है और यह देश की निर्यात आय में भी योगदान देता है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशलों के हस्तांतरण द्वारा कायम रहा है। इस क्षेत्र की ताकत इसकी अद्वितीयता, उत्पादन में लचीलेपन, नवाचारों में खुलापन, आपूर्तिकर्ता की जरुरत के अनुसार अनुकूलन क्षमता और इसकी परंपरा की संपन्नता में निहित है।

तथापि, आधुनिक तकनीकों के अंगीकरण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गहरी पैठ बना ली है। विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयातित फैब्रिक की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को चुनौती दी है।

भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण कर रही है। क्लस्टर एप्रोच, विपणन प्रयासों और समाज कल्याण उपायों जैसी विभिन्न नीति संबंधी पहलों और योजना संबंधी मध्यस्थताओं के कारण हथकरघा क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है और बुनकरों की आय में वृद्धि हुई है। 11वीं योजना की शुरूआत में हथकरघा फैब्रिक उत्पादन काफी प्रभावी रहा और इसकी विकास दर 6% से 7% रही। इसके बाद आर्थिक मंदी ने भारत के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और हथकरघा क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा। वर्ष 2008–09 में उत्पादन में मामूली गिरावट रही। वर्तमान में इसमें सकारात्मक संकेत है और उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।

हथकरघा पीढ़ीगत विरासत का एक अनमोल हिस्सा है और हमारे देश की समृद्धि एवं विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता को दर्शाता है। हाथ से बुनाई की परंपरा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक हिस्सा है। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में, हथकरघा कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लगभग 28.20 लाख हथकरघा से जुड़े 35.23 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 13.7% अनुसूचित जाति से हैं, 17.8% अनुसूचित जनजाति से हैं, 36% अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और 27% अन्य जातियों से हैं।

विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है: (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रमय (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजनाय (iii) यार्न आपूर्ति योजनाय (iv) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना। योजना–वार ब्यौरा इस प्रकार है:–

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान कार्यान्वयन हेतु आंशिक संशोधनों के साथ तैयार किया गया था। यह कार्यक्रम हथकरघों के एकीकृत और समावेशी विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित संकल्पना का अनुसरण करता है। यह बुनकरो को स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारिता के दायरे के अन्दर और बाहर दोनों तरह से कच्ची समाग्री, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी अवसंरचना के सृजन, हथकरघा उत्पादों की ई–मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास आदि के लिए सहायता प्रदान करता है।

योजना के मुख्य संघटक इस प्रकार हैं :–

1. रियायती ऋण (मुद्रा ऋण)
2. ब्लॉक स्तरीय कलस्टर
3. हथकरघा विपणन सहायता
4. विपणन प्रोत्साहन

1. हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋण:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम की रियायती ऋण संघटक योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र को रियायती दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। योजना के तहत, तीन वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए की मार्जिन मनी सहायता और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जा रही है। पूर्व में बुनकर क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण स्वीकृत किए जाते थे। वर्तमान में हथकरघा बुनकरों तथा बुनकर उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा पोर्टल प्लेटफार्म अपनाया गया है। ब्याज सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी और मार्जिन मनी के संबंध में वित्तीय सहायता के दावों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से "हथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल' विकसित किया गया है। मार्जिन मनी बुनकर के ऋण खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है और ब्याज छूट तथा ऋण गारंटी शुल्क इलैक्टॉनिक माध्यम से बैंकों को स्थानांतरित की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान (31.03.2020 तक) 119.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के साथ 22353 ऋण स्वीकृत/वितरित किए गए हैं।

2. ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर: इसकी शुरूआत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीसी) के एक संघटक के रूप में वर्ष 2015–16 में हुई। विभिन्न मध्यस्थताओं यथा कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास, वर्कशेड का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना इत्यादि के लिए के लिए ब्लॉक में प्रति कलस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों की सिफारिश की गई है।

ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर- वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित राज्यों के लिए 21 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं:

3. **हथकरघा विपणन सहायता:** हथकरघा विपणन सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने

2019-20 के दौरान राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत स्वीकृत ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर की संख्या/जारी राशि तथा शामिल लाभार्थी

(31.03.2020 को) (Rs.in lakh)

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत ब्लॉक क्लस्टरों की संख्या	जारी राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश		181.49	
2	छत्तीसगढ		24.04	
	6 बीएलसी दूसरी किस्त		28.06	
3	हिमाचल प्रदेश		4.24	
4	केरल	1	32.74	320
	बाहरी बीएलसी		2.21	
	4 बीएलसी दूसरी किस्त और एचएसएस		32.91	
5	महाराष्ट्र	1	7.00	168
	3 बीएलसी दूसरी किस्त		46.29	
6	जम्मू और कश्मीर	2	13.00	509
	एचएसएस		10.39	
7	लद्दाख	1	6.65	260

8	कर्नाटक		10.05	
	बाहरी बी.एल.सी.		61.12	139
9	ओडिशा	6	131.12	2014
	(12 बीएलसी दूसरी किस्त)		341.12	
10	तेलंगाना	1	14.07	159
	एचएसएस		9.68	
11	उत्तर प्रदेश	3	19.40	634
	एचएसएस		64.36	
	1 बीएलसी दूसरी किस्त		34.73	
12	उत्तराखंड	1	5.40	603
13	पश्चिम बंगाल		46.84	
	कुल (सामान्य)	16	1126.87	4806
	पूर्वोत्तर			
1	अरुणाचल प्रदेश	1	37.76	294
2	असम	2	17.32	866
	दूसरी किस्त (10 बीएलसी)		129.59	
3	मणिपुर			
	(10 बीएलसी दूसरी किस्त)		315.81	
4	मिजोरम	1	10.93	354
	(07 बीएलसी दूसरी किस्त)		21.21	
5	त्रिपुरा	1	24.90	341
	कुल (पूर्वोत्तर)	5	557.52	1855
	कुल योग (सामान्य पूर्वोत्तर)	**21**	**1684.39**	**6661**

के लिए विपणन मंच प्रदान करना है। इस संघटक के मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:–

i. एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजन
ii. निर्यात संवर्धन
iii. हथकरघा मार्क
iv. इंडिया हैंडलूम ब्रांड
v. ई–कॉमर्स
vi. विपणन प्रोत्साहन
vii. हथकरघा पुरस्कार
viii. भौगोलिक संकेतक

i. **एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजन (घरेलू):** 2017–18 के दौरान कुल 181 घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजत किए गए थे। साथ ही 2018–19 के दौरान कुल 165 कार्यक्रम स्वीकृत किए गए थे। 2019–20 के दौरान एनएचडीपी के तहत अब तक कुल 127 कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं।

ii. **निर्यात संवर्धन:** हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, क्रेता–विक्रेता बैठकों आदि में भाग लेने तथा नवीनतम डिजाइन, रुझान, रंग पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों/शीर्ष निकायों और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है। इस घटक के तहत, (i) निर्यात परियोजनाओं (ii) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी और (iii) डिजाइन स्टूडियो की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। 2017–18 के दौरान एचईपीसी ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। 2017–18 के दौरान हथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2280.19 करोड़ था। 2018–19 के दौरान एचईपीसी ने 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया। वर्ष 2018–19 के लिए निर्यात के आंकड़े 2392.39 करोड़ रुपये हैं तथा वर्ष 2019–20 (जनवरी, 2020 तक), निर्यात आकड़े 1405.41 करोड़ रुपये हैं जिसमें 09 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी शामिल है

iii. **हैंडलूम मार्क:** हैंडलूम मार्क खरीदारों को गारंटी के रूप में सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद एक वास्तविक हस्तनिर्मित उत्पाद है और पावरलूम या मिल निर्मित उत्पाद

नहीं है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडिकेटेड लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित और लोकप्रिय किया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार हैंडलूम मार्क के लिए कुल 22,275 पंजीकरण जारी किए गए हैं। 815 रिटेल आउटलेट हैंडलूम मार्क लेबल के साथ हथकरघा सामान बेच रहे हैं।

iv. **इंडिया हैंडलूम ब्रांडः** ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणात्मक अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, बुनाई एवं अन्य मानकों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएसबी) का शुभारंभ किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' केवल उत्कृष्ट हस्तनिर्मित उत्पादों के इच्छुक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खराबी रहित प्रीमियम एवं प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष बाजार स्थान तथा आय में वृद्धि करना है।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) एक व्यापक जागरूकता और ब्रांड निर्माण अभियान शुरू किया गया

(ii) ई–विपणन के लिए खुली नीति जिसके तहत ई–कॉमर्स कंपनियों को विशेषकर आईएचबी उत्पादों तथा सामान्यतः आईएचबी के अलावा हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए फोकस करने हेतु प्रेरित करना

(iii) 25 खुदरा केन्द्रों से पैन इंडिया आधार पर भागीदारी की गई जिनमें ये केन्द्र अपने स्टोर में विशेष रूप से आईएचबी उत्पादों के लिए स्थान आरक्षित रखते हैं।

v. **ई-कॉमर्सः** 25 अगस्त, 2014 को फ्लिपकार्ट के साथ हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन विपणन मंच प्रदान करने और बिचौलियों को समाप्त करने हेतु ई–कॉमर्स के माध्यम से बुनकरों और हथकरघा सहकारी समितियों के हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, और अधिक ऑनलाइन विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए, वर्ष 2015 के दौरान हथकरघा उत्पादों की बिक्री हेतु ई–कॉमर्स संस्थाओं को आमंत्रित करने के लिए एक ओपन डोर नीति तैयार की गई थी। तद्नुसार विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए 23 ई–कॉमर्स संस्थाओं नामतः (i) मै. वीवस्मार्ट ऑनलाइन सर्विसेज (ii) मै. ईबे इंडिया प्रा.लि. (iii) मै. फिल्पकार्ट इंटरनेट प्रा.लि. (iv) मै. क्राफ्टविला हैंडिक्राफ्ट प्रा.लि. (v) मै. पीर्गासे टैकन्लॉजी प्रा.लि. (vi) मै. गोकोप सॉलूशन एंड सर्विसेज प्रा.लि. (vii) मै. क्लूज नेटवर्क प्रा.लि. (viii) मै. सैनोरिटा क्रिएशन प्रा. लि. (ix) मै. एमाजोन सेलर सर्विस प्रा.लि. (x) मै.टैकवाइडर नेटवर्क इंडिया प्रा.लि. (xi) मै. वीनस शॉपी (xii) मै. सुरेखा आर्ट (xiii) मै. मूडी साफ्टवेयर आर एंड डी प्रा.लि. (xiv) मै. मंत्रा डिजाइन प्रा.लि. (xv) मै. ईराम इन्फोटैक प्रा.लि. (xvi) मै. डीज ऐली (xvii) मै. चारू क्रिएशन प्रा.लि. (xviii) मै. आरामार्ट ई–कॉमर्स एलएलपी (xix) मै. बिग फुट रिटेल सॉलूशन्स (xx) मै. ऑरपैक्स क्वॉलट्रा (xxi) मै. बाइन्ड बाइन्ड ईकॉमर्स प्रा.लि. (xxii) मै. डेनिम क्लब इंडिया तथा (xxiii) मै. शॉपिंग कार्ट 24 ऑनलाइन सर्विसेस प्रा.लि. को अनुबंधित किया गया है।

vi. **विपणन प्रोत्साहनः** विपणन प्रोत्साहन हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए सहायक माहौल तैयार करने के लिए दिया जाता है। यह काफी हद तक हथकरघा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में मूल्य के लिए एक प्रोत्साहन होगा ताकि एक ओर जहां वे कीमत में मामूली कमी करने में सक्षम होंगी वहीं, दूसरी ओर वे बुनियादी ढाँचे में निवेश कर सकें जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके। एजेंसी से उम्मीद है कि इस राशि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाएगा जो हथकरघा सामानों की समग्र बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगी। विपणन प्रोत्साहन (एमआई) के लिए सहायता राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों के लिए पात्र होगी। विपणन प्रोत्साहन उन एजेंसियों को दिया जाता है, जिन्हें वास्तव में विपणन सहायता की आवश्यकता होती है और इसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, ताकि बाद में एजेंसी अपने आप निर्वाह कर सके। विपणन प्रोत्साहन जारी करने के लिए पात्रता हेतु ऊपरी सीमा वार्षिक टर्नओवर के 30 लाख रूपए निर्धारित की गई है ताकि उपलब्ध बजट के भीतर जरूरतमंद समितियों को शामिल किया जा सके। 30 लाख रूपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली समितियां एमआई के लिए पात्र नहीं हैं। इस प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2017–18 के दौरान 22.61 करोड़ रूपए और वर्ष 2018–19 के दौरान 26.36 करोड़ रूपए की सहायता जारी की गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान 36.66 करोड़ रूपए जारी किए गए।

vii. **हथकरघा पुरस्कारः** वस्त्र मंत्रालय हथकरघा बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र प्रदान करता है। पुरस्कारों का संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः–

(क) संत कबीर पुरस्कारः संत कबीर पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर, जिसे राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है वे इस पुरस्कार के पात्र है;

वित्तीय सहायताः- इस पुरस्कार में 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, स्वर्ण से मढ़ा हुआ एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्टफोन और प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कारः राष्ट्रीय पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और सार्थक तरीके

से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इस पुरस्कार के मात्र हैं।

इस पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन तथा एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(ग) राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्रः राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र (एनएमसी) उत्कृष्ट एवं हुनरमंद हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जिसने हथकरघा उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र में 0.75 लाख रुपये का एक नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल होता है।

हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन विकास के क्षेत्र में अतिरिक्त, 03 राष्ट्रीय पुरस्कार और 06 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार और हथकरघा उत्पादों के विपणन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 05 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार।

इसके अलावा, वर्ष 2016 से 02 संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र के अलावा विशेष रुप से महिला हथकरघा बुनकरों के लिए 02 संत कबीर पुरस्कार, 04 राष्ट्रीय पुरस्कार और 04 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाणपत्र भी शुरु किए गए हैं। महिला हथकरघा बुनकरों को यह विशेष पुरस्कार "एसकेए/एनए/एनएमसी (कमलादेवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार)" के नाम से होगा।

संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र पुरस्कारों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

क्रम सं.	पुरस्कार का नाम		पुरस्कारों की संख्या			
		श्रेणी	सामान्य	विशेष रूप से महिलाओं के लिए	कुल	सकल योग
01	संत कबीर पुरस्कार (एसकेए)	बुनाई	10	02	12	12
02	राष्ट्रीय पुरस्कार (एनए)	बुनाई	20	04	24	32
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	03	-	03	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	05	-	05	
03	राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र (एनएमसी)	बुनाई	20	04	24	40
		हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए डिजाइन विकास	06	-	06	
		हथकरघा उत्पादों का विपणन	10	-	10	
	कुल		**74**	**10**	**84**	**84**

नोटः– हथकरघा क्षेत्र में (हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिए बुनाई, डिजाइन विकास और हथकरघा उत्पादों के विपणन) कुल मिलाकर अधिकतम 12 संत कबीर पुरस्कार, 32 राष्ट्रीय पुरस्कार और 40 राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

पिछले 4 वर्षों में दिए गए पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार हैः –

(i) वर्ष 2012, 2013 और 2014 के लिए चेन्नई में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 7 अगस्त 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ii) वर्ष 2015 के लिए, 7 अगस्त 2016 को वाराणसी में माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iii) वर्ष 2016 के लिए माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में 7 अगस्त 2018 को चौथे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iv) वर्ष 2017 के लिए हथकरघा पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस–07 अगस्त, 2020 को प्रदान किया जायेगा।

पुरस्कार	वर्ष एवं पुरस्कारों की संख्या					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
संत कबीर पुरस्कार	06	05	05	03	05	04
राष्ट्रीय पुरस्कार	20	19	18	23	22	12
राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र	19	07	04	20	22	15
कुल	45	31	27	46	49	31
पुरस्कार प्रदान किए जाने वाला वर्ष	2015	2015	2015	2016	2018	2019

viii. **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन:** वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनका दूसरों द्वारा अनधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है। जीआई अधिनियम के तहत हथकरघा वस्तुओं के पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता को 1.50 लाख रूपए से बढ़ाकर 3.00 लाख रूपए कर दिया गया है, जिसमें से 1.50 लाख रूपए पंजीकरण के लिए और 1.50 लाख रूपए प्रशिक्षण तथा सूचना के प्रचार–प्रसार आदि के लिए दिए जाते हैं। अब तक जीआई अधिनियम के तहत 65 हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

परिवर्तित नाम "नेशनल सेंटर फॉर हेरिटेज टेक्सटाइल" (एनसीएचटी)", जनपथ, नई दिल्ली, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हैंडलूम मार्केटिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए वस्त्र मंत्रालय को जनपथ, नई दिल्ली में 1.779 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी। इस भवन के निर्माण की परियोजना लागत 42.00 करोड़ रूपए थी।

एनसीएचटी का मुख्य उद्देश्य हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने तथा देशभर में तैयार किए गए हथकरघा उत्पादों के उत्कृष्ट विविध प्रकारों के प्रदर्शन के लिए अवसंरचना सहायता मुहैया करना है।

10.2.2 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(i) पीएमजेबीबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत जीवन और दुर्घटना बीमा

(क) 31 मार्च, 2017 तक हथकरघा बुनकरों को एमजीबीबीवाई के तहत जीवन एवं दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया गया था। दिनांक 5 जून, 2018 को कुछ संशोधनों के साथ हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) का अनुमोदन किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) बीमा योजना हैं जो 18–50 वर्ष के आयु वर्ग वाले हथकरघा बुनकरों/कामगारों को प्राकृतिक/दुर्घटना मृत्यु, पूर्ण/आंशिक दिव्यांग्ता पर जीवन, दुर्घटना और दिव्यांग्ता बीमा कवरेज प्रदान करती है। तथापि, 51–59 वर्षों की आयु समूह वाले मौजूदा बुनकर परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के तहत कवरेज जारी रखेंगे । पीएमजेबीबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत प्रति बुनकर 342/–रूपए के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार है:–

क्र.सं.	वार्षिक हिस्सा	राशि
(i)	भारत सरकार हिस्सा	162/– रूपए
(ii)	एलआईसी हिस्सा	80/– रूपए
(iii)	बुनकर हिस्सा	100/– रूपए
	कुल	342/– रूपए

लाभ

क्र.सं.	मद	लाभ
(i)	प्राकृतिक मृत्यु	2,00,000/– रूपए
(ii)	दुर्घटना मृत्यु	2,00,000/– रूपए
(iii)	पूर्ण दिव्यांगता	2,00,000/– रूपए
(iv)	आंशिक दिव्यांगता	1,00,000/– रूपए

(ख) परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई):

परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जो 51–59 वर्ष की आयु समूह वाले ऐसे हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जो दिनांक 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत पहले से ही शामिल हैं। दिनांक 01.06.2017 को अथवा उसके बाद इस योजना के तहत 51–59 वर्ष की आयु समूह वाले बुनकरों का कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। 470/– रूपए के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार होता है:–

भारत सरकार का हिस्सा	290/– रूपए
एलआईसी हिस्सा	100/– रूपए
बुनकर/कामगार हिस्सा	80/– रूपए
कुल	**470/- रूपए**

लाभ

लाभ	
प्राकृतिक मृत्यु	60,000/– रूपए
दुर्घटना मृत्यु	1,50,000/– रूपए
पूर्ण दिव्यांग्ता	1,50,000/– रूपए
आंशिक दिव्यांग्ता	75,000/– रूपए

वित्तीय वर्ष 2015–16 से जीवन और दुर्घटना बीमा योजना के तहत बुनकरों का नामांकन निम्नानुसार है:

वर्ष	नामांकित बुनकर
2015-16	5.83 लाख
2016-17	5.32 लाख
2017-18	1.70 लाख
2018-19 (31.5.2019 तक)	1.73 लाख
2019-20 (31.03.2020 तक)	1.39 लाख

III. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

भारत सरकार मिल गेट कीमत पर हथकरघा बुनकरों को हर प्रकार का यार्न प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित कर रही है ताकि हथकरघा क्षेत्र हेतु बेसिक कच्ची सामग्री की नियमित आपूर्ति सुविधा प्रदान की जा सके और इस क्षेत्र की पूर्ण रोजगार संभाव्यता का उपयोग करने में सहातया मिल सके। यह योजना भारत सरकार के एक उपक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी), लखनऊ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत माल–भाड़ा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। मालभाडा प्रतिपूर्ति की दर, डिपो संचालन व्यय तथा एनएचडीसी के सेवा प्रभार इस प्रकार है:

(आपूर्त यार्न के मूल्य का :)

क्षेत्र	माल भाड़ा			डिपो प्रचालन प्रभार	एनएचडीसी सेवा प्रभार
	सिल्कध्जूट के अलावा	सिल्क यार्न	जूट/जूट मिश्रित यार्न		
मैदानी क्षेत्रों में	2.5%	1%	10%	2.0%	1.25%
पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्र	2.5%	1.25%	10%	2.0%	1.5%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	5%	1.50%	10%	2.0%	2.00%

इसके अलावा, पावरलूम और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी युक्त यार्न प्रदान करने हेतु मात्रात्मक सीमा सहित कॉटन, घरेलू रेशम, ऊनी यार्न और हंक रूप में लिनन यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है। 10% सब्सिडी घटकों के तहत विभिन्न प्रकार के यार्न की पात्रता निम्नानुसार है:

कॉटन और घरेलू रेशम के धागे के लिए

1. 40एस कॉटन सहित एवं तक – 30 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
2. 40एस कॉटन से अधिक – 10 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
3. घरेलू रेशम के लिए – 4 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

ऊनी यार्न के लिए

ऊनी यार्न (10एस एनएम से नीचे)	50 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
ऊनी यार्न (10एस से 39.99एस एनएम)	10 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
ऊनी यार्न (40एस एनएम एवं उससे अधिक)	4 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

लिनन यार्न के लिए

लिनन यार्न (5 ली से 10 ली)	20 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह
लिनन यार्न (10 ली से अधिक)	7 कि.ग्रा. प्रति करघा/माह

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के तहत यार्न की आपूर्ति इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रूपए में)
2014-15	1484.30	216077.51
2015-16	1725.46	235686.52
2016-17	1799.14	294194.80
2017-18	1556.05	256459.01
2018-19	442.72	89866.14
2019-20 (मार्च, 2020 तक)	403.883	69710.53

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के 10: सब्सिडी संघटक के तहत आपूर्ति इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (लाख कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रूपए में)
2014-15	286.34	102683.50
2015-16	257.077	92777.46
2016-17	313.31	134601.15
2017-18	330.90	120973.11
2018-19	146.13	49234.59
2019-20 (मार्च, 2020 तक)	92.39	36331.55

2014–15 से यार्न आपूर्ति योजना के के तहत जारी निधियां इस प्रकार है:

वर्ष	जारी निधियां (करोड़ रूपए में)
2014-15	127.81
2015-16	321.96
2016-17	261.35
2017-18	199.84
2018-19	126.84
2019-20 (मार्च, 2020 तक)	142.21

10.2.3 व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

पांच वर्षो के लिए प्रति क्लस्टर 40.00 करोड़ रुपए की भारत सरकार की सहायता के साथ भौगोलिक स्थानों में कम से कम 15000 हथकरघों के शामिल करते हुए मेगा हथकरघा क्लस्टर के विकास हेतु व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वयन के अधीन है।

सीएचसीडीएस के दिशानिर्देश अगस्त, 2015 में संशोधित किए गए थे जिसमें एनएचडीपी की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर दृष्टिकोण शामिल है। 2018–19 के दौरान 15 ब्लॉक लेवल क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

वर्ष 2019–20 (दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न मध्यस्थताओं के कार्यान्वयन के लिए 16.23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत/जारी की गई है।

10.2.4 हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के सा.आ.सं. 2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हथकरघों पर उत्पादन के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित हैं। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा (दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युतकरघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

दिल्ली, चेन्नै और अहमदाबाद स्थित तीन प्रवर्तन कार्यालय हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार 'हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन' योजना के तहत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य सरकारों को जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया गया है:–

तालिका 1.1

क्र.सं.	वास्तविक प्रगति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31 मार्च, 2020 तक)
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	3,21,452	3,34,468	3,51,572	3,67860	401000
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	3,32,327	3,47,293	3,67,927	385557	401429
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	140	64	83	67	88
4.	दोषसिद्धि	120	25	89	66	62

तालिका 1.2

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वास्तविक प्रगति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31 मार्च, 2020 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	41.22	-	-	43.15
2.	पश्चिम बंगाल	3.79	14.67	0.49	33.37	11.97
3.	गुजरात	10.12	11.37	25.70	15.39	7.82
4.	राजस्थान	-	-	30.80	14.54	12.39
5.	मध्य प्रदेश	-	28.86	13.64	8.72	15.74
6.	हरियाणा	-	-	-	-	10.19
7.	तमिलनाडु	108.95	72.44	121.72	57.06	117.60
8.	उत्तर प्रदेश	8.24	12.71	89.28	91.63	57.50
9.	केरल	7.78	5.63	10.88	-	-
10	तेलंगाना	11.36	47.40	6.97	7.18	-
	कुल	**150.24**	**234.30**	**299.48**	**227.89**	**276.36**

10.2.5 हथकरघा संगठन

क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है। एचईपीसी का गठन 96 सदस्यों के साथ 1965 में किया गया और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1501 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में है और क्षेत्रिय कार्यालय नई दिल्ली में है।

एचएचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

- तमिलनाडु में करूर एवं मदुरै, केरल में कन्नूर तथा हरियाणा में पानीपत में प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र हैं। निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद जैसे कि टेबलमेट्स, प्लेसमेट्स, कशीदाकारी वस्त्र सामग्री, पर्दे, फर्श मैट, किचनवेयर आदि का उत्पादन करूर, मदुरै और कन्नूर में किया जाता है, जबकि पानीपत दरियों और अन्य भारी किस्मों के लिए प्रसिद्ध है जहां हैंडस्पून यार्न का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा, केरल, वाराणसी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संपलपुर जैसे अन्य केंद्र भी हैंडलूम निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में व्यापारी निर्यातक हैं जो अपने उत्पादों इन केंद्रों से खरीदते हैं।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के उद्देश्य

परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. सदस्य निर्यातकों को व्यापारिक सूचना तथा आसूचना का प्रचार–प्रसार,
2. भारतीय हथकरघा उत्पादों का विदेशों में प्रचार,
3. उत्पाद विविधीकरण एवं आधुनिक विपणन जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाना,
4. निर्यात–बाजार हेतु हथकरघों के आधुनिकीकरण की गति को तेज करना,
5. हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु डिजाइन संबंधी निविष्टियां प्रदान करना,
6. व्यापार मिशनों/क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन एवं विदेशों के व्यापार मेलों में भागीदारी,
7. हथकरघा निर्यातकों हेतु परामर्शी एवं मार्गदर्शी सेवाएं,
8. हथकरघा निर्यात व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत मामलों में भारत सरकार के साथ सम्पर्क करना,
9. हथकरघा निर्यातकों से संबंधित व्यापारिक शिकायतों का निपटान,
10. हथकरघा निर्यातकों के लाभ के लिए विदेश स्थित वाणिज्यिक एजेंसियों के साथ आयात संवर्धन हेतु संपर्क करना।

निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	
		करोड़ रूपये में	यूएस डॉलर में
2013-14	602 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2233.11	369.11
2014-15	460 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2246.48	367.41
2015-16	421 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2353.33	360.02
2016-17	450 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2392.21	357.53
2017-18	463 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2280.18	353.92
2018-19	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2392.39	343.43
2019-20	जनवरी, 2020 तक	1947.72	276.64

ग) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)

परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि हथकरघा क्षेत्र को तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप बनाया जा सके। इस समय एनसीटीडी दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यूएससी) के परिसर से कार्य कर रहा है। 2019–20 तक 611 डिजाइन विकसित किए गए हैं और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जो प्रक्रियाधीन है।

10.3 हस्तशिल्प:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक सार्थक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शिल्पियों के बहुत बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अपना विशेष महत्व रखता है। हस्तशिल्प में विशाल सम्भावनाएं हैं, चूंकि इसमें न केवल देश के सभी भागों में फैले हुए मौजूदा लाखों कारीगरों को, बल्कि शिल्प कार्यकलापों में बड़ी संख्या में प्रवेश पाने वाले नए कारीगरों को बनाए रखने की भी क्षमता है। हस्तशिल्प क्षेत्र का रोजगार उत्पादन तथा निर्यात में विशेष योगदान जारी है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में कम पूंजी, नई तकनीकों की जानकारी का अभाव, नई प्रौद्योगिकियों, विपणन आसूचना की कमी तथा अपर्याप्त संस्थागत फ्रेमवर्क जैसी रुकावटों को लेकर समस्याएँ रही हैं। इन समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान उत्पाद विकास, घरेलू बिक्री और निर्यात के मामले में अब क्षेत्र में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय कार्यालय के साथ समग्र भारत में विद्यमान है जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और गुवाहाटी में 06 क्षेत्रीय कार्यालय है जो देश भर में 60 हस्तशिल्प केन्द्रों के मुख्य तौर पर शिल्प केन्द्रित क्षेत्रों के कार्यकरण को समन्वित करता है।

कारीगर रू अनुमानित हस्तशिल्प कारीगरों की कुल संख्या 68.86 लाख है, इनमें से 30.25 लाख पुरुष हैं और 38.61 लाख महिला कारीगर हैं।

कारीगरों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा:

महिला	56.13%
पुरुष	43.87%
अनुसूचित जाति	20.8%

अनुसूचित जनजाति 7.5%

अन्य पिछडा वर्ग 52.4%

सामान्य 19.2%

10.3.1 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन सहित देश भर में 09 मेगा कलस्टरों और 10 हस्तशिल्प परियोजनाओं के एकीकृत विकास और संवर्धन, कारीगरों को विभिन्न मेलों में मिल रही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पहुंच ख्एक्स्पोजर, के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र निर्यात के मामले में तेजी से विकास कर रहा है।

सितंबर, 2019 तक हस्तनिर्मित कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात 18,679. 60 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2018–19 के दौरान निर्यात 36,798.25 करोड़ रुपए था।

2014–15 से 2019–20 तक के दौरान हस्तशिल्प का निर्यात

पिछले पाँच वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान उत्पादन और निर्यात

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये में)*	रत्नों एवं आभूषणों सहित हस्तशिल्प का निर्यात (करोड़ रुपये में)
2014-15	38249	28524.49
2015-16	41418	31038.52
2016-17	46930	34394.30
2017-18	43137	32122.20
2018-19	49476	36798.25
2019-20	-	18679.60 (सितंबर, 2019 तक)

10.3.2 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्न दो स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है–

क. ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एनएचडीपी)

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम ख्मेगा कलस्टर स्कीम,

वर्ष 2017–18 के दौरान सभी हस्तशिल्प कलस्टरों के समग्र रूप से विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने हेतु "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम'' (एनएचडीपी) नामक एक छत्र योजना के तहत हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत एनएचडीपी के निम्न संघटक हैं–

1. बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों की व्यवस्था ख्एएचवीवाई,
2. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम
3. मानव संसाधन विकास
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान एवं विकास योजना
7. विपणन सहायता एवं सेवाएं

10.3..2.1 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं कारीगरों का संघटन [एएचवीवाई]

इस योजना का उद्देश्य प्रभावी सदस्य सहभागिता एवं परस्पर सहयोग के सिद्धान्त के आधार पर कारीगर कलस्टर को व्यावसायिक रुप से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर समुदायिक उद्यमियों के रुप में विकसित करके भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। स्कीम के संघटक निम्न प्रकार से हैं–

i. कारीगरों को स्वावलंबन समूहों (एस एच जी)/समितियों में संगठित करने हेतु सामुदायिक सशक्तिकरण।

ii. डीपीआर/डीएसआर को तैयार करना।

iii. कलस्टर प्रबंधक को वेतन क्षतिपूर्ति सहित परियोजना प्रबंधन लागत।

iv. व्यापक विकास सहायता ।

v. कारीगरों की उत्पादक कंपनी का गठन।

31.10.2019 तक तीन विभिन्न कार्यक्रमों के लिए को 11.45 लाख रुपये तक मंजूरी दे दी गई है और 5.72 लाख रूपये जारी कर दिये गए हैं।

10.3.2.2 डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन

इस स्कीम का लक्ष्य विदेशी बाजारों के लिए अभिनव डिजाइनों और प्रोटोटाइप उत्पादों के विकास, लुप्तप्राय शिल्पों के पुनुरुत्थान और विरासत के परिरक्षण आदि के माध्यम से कारीगरों के कौशल को बढ़ाना है। इस स्कीम के निम्न संघटक हैं–

i. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला

ii. एकीकृत डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजना

iii. डिजाइन प्रोटोटाइप के लिए निर्यातक एवं उद्यमी को सहायता

iv. डिजाइन, ट्रेंड और टेक्निकल कलर फॉरकास्ट के माध्यम से वाणिज्यिक विपणन आसूचना

v. हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र

vi. औजारों, सुरक्षा उपस्करों, लूमों, भट्टियों आदि की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता।

vii. आज की आवश्यकताओं के अनुरूप इस योजना में वेतन क्षतिपूर्ति, कारीगरों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, कार्यक्रम की अवधि आदि जैसे कुछ बदलाव किए गए हैं।

पुरस्कार : हस्तशिल्प के क्षेत्र में देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिये जाने वाले देश के सर्वोच्च हस्तशिल्प पुरस्कारों में शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र नामक हस्तशिल्प पुरस्कार शामिल हैं।

(क) **शिल्प गुरुः** शिल्प गुरु पुरस्कार प्रति वर्ष उन 10 उत्कृष्ट शिल्पियों को प्रदान किये जाते हैं जो हस्तशिल्प की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। कोई भी हस्तशिल्प कारीगर जो राष्ट्रीय पुरस्कृत या राज्य पुरस्कृत हो अथवा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र विजेता हो अथवा जो हस्तशिल्प

में असाधारण स्तर या विशिष्ट कौशल युक्त हस्तशिल्प कारीगर हो, जिसने हस्तशिल्प परंपरा के संवर्धन, विकास और परिरक्षण, शिल्प एवं शिल्प समुदाय के कल्याण एवं विकास में असाधारण योगदान दिया हो और अन्य पात्र मापदंडों को पूरा करता हो। प्रत्येक पुरस्कार में 2.00 लाख रुपए नकद, एक स्वर्ण जड़ित सिक्का, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्रपत्र शामिल है।

(ख) **राष्ट्रीय पुरस्कार:** उत्कृष्ट शिल्पी को शिल्प कौशल में उत्कृष्टता बनाए रखने और हमारी पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उत्कृष्ट योगदान और शिल्प के विकास के लिये प्रतिवर्ष 20 शिल्पकारों को सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक शाल, एक प्रमाण पत्र और एक ताम्रपत्र शामिल है।

(ग) **राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र:** राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार प्रति वर्ष 20 उत्कृष्ट उत्कृष्ट शिल्पियों को प्रदान किया जाता है जिन्होने हस्तशिल्प उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और पात्रता मानदंडों को पूरा किया हो। प्रत्येक पुरस्कार में 75,000/– का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र शामिल है।

डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी उन्नयन स्कीम के तहत, वर्ष 2019–20 के दौरान 80 विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए निधियां स्वीकृत की गई है और कारीगरों को 1750 उन्नत टूल किट प्रदान किए गए हैं। 30–10–2019 तक 9.73 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिससे 5885 कारीगर लाभान्वित हुए।

10.3.2.3 मानव संसाधन विकास

हस्तशिल्प क्षेत्र को अर्हताप्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास स्कीम ख्एचआरडी, को तैयार किया गया है। यह कार्यबल वर्तमान बाजार की जरुरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में मजबूत उत्पादन आधार तैयार करने में योगदान देगा। यह योजना अपने संघटकों के माध्यम से अपेक्षित इनपुट प्रदान करके हस्तशिल्प हेतु डिजाइनरों के प्रशिक्षित काडर के रूप में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानव पूंजी के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है। इसमें कारीगरों को अपना व्यवसाय सफलता से शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस स्कीम के निम्न घटक हैं–

1. प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण।
2. हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
3. गुरु–शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण।
4. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण ।
5. डिजाइन मेंटरशिप तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रम ।

वर्ष 2019–20 के दौरान 31.10.2019 तक स्वीकृत कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम(संघटक)	भौतिक उपलब्धि	संस्वीकृत धनराशि ख्लाख रूपये में,	लाभान्वित कारीगर
1	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण	3	-	-
2	गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण	-	-	-
3	एचटीपी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम	115	984.00	2300
	सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम	16	20.40	320
4	प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण	-	10.17	60
5	डिजाइन मेंटरशिप और प्रशिक्षुता कार्यक्रम	-		
	कुल	134	1014.57	2680

मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत, 31.10.2019 तक विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए निर्मुक्त निधि 5.07 करोड़ रुपए हैं।

10.3.2.4 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

यह योजना कारीगरों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, पहचान, ऋण सुविधाओं देने, औजार एवं उपस्कर मुहैया कराने आदि जैसी उनके कल्याण से जुड़ी आवश्यकताओं से संबन्धित मुद्दों को उठाने की ओर परिकल्पित है। इस योजना के मुख्य संघटक निम्न प्रकार से हैं–

1. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर जी एस एस बी वाई) ख्रुकी हुई स्कीम,
2. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना ख्आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई),
3. दरिद्र परिस्थितियों में रह रहे कारीगरों को सहायता
4. क्रेडिट गारंटी स्कीम
5. ब्याज में छूट स्कीम
6. पहचान–पत्र जारी करना और डाटाबेस का निर्माण।

➢ **हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना) [एएबीवाई]**

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों को जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराना है।

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना के तहत सभी शिल्पीगण समय–समय पर एलआईसी द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत कवर किये जाने के पात्र होंगे। लाभार्थियों की मौजूदा आयु 18–59 के बीच होनी अपेक्षित है ।

वित्तीय सहायता के पैटर्न

भारत सरकार का योगदान	Rs.290/-
कारीगरों का योगदान	Rs. 80/-
एलआईसी का योगदान	Rs.100/-
कुल प्रीमियम*	Rs.470/-

लाभ एवं शर्तें:

- प्राकृतिक मृत्यु – 0.60 लाख रुपये
- दुर्घटना में मृत्यु – 1.50 लाख रुपये
- पूर्ण विकलांगता – 1.50 लाख रुपये
- आंशिक विकलांगता – 0.75 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त, कक्षा IX से कक्षा XII तक चार वर्षों के लिए अथवा जब तक कि बच्चों की कक्षा XII पूरी नहीं हो जाती जो भी पहले हो उनको 1200/– रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चे की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना अधिकतम 02 बच्चों तक सीमित है।

➢ **मुद्रा ऋण**

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने मुद्रा जुटाए जिससे अब तक पूरे देश के 7418 हस्तशिल्प कारीगरों को लाभ पहुंचा है। 04.11.2019 को कार्यालय द्वारा संघटित मुद्रा ऋण के संबंध में क्षेत्रवार कारीगरों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्रमांक	क्षेत्र	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	धनराशि (लाख रुपये में)
1.	मध्य	1192	816.92
2.	दक्षिणी	2351	1324.88
3.	पूर्वी	1310	681.11
4.	उत्तरी	519	338.07
5.	पश्चिमी	1115	627.32
6.	पूर्वोत्तर	931	289.33
	कुल	**7418**	**4077.63**

कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ स्कीम के तहत 07.11.2019 तक 3.60 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

10.3.2.5 अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

निकटतम संभावित स्थान पर अपेक्षित प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधिकरण, डिजाइन विकास, कच्चा माल बैंक तथा विपणन एवं संवर्धन सुविधाएँ मुहैया कराई जाती है और देश में कुशल व्यक्तियों के संसाधन पूल में सुधार सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करना और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ उत्पाद लागत को कम करना है जिससे कि हमारे उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

10.3.2.6 विपणन सहायता एवं सेवाएँ

हस्तशिल्पों के संवर्धन एवं विपणन के उद्देश्य से विभिन्न पात्र संगठनों को महानगरों/राज्यों की राजधानियों/पर्यटक अथवा वाणिज्यक स्थलों/अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे देश के विभिन्न भागों के हस्तशिल्प कारीगरों/स्वावलंबन समूहों को सीधे विपणन मंच मुहैया होगा।

क) **घरेलू विपणन कार्यक्रम:** 31.10.2019 तक 24 घरेलू विपणन कार्यक्रम आयोजित किये गये। ये कार्यक्रम कारीगरों को गांधी शिल्प बाजार, शिल्प बाजार, विषयगत प्रदर्शनी आदि के माध्यम से घरेलू विपणन अवसरों को मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करते हैं इनसे 31.10.2019 तक 1328 कारीगर लाभान्वित हुए।

ख) **अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम:** 31.10.2019 तक भारत से बाहर 21 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहभागी देशों में चीन (2), जापान (2), हाँग काँग (3), ऑस्ट्रेलिया (1), मलेशिया (1), भूटान (1), वियतनाम (1), कंबोडिया (1), फिलीपींस (1), स्वीडन (1), नीदरलैंड (1), यूएसए (1), किर्गिस्तान (1), स्विट्जरलैंड (1), इक्यूडोर (1) और फ्रांस (1) शामिल हैं। इन मेलों में कुल 66 कारीगरों/प्रदर्शकों/उद्यमियों ने भाग लिया।

ग) उक्त अवधि के दौरान भारत में 22 अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे उक्त अवधि के दौरान 189 कारीगरों/निर्यातकों/प्रदर्शकों/उद्यमियों को लाभ पहुंचा।

विपणन सहायता एवं सेवाएँ स्कीम के तहत, वर्ष 2019–20 के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों हेतु आवंटित निधि 45.00 करोड़ रूपये है जिसमे से 31.10.2019 तक 4.53 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

10.3.2.7 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास स्कीम की शुरुआत महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं तथा विशिष्ट पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी इनपुट सृजित किए जा सकें तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। 12वीं योजना के दौरान निम्न क्रियाकलाप किये जाएंगे:

1. विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन।
2. लेबलिंग/प्रमाणीकरण को प्रेरित करने के प्रयोजन से लीगल, पैरा लीगल, मानकों, ऑडिटों और अन्य प्रलेखनों को तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता।
3. क्षेत्र/सेगमेंट की चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को सक्षम बनाने के लिए लुप्तप्राय शिल्पों, डिजाइन, विरासत, ऐतिहासिक ज्ञान आधार, अनुसंधान एवं इनके क्रियान्वयन को शामिल करते हुए शिल्पों के संरक्षण से जुड़ी क्रियाविधि (मैकेनिजम) को बनाने, विकसित करने हेतु संगठनों को वित्तीय सहायता ।
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना कराना ।
5. जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत शिल्पों का पंजीकरण और क्रियान्वयन पर आवश्यक अनुवर्तन ।
6. जेनेरिक उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित बार कोडिंग और जीएसआई ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना।

7. भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड निर्माण तथा संवर्धन से जुड़ी समस्याओं/मुद्दों को उठाने के लिए वित्तीय सहायता ।

8. हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट प्रकृति के मुद्दों पर कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 31.10.2019 तक 4 सर्वेक्षण/अध्ययन और 16 कार्यशाला/सेमिनार स्वीकृत किए गए। 31.10.2019 तक अनुसंधान एवं विकास स्कीम के तहत निर्मुक्त निधि 0.488 करोड़ रूपये है।

10.3.3 व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम [मेगा कलस्टर स्कीम]

मेगा कलस्टर अप्रोच उन हस्तशिल्प कलस्टरों में आधारभूत संरचनात्मक एवं उत्पादन श्रृंखला को प्रवर्धित करने की एक मुहिम है जो असंगठित रहे हैं और जो अभी तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ बराबरी नहीं कर सके हैं। इस क्षेत्र की संभावनाएं आधारभूत संरचनात्मक उन्नयन, मशीनरी के आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निहित हैं। कलस्टरों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए निच मार्किट सृजित करने हेतु मूल सिद्धांत के रुप में देशी उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त नव परिवर्तित निर्माण सहित डिजाइनिंग की जानकारी भी अपेक्षित है। यह कार्यक्रम विपणन लिंकेजेस और उत्पाद विविधीकरण के साथ–साथ आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन का समर्थन करता है।

हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एनएचडीपी द्वारा ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना करना संशोधित रणनीति अपनाई गई है। साथ ही साथ प्राथमिक उत्पादकों की सहायता करना, डिजाइन में मदद करना तथा कारीगरों को प्रशिक्षण देना और विपणन सहायता का भी प्रावधान रखा गया है।

क) नरसापुर, मुरादाबादबाद, मिर्जापुर–भदोही, श्रीनगर, जोधपुर, बरेली, लखनऊ, कच्छ और जम्मू एवं कश्मीर में 09 हस्तशिल्प मेगा कलस्टर मंजूर किए गए हैं और अब तक 209.94 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

ख) उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कर्नाटक और तेलंगाना में 10 एकीकृत विकास तथा संवर्धन हस्तशिल्प योजनाएँ हैं और अभी तक 93.13 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं।

ग) "लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिजम" के तहत ओडिशा में रघुराजपुर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति को पर्यटन स्थलों के रूप में समग्र विकास हेतु अपनाया गया है। अभी तक रघुराजपुर शिल्प ग्राम के लिए 6.00 करोड़ रुपए और तिरुपति शिल्प ग्राम के लिए 4.77 करोड़ रूपए निर्मुक्त किए गए हैं।

हस्तशिल्प संगठन:

i. **कालीन निर्यात संवर्धन परिषद**

वर्ष 2019–20 (अप्रैल–अक्तूबर 2019 तक) के लिए परिषद की गतिविधियां

1. 2814 की सदस्यता (अक्तूबर, 2019 तक)

2. भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों का निर्यात –

वर्ष	यूएस मिलियन डॉलर में निर्यात	करोड़ रूपए में निर्यात
2016-17	1773.98	11895.16
2017-18	1711.17	11028.05
2018-19	1765.96	12364.68
2019-20 (अप्रैल–अक्तूबर, 23019 तक) अनंतिम	921.12	6481.8

3. वर्ष 2019–20 के दौरान कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) द्वारा शुरू की गई गतिविधियाँ;

क्रमांक	गतिविधि	अप्रैल-अक्तूबर, 2019 संख्या
1.	जारी की गई कालीन लेबलें	1,32,600
2.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	3
3.	घरेलू कार्यक्रम	2

आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम –

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

1. 05 सदस्य–निर्यातकों के साथ 20–23 अप्रैल, 2019 तक हाँग काँग इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड फर्नीशिंग फेयर में भागीदारी सुनिश्चित की।

i. अर्जित व्यापार : 35,000 यूएस डॉलर

ii. प्राप्त प्रश्नों की संख्या : 30

iii. आगंतुकों की संख्या : 60

2. 55 सदस्य निर्यातकों के साथ 7–11 अगस्त, 2019 तक इंटरनेशनल कार्पेट एक्जिबिशन, चीन (किंघई), 2019 में भागीदारी सुनिश्चित की। भारतीय प्रतिभागियों द्वारा बताया गया कि प्रदर्शकों ने 700 प्रश्न हुए और प्रदर्शनी के दौरान 1000 से अधिक विदेशी एवं स्थानीय खरीददारों ने दौरा किया।

3. 09 सदस्य निर्यातकों के साथ 17–19 सितंबर, 2019 तक इंडेक्स डिजाइन सीरीज, दुबई (यूएई) में भागीदारी सुनिश्चित की। सदस्यों द्वारा लगभग 20 लाख रुपए का व्यापार किया गया और 500 खरीददारों द्वारा उनके स्टॉल का दौरा किया गया और 427 प्रश्न हुए।

घरेलू गतिविधियां:

I. 19 सदस्य निर्यातकों के साथ 03–05 जुलाई, 2019 तक एचजीएच, मुंबई में भागीदारी सुनिश्चित की। 4.19 करोड़ का व्यापार किया गया और 1882 प्रश्न प्राप्त हुए।

II. 230 सदस्य निर्यातकों के साथ 11 से 14 अक्तूबर, 2019 तक 38वें भारतीय कालीन एक्स्पो, वाराणसी में भागीदारी सुनिश्चित की। 230 प्रदर्शकों ने भाग लिया और 326 विदेशी खरीददार इसमें आए। 31.32 करोड़ रुपए तक का व्यापार किया गया और 2709 प्रश्न प्राप्त हुए।

III. भारतीय कालीन एक्स्पो, वाराणसी 11–14 अक्तूबर, 2019

IV. 11 अक्तूबर, 2019 को वाराणसी में वर्ष 2018–19 के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार आयोजित किए गए जिसमें पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 33 सदस्य निर्यातकों को सम्मानित किया गया।

वर्ष 2018-19 के लिए निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार

II. 18 जुलाई, 2019 को श्रीनगर में "जीएसटी पर जागरूकता और निर्यात वर्धन के लिए कार्यनीति पर विचार–विमर्श" पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया।

ii. **भारतीय कालीन प्रोद्यौगिकी संस्थान - भदोही**

आईआईसीटी के नाम से लोकप्रिय भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1998 में एक पंजीकृत समिति के रुप में की गई। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2001 में बी–टेक (कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी) कार्यक्रम की शुरुआत से वास्तव में सक्रिय हुआ, यह अपनी तरह का एक अनूठा डिग्री कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 20 छात्रों से हुई और बाद में यह संख्या 60 तक पहुंच गई।

आई आई सी टी की गुणवत्ता नीति

- हमारे विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराना जिससे कि पणधारियों की प्रत्याक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए सतत् आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना।
- सभी पणधारियों और उद्योगों के सभी संविभागों को समय पर और संतोषजनक सेवाएं देना।

संस्थान के प्रोफाइल का प्रदर्शन

1. मानव संसाधन विकास (एच आर डी)

➢ कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी–टेक कार्यक्रम

- बी–टेक कार्यक्रम में कुल 192 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है।
- 601 विद्यार्थी इस उद्योग में कार्यरत हैं जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटीआईई, आईएसएम, आईआईएम, निफ्ट आदि में उच्च शिक्षा शामिल है।

➢ भविष्य की योजनाः 20 छात्रों के साथ कालीन एवं वस्त्र प्रबंधन में एम.टेक आरंभ करने तथा आईआईसीटी में वस्त्र हेतु पूर्व पीएचडी कोर्स सेंटर को कवर करते हुए पीएचडी कार्यक्रम को शामिल करते हुए भविष्य की योजना का मसौदा तैयार करना संभव हो पाया है। अधिक प्रयोगशालाओं का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि वे उन्नत एवं नव गतिविधियों जैसे उन्नत कालीन एवं होम टेक्सटाइल निर्माण, फैशन/स्टाइल/टेक्सचर, डिजाइन, सूचना प्रोद्यौगिकी ईडीपी, व्यक्तिक विकास/अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषा को शामिल करते हुए भाषा कौशल को कवर कर सकें।

इस प्रयास में आईआईसीटी को पुनः स्थापित करने हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। फेस III विस्तारण का डीपीआर भी प्रस्तुत किया गया है।

➢ परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण

- 3500 से अधिक प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है जिसमें डिजाइनिंग एवं तकनीकी विकास, कालीन बुनाई एवं सॉफ्ट स्किल, शिल्प जागरूकता, सूचना

प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कुछ प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा फ्रीलान्सिंग के अलावा, प्रशिक्षित डिजाइनरों की एक बड़ी संख्या उद्योग की सेवा में लगी हुई हैं। कोंट्रेक्टर द्वारा अन्य प्रशिक्षित कार्मिकों को लगाए जाने के अलावा स्व रोजगार ने जगह ले ली है।

- अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा प्राप्ति कार्यक्रम (आई डी एल पी)
  - उद्योग चालित विशेष पाठ्यक्रम और आईडीएलपी पैकेज।
  - ए जी रिसर्च लि०, न्यूजीलैंड के सहयोग से आईआईसीटी द्वारा संचालित आईडीएलपी के माध्यम से 6000/– रुपये प्रति विषय की दर से फीस देकर उद्योग अपने वांछित विषय (यों) पर अपने प्रतिनिधि (यों) को नामांकित करके लाभ उठा सकता है।
- लघु अवधि पाठ्यक्रमः समय–समय पर तदुनुकूल उद्योग संचालित लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।
- एमईएस आधारितः कालीन निर्माण में कंप्यूटर एवं आईटी का प्रयोग। सीएडी, कालीन यार्न डाइंग, कालीन बुनाई, ऊनी धागों की कताई, कालीन की धुलाई एवं फिनिशिंग का उपयोग करते हुए कालीन एवं वस्त्र डिजाइन। कौशल के अंतर को कम करने के लिए अभी तक 5000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2. डिजाइन सृजन एवं विकास (डीसीडी)

बनाया गया डिजाइन बैंक – 15000 से अधिक डिजाइन विकसित किए गए हैं जिनमें से 3500 डिजाइनों का उपयोग विभिन्न उद्योग द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु किया गया है। डिजाइन बैंक में पारंपरिक भारतीय मोटिफ (जैसेः हड़प्पा, अजंता, मुगल, रंगोली, जयपुरी, फुलकारी, कांथा, पैठनी, कलमकारी, बनारसी, जामवार आदि), व परंपरानुसार आधुनिक मोटिफ शामिल है।

3. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

उत्पाद विकास–संस्थान और/अथवा सहयोग के स्तर पर कुछेक उत्पाद विकास क्रियाकलाप पूरे किए गए हैं जिनमें शामिल है–

- कॉयर आधारित कालीनः
- सिल्क कालीनः
- ईरी सिल्क कालीनः
- मॉडएक्रेलिक आधारित कालीन
- हाथ से बुने एस्ट्रोटर्फ किस्म के कालीन
- प्राकृतिक डाइंग
- ऑरगेनिक उत्पाद
- पॉलिएस्टर शेगी का विकल्प
- भुजबन उपयोगिता
- वर्टिकल ब्लाइंड
- कॉयर पेपर और कॉयर सिल्क।

कॉयर सिल्क के लिए सीसीआरआई एलेप्पी, केरल कॉयर बोर्ड, कोच्चि द्व ारा समर्थित एक अन्य क्रांतिकारी अनुसंधान चालू है। प्रतिष्ठित रायन निर्माता कंपनी (ग्रासिम एंड सेंचुरी रायन) के साथ वाणिज्यिक स्तर परीक्षण किए जा रहे हैं। मूल्य वृद्धि से देश के नारियल उत्पादन के सघन राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु में नारियल उत्पादकों को लाभ होगा और कॉयर पेपर एवं कॉयर सिल्क उत्पादन के लिए औद्योगीकरण को सहायता मिलेगी। मेक इन इंडिया मिशन को पूरक करने हेतु एक मालिकाना कदम ताकि उद्योग आगे आएं और अन्वेषण करें–

- एरगोनोमिक एंड फलैक्सिबल टफ्टिंग फ्रेम संकल्पनाः
- हैंडनोटिड और तिब्बतन, शेगी, सौमक आदि के लिए क्रॉस बार हॉरिजॉन्टल लूम सीबीएचएल (वुडन या मैटेलिक)
- इंडिया नॉटः आईआईसीटी का स्वामित्व जिसमें लूम में सेमी नोटिंग अनुमत है, मेक इन इंडिया मिशन को पूरक करने हेतु एक मालिकाना कदम ताकि उद्योग आगे आएं और अन्वेषण करें।
- स्नेहआभा कालीन बैंकिंग प्रणालीः पॉलीमर बैंकिंग तकनीक, हल्का, धोने योग्य। इसकी विशेषताएं और व्यवहार्यता कार्पेट ई वर्ल्ड जैसे प्रकाशनों में दी गई है।
- एक अन्य टेरी लेनो संरचनाः मेक इन इंडिया का मालिकाना कदम जिससे एक नई/किफायती कालीन टेरी प्रणाली प्रदान की जा सकें।
- इस आर एंड डी संकल्पना का लाभ कालीन एवं होम टेक्सटाइल द्वारा उठाया जा सकता है जिसमें मुख्यतः टावल उद्योग शामिल है ताकि वे अपना बाजारध्बाजार शेयर/निष्पादन बढ़ा सकें।

4. उद्योग को तकनीकी सहायता (टीएसआई)

- संस्थान अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे कैडलैब, डिजाइन स्टूडियो, फिजिकल एवं कैमिकल लैब और कारपेट लैब आदि के माध्यम से उद्योग को निरन्तर सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे विश्व बाजार के साथ मुकाबला करने की उनकी जरुरतों को पूरा किया जा सके।
- आई आई सी टी प्रयोगशालाएं एनएबीएल एक्रेडिटेड है अतरू परीक्षण रिपोर्टें अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है।
- ''कालीन बन्धु'' – उद्योग के लिए मंच– आई आई सी टी इंटरफेस परस्पर संवादात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रहा है।

रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) अनुपालन रू संस्थान ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी), अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), डिजाइन निर्माण एवं विकास (डीसीडी), तकनीकी सहायता एवं सेवाएँ (टीएसआई) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रशासनिक गतिविधियों के लिए 98% अंक प्राप्त किए हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आईआईसीटी सरकार द्वारा दी गई पणधारकों की आवश्यकता को लक्ष्यानुसार पूरा कर रहा है।

वर्ष की मुख्य उपलब्धियां –

- कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठकें दिनांक 13.09.2019, 15.03.2019, 25.07.2018, 04.06.2018, 03.04.2018 और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 13.09.2019 को आयोजित की गई।

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,वाराणसी ने आईआईसीटी के पिपरिस कैंपस में निर्माण एवं विकास कार्य आरंभ किया है।
- आईआईसीटी के विभिन्न संकायों ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया व रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए और विभिन्न मंचों जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, एमएमएमयूटी गोरखपुर, एमएलवीटी भीलवाड़ा, आईटीएम जीकेपी, यूजीसी–एचआरडीसी इलाहाबाद, ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, नवी मुंबई, बीएचयू वाराणसी आदि में आईआईसीटी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।
- श्री रवि कपूर, आईएएस, सचिव (वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), अध्यक्ष आईआईसीटी और अन्यों के साथ संस्थान का दौरा किया और संस्थान द्वारा निर्देशों/परामर्शों का अनुपालन किया जा रहा है।

संस्थान क्षेत्र की लंबे समय से लंबित तकनीकी विशेषज्ञों की मांग को अपने बी टेक टेक्नोक्रट्स के माध्यम से पूरा करने में सक्षम हो गया है और यह जारी है। उद्योग भी इन टेक्नोक्रट्स को उनके संगठन में उपयुक्त रूप से स्थान देने के लिए आगे आया है।

आईआईसीटी– शक्तियाँ

सरलता	हमारे जीवन का तरीका
अखंडता	हमारा गुण
प्रतिस्पर्धात्मकता	हमारा स्वभाव
तकनीकी प्रगति	हमारा स्वभाव

श्री रवि कपूर, आईएएस, सचिव (वस्त्र) ने श्री शांतमनु, आईएएस, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), अध्यक्ष आईआईसीटी और अन्यों के साथ दिनांक 10–10–2019 को आईआईसीटी का दौरा किया और डॉ आलोक कुमार, निदेशक, आईआईसीटी द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

श्री रवि कपूर, आईएएस, सचिव (वस्त्र) श्री शांतमनु, आईएएस, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), अध्यक्ष आईआईसीटी और अन्यों के साथ दिनांक 10–10–2019 को आईआईसीटी कार्यशाला का निरीक्षण करते हुए।

iii. **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र की गतिविधियां**

वर्ष 2019–20 (अप्रैल–अक्तूबर, 2019) के लिए एनएनसीडीपीडी की गतिविधियां

जीआई पंजीकृत शिल्पों के संवर्धन के लिए क्षेत्रीय स्तर सेमिनार/कार्यशाला

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने जीआई पंजीकृत शिल्पों के संवर्धन के लिए क्षेत्र स्तरीय सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के कार्य को स्वीकृति दी। यह गतिविधि विभिन्न स्थानों अर्थात दिल्ली, वाराणसी, मुरादाबाद, अगरतला, बंगलौर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत पंजीकृत हस्तशिल्पों का संवर्धन, जीआई पंजीकरण के महत्व, इसके लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना और जीआई की सुदृढ़ ब्रांड पहचान बनाना है।

जीआई शिल्प पर कार्य करने वाले कारीगरों के लिए दिल्ली हाट, आईएनए में गांधी शिल्प बाजार

जीआई शिल्पों पर कार्य कर रहे कारीगरों के संवर्धन के उद्देश्य से, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने एनएनसीडीपीडी को दिल्ली हाट, आईएनए मार्केट, नई दिल्ली में गांधी शिल्प बाजार आयोजित करने की गतिविधि को स्वीकृति प्रदान की। 15 दिन के इस कार्यक्रम में जीआई शिल्प पर कार्य कर रहे 48 सामान्य श्रेणी के कारीगरों ने भाग लिया। यह गतिविधि 01 से 15 सितंबर, 2019 तक चली।

निफ्ट–दिल्ली में निफ्ट शोकेस प्रदर्शनी "टूल बॉक्स" की समयबद्ध गतिविधि का निष्पादन एवं कार्यान्वयन

निफ्ट, दिल्ली ने 30 एवं 31 अगस्त, 2019 को अपने दिल्ली कैंपस में संस्थान के सभी 16 कैम्पसों में किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की। निफ्ट, दिल्ली ने संकल्पना, डिजाइन तैयार करने और समय–बद्ध गतिविधि के निष्पादन के लिए भी एनसीडीपीडी से आग्रह किया।

तदनुसार, एनसीडीपीडी ने कार्य आरंभ किया और समय–बद्ध तरीके से उसे पूरा किया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने 07 अगस्त, 2019 को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान हथकरघा उत्पादों के थीमेटिक डिस्प्ले के लिए डिजाइन संकल्पना, विस्तृत रेखाचित्र तैयार करने और कार्यों के निष्पादन हेतु एनसीडीपीडी को उत्तरदायित्व सौंपा।

एनसीडीपीडी ने ओडिशा के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं, संत कबीर पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के हथकरघा उत्पादों का विषयगत प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में 55 से अधिक हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। श्री रवि कपूर, सचिव–वस्त्र और श्री संजय रस्तोगी, विकास आयुक्त (हथकरघा) ने इस प्रदर्शन का दौरा किया।

वस्त्र मंत्रालय ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14 अगस्त, 2019 को समर्थ स्कीम लॉन्च करने के लिए प्रचार सामग्री तैयार करने का कार्य एनसीडीपीडी को सौंपा। एनसीडीपीडी ने ब्रोशर, स्टैनडीस, होर्डिंग्स, बैकड्राप, पोडियम पैनल, पार्किंग पैनल तैयार करने और हस्ताक्षर हेतु समझौता ज्ञापन तैयार करने का कार्य किया। एनसीडीपीडी ने बहुत कम समय में इन कार्यों को पूरा किया।

वस्त्र मंत्रालय की समर्थ स्कीम को लॉन्च करने के लिए प्रचार सामग्री

तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (टीएचडीसीएल), तमिलनाडु के लिए डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशालाएँ

एनसीडीपीडी ने टीएचडीसी को स्वीकृत विकास आयुक्त (ह०) कार्यालय की आईडीपीएच स्कीम के तहत तमिलनाडु राज्य के विभिन्न कलस्टरों में तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (टीएचडीसी), तमिलनाडु की

डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशालाएँ क्रियान्वित की। एनसीडीपीडी ने इन परियोजनाओं में कार्य करने के लिए तमिलनाडु राज्य के दूरस्थ गांवों में अपने इनहाउस डिजाइनरों को नियुक्त किया। एनसीडीपीडी द्वारा ऐसी 19 कार्यशालाएँ सफलतापूर्वक आयोजित की गई और इन कार्यक्रमों से 570 कारीगर लाभान्वित हुए।

डिजाइनरों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पसंद और ट्रेंड के अनुसार नए एवं अभिनव डिजाइनों के विकास में कारीगरों को प्रशिक्षित किया। अनेकों प्रोटोटाइप जैसे वन्ननकुंडु–रामनाथपुरम से ताड़ के पत्ते, वलजापेट से बेंत शिल्प, अंबासमुद्रम से लकड़ी के खिलौने और महाबलीपुरम से सोप स्टोन शिल्प को शिल्प प्रेमियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पूमपुहार (तमिलनाडु) एंपोरियम द्वारा नव विकसित उत्पादों के लिए आर्डर भी प्राप्त हो रहे हैं।

उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान (यूएमएसएएस), पटना, बिहार के लिए डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशालाएँ

एनसीडीपीडी ने बिहार के विभिन्न कलस्टरों में आईडीपीएच स्कीम के तहत विकास आयुक्त (ह०) कार्यालय द्वारा स्वीकृत उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान (यूएमएसएएस), पटना, बिहार की एकीकृत डिजाइन एवं तकनीकी विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। एनसीडीपीडी के डिजाइनरों ने

5 माह की अवधि में परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से कार्य किया। एनसीडीपीडी द्वारा 6 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई और कारीगरों को रंगो, वस्त्रों के संयोजन, नई तकनीकों जैसे पारंपरिक चित्रकारी जैसे मंजूषा, टिकुली आदि को वस्त्रों और कई अन्यों पर रूपांतरण के साथ नए एवं अभिनव डिजाइनों के विकास में प्रशिक्षित किया गया। इन परियोजनाओं के माध्यम से कारीगर अत्यंत प्रोत्साहित हुए। चार और परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

मध्य प्रदेश बांस मिशन के कारीगरों के लिए बांस आभूषण पर प्रशिक्षण

बीसीडीआई ने मध्य प्रदेश बांस मिशन के सहयोग के साथ 24 मई से 22

जून, 2019 तक बीसीडीआई, अगरतला में बांस आभूषण निर्माण पर एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। इस प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश के 12 कारीगरों ने भाग लिया।

झारखंड सरकार से कारीगरों के लिए बांस फर्नीचर निर्माण पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण

एमपी बांस मिशन के कारीगरों के लिए बांस निर्माण पर प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश बांस मिशन के कारीगरों के लिए बीसीडीआई, अगरतला में 29 जून से 28 जुलाई, 2019 तक बांस फर्नीचर निर्माण में एक माह का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश के 18 कारीगरों ने भाग लिया।

झारखंड के कारीगरों के लिए बीसीडीआई, अगरतला में बांस फर्नीचर निर्माण पर प्रशिक्षण दिया गया। 28 मई से 11 जून, 2019 तक आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 कारीगर लाभान्वित हुए।

असम राज्य बांस विकास एजेंसी के कारीगरों का बीसीडीआई, अगरतला में प्रशिक्षण

असम के बांस हस्तशिल्प कारीगरों ने बी सी डी आई, अगरतला में एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे दो प्रशिक्षण 1 से 30 अगस्त, 2019 तक और 2 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2019 तक संचालित किए गए। यह प्रशिक्षण असम बांस मिशन द्वारा प्रायोजित था जिसमें पहले कार्यक्रम में 15 कार्य कारीगरों और दूसरे कार्यक्रम में 9 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया।

बाँस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, महाराष्ट्र के डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण

बीआरटीसी, चिचपल्ली, महाराष्ट्र के डिप्लोमा विद्यार्थियों को 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2019 तक बीसीडीआई, अगरतला में एक माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया बाँस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली के प्रायोजन के तहत 7 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मिजोरम बांस मिशन के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण

मिजोरम के 10 विद्यार्थियों के लिए 7 अगस्त से 5 सितंबर, 2019 तक बी सी डी आई, अगरतला में बाँस हस्तशिल्प में एक माह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

बी सी डी आई में बांस कारीगरों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण

विकास आयुक्त (ह०) कार्यालय की सहायता के तहत, 2 से 28 जून, 2019 तक बी सी डी आई, अगरतला में बांस हस्तशिल्प पर एक माह का तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। हस्तशिल्प सेवा केंद्र, त्रिपुरा द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के 30 कारीगरों ने भाग लिया।

बी सी डी आई में बांस कारीगरों के लिए डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला

विकास आयुक्त (ह०) कार्यालय की सहायता के तहत बी सी डी आई में दो डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशालाएँ आयोजित की गई। दो माह की कार्यशालाएँ 8 अगस्त से 6 सितंबर, 2019 तक और 16 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2019 तक आयोजित की गई। प्रत्येक कार्यशाला में 30 बाँस कारीगरों और एक सिद्धहस्तशिल्पी ने भाग लिया। कारीगरों को नए डिजाइनों की जानकारी दी गई और अनुभवी डिजाइनरों के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत नए और अभिनव बांस उत्पादों के विकास में प्रशिक्षित किया गया।

एनईआरटीपीएस स्कीम के तहत बी सी डी आई, अगरतला में भारत और भूटान के बीच शिल्प विनिमय कार्यक्रम–त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल द्वारा उद्घाटन

एनसीडीपीडी ने विकास आयुक्त (ह०) कार्यालय की एनईआरटीपीएस स्कीम के तहत 19 नवंबर, 2019 से 10 दिवसीय शिल्प विनिमय कार्यक्रम आरंभ किया। यह कार्यक्रम 29 नवंबर, 2019 तक था। त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने श्री किरण गिट्टे, आईएएस, सचिव–उद्योग एवं वाणिज्य, त्रिपुरा सरकार की गरिमामय उपस्थिति में बी सी डी आई, अगरतला में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हस्तशिल्प सेवा केंद्र, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, अगरतला के अधिकारियों ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में भूटान से 5 कुशल बाँस सिद्धहस्तशिल्पियों और भारत के 5 सिद्धहस्तशिल्पियों ने भाग लिया।

हस्तशिल्प विकास निगम परिषद (कोहैंड्स)

कोहैंड्स द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा:–

I. बड़ौदा, नागपुर, पुणे, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कच्छ, जोधपुर, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, चंडीगढ़, जयपुर, रेवाड़ी, मधुबनी, पटना, शिल्प संग्रहालय बेंगलुरु, नई दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत में 24 राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे 973 कारीगर लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान 190,68,151/– रुपए की बिक्री की गई।

II. बेंगलुरु और नई दिल्ली में जीआई शिल्प के लिए दो विषयगत प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई। इससे 48 कारीगर लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 20,00,000/– रुपए की बिक्री की गई।

III. नई दिल्ली में एक विशेष विपणन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 22 कारीगर लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 4,50,000/– रुपए की बिक्री की गई।

IV. काठमांडू, स्वीडन, नीदरलैंड, मुंबई में 4 अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान 39 कारीगर लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान 1,65,60,000/– रुपए की बिक्री की गई।

एम्स्टर्डम कार्यक्रम

एम्स्टर्डम कार्यक्रम

स्टॉकहोम कार्यक्रम

स्टॉकहोम कार्यक्रम

V. काठमांडू, स्वीडन, नीदरलैंड, मुंबई में 4 अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान 39 कारीगर लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान 1,65,60,000/– रुपए की बिक्री की गई।

VI. अंबाला(हरियाणा) में हस्त कशीदाकारी शिल्प में और पानीपत (हरियाणा) में हस्त ठप्पा छपाई में दो एकीकृत डिजाइन एवं तकनीकी विकास परियोजनाएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान 80 कारीगर लाभान्वित हुए।

VII. मलोया ,चंडीगढ़ में हस्त कशीदाकारी शिल्प और पांडव नगर, नई दिल्ली में हस्त कशीदाकारी शिल्प में दो डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशालाएँ आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान 60 कारीगर

लाभान्वित हुए।

VIII. जम्मू, बरेली, विजयवाड़ा, मैसूर, दिल्ली, नागरकोइल, त्रिचूर, तिरुपति, अहमदाबाद, भुज और भोपाल में 45 शिल्प जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान 4869 कारीगर लाभान्वित हुए।

IX. भुवनेश्वर, पटना, रांची और रामगढ़ में चार शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान 80 कारीगर लाभान्वित हुए।

X. रेवाड़ी, जोधपुर, रांची, पंजाब, जयपुर और दरभंगा में 12 विशेष कैंप आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान 1308 कारीगर लाभान्वित हुए।

XI. मणिपुर और असम राज्य के संबंध में ऑनलाइन मार्केटिंग और बिक्री मंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 3 माह शिल्प प्रचालन और कैटालॉगिग।

XII. मिजोरम और मेघालय राज्य के संबंध में ऑनलाइन मार्केटिंग और विपणन मंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 3 माह शिल्प प्रचालन और कैटालॉगिग।

XIII. सिक्किम और नागालैंड राज्य के संबंध में ऑनलाइन मार्केटिंग और विपणन मंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 3 माह शिल्प प्रचालन और कैटालॉगिग।

XIV. त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में ऑनलाइन मार्केटिंग और विपणन मंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 3 माह शिल्प प्रचालन और कैटालॉगिग।

XV. भोपाल में 27 से 29 जून 2019 तक अनुसूचित जाति कारीगरों के लाभ के लिए तीन दिवसीय सेमिनार कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान 136 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iv. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद एक गैर लाभकारी संगठन और गैर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना कंपनीज एक्ट, 1965 की धारा 25 के तहत हस्तशिल्प के संवर्धन, सहायता, संरक्षण और इसके निर्यात को निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। ये देश के हस्तशिल्प के निर्यात के संवर्धन हेतु हस्तशिल्प निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है और उच्च गुणवत्ता की हस्तशिल्पों वस्तुओं एवं सेवाओं के एक विश्वासयोग्य सप्लायर के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मानकों और विनिर्देशों के पालन को ध्यान में रखते हुए कई उपाय सुनिश्चित करते हुए विदेशों में भारत की छवि प्रस्तुत करता है। परिषद ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ विपणन एवं सूचना सुविधाएं सृजित की ,हैं जिसका लाभ सदस्य निर्यातकों एवं आयातकों दोनों द्वारा लिया जा रहा है।

ईपीसीएस द्वारा अप्रैल से अक्टूबर, 2019 के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

अंतरराष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी में भारतीय पवेलियन

हस्तशिल्प निर्यातकों हेतु जागरूकता और अवसर प्रदान करने के लिए ईपीसीएच ने अंतरराष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी में निम्न सूची के अनुसार भारतीय पवेलियन आयोजित/स्थापित किया:–

- 56 निर्यातक सदस्यों के साथ 20 से 23 अप्रैल, 2019 तक हांगकांग में हांगकांग हाउसवेयर फेयर एंड होम टेक्सटाइल में भारतीय पवेलियन।
- 10 निर्यातक सदस्यों के साथ 24 से 26 जुलाई, 2019 तक टोक्यो में इंडिया ट्रेड शो।
- 10 निर्यातक सदस्यों के साथ 11 से 14 अगस्त, 2019 तक मैजिक फेयर– लास वेगास, यूएसए में सोर्सिंग।
- 10 निर्यातक सदस्यों के साथ 9 से 12 सितंबर, 2019 तक 25वें चीन इंटरनेशनल फर्नीचर एक्सपो– शंघाई, चीन में भागीदारी।

राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन गतिविधियां

ईपीसीएच ने घरेलू स्तर पर विशेष रूप से आरबीएसएम (रिवर्स बायर सेलर मीट) और होम एक्सपो एवं आईएफजेएएस में सदस्य सहभागिता हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की।

- इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट, दिल्ली एनसीआर में 16 से 18 अप्रैल, 2019 तक हाउसवेयर, फर्नीचर और वस्त्र निहित आरबीएसएम– होम एक्सपो में भागीदारी। इस कार्यक्रम में 475 से अधिक प्रदर्शकों, विनिर्माताओं और उद्यमियों ने भाग लिया। 523 से अधिक खरीदार इस शो में आए।
- इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट, दिल्ली एनसीआर में 4 से 6 जुलाई, 2019 तक इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज शो (आईएफजेएएस) आयोजित किया गया, जिसमें 250 प्रदर्शकों, विनिर्माताओं और उद्यमियों ने भाग लिया। 472 विदेशी खरीदारों और खरीद एजेंट्स ने आईएफजेएएस इंडिया का दौरा किया और 130 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यापार किया गया।
- इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट, नई दिल्ली एनसीआर में 16 से 20 अक्टूबर, 2019 तक भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला (आई एच जी एफ दिल्ली मेला) आयोजित किया गया, जिसमें 3200 से अधिक प्रदर्शकों, विनिर्माताओं और उद्यमियों ने भाग लिया। 7312 खरीदारों ने शो का दौरा किया और 3750 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यापार किया गया।
- श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा सामान्य सुविधा केंद्र, सहारनपुर में अपग्रेडेड वुड सीजनिंग एंड ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनी में भारतीय पवेलियन

एचकेसीईसी, हांगकांग में 27 से 30 अप्रैल, 2019 तक आयोजित हॉंग कॉंग गिफ्ट्स एंड प्रीमियम फेयर में ईपीसीएच की सहभागिता।

श्रीमती मृणालिनी श्रीवास्तव, कार्यकारी कॉन्सुल जनरल ने श्री अजीत जॉन जोशुआ, कॉन्सुल (वाणिज्य, राजनीति और मीडिया) और मेले के एक प्रतिभागी श्री राजेश कुमार जैन और अन्य प्रतिभागियों के साथ हांगकांग गिफ्ट्स एंड प्रीमियम शो का उद्घाटन किया।

शंघाई, चीन में 9 से 12 सितंबर, 2019 तक चीन इंटरनेशनल फर्नीचर एक्सपो में ईपीसीएच की सहभागिता

श्री अनिल कुमार राय, शंघाई में भारत के कॉन्सुल जनरल ने डॉ जे अरविंद, अध्यक्ष चांसेरी और काउंसिल (वाणिज्यिक) तथा अन्य भारतीय हस्तशिल्प निर्यातकों के साथ चीन अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया।

टोक्यो, जापान में 24 से 26 जुलाई, 2019 तक आयोजित इंडिया ट्रेड फेयर में ईपीसीएच की सहभागिता

महामहिम श्री संजय कुमार वर्मा, भारत के राजदूत ने श्री अजीत चवान, सचिव, वस्त्र समिति, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, श्री नोबुहिरो कोमाडा, अध्यक्ष, निस्सेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान, श्री युसुके यानागासे, अध्यक्ष जे आई आई पी ए, श्री रवि के पासी, अध्यक्ष ई पी सी एच की उपस्थिति में इंडिया ट्रेड फेयर 2019 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय निर्यात संवर्धन गतिविधियां

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में 16 से 20 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित आईएचजीएफ दिल्ली फेयर ऑटम 2019

श्री रवि कपूर, सचिव (वस्त्र), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री शांतमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), श्री आर के पासी, अध्यक्ष ई पी सी एच और श्री राकेश कुमार, महानिदेशक ईपीसीएच के साथ आईएचजीएफ दिल्ली मेले के 48 में संस्करण का उद्घाटन किया।

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में 4 से 6 जुलाई, 2019 तक आयोजित इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज़ शो

श्री शांतमनु, आईएएस, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड शो के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रवि के पासी, अध्यक्ष– ईपीसीएच, श्री विकास मानकतला, अध्यक्ष, आईएफजेएएस 2019, श्री राकेश कुमार, महानिदेशक–ईपीसीएच, श्री राहुल मेहता, अध्यक्ष, आईजीएफए और अध्यक्ष, सीएमएआई और ईपीसीएच के प्रशासनिक समिति के सदस्य उपस्थित थे।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी, माननीय केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री और वस्त्र मंत्री द्वारा सामान्य सुविधा केंद्र सहारनपुर में अपग्रेडेड वुड सीज़निंग प्लांट एंड ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन

वस्त्र मंत्रालय

माननीय मंत्री द्वारा सहारनपुर के अग्रणी निर्यातकों का सम्मान

शिल्प कलस्टरों में कार्यशाला एवं सेमिनार

मुरादाबाद में ड्रिप कैपिटल् बीएए और एसोसिएशंस ऑफ मुरादाबाद, वाईईएस, एमएचईए, आईआईए और एल यू बी द्वारा आयोजित नॉलेज सेमिनार

विश्व भर के बाज़ार खंडों में उत्पादों एवं सेवाओं के वैश्वीकरण और स्थिति पर सेमिनार

" एसएमई को विदेश विनिमय सेवाएँ" और " पैकेजिंग में तकनीकी क्षमता" पर सेमिनार

बक्सा, असम में आयोजित कलस्टर जागरूकता कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी

अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक की अवधि के दौरान शिल्प संग्रहालय ने विभिन्न प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ, सेमिनार/कार्यक्रम आयोजित किए:

प्रदर्शनियाँ एवं कार्यशालाएँ:

1. **अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस:** संग्रहालय में 18 मई, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आयोजित किया गया। उत्सव के भाग के रूप में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के सहयोग से ब्लॉक प्रिंटिंग और प्रकृतिक डाई बनाने संबंधी एक सप्ताह की कार्यशाला की गई। डॉ आनंद बर्धन द्वारा "औपनिवेशिक भारत में संग्रहालय" विषय पर शेपेडिया के सहयोग से एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया।

2. **दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वस्त्रों पर चर्चा:** 21 जुलाई, 2019 को डॉ गौरी परीमू, स्वतंत्र क्यूरेटर, सिंगापुर द्वारा "दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वस्त्र" विषय पर शेपेडिया संगठन के सहयोग से एक चर्चा आयोजित की गई।

3. **नई वस्त्र गैलरी का उदघाटन:** 13 अगस्त, 2019 को श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं वस्त्र मंत्री ने श्री रवि कपूर, सचिव, वस्त्र की उपस्थिति में नई वस्त्र गैलरी का उदघाटन किया। नई वस्त्र गैलरी में उत्तम वस्त्रों की 200 से अधिक मदें प्रदर्शित है।

4. **खादी साड़ियों की प्रदर्शनी:** 24 सितंबर से 28 सितंबर, 2019 तक तनेरिया साड़ी (टाटा उत्पाद) के सहयोग से 150 खादी साड़ियों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। हाथ से बुनी 150 खादी साड़ियों की प्रदर्शनी महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का एक हिस्सा थी।

5. **गांधी जयंती समारोह पर चरखा एवं करघा प्रदर्शन:** गांधी जयंती समारोह के भाग के रूप में 2 अक्तूबर, 2019 से 6 अक्तूबर, 2019 तक करघा और चरखा पर एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम ने भारतीय के साथ–साथ विदेशी दर्शकों को भी आकर्षित किया।

6. लगभग 4150 विद्वानों, शिल्प विशेषज्ञों, अनुसंधान कर्त्ताओं, वास्तुकारों, फैशन डिजाइनरों, संस्थानों, कॉलेजों और स्कूलों ने विभिन्न शिल्प वृत्तचित्र फिल्में देखी।

7. शिल्प संग्रहालय में दर्शकों को पारंपरिक भारतीय वस्त्र और हस्तशिल्प पर लगभग 900 लघु फिल्में दिखाई गई।

शिष्ट मण्डल और अन्यों द्वारा दौरा:

1. डॉ एंड्रेस जार्जेन, महानिदेशक संस्कृति एवं संचार, जर्मनी की अध्यक्षता में संग्रहालय के निदेशकों के एक जर्मन शिष्टमण्डल ने संग्रहालय का दौरा किया।

2. स्कूलों और कॉलेजों के 7809 छात्रों, 15038 भारतीय और 1332 विदेशी दर्शकों ने अप्रैल से सितंबर, 2019 के दौरान संग्रहालय का दौरा किया।

v. धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र

भारत के हस्तशिल्प देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि इनका उच्च उपयोगिता और सजावट मूल्य भी है। हस्तशिल्प क्षेत्र अत्यंत असंगठित है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में ठोस योगदान देता है और जनसंख्या के बहुत बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है।

मुरादाबाद धातु हस्तशिल्प उत्पादों के लिए पीतल नगरी के नाम से ही प्रसिद्ध है। देश से कलात्मक धातु पात्रों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और यदि बेहतर फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि के साथ उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए तो इसमें और वृद्धि का सामर्थ्य है, चूंकि पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में, धातु हस्तशिल्पों के संवर्धन और व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि और उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन से मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र की स्थापना की। वर्ष 1985 में परियोजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसे बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत भारत सरकार सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है जिसका प्रबंधन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, व्यापार एवं संबद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से बनी शासी परिषद द्वारा किया जाता है।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र के स्थापना से पूर्व, कलात्मक धातु पात्र उद्योग में उत्पादन एवं सर्फेस फिनिशिंग की पुरातन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक तरीके से निर्यात मदों की फिनिशिंग में कमी रह जाती है जो आयातक देशों की कड़ी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प विकास केंद्र की स्थापना की।

आरंभिक चरणों में केंद्र के मामलों को यूपी स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लि०, उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा देखा जा रहा था किन्तु अगस्त, 1991 में न लाभ न हानि के आधार पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। संस्था के नीतिगत मामलों को सरकारी परिषद द्वारा देखा जाता है जिसमें वि०आ०(ह०) अध्यक्ष होते है और संस्था के दैनिक मामलों को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति द्वारा देखा जाता है।

परियोजना उपकरणों का स्थापन वर्ष 1987 में आरंभ किया गया। जून 1989 में लेकरिंग शॉप को स्वीकृति मिलने पर परीक्षण उत्पादन आरंभ किया गया।

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की स्थापना सभी उन्नत प्रोद्योगिकी एवं लेकरिंग, एलेक्ट्रोप्लटिंग (गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, ब्रास, क्रोम आदि), एंटिक फिनिश, पाउडर कोटिंग एवं सैंड/शॉट ब्लास्टिंग आदि जैसी सुविधाओं और लेड एंड कैडमियम लिचिंग, लेड इन सर्फेस कोटिंग, एफडीए टेस्ट एवं केलिफोर्निया प्रोप.65, मेटल एवं मेटल अलोय एनालिसिस, मल्टी लेयर मेटेलिक प्लेटिंग थिक्नेस टेस्ट, एनालिसिस ऑफ एलेक्ट्रोलाइट, कोरोसन रेसिस्टेंस टेस्ट, साल्ट स्प्रे टेस्ट, हुमिडीटी टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ लेकर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पैंट कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ पाउडर कोटिंग, टेस्टिंग ऑफ बरस्टिंग स्ट्रेन्थ ऑफ करुगटेस बोक्सेस, ड्रॉप टेस्ट ऑफ कार्टन्स, कलर शेड मेचिंग, मोइश्चर कंटेन्ट इन वुड, आरओएचएस टेस्ट, रेडियशन टेस्ट आदि जैसी टेस्टिंग सुविधाओं के साथ की गई हैं।

वस्त्र मंत्रालय

केंद्र के उद्देश्य

1. कलात्मक धातुपात्रों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनकी निर्यात योग्यता को बढ़ाना।
2. शिल्पियों के कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और कलात्मक धातुपात्र उद्योग से जुड़ी तकनीकों को मुहैया कराना।
3. हस्तशिल्प उत्पादों की फिनिशिंग में सुधार लाने में निर्यातकों के लिए मददगार सामान्य सुविधा केन्द्र (सी एफ सी) की स्थापना।
4. एनएबीएल द्वारा प्रत्यापित अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं के संबंध में परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
5. मेटल फिनिशिंग तथा धातु हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े क्रियाकलापों के क्षेत्र में सतत अनुसंधान एवं विकास मुहैया कराना।

एमएचएससी के विभिन्न विभाग –

- एलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप
- लेकरिंग
- पाउडर कोटिंग
- पोलिशिंग
- अनुसंधान, टेस्टिंग और केलिबरेशन प्रयोगशाला
- सैंड/ शॉट ब्लास्टिंग
- डिजाइन बैंक
- कौशल विकास प्रशिक्षण

रिसर्च टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेटरी (आरटीसी लेबोरेटरी)

रिसर्च टेस्टिंग एंड केलिबरेशन लेबोरेटरी (आरटीसी लेबोरेटरी) की स्थापना वर्ष 2005 में धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की उन्नयन योजना के दौरान की गई थी। यह आईएसओ/आईईसी:17025/2005 के अनुसार धातु एवं मिश्र धातु, पेंट एवं सर्फेस कोटिंग, एलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ एंड साल्ट, आरओएचएस, माइग्रेशन ऑफ हेवी मेटल एंड वाटर एंड वेस्ट के लिए एनएबीएल क्रेडिटेड है।

एमएचएससी धातु हस्तशिल्प उत्पादों, रसायन, गैर–विनाशकारी, विषाक्त धातु टेस्टिंग, ड्रॉप टेस्ट और जंग प्रतिरोध टेस्टिंग, आरओएचएस, आरईएसीएच (एसएचवीसी) आदि के क्षेत्र में एक अग्रणी पदार्थ टेस्टिंग प्रयोगशाला है।

आरटीसी प्रयोगशाला ने, समकालीन टेस्टिंग उपकरणों जैसे आईसी–आईसीपी–एमएस, एफटीआईआर, ईडीएक्सआरएफ,एएएस और बर्स्टिंग स्ट्रेन्थ टेस्टर आदि से सुसज्जित ईएन/आईएसओ/आईईसी 17025:2005 की अपेक्षाओं के अनुसार गुणवत्ता और कार्यान्वित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए विशाल प्रतिष्ठा हासिल की है। एमएचएससी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सर्वोत्तम सेवाओं की प्रदानगी सुनिश्चित करता रहा है।

टेस्टिंग, अनुप्रयोग और निरीक्षण के लिए जोड़े गए नए उपकरण –

इओन क्रोमेटोग्राफी –आईसीपीएमएस

एफटीआईआर

निर्यातकों को लाभः–

सभी संबंधित टेस्ट सुविधाएं निर्यातकों के द्वार पर उपलब्ध होगी जो किफायती भी होगी। टेस्टिंग ग्राहकों की आवश्यकतानुसार परिणामों की क्वालिटी पर प्रभाव डाले बिना अल्प अवधि में की जाएगी। सैंपलों को दिल्ली के अन्य स्थानों या कहीं ओर ले जाने से निर्यातकों के समय और पैसे की बचत होगी। थर्ड पार्टी प्रेषित माल निरीक्षण सुविधाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध होगी। आरटीसी प्रयोगशाला द्वारा जारी टेस्ट प्रमाणपत्र विभिन्न देशों के अनेक विदेशी खरीददारों, बाईंग हाउसेस, एक्सपोर्ट हाउसेस और ट्रेड टैक्स आदि जैसे सरकारी विभागों द्वारा मान्यताप्राप्त है। तैयार उत्पादों के साथ–साथ प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनके उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर जानने से उद्योग को अधिक आत्मविश्वास प्राप्त होगा।

एमएचएससी प्रतिवर्ष मुख्यतः मुरादाबाद और उसके आस-पास के हस्तशिल्प व्यापार निर्यातकों, विनिर्माताओं और कारीगरों को धातु फिनिशिंग, टेस्टिंग, निरीक्षण और अन्य सेवाएँ प्रदान करता है।

- **लगभग 526 कारीगर लाभान्वित**
- **लगभग 2474 निर्यातक लाभान्वित**
- **लगभग 562 विनिर्माता लाभान्वित**

केंद्र की नवीनतम उपलब्धियां:-

1. 01 अप्रैल, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक एमएचएससी के धातु फिनिशिंग अनुभाग (एमएफएस) ने 4121654.00 रुपये का राजस्व प्राप्त किया।
2. 01 अप्रैल, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक आरटीसी प्रयोगशाला से एमएचएससी ने 2934513.00 रुपये का राजस्व प्राप्त किया।
3. सीएफसी एवं आरटीसी प्रयोगशाला से अर्जित कुल राजस्व 10359566.00 रुपए है। केंद्र में उपलब्ध डाटा दर्शाता है कि उपर्युक्त सीएफसी एवं आरटीसीएल से लगभग 860 निर्यातकों, विनिर्माताओं, खरीददारों/खरीद एजेंटों और मुरादाबाद एवं आसपास के कारीगरों ने टेस्टिंग एवं प्रमाणीकरण या फिनिशिंग जैसे विविध रूपों में इसका लाभ उठाया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र की अघोषित आय एवं व्यय का ब्यौरा

वर्ष	आय (भारतीय रू० में०)	व्यय (भारतीय रू० में)
2018 – 19	रु० 1,83,33236.00	रु० 1,79,16648.00

क. नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज ने एनएबीएल एक्रेडिशन के नवीकरण के लिए मुख्य आंकलनकर्त्ता डॉ० वाई सी निझावन (पूर्व निदेशक नेशनल टेस्ट हाऊस) सहित एनएबीएल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों की टीम द्वारा दिनांक 12.07.2017 – 13.07.2017, 19.07.2017 – 20.07.2017 तथा 23.08.2017 को आरटीसी लेबोरेट्री का मूल्यांकन किया और इसमें केंद्र द्वारा सफलता प्राप्त की गई।

ख. एमएचएससी ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क (एनएसक्यूएफ) से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, एनग्रेविंग, क्वालिटी कंट्रोल, लेकरिंग एंड पेंटिंग, वैल्डिंग एंड सोल्डरिंग, पाउडर कोटिंग और पैकेजिंग में आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम के अधीन धातु कारीगरों को प्रशिक्षित किया।

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के आईडीपी एवं डीडबल्यू कार्यक्रमों के आयोजन से लगभग 2200 कारीगरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हुआ है। कार्यक्रमों की सफलता दर को देखने के पश्चात भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम संचालित किए जाने की भी योजना है।

एमएचएससी, मुरादाबाद में गणमान्य व्यक्तियों का हाल ही में दौरा

(क) श्री यशवंत राव, आईएएस, डिवीजनल कमिश्नर (मुरादाबाद) ने एमएचएससी का दौरा किया और एमएचएससी, मुरादाबाद की पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

(ख) श्री अनुभव पटनायक, एमएलए, ओडिशा विधान सभा ने एमएचएससी का दौरा किया और एमएचएससी, मुरादाबाद की पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन

11.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस)

वस्त्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए को पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। एनईआरटीपीएस एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन और क्रियान्वयन में आवश्यक लचीलेपन के साथ परियोजना आधारित दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत अपैरल एवं परिधान, पटसन, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युतकरघा और रेशम उत्पादन सहित वस्त्र क्षेत्र के सभी उप–क्षेत्रों को शामिल करने वाली परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना, नई प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और बाजार पहुंच के लिए आवश्यक सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर में वस्त्र उद्योग का स्थायी विकास करना है।

11.2 एनईआरटीपीएस के अंतर्गत पहल

11.2.1 रेशम उत्पादनः एनईआरटीपीएस के अंतर्गत एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी) तथा गहन बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईबीएसडीपी) तथा महत्वकांक्षी जिलों (एडी) की तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में चिन्हित क्षमतापूर्ण जिलों में क्रियान्वयन के लिए रेशम उत्पादन परियोजना अनुमोदित की गई हैं।

11.2.1.1: एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी): 20 परियोजनाएं

11.2.1.1(क): बीटीसी सहित असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में 8 परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए 631.97 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 525.11 करोड़ रुपए) की कुल लागत के साथ कुल 14 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। यह परियोजनां मलबरी, एरी और मूगा के 29,910 एकड़ पौधारोपण को सहायता प्रदान करेंगी। इसमें बीटीसी (सक्षम) के सिल्क और नागालैंड के लिए पश्च कोकून प्रौद्योगिकी हेतु मृदा शामिल हैं। ये परियोजनाएं राजय रेशम पालन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

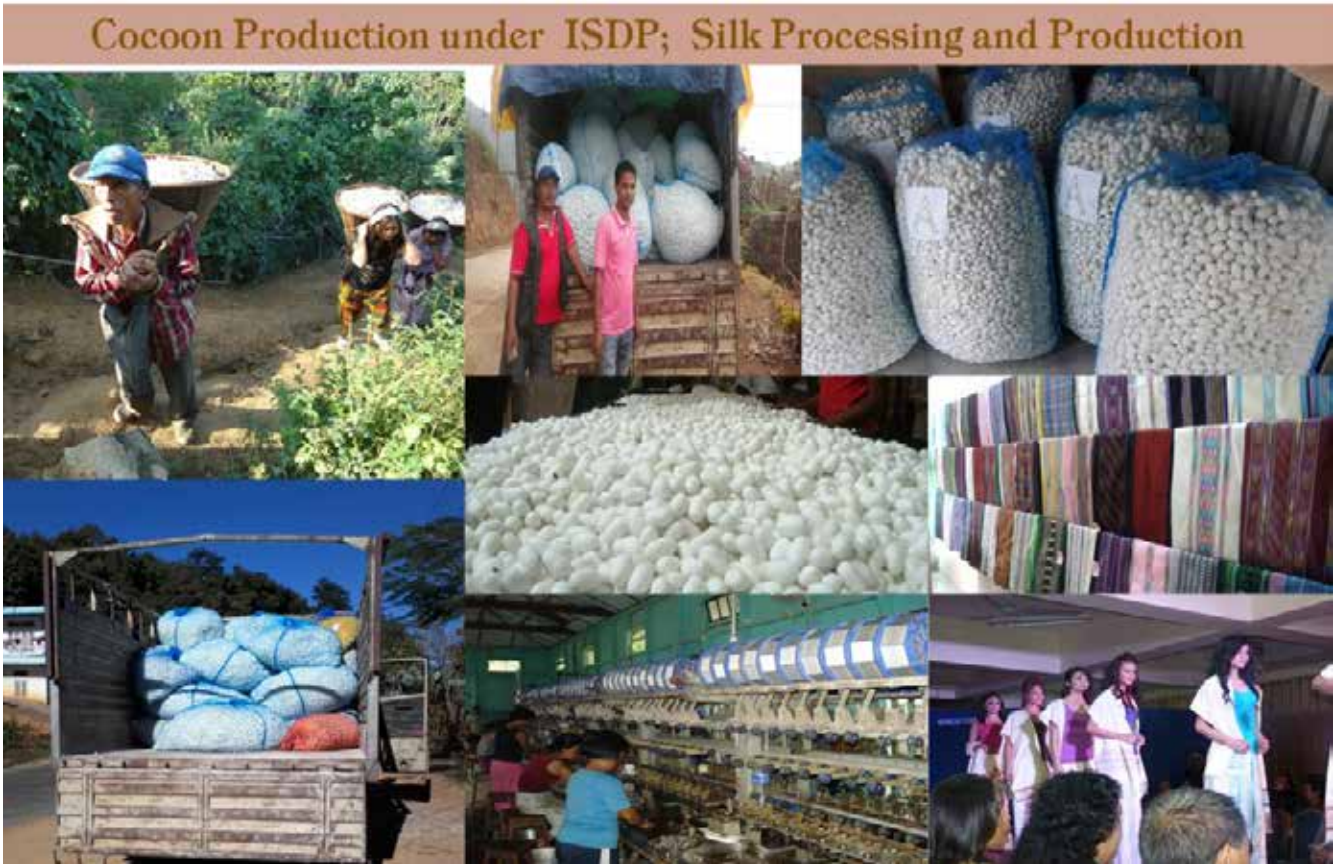

Weaving Training

11.2.1.1 (ख): सीएसबी में बीज अवसंरचना इकाइयां: पूर्वोत्तर में मलबरी, एरी और मूगा क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन के लिए अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने हेतु 37.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर एक परियोजना अनुमोदित की गई थी। इस योजना में 6 बीज अवसंरचना इकाइयों ख(जोरहट (असम) में 1 मलबरी बीज इकाई), सिल्वर (असम), मोकुकचुंग (नागालैंड), कोकराझार (बीटीसी–असम), तुरा (मेघालय) में 4 मूगा बीज इकाई, और टोपाटोली (असम) में 1 एरी बीज इकाई) 30 लाख मलबरी डीएफएलएस और 21.51 लाख मूगा और एरी डीएफएलएस की उत्पादन क्षमता सहित, के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

11.2.1.1 (ग): त्रिपुरा में रेशम छपाई इकाई:

त्रिपुरा में उत्पादित रेशम और फैब्रिक के लिए मूल्यवर्धन हेतु रेशम छपाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 3.71 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) की कुल लागत पर रेशम प्रसंस्करण और छपाई इकाई की स्थापना के लिए एक परियोजना अनुमोदित की गई है।

11.2.1.2 इंटेसिव बाइवोल्टाइन सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आईबीएसडीपी): (10 परियोजनाएं)

एनईआरटीपीएस के अंतर्गत 290.31 करोड़ रुपये की कुल लागत जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 258.74 करोड़ रुपये के साथ आयात विकल्प वाली बाइवोल्टाइन रेशम के लिए 10 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस परियोजना में मलबरी पौधारोपण हेतु 4,900 एकड़ क्षेत्र जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों (मणिपुर को छोड़कर) की लगभग 10,607 महिला लाभार्थियों को कवर किया गया हैं।

11.2.1.3 एरी स्पन सिल्क मिल्स और आकांक्षी जिले : (8 परियोजनाएं)

(क): एरी स्पन सिल्क मिल्स (ईएसएसएम): मिलों की स्थापना के बाद लगभग 7500 स्टेकहोल्डरों को लाभांवित कर प्रति वर्ष एरी स्पन सिल्क यार्न का 165 मी.टन उत्पादन करने के लिए 64.59 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 57.28 करोड़ रुपए) की कुल परियोजना लागत से असम, बीटीसी और मणिपुर राज्य में 3 एरी स्पन सिल्क मिलों की स्थापना को अनुमोदित किया गया।

(ख): वांछित जिलों में रेशम उत्पादन का विकासः भारत सरकार ने राज्य सरकारों की भागीदारी से जिलों की क्षमता के अनुसार मलबरी, एरी, मूगा अथवा ओक तसर को शामिल करते हुए वांछित जिलों में प्रति जिला एक/दो ब्लॉक में रेशम उद्योग के विकास की शुरूआत की है। वर्तमान में 73.47 करोड़ की भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ 79.60 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से 05 रेशम उत्पादन परियोजनाएं असम, बीटीसी, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के राज्यों में क्रियान्वयन के अधीन है। इन परियोजनाओं में 3360 एकड़

पौधरोपण किया जाएगा जिससे लगभग 4185 लाभार्थियों लाभांवित होंगे।

11.2.1.4 चल रही और नए परियोजनाओं की प्रगति:

प्रगतिः नवंबर, 2019 तक 43666 लाभार्थियों को शामिल करते हुए मलबरी, एरी, मूगा और ओक तसर के होस्ट पौधरोपण के अंतर्गत लगभग 32,810 एकड़ (13280 नया और 19530 मौजूदा) क्षेत्रफल को लाया गया है और परियोजना अवधि (2014–15 से सितंबर, 2019–20 तक) के दौरान 2984 मी.टन कच्ची रेशम का उत्पादन किया गया। उपर्युक्त परियोजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा जारी की गई 711.68 करोड़ रुपए की तुलना में 569.76 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसके अलावा 19000 रियरिंग हाउस, 13800 माउंटिंग हॉल, 31 ग्रेनेज और 33 सीएफसी का विकास पहले ही कर लिया गया है।

एनईआरटीपीएस के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही समग्र रेशम उत्पादन परियोजनाओं का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

#	राज्य	कुल परियोजना लागत(करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रूपए)	भारत सरकार का हिस्सा (नवंबर, 2019 तक)	लाभार्थी (संख्या)		परियोजना के दौरान परिणाम (एमटी)	
				(करोड़ रूपए)	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनं.) (सितं, 2019 तक)
I	**एकीकृत रेशम उत्पादन विकास परियोजना**							
1	असम	66.67	47.42	45.05	5,965	5,965	94	86.29
2	बीटीसी	34.92	24.68	22.62	3,356	3,356	75	33.56
3	बीटीसी (आईईडीपीबी)	11.41	10.61	10.08	654	654	26	13.46
4	बीटीसी (मिट्टी से रेशम तक)	55.36	53.12	37.09	3,526	2,345	102	51.00
5	अरूणाचल प्रदेश	18.42	18.42	17.50	1,805	1,672	36	-
6	मणिपुर (घाटी)	149.76	126.60	107.55	6,613	5,555	203	13.68
7	मणिपुर (हिल)	30.39	24.67	20.50	2,169	1,201	51	9.00
8	मेघालय	30.16	21.91	19.57	2,856	2,856	77	27.73
9	मिजोरम	32.49	24.49	23.26	1,683	1,683	49	21.33
10	मिजोरम (आईएमएसडीपी)	13.52	12.83	12.19	833	800	10	2.36
11	नागालैंड	31.47	22.66	21.52	2,678	2,678	69	43.11
12	नागालैंड (आईईएसडीपी)	13.66	12.83	12.19	1,053	1,053	24	23.24
13	नागालैंड (पीसीटी)	8.57	8.48	8.06	400	406	कोकून पश्च और यार्न पश्च गतिविधियां	
14	त्रिपुरा	47.95	33.20	29.58	3,432	3,432	121	4.71
	कुल (I)	**544.75**	**441.93**	**386.76**	**37,023**	**33,656**	**938**	**329.47**
Ia	नई आईएसडीपी परियोजनाएं							
15	अरूणाचल प्रदेश (आईएलएसईएफ)	37.25	35.65	9.12	1,270	445	48	-
16	अरूणाचल प्रदेश (आईएमएसडीपी)	12.69	12.15	6.08	750	-	9	-
17	बीटीसी –आईईएसडीपी (टैप)	18.63	17.35	5.78	1,400	375	18	-
18	नागालैंड –चुंगटिया	18.67	18.04	1.70	500	120	16	-
	कुल (Ia)	**87.24**	**83.19**	**22.68**	**3,920**	**940**	**91**	
Ib	अवरंचना परियोजनाएं							
19	त्रिपुरा (प्रिंटिंग)	3.71	3.71	3.52	-	-	1.50 लाख मीट/वर्ष	
20	सीएसबी बीज अवसंरचना	37.71	37.71	35.82	-	-	30 लाख मलबरी एवं 3.70 लाख मूगा /एरी डीएफएलएस/वर्ष	
	कुल (Ib)	**41.42**	**41.42**	**39.35**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (I+Ia+Ib)	**672.46**	**566.53**	**448.78**	**40,943**	**34,596**	**1,029**	**-**
II	**गहन बाईवोल्टाइन रेशम उत्पादन विकास परियोजना**							

1	असम	29.55	26.28	24.96	1,144	1,144	17	11.00
2	बीटीसी	30.06	26.75	25.41	1,188	1,188	17	1.51
3	अरूणाचल प्रदेश	29.47	26.20	24.89	1,144	663	16	-
4	मेघालय	29.01	25.77	24.47	1,044	1,033	16	6.45
5	मिजोरम	30.15	26.88	25.54	1,169	1,169	16	16.82
6	नागालैंड	29.43	26.16	24.85	1,144	1,144	16	4.04
7	सिक्किम	29.68	26.43	25.11	1,094	885	17	0.75
8	त्रिपुरा	29.43	25.95	24.65	1,144	1,144	16	1.37
	कुल (II)	**236.78**	**210.41**	**199.88**	**9071**	**8,370**	**130**	**41.94**
IIa	नई बाइवोल्टाइन परियोजना							
9	नागालैंड दृबाई (एसपीवी)	22.43	20.68	10.34	436	-	14	-
10	त्रिपुरा–सेफाहीजाला	31.11	27.64	3.16	1,100	-	17	-
	कुल (IIक)	**53.54**	**48.32**	**13.50**	**1,536**	**-**	**31**	**-**
	कुल (II+IIक)	**290.31**	**258.74**	**213.38**	**10,607**	**8,370**	**161**	**-**
	आईईसी			**2.00**				
III	**एरी स्पन रेशम मिल**							
1	असम	21.53	19.09	5.00	-	-	-	-
2	बीटीसी	21.53	19.09	5.00	-	-	-	-
3	मणिपुर	21.53	19.09	5.00	-	-	-	-
	कुल(III)	**64.59**	**57.28**	**15.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
IV	आकांक्षावादी जिले							
1	असम	21.03	19.55	9.78	1,200	-	46	-
2	बीटीसी	20.28	18.64	9.32	960	-	40	-
3	मेघालय	12.08	10.97	5.48	410	-	17	-
4	मिजोरम	11.56	10.82	3.45	650	200	17	-
5	नागालैंड	14.65	13.49	4.50	965	500	17	8.00
	कुल(IV)	**79.60**	**73.47**	**32.53**	**4,185**	**700**	**137**	**8.00**
सकल योग (I+II+III+IV) (38 परियोजनाएं)		**1,107.90**	**956.01**	**711.68**	**55,735**	**43,666**	**1,327**	**379.41**

पी– अनंतिम

परियोजनाओं की मॉनीटरिंग: ये परियोजनाएं केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) की मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है। सीएसबी द्वारा सभी रेशम उत्पादन परियोजनाओं पर रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों ने पौधरोपण के विकास और सृजित की जाने वाली अवसंरचना के लिए नए किसानों की आसानी से पहचान करने के लिए लेटीट्यूड और लांगीट्यूड के समन्वय से जीपीएस मानचित्र वाले कैमरा का प्रयोग करके लाभार्थी के विवरण सहित परिसंपत्तियों/अवसंरचना के सृजन और पौधरोपण के जियोटैग के लिए कदम उठाए हैं।

11.2.2 **अपैरल एवं परिधान निर्माण परियोजना:** इस परियोजना को स्थानीय उद्यमियों के माध्यम से पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान संवर्धन करने के लिए शुरू किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 18.18 करोड़ रुपए प्रति सेंटर की दर पर 7 सेंटरों का उद्घाटन किया गया है जो उच्च प्रौद्योगिकी वाली परिधान मशीनरियों से सुसज्जित है। और अपने काम को शुरू करने के लिए उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आशा है कि परियोजना न केवल पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिधान के लिए एक नए अवसर तैयार करेगी बल्कि पूर्वोत्तर में संबद्ध उद्योगों का भी विकास करेगी।

11.2.3 **हथकरघा परियोजना:** चौथी हथकरघा जनगणना 2019–20 के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 18.56 लाख हथकरघा कामगार और 18.62 लाख हथकरघे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश करघे घरेलू उत्पादन में लगे हुए हैं और अपेक्षाकृत कम करघे मिश्रित उत्पादन अर्थात घरेलू एवं वाणिज्यिक उत्पादन में लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हथकरघा बुनाई पूर्वोत्तर के सभी सामाजिक वर्गों की संस्कृति का हिस्सा है। चौथी जनगणना, 2019–20 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कुल बुनकरों

की संख्या में महिला बुनकरों की संख्या सबसे अधिक है। एनईआरटीपीएस के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को निम्नलिखित पहलों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है:

11.2.3.1 हथकरघा के लिए कलस्टर विकास परियोजनाएं: इस परियोजना के अंतर्गत 92.35 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 180 कलस्टर विकास परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। डिजाइन कार्यक्रम, उत्पाद लाइनों का विविधीकरण और विपणन सहायता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

11.2.3.2 विपणन संवर्धन: विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2017–18 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को 531.56 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी और कुल 19 एक्स्पो स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 12 एक्स्पो स्वीकृत किए गए थे तथा इसके अंतर्गत 196.73 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 13 एक्स्पो स्वीकृत किए गए थे और इसके अंतर्गतवर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 498.04 लाख रुपए जारी किए गए थे।

11.2.4 हस्तशिल्प क्षेत्र: पूर्वोत्तर राज्यों में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र एकीकृत एवं सतत विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अनुमोदित/स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	स्वीकृति वर्ष	भारत सरकार का हिस्सा	आई.ए. हिस्सा	अभी तक जारी की गई निधि	21.11.19 तक की गई राशि	लाभ प्राप्त करने वाले कारीगर/भावी लाभार्थी
1.	विपणन एप्रोच के माध्यम से पूर्वोत्तर हस्तशिल्प का व्यापक विकास – ईपीसीएच	12.48	2015-16	12.48	0.0	4.05	4.05	1960
2.	नागालैंड के लिए हस्तनिर्मित बांस, प्राकृतिक फाइबर और वस्त्र आधारित कलस्टर का एकीकृत विकास – नागालैंड सरकार (उद्योग निदेशालय)	6.29	2016-17	6.29	0.0	3.06	3.06	550
3.	मणिपुर में टेराकोटा शिल्प का व्यापक विकास – आई. ए. एमएचएचडीसी लि., मणिपुर सरकार	2.05	2017-18	1.845	0.205	1.16	0.66	250
4.	त्रिपुरा में टेराकोटा शिल्प का व्यापक विकास – आई.ए., उद्योग निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	2.05	2017-18	1.845	0.205	0.58	0.00	आईए द्वारा परियोजना को क्रियान्वित नहीं किए जाने के कारण परियोजना निरस्त कर दी गई है और दंड स्वरूप ब्याज के साथ जारी की गई राशि लौटाने के लिए आई.ए. को दिनांक 31.10.2019 को पत्र जारी किया गया है।
5.	नोंगपोह, मेघालय में एकीकृत वस्त्र पर्यटन परिसर की स्थापना (रेशम उत्पादन विविंग निदेशालय)	7.99	2018-19	7.99	0.0	3.99	0.09	5000रेशम उत्पादन कारीगर/ बुनकर / किकिसान
6.	विपणन संपर्कों के साथ एकीकृत डिजाइन विकास परियोजना – (सीसीआईसी, नई दिल्ली)	1.98	2018-19	1.98	0.0	0.99	0.39	

7.	असम के 7 कलस्टरों में हस्तनिर्मित बांस, प्राकृतिक फाइबर तथा वस्त्र आधारित कलस्टर की एकीकृत परियोजना (आर्टफेड, गुवाहाटी)	6.22	2019-20	6.22	0.0	1.55	0.10	2450
8.	बीसीडीआई, अगरतला में बांस एवं बेंत हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए बांस एवं बेंत विकास संस्थान का सुदृढ़ीकरण। एनसीडीपीडी, नई दिल्ली द्वारा	1.60	2019-20	1.60	0.0	0.80	0.30	सभी पूर्वोत्तर राज्यों के सीएंडबी के लगभग 1000 शिल्प कारीगर
9.	एमएचएचडीसी, इम्फॉल द्वारा मणिपुर में हस्तशिल्प का एकीकृत विकास एवं संवर्धन	7.96	2019-20	7.16	0.80	3.58	0.20	6000

11.2.5 मणिपुर में विद्युतकरघा परियोजना: मणिपुर में 13.17 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 9.22 करोड़ रुपए के भारत सरकार के हिस्से से पहली विद्युतकरघा परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार विद्युतकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं विद्युतकरघा (प्रीपेरेटरी मशीनों सहित) के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। यह परियोजना प्रगति में है।

11.2.6 डिजीटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पटसन में सर्केंद्रित इन्क्युवेशन सेंटर: पटसन फैब्रिकों के लिए डिजीटल प्रिंटिंग हेतु सुविधा सृजित करने के लिए गुवाहाटी में 3.75 करोड़ रुपए की कुल लागत और भारत सरकार की 2.75 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी से एक परियोजना क्रियान्वित की गई है। मशीनों की खरीद के साथ–साथ इकाई की स्थापना का कार्य प्रगति में है।

वस्त्र क्षेत्र में आईसीटी पहलें

12.1 वस्त्र मंत्रालय में डिजिटल तैयारी

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल पहल का सक्रिय रूप से सवंर्धन कर रहा है; डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं पारदर्शी हो और नागरिकों को आसानी से प्राप्त हो सकें। मंत्रालय का आईटी प्रभाग, नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने और एप्लीकेशन सिस्टम को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अधिकांश एप्लीकेशन नेशनल क्लाउड सर्विसेज (मेघराज) पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों की अधिकांश योजनाएं और सेवाएं कभी भी कहीं भी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

सरकार के विजन और मिशन को हकीकत में बदलने के लिए इस मंत्रालय ने अपनी ई–गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु कई पहलें की हैं। ई–ऑफिस स्यूट, ई–समीक्षा, ई–खरीद आदि जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन हथकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं पर एमआईएस का विकास, हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एनजीओ पोर्टल, वस्त्र में क्षमता निर्माणा योजना का विकास (समर्थ) से कार्यकरण में सुधार हुआ है, जिसके आधार पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्रालय और इसके संगठन, नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के जिलाधिकारियों और लाभार्थियों के साथ केंद्रीय वस्त्र मंत्री का चर्चा, सचिव की अध्यक्षता वाले एसओएम में मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भागीदारी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए सचिव (वस्त्र) द्वारा नियमित प्रगति सत्रों में भाग लेने, महत्वपूर्ण वीसी सत्र आयोजित किए गए। अनुभागों में आईसीटी अवसंरचना को नवीनतम डेस्कटॉप से उन्नत किया गया है और साफ्टवेयर को आईपीवी6 कंपैटिविलिटी के साथ उद्योग भवन की गीगा बिट लैन/वैन/वायरलेस नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी डेस्कटॉप वीडियो क्रांफ्रेंस सुविधा दी गई है। मंत्रालय, संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय, एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली में विभिन्न एप्लीकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनआईसी–टीआईडी, मंत्रालय और इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को तकनीकी और कार्यात्मक सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह वेबसाइट के विकास, कार्यान्वयन, रख–रखाव और समन्वय तथा उसकी 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वे क्लाउड पर विभिन्न ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाओं, विभिन्न एप्लीकेशनों के विकास/विस्तार, नेटवर्क सहायता सेवाएं प्रदान कराने और आईसीटी अवसंरचना के रख–रखाव को भी सुकर बनाते हैं।

12.2 वेबसाइट प्रबंधन

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय की सामग्री प्रबंधन रूपरेखा (सीएमएफ) आधारित वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू (भारत सरकार की वेबसाइट के दिशानिर्देश) के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया था जिससे यह ऐक्सिसबिलिटी के मल्टिपल–मोड के अनुसार बन गई है, द्विभाषी रूप में होने से यह नेत्रहीन लोगों की पहुंच में भी है। संबंधित कर्मचारियों/प्रभागों द्वारा वेबसाइट की सामग्री का समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) शुरू की गई है।

12.3 आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लैन/वैन/पीसी के बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक उन्नयन किया जाता है। साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक फायरवाल और प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाने जैसे आवश्यक उपाय किए जाते हैं। लैन/वैन/सेवाओं में वायरस मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच प्रबंधन और वायरस पहचान प्रणाली भी अद्यतन की गई हैं। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय में नया वीसी स्टूडियो की स्थापना की गई है।

12.4 ई-गवर्नेंस

इन–हाउस वर्क–फ्लो को मजबूत करने के लिए नई विशेषताओं के साथ वेब आधारित ई–ऑफिस स्यूट को उन्नत किया गया है। रिकॉर्डों और फाइलों का डिजीटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। मंत्रालय में ई–ऑफिस क्रियान्वित किया गया है, मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए ई–ऑफिस पर नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फाइल बनाने, उसके मूवमेंट आदि में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/ई–हस्ताक्षर को क्रियान्वित किया गया है और संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

मंत्रालय में कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस), ई–विजिटर्स प्रणाली, ई–खरीद पोर्टल, जन शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली, संसदीय प्रश्न/उत्तर (ई–उत्तर), आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), एसीसी रिक्ति मॉनीटरिंग प्रणाली (एवीएमएस) का नया संस्करण, स्पैरो सिस्टम, ई–विजिटर्स मॉनीटरिंग सिस्टम, विदेशी दौरा प्रबंधन प्रणाली, ई–पालिटिकल क्लीयरेंस सिस्टम, अपीलीय मॉनीटरिंग सिस्टम, कोर्ट केसेज मॉनीटरिंग सिस्टम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) और डीबीटी जैसी जी2जी सेवाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाता है और मंत्रालय में उनका रख–रखाव किया जा रहा है।

12.5 नई पहलें

1. वस्त्र मंत्रालय का डैसबोर्ड तैयार किया गया

   एनआईसी का दर्पण फ्रेमवर्क का प्रयोग करके मंत्रालय का एक डैशबोर्ड तैयार किया गया। संबंधित उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया और उनकी योजना के डाटा का प्रबंधन करने के लिए प्रोजेक्ट एडमिन का सृजन किया गया है।

2. नई वस्त्र नीति का निर्माण करने के लिए नागरिकों से ऑनलाइन सुझाव प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। नागरिक से सुझाव प्राप्त करने के लिए माईजीओवी प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया गया है।

3. हैंडलूम मार्क योजना के लिए वेब आधारित और मोबाइल एप्लीकेशन का विकास प्रगति पर है और इसमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगी:–

– मौजूदा योजना के अंतर्गत हैंडलूम मार्क का लाभ प्राप्त करने के लिए नए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थियों की पहुंच

– प्रत्येक चरण पर एसएमएस और ई–मेल नोटिफिकेशन

– सभी हितधारकों को ऑनलाइन आवेदन और दावे की स्थिति प्रदान करना

– वर्कफ्लो क्रियान्वयन और हैंडलूम मार्क का ऑनलाइन लेबल

– ऑनलाइन शिकायत प्रणाली

– वस्त्र समिति, मुंबई द्वारा जारी किए गए हैंडलूम लेबलों का ऑनलाइन सत्यापन

4. समर्थ (वस्त्र क्षेत्र क्षमता निर्माण योजना)

   एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) का प्रबंधन मजबूत और लाइव प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय ने एक 'सार्वजनिक डैशबोर्ड' की सुविधा तैयार की है जो योजना की रियल टाइम प्रगति प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक डैशबोर्ड राज्य–वार स्थिति दर्शाता है जिसे आगे चलकर जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति के लिए लागू किया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रशिक्षण केंद्रों और चल रहे प्रशिक्षणों के अभ्यर्थियों की संख्या को लाइव भी देख सकता है।

   एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) उन प्रशिक्षुओं को ई–प्रमाणपत्र जारी करता है जो प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं और मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। इस प्रमाणपत्र में एक क्यूआर कोड होता है जिसे प्रमाणपत्र की वास्तविकता की जांच करने के लिए मोबाइल आधारित बारकोड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से इस प्रमाणपत्र को आईएसडीएस वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा पर जाकर सत्यापित भी किया जा सकता है।

5. हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए डीबीटी पोर्टल की शुरूआत की गई है। डीबीटी का उद्देश्य नागरिक को समय पर लाभ प्रदान करना है। डीबीटी के माध्यम से सरकार का आशय लाभ का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण, भुगतान में विलंब को कम करना और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लाभार्थियों का सटीकता से पता लगाना है जिसे लिकेज और दोहराव को दूर किया जा सकता है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय में अन्य आईसीटी क्रियाकलाप हैं:

6. सरकारी एजेंसियों को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ ऑनलाइन पैनलबद्ध करना।

7. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्याल के साथ डिजाइनरों के पैनल के लिए वैब समर्थित आवेदन।

8. राष्ट्रीय कारीगर पोर्टल

9. हस्तशिल्प कार्यक्रम प्रबंधन प्रणाली का विकास

   यह प्रणाली दिल्लीहाट, सूरजकुंड मेला आदि सहित समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत कारीगर द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के प्रावधान के साथ हस्तशिल्प कार्यक्रमों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करेगी।

   यह प्रणाली भावी प्रतिभागियों को आगामी कार्यक्रमों, भाग लेने के लिए आवेदन करने, आवेदन की स्थिति का पता लगाने में सहायता करेगी। प्रणाली स्टॉल के आबंटन के लिए व्यक्तिगत कारीगर का ऑनलाइन चयन करना सुनिश्चित करेगी।

10. **ई–धागा** (यार्न आपूर्ति योजना में बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन का एकीकरण)

    आधार प्रमाणन वर्जन 2.5 का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें वास्तविक पहचान की जा रही है।

    हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत ईआरपी पोर्टल और ई–धागा मोबाइल एप्लिकेशन शुरू की गई थी।

    यह प्रणाली हथकरघा बुनकरों को ऑनलाइन अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने और भुगतान को सुकर बनाती है।

    इस एप के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक बुनकर लाभांवित हुए।

12.6 संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में आईसीटी का कार्यान्वयन

मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों को विकसित और अद्यतन किया है, आईपीवी6 के अनुरूप व्यवस्थित और वायरलेस लैन की अपेक्षानुसार अपनी आईसीटी अवसंरचना का भी उन्नयन किया है। इन कार्यालयों ने और अधिक प्रयोक्ता क्रेंद्रित विशेषताओं और जीआईजीडब्ल्यू का अनुपालन करके अपनी–अपनी वेबसाइटों को उन्नत किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जनता या व्यापारिक समुदाय द्वारा अपेक्षित विभिन्न आवेदन फार्मों को डाउनलोड करने हेतु उन्हें साइट पर उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक डाटाबेस आधारित बहुत सी सांख्यिकीय/विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी उद्योग जगत के संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों को भी पर्याप्त आईसीटी अवसंरचना से लैस किया गया है। बेहतर प्रचालन संबंधी कुशलता हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में मोबाइल गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

12.7 सरकारी खरीद में जीईएम पोर्टल का प्रयोग

वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय और मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य संगठन जेम पोर्टल के माध्यम से माल/वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं।

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

13.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तोत्तर प्रयोग में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

13.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं, संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेज और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया।

मंत्रालय में, राजभाषा नियम, 1976 के नियम–5 का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

13.3 निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय–समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित निदेश दिए जाते हैं तथा उनकी अनुपालना को सुनिश्चित किया जाता है।

13.4 अनुवाद कार्य

मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा नियमित रूप से मंत्रिमंडल नोट, सभी अधिसूचनाओं, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी कागजातों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, स्थायी समितियों व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों, वस्त्र मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि का नियमित रूप से अनुवाद किया जाता है।

13.5 हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2019 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु पखवाड़े के दौरान हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, हिंदी निबंध, हिंदी वाद–विवाद, हिंदी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । वस्त्र मंत्रालय और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वस्त्र उपक्रमों में हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री और वस्त्र मंत्री की अपीलें परिचालित की गईं।

मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित किए गए प्रतिभागियों को दिनांक 9 दिसंबर, 2019 को आयोजित हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सचिव (वस्त्र) द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

मंत्रालय में हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सचिव (वस्त्र)

13.6 (i) राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में गठित है। समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ii) हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समिति का गठन हो जाने के पश्चात नियमित रूप से इसकी बैठक आयोजित की जाएगी।

13.7 हिंदी कार्यशाला

मंत्रालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए मंत्रालय में आयोजित प्रत्येक कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला के विषय से संबधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में सफल होने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।

एससी/एसटी/महिला और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय

14.1 रेशम क्षेत्र:

वर्ष 2019–20 के दौरान सिल्क समग्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

14.1.1 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 30.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2019–20 के दौरान एससीएसपी के अंतर्गत घटकों के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ओडिशा और हरियाणा को 22.50 करोड़ रुपए की राशि (दिसंबर, 2019 तक) जारी की गई।

14.1.2 जनजातीय उप-योजना (टीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान रेशम उत्पादन के अंतर्गत जनजाति उप–योजना (टीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 20.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2019–20 के दौरान टीएसपी के अंतर्गत घटकों के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ओडिशा और हरियाणा को 18.57 करोड़ रुपए की राशि (दिसंबर, 2019 तक) जारी की गई है।

14.1.3 तसर विकास के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) परियोजनाएं

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत बहु–राज्यीय तसर परियोजनाओं को 6 राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय (5366.15 लाख रुपए) तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड (1794.75 लाख रुपए) अर्थात 7160.90 लाख रुपए के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अक्तबूर, 2013 से समन्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार के सबसे अधिक वामपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) 23 जिलों में विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत घरों के लिए 36,000 से अधिक स्थायी आजीविकाओं का सृजन करने की संकल्पना की गई है।

परियोजना के अंतर्गत 33093 किसानों को 687 अनौपचारिक उत्पादक समूहों में शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2738 किसानों द्वारा 1521 हैक्टेयर तसर होस्ट प्लांट तैयार किए गए हैं। न्यूक्लियस बीज के 1.782 लाख डीएफएलएस तथा आधारभूत बीज के 10.86 लाख डीएफएलएस को 94.33 लाख न्यूक्लियस तथा 320.81 लाख आधारभूत बीज कोकून के उत्पादन के लिए तैयार किया गया है। 360 निजी उपजकर्ताओं ने 222.587 लाख बीज कोकून का प्रसंस्करण किया तथा 50.95 लाख वाणिज्यिक डीएफएलएस का उत्पादन किया। 13,935 रियररों ने तसर मूल्य श्रृंखला में विभिन्न क्षमता निर्माण तथा संस्था निर्माण क्रियाकलापों के अतिरिक्त 53.52 लाख डीएफएलएस की सफाई की तथा 1806.72 लाख रीलिंग कोकून का उत्पादन किया।

14.3 हस्तशिल्प

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, सर्वांगीण तरीके से हस्तशिल्प कलस्टर के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर बल देने हेतु 'राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय व्यापक हस्तशिल्प विकास योजना (सीएचसीडीएस)' के माध्यम से हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करता है:

एनएचडीपी और सीएचसीडीएस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक हैं:–

क. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम:

i. बेस लाइन सर्वेक्षण और शिल्पकारों का एकीकरण (एएचवीवाई)
ii. डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन
iii. मानव संसाधन विकास
iv. शिल्पकारों को प्रत्यक्ष लाभ
v. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
vi. अनुसंधान एवं विकास
vii. विपणन सहायता एवं सेवाएं

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (मेगा कलस्टर योजना)

ये सभी योजनाएं महिला कारीगरों और अनुसूचित जाति और अनुसूचिज जनजाति से संबंधित कारीगरों के सशक्तिकरण और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कुल कार्यबल में से अनुमानतः 56.1% महिलाएं हैं जिनमें से 28.30% महिलाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं (स्रोतः जनगणना सर्वे 2012–13)। कुछ ऐसे विशिष्ट शिल्प हैं जिन्हें केवल महिलाएं ही बनाती हैं जैसे कशीदाकारी, चटाई बुनाई आदि। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिला कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन संबंधी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रदर्शनी आदि जैसी सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

14.4 दिव्यांग व्यक्ति

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत समूह क, ख, ग और घ के विभिन्न पदों में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षित की जाने वाली 3% रिक्तियों की तुलना में उनकी संख्या नीचे दी गई है:

वस्त्र मंत्रालय

क्र.सं.	कार्यालय/संगठन	समूह क		समूह ख		समूह ग		समूह घ	
		एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या	एसएस	पीडब्ल्यूडी की संख्या
1	वस्त्र मंत्रालय	44	1	87	2	59	0	0	0
2	विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और इसके संगठन	102	-	288	3	697	17	0	0
3	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन	204	2	167	1	60	2	13211	36
4	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन इंडिया लि.	41	0	102	3	14	2	87	3
5	भारतीय कपास निगम लि.	104	3	60	0	883	11	139	4
6	राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी संस्थान	945	02	337	0	823	01	0	0
7	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	65	01	242	04	325	05	0	0
8	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय	38	0	398	0	1383	03	0	0
9	भारतीय पटसन निगम लि.	164	0	77	4	196	5	0	2
10	वस्त्र समिति	80	01	156	1	280	01	0	0
11	केंद्रीय रेशम बोर्ड	645	10	1233	20	1084	25	0	0

14.5.1 लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

रेशम

लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजटः-

रेशम उत्पादन अपने निम्न निवेश, उच्च सुनिश्चित रिटर्न, अल्प परिपक्वता अवधि और आय को बढ़ाने के अधिक अवसरों तथा वर्ष भर परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार सृजन के कारण सीमांत तथा छोटे स्तर के भू–स्वामियों के लिए उचित है। रेशम उत्पादन महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए भी संभावनाएं भी उपलब्ध कराता है। यह अनुमान है कि रेशम उत्पादन में संलग्न लोगों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाएं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं जिससे वे परिवार तथा समाज में अधिक पहचान तथा सम्मान प्राप्त होने में समर्थ बनती हैं।

औसतन 30% महिला लाभार्थी केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'सिल्क समग्र' (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत शामिल हैं। सीएसबी का आरएंडडी संस्थान रेशम उत्पादन में महिलाओं की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादन श्रृंखला से संबंधित सभी क्रियाकलापों में थकानको कम करने पर बल देता है।

वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत सीएसबी में एससी/एसटी तथा महिला कर्मचारियों के संबंध में मानव श्रम व्यय का विवरण तथा आबंटन क्रमशः अनुबंध–। तथा ।। में दर्शाया गया है।

अनुबंध – I

अनु.जाति एवं अनु. जनजाति के विकास के लिए योजना							[करोड़ रुपए में]
क्र.सं.	**योजना का विवरण**	**ब.प्रा. 2019-20 (एमओटी द्वारा अनुमोदित)**		**सं.प्रा. 2019-20 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)**		**ब.प्रा. 2020-21 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)**	
		कुल आबंटन	**एससी/एसटी का हिस्सा**	**कुल आबंटन**	**एससीएसटी का हिस्सा**	**कुल आबंटन**	**एससी/एसटी का हिस्सा**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ छोड़कर	369.99	125.29	332.75	114.11	354.12	122.24
2	रेशम उत्पादन का विकास	181.00	50.00	360.53	50.00	406.49	45.00
	कुल	550.99	175.29	693.28	164.11	760.61	167.24
	प्रतिशत (%)	31.81	23.67	21.98			

अनुबंध – II

महिलाओं के विकास की योजना							(करोड़ रुपए में)
क्र.सं.	**योजना का विवरण**	**ब.प्रा. 2019-20 (एमओटी द्वारा अनुमोदित)**		**सं.प्रा. 2019-20 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)**		**ब.प्रा. 2020-21 (सीएसबी द्वारा प्रस्तावित)**	
		कुल आबंटन	**महिलाओं हिस्सा**	**कुल आबंटन**	**महिलाओं का हिस्सा**	**कुल आबंटन**	**महिलाओं का हिस्सा**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियोंका वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ छोड़कर	369.99	66.98	332.75	59.38	354.12	66.38
2	रेशम उत्पादन का विकास	181.00	54.30 30%	360.53	108.16 30%	406.49	122.00 30%
	कुल	550.99	121.28	693.28	167.54	760.61	188.38

सतर्कता कार्यकलाप

15.1 वस्त्र मंत्रालय के सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी पर की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय की सतर्कता व्यवस्था में नोडल व्यक्ति होता है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए है:

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उन पर जांच/जांच पड़ताल संबंधी उपयुक्त उपायों की पहल करना;
- निरीक्षण करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अथवा अन्यथा विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करनाय
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना।
- वस्त्र मंत्रालय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों की सूची तैयार करना।
- मंत्रालय के नियत्रंणाधीन संगठनों में सीवीओ/अंशकालिक सीवीओ की नियुक्ति/विस्तार से संबंधित कार्य।
- प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15.2 वस्त्र मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यशील निम्नलिखित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के 5 पद स्वीकृत हैं:

i. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि. (एनटीसी लि.)

ii. भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई लि.)

iii. भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई लि.)

iv. राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (निफ्ट)

v. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईसी एवं एचएचईसी लि.)।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यशील संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी हैं। तथापि, इन कार्यालयों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों का पूरा उत्तरदायित्व वस्त्र मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी पर है।

15.3 मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच संबधी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर उपचारात्मक सतर्कता की ओर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाता है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है:

i. मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।

ii. सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाया गया है और गलत प्रकियाओं से बचने के लिए उचित संस्थागत प्रणालियां लागू की गई हैं।

iii. वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को समय–समय पर सीवीसी, लोक उद्यम विभाग और डीओपीएंडटी के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने आचरण, अनुशासनिक और अपील नियमावली को संशोधित और अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है।

15.4 इस वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय पोर्टल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा व्यक्तियों से 79 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक डिवीजनों और सीवीओ को समय पर अग्रेषित करके कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सीवीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ शिकायतों पर जांच रिपोर्ट/की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। इन मामलों में सीवीसी की प्रथम स्तर की सलाह मांगी गई है। तीन मामलों में सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह मांगी गई थी और सीवीसी ने सभी तीन मामलों में अपनी सलाह दे दी थी।

15.5 वित्त वर्ष के दौरान 8 अनुशासनिक मामले प्रक्रियाधीन हैं। 8 अनुशासनिक मामलों में से तीन मामलों में यूपीएससी की सांविधिक सलाह मांगी गई थी। सभी तीन मामलों में यूपीएससी की सलाह प्राप्त हो गई है और

उनकी सलाह के अनुसार ये मामले प्रक्रियाधीन हैं। शेष 5 मामले विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं।

15.6 मंत्रालय में एवं इसके अंतर्गत कार्यरत 119 अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति जारी की गई है। सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति मांगने के लिए पीएसयू के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के 13 मामलों पर कार्रवाई की गई है।

15.7 सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019 की शुरूआत दिनांक 28.10.2019 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ की गई। 'इंटिग्रिटी – ए वे ऑफ लाइफ' विषय पर दिनांक 29.10.2019 को एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 'क्या वर्ष 2025 तक भारत से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है' विषय पर दिनांक 30.10.2019 को एक वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 'सतर्कता जागरूकता' विषय पर एक 31.10.2019 को श्री विनोद कुमार, उप–निदेशक, आईएसटीएम, नई दिल्ली द्वारा द्वारा एक व्याख्यान दिया गया। इन सभी कार्यक्रमों के प्रति उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। 24 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का समापन 1 नवंबर, 2019 को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली

www.ministryoftextiles.gov.in

मुद्रक: विबा प्रेस प्रा. लि., 9810049515